

ध्येय IAS
most trusted since 2003

परफेक्ट

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

दिसंबर 2024

वर्ष : 06 | अंक : 14

मूल्य : ₹140



dhyeyaias.com

» मुख्य विशेषताएं


बैन बूस्टर

पॉवर पैकड न्यूज

वन लाइनर

यूपीएससी मॉक करेंट MCQ

-ECONOMY-



वैश्विक नवाचार

में भारत का बढ़ता प्रभाव

नया बैच प्रारंभ

UPPCS

GENERAL STUDIES



JANUARY 2025

HINDI & ENGLISH MEDIUM

UPSC (IAS)

GENERAL STUDIES



JANUARY 2025

HINDI & ENGLISH MEDIUM

NEW YEAR

OFFER

25% OFF

OFFLINE

50% OFF

ONLINE

Offer Valid Till 10 Jan 2025

MODE : OFFLINE & ONLINE

05

Days class

FREE

FOR MORE INFORMATION
SCAN OR



LUCKNOW

ALIGANJ 📞 9506256789 | GOMTINAGAR 📞 7234000501

पहला पन्ना



एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो, बल्कि उसमें सही मात्रा का ज्ञान और उस ज्ञान का उचित निष्पादन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सार सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी सही अभिव्यक्ति और किसी भी स्थिति में उसका सही क्रियान्वयन है। यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर देश के महत्वपूर्ण मुद्दे सँभालने तक, कुछ भी हो सकती है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तो जरूर है परंतु सार्थक है।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में चयनित सिविल सेवकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न अंग रही है। यह पत्रिका खुद भी, बदलते पाठ्यक्रम के साथ ही बदलावों और सुधारों के निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरी है।

अब, यह पत्रिका आपके समक्ष मासिक स्वरूप में प्रस्तुत है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की इस रोमांचक यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	: विनय सिंह
प्रबंध निदेशक	: क्यू. एच. खान
प्रबंध संपादक	: विजय सिंह
संपादक	: विवेक ओझा
सह-संपादक	: आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	: भानू प्रताप
	: ऋषिका तिवारी
डिजाइनिंग	: अरूण मिश्र
आवरण सज्जा	: सोनल तिवारी

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरुक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
140	12	1680	1200

Half Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
140	6	840	600

-: For any feedback Contact us :-

+91 9369227134

perfect7magazine@gmail.com

*Postal charges extra



1. राष्ट्रीय 06-20

- ✓ मणिपुर में उग्रवाद की जड़ें और अफस्य का प्रभाव
- ✓ सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: बुलडोजर जस्टिस की आलोचना और नागरिक अधिकारों की रक्षा
- ✓ निजी संपत्ति अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
- ✓ पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना
- ✓ सुप्रीम कोर्ट ने एमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुराने फैसले को पलटा
- ✓ विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभता एक मौलिक अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय
- ✓ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भारत की पहली पूर्ण महिला बटालियन
- ✓ ऑपरेशन द्रोणागिरी
- ✓ मणिपुर हिंसा: घाटी क्षेत्रों में AFSPA फिर से लागू
- ✓ सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को बरकरार रखा
- ✓ पेन्नैयार नदी जल बंटवारा विवाद
- ✓ राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति
- ✓ दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024

2. अन्तर्राष्ट्रीय 21-34

- ✓ भारत और अमेरिका संबंध: ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में अवसरों और जोखिमों का विश्लेषण
- ✓ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव (डिजी फ्रेमवर्क)
- ✓ चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से ब्राजील बाहर
- ✓ स्पेन राष्ट्रपति की भारत यात्रा
- ✓ व्यापार बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह के उपयोग की पेशकश
- ✓ भारत और रूस के मध्य वायु रक्षा समझौता
- ✓ भारत-नाइजीरिया सामरिक साझेदारी
- ✓ भारत और इटली द्वारा 5-वर्षीय रणनीतिक कार्य योजना
- ✓ चेन्नई-ब्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा

- ✓ भारत-कैरिकॉम संबंध
- ✓ आसियान-भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की छठी बैठक
- ✓ अर्जेंटीना और पेरिस समझौता: वैश्विक जलवायु लक्ष्यों पर प्रभाव
- ✓ 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस

3. पर्यावरण 35-48

- ✓ वैश्विक जलवायु शासन में भारत की उभरती भूमिका
- ✓ अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना
- ✓ यूएनईपी अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2024
- ✓ विश्व का पहला CO₂ से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र
- ✓ सीसा संकट: स्वास्थ्य और आर्थिक लागत के दृष्टिकोण से विश्लेषण
- ✓ वैश्विक कार्बन बाजार और जलवायु वित्त
- ✓ भारत का नवीकरणीय ऊर्जा विकास
- ✓ 'मीथेन पर नजर: अदृश्य लेकिन अनदेखी नहीं' रिपोर्ट का चौथा संस्करण
- ✓ जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि पहल (एफएफ-एनपीटी)
- ✓ COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन का शुभारंभ
- ✓ तीस्ता घाटी में ग्लेशियल लेक आउटबस्टर्ट फ्लड (GLOF) संकट
- ✓ गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व
- ✓ वैश्विक प्लास्टिक संधि

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 49-62

- ✓ वैश्विक नवाचार में भारत का बढ़ता प्रभाव
- ✓ आदित्य - एल 1 मिशन से सौर विस्फोटों पर महत्वपूर्ण डेटा
- ✓ आरएनए संपादन (RNA Editing)
- ✓ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की रिपोर्ट में साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरों का खुलासा
- ✓ ओडिशा के तट से लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण

- ✓ उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए PAIR कार्यक्रम
- ✓ असम सेमीकंडक्टर प्लांट
- ✓ भारत की पहली डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा
- ✓ भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक: नैफिथोमाइसिन
- ✓ दुनिया का पहला समानांतर उपग्रह युग्म
- ✓ शुक्र मिशन 'शुक्रयान'
- ✓ एचआईवी का शीघ्र पता लगाने की तकनीक
- ✓ भारत की 6GHz स्पेक्ट्रम दुविधा और PS5 प्रो लॉन्च पर इसका प्रभाव

5. आर्थिकी 63-76

- ✓ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस): भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए एक आवश्यक साधन
- ✓ आरबीआई ने एफपीआई को एफडीआई में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए रूपरेखा पेश की
- ✓ पैन 2.0 परियोजना: भारत में करदाता सेवाओं में परिवर्तन
- ✓ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन
- ✓ भारत में युवा बेरोजगारी
- ✓ बौद्धिक संपदा को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता
- ✓ भारत में दूध, मांस और अंडा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि
- ✓ डिजिटल करेंसी: वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव
- ✓ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेड बैंक (D-SIBs) और आरबीआई के नियम
- ✓ स्कूल आधारित कौशल विकास के माध्यम से अवसरों में वृद्धि
- ✓ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का प्रस्ताव
- ✓ भारत और EFTA: व्यापार और निवेश के नए आयाम
- ✓ भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में जेब खर्च (OOPE) में कमी

6. विविध 77-89

- ✓ भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) शिक्षा: प्रगति, चुनौतियां और भविष्य की दिशा

- ✓ ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024
- ✓ प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन (एबीएस) 2024
- ✓ 'चलो इंडिया अभियान'
- ✓ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वार्षिक सभा का सातवां सत्र
- ✓ विश्व शहर रिपोर्ट 2024
- ✓ यूनेस्को वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2024
- ✓ बच्चों के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने पर पहला वैश्विक सम्मेलन
- ✓ एआई गवर्नेंस के लिए सहभागी दृष्टिकोण
- ✓ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: एशिया 2025
- ✓ विश्व में मधुमेह रोगियों का एक चौथाई हिस्सा भारत से
- ✓ ऑस्ट्रेलिया में किशोरों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध का प्रस्ताव
- ✓ भारत में लैंगिक संवेदनशील बजट की प्रभावशीलता में सीमित प्रगति: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

7. क्विक लर्न 90-132


- ब्रेन बूस्टर 90-99
- ✓ संविधान दिवस (26 नवंबर)
- ✓ वैश्विक नवाचार में भारत (WIPO 2024 रिपोर्ट)
- ✓ भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन
- ✓ भारत का पोलियो उन्मूलन
- ✓ नमो ड्रोन दीदी योजना
- ✓ पीएम विश्वकर्मा योजना
- ✓ पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना
- ✓ टीबी मुक्त भारत की ओर
- ✓ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना
- ✓ सागरमंथन 2024 - भारत का समुद्री विजन

प्रमुख चर्चित स्थल 100-101


पावर पैकड न्यूज 102-117

वन लाइनर्स 118-120

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 121-130



राष्ट्रीय मुद्दे



मणिपुर में उग्रवाद की जड़ें और अफरपा का प्रभाव

भारत के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में कई क्षेत्र उग्रवाद और विद्रोह से प्रभावित हैं, जिसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों का योगदान महत्वपूर्ण है। मणिपुर, जोकि देश के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक है, ने दशकों तक जातीय संघर्ष, विद्रोही गतिविधियों और स्वायत्तता की मांगों का सामना किया है।

भारत में उग्रवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

- **उग्रवाद और जातीय संघर्ष:** भारत में आंतरिक उग्रवाद विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन और जातीय संघर्ष शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से मणिपुर में, जातीय समूहों की ओर से स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की मांग के कारण उग्रवाद को बढ़ावा मिला है।
- **मणिपुर की जटिल जनसांख्यिकी:** मणिपुर की जनसांख्यिकी संरचना 'घाटी में मेइती समुदाय और पहाड़ियों में कुकी, नागा और अन्य स्वदेशी समूहों का वर्चस्व' ने तनाव को बढ़ावा दिया है। ये तनाव अक्सर राजनीतिक मांगों के कारण और बढ़ जाते हैं, जिससे लगातार विद्रोही गतिविधियाँ होती रहती हैं।

सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) की भूमिका:

- **सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम:** सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को 1958 में पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद से निपटने के लिए लागू किया गया था।
- यह अधिनियम सशस्त्र बलों को 'अशांत' माने जाने वाले क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाने का अधिकार देता है। मणिपुर में, उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धि के जवाब में 1980 में AFSPA लागू किया गया था।

शक्तियाँ और आलोचनाएँ:

- AFSPA सुरक्षा बलों को घातक बल का प्रयोग करने, बिना वारंट के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने तथा बिना पूर्वानुमति के परिसर की तलाशी लेने का अधिकार देता है।
- इस अधिनियम की आलोचना मानवाधिकारों के उल्लंघन की संभावना के कारण की गई है, क्योंकि यह सशस्त्र बलों को बहुत कम जवाबदेही के साथ व्यापक अधिकार प्रदान करता है। इसके कारण अक्सर दुरुपयोग और उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं।
- **सुरक्षा और शासन पर प्रभाव:** AFSPA भारत की उग्रवाद विरोधी नीति का मुख्य हिस्सा रहा है, परंतु इसके साथ-साथ

इसने सैन्यीकरण और दंडात्मक वातावरण को भी जन्म दिया है। इस कानून ने उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण पाने में मदद की है, लेकिन इसके प्रभाव में नागरिक प्रशासन की कार्यप्रणाली और आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर भी पड़ा है।

अशांत क्षेत्र का दर्जा और इसके निहितार्थ:


- **परिभाषा और अनुप्रयोग:** अशांत क्षेत्र का दर्जा तब घोषित किया जाता है जब किसी क्षेत्र को आंतरिक संघर्ष की स्थिति में माना जाता है, जिसके कारण AFSPA के तहत सशस्त्र बलों की तैनाती आवश्यक हो जाती है। सुरक्षा स्थिति के आकलन के आधार पर इस दर्जे को समय-समय पर नवीनीकरण किया जाता है।
- **अशांत क्षेत्र का दर्जा ऐतिहासिक रूप से वापस लिया गया:**
 - » 2004 में AFSPA के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और थांगजाम मनोरमा की हत्या के बाद, इम्फाल घाटी के कुछ हिस्सों से यह दर्जा आंशिक रूप से वापस ले लिया गया था। हालांकि, राज्य के बाकी हिस्से पर अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू रही।
 - » 2022 में, मेइतेई बहुल घाटी के क्षेत्रों को धीरे-धीरे अशांत क्षेत्र की स्थिति से हटा दिया गया, जिससे अस्थायी रूप से तनाव कम हुआ।
- **2024 में पुनः लागू करना:** नए सिरे से हिंसा और जातीय संघर्ष के कारण, भारत सरकार ने मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र अधिसूचना को फिर से लागू कर दिया है। इन क्षेत्रों में शामिल हैं:
 - » इम्फाल पश्चिम में सेकमाई और लैमसांग
 - » इम्फाल पूर्व में लामलाई
 - » बिष्णुपुर में मोइरांग
 - » कांगपोकपी में लेइमाखोंग
 - » जिरीबाम, राज्य के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है

भौगोलिक एवं जनसांख्यिकीय संदर्भ:

- **पुनः लागू क्षेत्रों का सामरिक महत्व:** जिन क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र का दर्जा पुनः लागू किया गया है, वे सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं:
 - » सेकमाई और लामसांग, मेइतेई बहुल क्षेत्रों के निकट स्थित हैं और कुकी बहुल पहाड़ी जिलों से होने वाली जातीय हिंसा के प्रति संवेदनशील हैं।
 - » असम के कछार जिले के निकट स्थित जिरीबाम की आबादी मिश्रित है और यह पहाड़ी जिलों के फेरजावल और तामेंगलॉग जैसे उग्रवाद-प्रवण क्षेत्रों के निकट होने के कारण संवेदनशील है।
 - » भारतीय सेना की 57 माउंटेन डिवीजन का गृह, लेइमाखोंग

सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जोकि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में योगदान देता है।

- **जातीय तनाव और क्षेत्रीय विवाद:** मणिपुर की इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों की जनसांख्यिकी संरचना जातीय तनाव का स्रोत बनी हुई है। कुकी, नागा और मेइतेई समुदायों में ऐतिहासिक रूप से प्रतिस्पर्धी राजनीतिक आकांक्षाएँ रही हैं, जिसके कारण हिंसक संघर्ष होते रहे हैं।



सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर AFSPA का प्रभाव:

- **सैन्य उपस्थिति और आर्थिक व्यवधान:** AFSPA के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। भारी सैन्य उपस्थिति अक्सर दैनिक जीवन को बाधित करती है और आर्थिक गतिविधियों में विघ्न डालती है, जिससे बुनियादी ढाँचे का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सीमित हो जाती है।
- **मानवाधिकारों की चिंताएँ:** AFSPA के तहत सेना को दी गई व्यापक शक्तियों के कारण कई मानवाधिकार उल्लंघन हुए हैं। इनमें मनमाने ढंग से गिरफ्तारियाँ, न्यायेतर हत्याएँ और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का दमन शामिल हैं, जोकि नागरिक आबादी और राज्य के बीच विश्वास को तोड़ने में योगदान करते हैं।
- **विकास संबंधी बाधाएँ:** AFSPA लागू होने से उत्पन्न अस्थिरता के कारण प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति मंद पड़ी है। आर्थिक अवसर सीमित हैं और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों

में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं तक पहुँचने में कठिनाई होती है, जिससे प्रभावित समुदायों की शिकायतें और बढ़ जाती हैं।

स्थायी शांति हेतु समाधान नीति:

- **समावेशी शासन को बढ़ावा देना:** सभी जातीय समूहों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करना और उनकी स्वायत्तता एवं आत्मनिर्णय की मांगों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।
- **अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना:** यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अल्पसंख्यक समूह, विशेषकर कुकी और नागा समुदाय, राज्य के शासन में शामिल महसूस करें, जोकि दीर्घकालिक शांति के लिए आवश्यक है।

सामाजिक-आर्थिक विकास:

- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना जो संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच में सुधार करती हैं।
- **आजीविका में सुधार:** हाशिए पर पड़े समुदायों की आर्थिक शिकायतों का समाधान करने से विद्रोही समूहों और विद्रोहियों का आकर्षण कम हो सकता है।

स्थानीय कानून प्रवर्तन को मजबूत करना:

- **सेना पर निर्भरता कम करना:** स्थानीय पुलिस बलों को सशक्त बनाना और सैन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करना, नागरिक नियंत्रण बहाल करने और सरकार तथा लोगों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

- **सुरक्षा बलों के लिए जवाबदेही:** सुरक्षा कर्मियों के कार्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करना कि ईत्हा के लागू होने से मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो।

निष्कर्ष:

मणिपुर की जटिल सुरक्षा स्थिति यह स्पष्ट करती है कि गहरे जातीय और राजनीतिक संघर्षों का समाधान केवल सैन्य बल के प्रयोग से संभव नहीं है। हालांकि AFSPA और अशांत क्षेत्र की स्थिति ने कुछ हद तक व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दिया है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन, सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ और नागरिक-सैन्य संबंधों में अवमूल्यन भी हुआ है।

- **स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए भारत को निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए:**
 - » समावेशी शासन, यह प्रत्येक समुदाय की चिंताओं और आकांक्षाओं को समझे और उनका समाधान करे।
 - » विकासात्मक योजनाएँ, जो संघर्ष से प्रभावित व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ-साथ क्षेत्रीय असमानताओं को भी समाप्त करें।
 - » एक संतुलित दृष्टिकोण, इसके तहत सैन्य शक्ति की निर्भरता को कम करके नागरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करे और समाज में विश्वास का पुनर्निर्माण करे।
 - » संघर्ष के राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक दोनों आयामों को संबोधित करके ही मणिपुर शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: बुलडोजर जस्टिस की आलोचना और नागरिक अधिकारों की रक्षा

13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें अवैध ध्वस्तिकरण (Demolition) के मामले को लेकर "बुलडोजर जस्टिस" की आलोचना की गई। इस निर्णय ने राज्य सरकारों द्वारा अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों की संपत्ति को दंड स्वरूप ध्वस्त करने की प्रथा पर गंभीर सवाल उठाए। इसे एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है, जो नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

बुलडोजर जस्टिस: एक विवादित प्रथा

- भारत में "बुलडोजर जस्टिस" एक विवादित और चर्चा का विषय बन चुकी प्रथा है, जिसमें अधिकारियों द्वारा अपराधों

में संलिप्त व्यक्तियों की संपत्ति, जैसे अवैध निर्माण या अन्य अपराधों से जुड़ी संपत्तियों को बुलडोजर और भारी मशीनरी से ध्वस्त किया जाता है। यह कार्य अक्सर बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए और किसी न्यायिक आदेश के बिना किया जाता है।

मामले की पृष्ठभूमि: तिबरेवाल आकाश मामला

- यह प्रथा 2019 में एक मामले के बाद चर्चा में आई, जब पत्रकार मनोज तिबरेवाल आकाश की उत्तर प्रदेश स्थित उनकी पुरतैनी संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया।
- अधिकारियों ने इसे राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के लिए किया था, लेकिन अदालत ने पाया कि इस प्रक्रिया में कई उल्लंघन

हुए थे। अधिकारियों ने बिना लिखित नोटिस जारी किए और निर्धारित सीमा से अधिक भूमि को ध्वस्त किया।

- यह कार्रवाई पत्रकार के पिता द्वारा सड़क परियोजना में अनियमितताओं की जांच की मांग करने के बाद की गई थी, जिससे इसे एक प्रतिशोधात्मक कदम के रूप में देखा गया।

एनएचआरसी (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) की रिपोर्ट:

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पाया कि इस ध्वस्तीकरण में अत्यधिक कार्रवाई की गई थी। आयोग के अनुसार, जहां केवल 3.7 मीटर भूमि का अतिक्रमण था, वहीं अधिकारियों ने 5 से 8 मीटर भूमि तक को ध्वस्त कर दिया।

बुलडोजर जस्टिस के पक्ष में तर्क:

बुलडोजर जस्टिस को कुछ लोग अपराधों को रोकने और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के एक उपाय के रूप में देखते हैं। यह तर्क देते हैं:

- **अपराधों को रोकना:** समर्थक मानते हैं कि अवैध निर्माण या अपराधों से जुड़ी संपत्तियों को ध्वस्त करने से समाज में अपराधी गतिविधियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यह अन्य लोगों के लिए एक कड़ा संदेश हो सकता है कि कानून का उल्लंघन करने पर उनका क्या हश्र हो सकता है।
- **त्वरित कार्रवाई:** कुछ लोग इसे एक तेज और प्रभावी तरीका मानते हैं, जिससे अवैध निर्माणों को तुरंत हटाया जा सकता है। ऐसे मामलों में लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया से देरी हो सकती है, जबकि तत्काल कार्रवाई जरूरी होती है।
- **जनभावना और न्याय का अहसास:** यह तर्क भी है कि बुलडोजर जस्टिस न्याय की तुरंत और सशक्त व्यवस्था के रूप में लोगों में विश्वास जगाता है, खासकर उन मामलों में जहां न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है और अपराधी दंड से बच जाते हैं।
- **राज्य के सख्त कदम:** कुछ लोग इसे राज्य सरकार की ओर से अपराधियों और अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने का एक सख्त और त्वरित कदम मानते हैं। उन्हें लगता है कि इससे भ्रष्टाचार और बुरी आदतों का तेजी से समाधान हो सकता है। इससे अपराधियों के मन में डर पैदा होगा।
- **अवैध निर्माणों का त्वरित हटाना:** समर्थक यह भी मानते हैं कि शहरों और महानगरों में अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई बेहद जरूरी है। इस प्रकार की कार्रवाई से भूमि का सही उपयोग होता है और शहरों की अव्यवस्था को रोका जा सकता है। अवैध इमारतों के ध्वस्तीकरण से जनता की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: मुख्य बिंदु

- अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अवैध ध्वस्तीकरण राज्य द्वारा

की गई गलत कार्रवाई हो सकती है, जो नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करती है। सभी ध्वस्तीकरणों से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अवैध ध्वस्तीकरण के खिलाफ कई अहम बातें उठाई और यह सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने छह प्रमुख कदमों को स्पष्ट किया जो किसी भी संपत्ति के ध्वस्तीकरण से पहले उठाए जाने चाहिए:

- » भूमि अभिलेखों और मानचित्रों की जांच
- » अतिक्रमणों का सही सर्वेक्षण
- » अतिक्रमणकर्ताओं को लिखित नोटिस देना
- » आपत्तियों की सुनवाई और आदेश जारी करना
- » स्वेच्छिक हटाने के लिए उचित समय देना
- » यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त भूमि का कानूनी अधिग्रहण

सुप्रीम कोर्ट के विचार: 'बुलडोजर जस्टिस' की आलोचना

सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कई अहम कानूनी सिद्धांतों की समीक्षा की और बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ गंभीर चिंताएँ व्यक्त कीं। यह निम्नवत हैं:

- **कानून का शासन:** कोर्ट ने यह बताया कि राज्य को भी कानून का पालन करना अनिवार्य है। बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी की संपत्ति को ध्वस्त करना लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अगर ऐसा हुआ तो इससे संवैधानिक संस्थाओं में लोगों का विश्वास कम हो जायेगा।
- **अपराधी की निर्दोषता की अवधारणा:** कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए बिना उसकी संपत्ति का ध्वस्तीकरण करना निर्दोषता की अवधारणा का उल्लंघन है।
- **आश्रय का अधिकार:** अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आवास का अधिकार मानव गरिमा का हिस्सा है और किसी को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकारों का हिस्सा है।
- **शक्तियों का दुरुपयोग:** कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ मामलों में बुलडोजर जस्टिस एक प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जाती है। इससे समुदाय विशेष के मन में अलगाववाद की भावना बढ़ सकती है।
- **समाज में भय का निर्माण:** कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी त्वरित कार्रवाइयों से समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बन सकता है, जिससे न्याय का अहसास कमजोर होता है।
- **न्याय की देरी से बचने के उपाय:** हालांकि कोर्ट ने न्याय की प्रक्रिया में देरी की समस्या को स्वीकार किया, लेकिन

यह भी कहा कि इससे निपटने के लिए बुलडोजर जस्टिस के बजाय न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर और तेज किया जाए।

- **साक्ष्य और प्रमाण की अनुपस्थिति:** कोर्ट ने यह भी माना कि अवैध ध्वस्तीकरण के मामलों में यह जरूरी है कि अधि कारियों के पास उचित साक्ष्य और प्रमाण हो, और बिना इस सब के किसी भी कार्रवाई को निषिद्ध किया जाना चाहिए।

आगे का मार्ग:

- सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बुलडोजर जस्टिस के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ खड़ा है। यह न्याय, संविधान और नागरिक अधि कारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके

माध्यम से कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्य की कोई भी कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया और कानूनी अधिकारों के खिलाफ नहीं हो सकती।

- » **सुधारात्मक निगरानी:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर स्वतंत्र निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी अधिकारी कानून का उल्लंघन न कर सके।
- » **कानूनी सुधार:** अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि कानूनी सुधारों की आवश्यकता है, ताकि नागरिकों को राज्य के अवैध कार्यों से सुरक्षा मिल सके और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा सके

संक्षिप्त मुद्दे

निजी संपत्ति अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि राज्य को सार्वजनिक उपयोग हेतु निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने का अनियंत्रित अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया यह निर्णय संपत्ति के अधिकारों और भारत की आर्थिक नीतियों की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

- ऐतिहासिक दृष्टि से, राज्य के पास 'सामान्य भलाई' के नाम पर निजी संपत्ति अधिग्रहित करने का व्यापक अधिकार था, लेकिन यह निर्णय उन पारंपरिक सिद्धांतों से भिन्न है, जो भारत के समाजवादी आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाते थे।
- यह निर्णय अब एक अधिक उदार, बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करता है। यह निर्णय संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) और भाग IV (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत) के बीच परस्पर संबंधों पर आधारित है, जो व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य की शक्ति के बीच संतुलन को रेखांकित करता है।

अनुच्छेद 300A- संपत्ति का अधिकार:

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 31, जो पहले संपत्ति के मौलिक अधिकार की गारंटी प्रदान करता था, को 44वें संशोधन (1978) द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसके स्थान पर, अनुच्छेद 300A लागू किया गया, जोकि यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति एक

कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार।

- न्यायालय के निर्णय में इस पर बल दिया गया कि राज्य केवल वैध प्रक्रियाओं के माध्यम से ही संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, साथ ही उचित मुआवजा और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करनी होगी। यह प्रावधान संपत्ति की मनमानी जब्ती को रोकता है।



अनुच्छेद 19(1)(f)-संपत्ति का अधिकार (1978 से पहले)

- 1978 से पूर्व, अनुच्छेद 19(1)(f) संपत्ति अर्जित करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता था। हालांकि, 44वें संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था, फिर भी न्यायालय ने इसके ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करते हुए यह सुनिश्चित किया कि राज्य को संवैधानिक सीमाओं के भीतर संपत्ति के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।

'सार्वजनिक उद्देश्य' और प्रख्यात डोमेन का सिद्धांत:

- राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए प्रख्यात डोमेन सिद्धांत के तहत संपत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन

न्यायालय ने 'सार्वजनिक उद्देश्य' की परिभाषा को सीमित कर दिया है।

- इसने उन व्यापक व्याख्याओं को अस्वीकार कर दिया है जो मनमाने ढंग से राज्य अधिग्रहण की अनुमति देती हैं, और इस पर जोर दिया है कि ऐसे अधिग्रहणों का उद्देश्य प्रत्यक्ष सार्वजनिक कल्याण, आर्थिक विकास, या राष्ट्रीय हित की सेवा करना चाहिए।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (भाग IV):

- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी) सरकारी नीति के निर्माण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, परंतु ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। न्यायालय ने अनुच्छेद 39(B) का उल्लेख करते हुए कहा कि यह राज्य को आम भलाई के उद्देश्य से संसाधनों के वितरण का निर्देश देता है।
- न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि विकसित आर्थिक परिप्रेक्ष्य में निजी संपत्ति के अधिकारों और सार्वजनिक कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
- 'सार्वजनिक हित' के नाम पर संपत्ति के अधिग्रहण की व्यापक व्याख्या को अस्वीकार करते हुए, न्यायालय ने उचित मुआवजे, उचित प्रक्रिया और स्पष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के महत्व पर जोर दिया है।
- यह निर्णय भारत की बाजार अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में अध्ययन करने वाले छात्रों को बिना संपार्श्विक (Collateral Free) और गारंटर के शिक्षा ऋण प्रदान करना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

- वित्तीय परिचय:** इस योजना के लिए 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए 3,600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- लाभार्थी:** इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ब्याज सहायता से लगभग 7 लाख नए छात्रों को लाभ मिलने की संभावना है।
- ऋण गारंटी:** केंद्र सरकार 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी।
- ब्याज अनुदान:** जिन विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है और जो अन्य सरकारी छात्रवृत्तियों या ब्याज

अनुदान योजनाओं के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें 3% ब्याज अनुदान मिलेगा। यह ब्याज अनुदान स्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण पर लागू होगा।

- वार्षिक सहायता:** प्रत्येक वर्ष 1 लाख छात्रों को ब्याज अनुदान सहायता दी जाएगी।
- वरीयता मानदंड:** सरकारी संस्थानों के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

संस्थाओं की पात्रता:

- इस योजना में समग्र और डोमेन-विशिष्ट दोनों श्रेणियों में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले संस्थान शामिल होंगे।
- यह 101-200 रैंक वाले राज्य संचालित संस्थानों और सभी केंद्र सरकार संचालित संस्थानों पर भी लागू होगा।
- कुल 860 उच्च शिक्षा संस्थान इसके लिए पात्र होंगे, जिनकी सूची एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर प्रतिवर्ष अद्यतन की जाएगी।
- सभी पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता:** पिछली योजनाओं के विपरीत, यह योजना केवल तकनीकी या व्यावसायिक ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए उपलब्ध होगी।

वर्तमान योजनाओं की स्थिति में:

- यह योजना केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) के अतिरिक्त है, जो तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले उन छात्रों को लाभान्वित करती है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये तक है।
- इस योजना के तहत, ऐसे छात्रों को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।

PM-Vidyalaxmi

Collateral-free, Guarantor-free Education Loans


Maximising access to quality Higher Education for **Yuva Shakti**



Total outlay ₹ 3600 Crore



Financial assistance to meritorious students securing admission in top 860 HEIs of India



Benefitting 22 Lakh+ new students every year

विद्यालक्ष्मी योजना के सकारात्मक पहलू:

- बढ़ी हुई पहुंच:** गारंटर-मुक्त ऋण आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाते

हैं, जिससे शिक्षा वित्तपोषण में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।

- **योग्यता आधारित शिक्षा को प्रोत्साहन:** गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेने वाले छात्रों को ऋण प्रदान करके, यह योजना योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है, तथा प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **वित्तीय बोझ में कमी:** संपार्श्विक और गारंटी आवश्यकताओं की अनुपस्थिति से छात्रों और उनके परिवारों पर वित्तीय तनाव कम हो जाता है, जिससे शिक्षा का खर्च उठाना आसान हो जाता है।
- **नामांकन को बढ़ावा:** इस योजना से वित्तीय सहायता प्रदान करके उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन दर में वृद्धि होने की उम्मीद है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लोगों के लिए।

सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुराने फैसले को पलटा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 के अपने पूर्ववर्ती फैसले को पलटते हुए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार करने वाले फैसले को निरस्त कर दिया। 4-3 के बहुमत से पारित इस निर्णय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जोकि अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है।

पृष्ठभूमि:

- **एएमयू की स्थापना:**
 - » **1877:** अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य इस्लामी मूल्यों को संरक्षित करते हुए भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना था।
 - » **1920:** ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियमित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत इस कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में अपग्रेड किया गया।

1967 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- 1967 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि विश्वविद्यालय की

स्थापना एक कानून (एएमयू अधिनियम) द्वारा की गई थी, न कि केवल मुस्लिम समुदाय द्वारा, इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत सुरक्षा के लिए योग्य नहीं है।

- इस निर्णय ने एएमयू को वह स्वायत्तता से वंचित कर दिया, जो अल्पसंख्यक संस्थानों को सामान्यतः प्राप्त होती है, जिसमें कुछ आरक्षण आवश्यकताओं से छूट भी शामिल है।
- **1981:** इस मुद्दे को सुलझाने के प्रयास में, एएमयू अधिनियम में एक संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय की स्थापना “भारत के मुसलमानों” द्वारा की गई थी। हालांकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2005 में इस संशोधन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं देता।

सुप्रीम कोर्ट का तात्कालिक निर्णय:

- **1967 के निर्णय को पलटना:** सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1967 के फैसले को पलटते हुए माना कि एएमयू अपने ऐतिहासिक संदर्भ, स्थापना के उद्देश्य और भारत में मुस्लिम शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त कर सकता है।
- **अल्पसंख्यक दर्जे के लिए मानदंड:** न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि किसी शैक्षणिक संस्थान को अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करने के लिए एक नया परीक्षण अपनाया जाएगा। इस परीक्षण में संस्थान की कानूनी स्थापना प्रक्रिया, इसके संस्थापक का उद्देश्य और इसके ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखा जाएगा।
- **ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर दर्जा:** अब वे शैक्षणिक संस्थान, जिनका मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध किसी विशेष समुदाय से है (जैसे एएमयू का मुस्लिम समुदाय से संबंध), अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के योग्य माने जाएंगे, चाहे उन्होंने किसी सरकारी अधिनियम या बड़े समूह द्वारा स्थापना की हो।

फैसले के निहितार्थ:

- **एएमयू की स्थिति का अंतिम निर्धारण:** सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है, हालांकि इसकी वास्तविक स्थिति का निर्धारण आगामी कार्यवाही में एक अन्य पीठ द्वारा किया जाएगा।
- **कानूनी आधार और अधिकारों की विशिष्टताएं:** यह निर्णय एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करता है, लेकिन इसके अधिकारों की सीमाएं और विशिष्टताएं भविष्य में होने वाली कानूनी कार्यवाही के माध्यम से स्पष्ट की जाएंगी।

विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभता एक मौलिक अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय


चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में विकलांग व्यक्तियों (PWDs) के लिए सुलभता को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। इस निर्णय में समावेशी स्थानों, सेवाओं और उत्पादों की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जोकि विकलांग व्यक्तियों को समाज में पूर्ण और समान भागीदारी के लिए सक्षम बनाते हैं।

फैसले के प्रमुख कानूनी और संवैधानिक पहलू:

- **मौलिक अधिकार तक पहुंच:**
 - » सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सुगम्यता भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का एक अभिन्न हिस्सा है।
 - » सुलभता का अधिकार सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21), समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) और विकलांग व्यक्तियों के लिए गैर-भेदभाव के अधिकार (अनुच्छेद 15) की पूर्ति के लिए आवश्यक है।
- **विकलांगता का सामाजिक मॉडल:**
 - » न्यायालय ने विकलांगता के सामाजिक मॉडल को अपनाया, जिसमें यह माना गया कि विकलांगता किसी व्यक्ति की अंतर्निहित स्थिति नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय बाधाओं का परिणाम है।
 - » न्यायालय ने इन बाधाओं को समाप्त करने हेतु प्रणालीगत परिवर्तनों की आवश्यकता पर बल दिया और व्यक्तियों को 'ठीक करने' के बजाय समाज को अधिक समावेशी बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।
- **संवैधानिक अधिदेश के रूप में सार्वभौमिक डिजाइन:**
 - » मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि सार्वजनिक और निजी स्थानों, सेवाओं और उत्पादों को सार्वभौमिक पहुंच को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाना चाहिए, ताकि सभी लोग, चाहे उनकी क्षमता, आयु या स्थिति कुछ भी हो, उनका उपयोग कर सकें।
 - » यह निर्देश राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (संविधान के भाग IV) के अनुरूप है, जोकि विकलांग व्यक्तियों सहित हाशिए पर पड़े समूहों के लिए समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर बल देता है।
- **सुगम्यता के लिए अनिवार्य मानक :**

- » न्यायालय ने सरकार को तीन महीने के भीतर अनिवार्य सुगम्यता मानक जारी करने का आदेश दिया। न्यायालय ने माना कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) नियमों के तहत मौजूदा दिशानिर्देश बाध्यकारी नहीं थे, जिसके कारण अनुपालन में कमी देखी गई।
- » अनिवार्य मानकों की आवश्यकता सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से देशव्यापी पहुंच मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए है।



दिव्यांगजनों के भावनात्मक और संबंधपरक अधिकार:

- न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों के भावनात्मक और संबंध परक अधिकारों को रेखांकित किया, जिसमें प्रेम, अंतरंगता, गोपनीयता और आत्म-अभिव्यक्ति के अधिकार शामिल हैं।
- कोर्ट ने इन पहलुओं की अनदेखी की आलोचना की और इस बात पर बल दिया कि दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी भावनात्मक और संबंधपरक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निजी स्थानों तक पहुंच होनी चाहिए, विशेष रूप से वे जो परिवारों के साथ रहते हैं।

फैसले के व्यावहारिक निहितार्थ:

सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कुछ प्रमुख निहितार्थ इस प्रकार हैं:

समावेशी बुनियादी ढांचे का विकास:

- न्यायालय ने दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सार्वजनिक परिवहन और नई सुविधाओं में सुगम्यता के समावेशन का उदाहरण दिया।
- इस निर्णय से पुराने सार्वजनिक भवनों और स्थानों को आधुनिक सुगम्यता मानकों के अनुरूप बनाने के लिए राष्ट्रीय

स्तर पर प्रयास तेज हो सकते हैं।

- तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में सुलभ परिवहन में कमी के उदाहरण ने राज्य सरकारों को सुलभ परिवहन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे दिव्यांगों के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सुगमता को डिजाइन के प्रारंभिक चरण में ही एकीकृत किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत सार्वजनिक भवनों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवा प्रदाताओं पर भी लागू होता है, जिससे योजनाकारों और वास्तुकारों को इसे प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया जा सके।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भारत की पहली पूर्ण महिला बटालियन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में पहली बार एक पूर्णतः महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है।

अखिल महिला रिजर्व बटालियन के बारे में:

- **गठन और नेतृत्व:**
 - » इस बटालियन में 1,025 महिला कार्मिक शामिल होंगी, जिनका चयन सीआईएसएफ के मौजूदा कार्यबल (कुल संख्या लगभग 1.8 लाख) में से किया जाएगा।
 - » बटालियन का नेतृत्व कमांडेंट रैंक के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाएगा ताकि अन्य सीआईएसएफ इकाइयों के समान अनुशासन और नेतृत्व संरचना सुनिश्चित हो सके।
 - » यह बटालियन सीआईएसएफ की रिजर्व बटालियन संरचना का हिस्सा होगी, जिसका उद्देश्य उच्च सुरक्षा कार्यों और चुनाव जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजनों में सहायता प्रदान करना है।
- **प्रशिक्षण और तैयारी:**
 - » बटालियन का प्रशिक्षण कार्यक्रम गहन और विशिष्ट होगा, जिससे कार्मिकों को वीआईपी सुरक्षा, हवाई अड्डों की सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी अभियानों सहित उच्च जोखिम वाले सुरक्षा कर्तव्यों के लिए तैयार किया जाएगा।
 - » महिला कर्मियों को उत्कृष्ट कमांडो के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे अपने पुरुष समकक्षों के समान दक्षता से सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर सकें।
- **नियम और जिम्मेदारियाँ:** बटालियन का मुख्य कार्य उच्च-स्तरीय सुरक्षा अभियानों पर केंद्रित होगा, जिनमें शामिल

होंगे:

- » वीआईपी सुरक्षा और उच्च जोखिम वाले सुरक्षा वातावरण।
- » हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशनों और परमाणु संयंत्रों व एयरोस्पेस सुविधाओं जैसे संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा।

यह कदम महत्वपूर्ण क्यों है?

- **सुरक्षा बलों में महिलाओं को सशक्त बनाना:**
 - » पूर्ण महिला बटालियन के गठन से सीआईएसएफ में लैंगिक असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी, जहां वर्तमान में कुल कार्मिकों में महिलाओं की संख्या केवल 7% है।
 - » यह पहल अधिक महिलाओं को सीआईएसएफ में शामिल होने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी भूमिकाएं निभाने के लिए प्रेरित करेगी।
- **लैंगिक समावेशिता को प्रोत्साहित करना:**
 - » महिला बटालियन का गठन सुरक्षा बलों में लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
 - » यह पारंपरिक लैंगिक बाधाओं को तोड़ते हुए महिलाओं की भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती गतिशीलता को प्रतिबिंबित करना:**
 - » पूर्ण महिला बटालियन का गठन राष्ट्रीय सुरक्षा में महिलाओं की बदलती भूमिका को दर्शाता है, जहां महिलाएं तेजी से अधिक चुनौतीपूर्ण और दृश्यमान भूमिकाएं निभा रही हैं।
 - » यह सुरक्षा अभियानों में महिलाओं की बढ़ती क्षमताओं और नेतृत्व कौशल को पहचानने और स्वीकार करने का संकेत है।

सीआईएसएफ के बारे में:

- **सीआईएसएफ का विकास:**
 - » सीआईएसएफ की स्थापना वर्ष 1969 में हवाई अड्डों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और एयरोस्पेस सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के लिए की गई थी।
 - » समय के साथ, बल ने राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आकार और कार्यक्षमता में वृद्धि की है।
- **रिजर्व बटालियनों की भूमिका:**
 - » वर्तमान में सीआईएसएफ 12 रिजर्व बटालियनों का संचालन करता है, जिनमें पुरुष और महिला दोनों कर्मी शामिल हैं। इन बटालियनों को चुनाव सुरक्षा, सरकारी इमारतों की सुरक्षा और बड़े सार्वजनिक आयोजनों में तैनात किया जाता है।
 - » महिला बटालियन एक विशेष इकाई होगी, जो उच्च सुरक्षा अभियानों, वीआईपी सुरक्षा और संवेदनशील राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर केंद्रित होगी।

ऑपरेशन द्रोणागिरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली में ऑपरेशन द्रोणागिरी की शुरुआत के साथ भारत ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 (NGP 2022) के अंतर्गत भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भू-स्थानिक डेटा पृथ्वी की सतह पर एक विशिष्ट स्थान से जुड़ी समय-आधारित जानकारी प्रदान करता है।

ऑपरेशन द्रोणागिरी की मुख्य विशेषताएं:

- **द्रोणागिरी का शुभारंभ**
 - » दिनांक: 13 नवंबर, 2024
 - » स्थान: IIT दिल्ली का इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फाउंडेशन (FIIT)
 - » लक्ष्य: कृषि, आजीविका, रसद और परिवहन में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रदर्शन करना और व्यावसायिक परिचालन को सुव्यवस्थित करना।
- **भू-स्थानिक डेटा का एकीकरण**
 - » ऑपरेशन द्रोणागिरी का उद्देश्य भू-स्थानिक डेटा को सार्वजनिक सेवाओं में एकीकृत करना, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना और व्यापार को सरल बनाना है।
 - » फोकस क्षेत्र: कृषि, आजीविका, तथा रसद एवं परिवहन।
- **पायलट चरण कार्यान्वयन**
 - » यह पहल पांच राज्यों में शुरू की जाएगी- उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र।
 - » इन राज्यों को उनकी विविध भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण चुना गया है, जिससे वे पायलट के लिए आदर्श परीक्षण स्थल बनते हैं।
- **साझेदारियां और सहयोग**
 - » इस परियोजना में भू-स्थानिक डेटा के वास्तविक-विश्व अनुप्रयोगों का परीक्षण करने के लिए सरकारी विभागों, उद्योगों, निगमों और स्टार्टअप्स के साथ सहयोग शामिल होगा।
 - » भू-स्थानिक डेटा एकीकरण के व्यावहारिक लाभों और सार्वजनिक सेवाओं पर इसके प्रभाव को प्रदर्शित किया जाएगा।

एकीकृत भूस्थानिक डेटा साझाकरण इंटरफेस:

- ऑपरेशन द्रोणागिरी का एक प्रमुख उद्देश्य एकीकृत भू-स्थानिक डेटा साझाकरण इंटरफेस (GDI) को प्रारंभ करना है, जो भू-स्थानिक डेटा के निर्बाध आदान-प्रदान, पहुंच और विश्लेषण को सुगम बनाने के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन किया

गया प्लेटफॉर्म है।

- **जीडीआई का उद्देश्य:**
 - जीडीआई का उद्देश्य भू-स्थानिक डेटा से कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, जिससे सार्वजनिक प्रशासन, व्यावसायिक रणनीतियों और अनुसंधान के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
 - विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- **जीडीआई की मुख्य विशेषताएं:**
 - » **डेटा एक्सचेंज:** GDI उन्नत डेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल का उपयोग करके भू-स्थानिक डेटा का सुरक्षित और कुशल विनिमय सुनिश्चित करता है।
 - » **गोपनीयता और सुरक्षा:** यह प्लेटफॉर्म गोपनीयता-संरक्षण सुविधाओं को एकीकृत करता है, सहयोग को सक्षम करते हुए संवेदनशील डेटा की सुरक्षा करता है।
 - » **प्रभाव:** GDI आपदा प्रबंधन को बढ़ाएगा, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करेगा और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के साथ पर्यावरणीय परिवर्तनों की निगरानी करेगा।

राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 क्या है?

- राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 (NGP 2022) का उद्देश्य बुनियादी ढांचे का विकास, नवाचार को बढ़ावा देना और डेटा साझाकरण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर भारत को भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में ग्लोबल लीडर बनाना है।
- **नीति का दृष्टिकोण:**
 - » भू-स्थानिक क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और एक समृद्ध भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
 - » डिजिटलीकरण, सेवा वितरण में सुधार और भू-स्थानिक क्षेत्र के उदारीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **संस्थागत ढांचा:**
 - » भू-स्थानिक डेटा संवर्धन और विकास समिति (GDPDC) भू-स्थानिक क्षेत्र के विकास के लिए रणनीति तैयार करने और NGP 2022 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगी।

महत्वपूर्ण लक्ष्य:

- 2025 तक एक नीतिगत ढांचा तैयार करना जो भू-स्थानिक क्षेत्र के उदारीकरण का समर्थन करता हो।
- 2030 तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उच्च-रिजॉल्यूशन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और मानचित्रण प्राप्त करना।
- 2035 तक शहरों का एक राष्ट्रीय डिजिटल ट्विन विकसित करना, जिससे गतिशील निर्णय लेने में सक्षमता हो।

मणिपुर हिंसा: घाटी क्षेत्रों में AFSPA फिर से लागू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मणिपुर में बढ़ती जातीय हिंसा को देखते हुए गृह मंत्रालय (MHA) ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) के अंतर्गत राज्य की घाटी के छह पुलिस थाना क्षेत्रों को पुनः अशांत क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मणिपुर में मैतेई और कुकी-जोमी समुदायों के बीच जारी हिंसक संघर्ष की पृष्ठभूमि में उठाया गया है, जोकि राज्य में पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से व्याप्त अस्थिरता और तनाव की गंभीरता को दर्शाता है।

अफस्पा लागू होने से प्रभावित प्रमुख क्षेत्र:

- मणिपुर के घाटी क्षेत्रों में निम्नलिखित पुलिस स्टेशन क्षेत्रों को पुनः AFSPA के अंतर्गत लाया गया है:
 - सेक्माई (इम्फाल पश्चिम)
 - लामसांग (इम्फाल पश्चिम)
 - लामलाई (इम्फाल पूर्व)
 - मोइरांग (बिष्णुपुर)
 - लेइमाखोंग (कांगपोकपी)
 - जिरीबाम (जिरीबाम जिला)
- ये क्षेत्र प्रारंभ में 2022-2023 में AFSPA से क्रमिक वापसी की प्रक्रिया का हिस्सा थे। हाल की हिंसा और तनाव ने इस कानून को पुनः लागू करने की आवश्यकता को प्रेरित किया है।


AFSPA को पुनः लागू करने कारण:

- गृह मंत्रालय ने इन क्षेत्रों में AFSPA को पुनः लागू करने के कई कारण बताए हैं:
 - हिंसक झड़पें:** प्रभावित क्षेत्रों में विद्रोही समूहों द्वारा गोलीबारी की घटनाएं, हिंसक झड़पें और हमले लगातार होते रहे हैं।
 - विद्रोही गतिविधियां:** विद्रोही समूहों ने कथित तौर पर हिंसा को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें बम विस्फोट, सशस्त्र हमले और सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ घात लगाना शामिल है।
 - उच्च तनाव वाले जिले:** बिष्णुपुर-चुराचांदपुर, इम्फाल पूर्व-कांगपोकपी-इम्फाल पश्चिम और जिरीबाम क्षेत्र विशेष रूप से अस्थिर बने हुए हैं, जहां जातीय हिंसा जारी रहने से असुरक्षा की स्थिति बढ़ रही है।

अफस्पा के निहितार्थ और अशांत क्षेत्र का दर्जा:

- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) भारतीय सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में व्यापक शक्तियां प्रदान करता है:

- » **कानूनी कार्यवाही से छूट:** सैन्य कर्मियों को अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान की जाती है, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत न किया जाए।
- » **गिरफ्तारी और तलाशी की शक्तियां:** सुरक्षा बल बिना वारंट के व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकते हैं और कानूनी औपचारिकताओं के बिना परिसर की तलाशी ले सकते हैं।
- » **घातक बल का प्रयोग:** AFSPA कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए घातक बल के प्रयोग को अधिकृत करता है, जिसमें संदिग्ध विद्रोहियों या सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले लोगों पर गोली चलाना भी शामिल है।



अवधि:

- अशांत क्षेत्र का दर्जा छह महीने के लिए वैध होता है और इसे सुरक्षा समीक्षा के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। मणिपुर में अफस्पा (AFSPA) 1980 से लागू है और 2022-2023 में इसे हटाने की प्रक्रिया को बेहतर सुरक्षा स्थिति का संकेत माना गया था। हालांकि, हालिया जातीय हिंसा के कारण इसे पुनः लागू करना आवश्यक हो गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को बरकरार रखा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को बरकरार रखने का निर्णय दिया। यह फैसला 1976 के 42वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करता है। इस संशोधन के तहत आपातकाल के दौरान, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया था। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि ये शब्द संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं और भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हैं।

महत्वपूर्ण शब्दावली:

- **धर्मनिरपेक्षता:**
 - » संविधान में प्रारंभ में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द शामिल नहीं था। यह ऐसे राज्य को संदर्भित करता है जो न तो किसी धर्म का समर्थन करता है और न ही किसी धर्म के विरुद्ध भेदभाव करता है।
 - » **संवैधानिक आधार:**
 - अनुच्छेद 14, 15 और 16 नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता की गारंटी प्रदान करते हैं।
 - ये प्रावधान धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करते हैं।
- **समाजवाद:**
 - » भारतीय संदर्भ में 'समाजवादी' शब्द किसी विशेष आर्थिक ढांचे का संकेत नहीं करता, बल्कि यह राज्य की सामाजिक न्याय और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
 - » समाजवाद का उद्देश्य आर्थिक नीतियों को प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि यह समानता को बढ़ावा देने और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान को सुनिश्चित करना है।

संवैधानिक संशोधनों पर निर्णय:

- **अनुच्छेद 368:** न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना सहित संविधान को संशोधित करने की संसद की शक्ति निर्विवाद है। इसमें समय के साथ आवश्यकतानुसार इसके प्रावधानों को संशोधित करने की क्षमता भी शामिल है।
- **गतिशील संविधान:** 1976 में 'समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करना राष्ट्र की सामाजिक-राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविधान के विकास की क्षमता का प्रतिबिंब था।
- **पूर्वव्यापी संशोधन:** न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि 26 नवंबर, 1949 की कट-ऑफ तिथि के कारण इन शब्दों को पूर्वव्यापी रूप से शामिल नहीं किया जा सकता। अपनाने की तिथि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित नहीं करती।

शासन और नीति पर प्रभाव:

- **समाजवाद और आर्थिक नीति:** फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में समाजवाद निजी उद्यम या बाजार-उन्मुख नीतियों को बाधित नहीं करता। यह आर्थिक न्याय और समानता सुनिश्चित करता है, जिससे सभी नागरिकों को लाभ मिलता है।
- **धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता:** धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए धर्मनिरपेक्षता सरकार को उन हानिकारक धार्मिक प्रथाओं को संबोधित करने की अनुमति देती है जो राष्ट्रीय विकास में बाधा डाल सकती हैं। यह निर्णय समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को बढ़ावा देने का समर्थन करता है, जैसा कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत प्रोत्साहित किया गया है।

भविष्य के निहितार्थ:

- **बहस का समाधान:** सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने संविधान में 'समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करने पर बहस का समाधान कर दिया। इस निर्णय ने संसद को आवश्यकता के अनुसार संविधान संशोधन की शक्ति सुनिश्चित की।
- **धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का विकास:** यह निर्णय भारत के लोकतांत्रिक, बहुलवादी और कल्याणकारी लक्ष्यों के अनुरूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के विकास को रेखांकित करता है।
- **लचीला संविधान:** न्यायालय का यह निर्णय पुष्टि करता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करते हुए नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है।
- **विधायी सुधारों की संभावना:** यह निर्णय भविष्य में विधायी सुधारों को प्रेरित कर सकता है, जिनमें समान नागरिक संहिता भी शामिल है। यह सभी नागरिकों के लिए समानता और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगा, चाहे उनकी आस्था या पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

पेन्नैयार नदी जल बंटवारा विवाद

चर्चा में क्यों?


हाल ही में 26 नवंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी के जल बंटवारे से जुड़े विवाद में वार्ता समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह विवाद भारतीय राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर उत्पन्न चुनौतियों को रेखांकित करता है।

पेन्नैयार नदी:

- पेन्नैयार नदी (पोन्नैयार) दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है,

जोकि कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है।

- यह नदी नंदीहिल्स से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- नदी विशेष रूप से तमिलनाडु में चेन्नई, वेल्लोर और कुड्डालोर जिलों के लिए सिंचाई, पेयजल और कृषि का प्रमुख स्रोत है।



कानूनी विवाद:

- विवाद की शुरुआत 2018 में हुई, जब तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कर्नाटक पर चेक डैम और डायवर्जन संरचनाओं के निर्माण का आरोप लगाया।
- तमिलनाडु ने तर्क दिया कि इन परियोजनाओं से जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, विशेषकर सूखे के समय।

तमिलनाडु का तर्क:

- राज्य ने जल बंटवारे के संबंध में मैसूर (अब कर्नाटक) और मद्रास (अब तमिलनाडु) रियासतों के बीच 1892 में हुए समझौते का हवाला दिया।
- तमिलनाडु ने तर्क दिया कि यह समझौता अभी भी वैध है और दोनों राज्यों पर बाध्यकारी है।

कर्नाटक का तर्क:

- कर्नाटक ने 1892 के समझौते की आधुनिक प्रासंगिकता पर सवाल उठाया।
- उसने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जल संसाधनों के डायवर्जन और विकास का अधिकार जताया।

1892 के समझौते के प्रमुख बिंदु:

- **पूर्व सहमति अनिवार्यता:** एनीकट (अवरोध बांध) बनाने से पहले मैसूर (अब कर्नाटक) को मद्रास (अब तमिलनाडु) सरकार से पूर्व सहमति लेनी होगी।

- **पूर्ण जानकारी की उपलब्धता:** मैसूर सरकार को प्रस्तावित कार्य से संबंधित सभी विवरण मद्रास सरकार को प्रदान करने होंगे।
- **निर्देशात्मक अधिकारों का संरक्षण:** मद्रास सरकार केवल मौजूदा जल अधिकारों की रक्षा के लिए ही सहमति देने से इनकार कर सकती है।
- **लागू क्षेत्र:** यह समझौता एनीकट सहित नदियों पर किए जाने वाले नए सिंचाई कार्यों पर लागू होता है।



मध्यस्थता प्रयास और केंद्र सरकार की भूमिका:

- विवाद के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच वार्ता की सुविधा प्रदान की।
- जनवरी 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत केंद्र सरकार को एक वार्ता समिति गठित करने का निर्देश दिया।
- इस समिति को दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता करके विवाद का समाधान खोजने का कार्य सौंपा गया है।
- अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वार्ता समिति की रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति

चर्चा में क्यों?


हाल ही में गृह मंत्रालय आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति पेश करने की योजना बना रहा है। इस नीति का उद्देश्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करना, आतंकवाद विरोधी (CT) इकाइयों को सुदृढ़ करना और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में विशेष इकाइयाँ स्थापित करना है।

नीति के प्रमुख घटक:

- **एकसमान विशेषीकृत आतंकवाद इकाइयाँ:** प्रत्येक राज्य

और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में समर्पित आतंकवाद-रोधी इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी, जोकि क्षेत्रीय आतंकवाद की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए आवश्यक संसाधनों और क्षमता से सुसज्जित होंगी।

- **प्रमुख उप-इकाइयाँ:**
 - » **जेल निगरानी:** जेलों के भीतर आतंकवादी गतिविधियों



पर निगरानी रखना।

- » **भाषा विशेषज्ञ:** विशेष रूप से भाषाई रूप से विविध क्षेत्रों में प्रभावी संचार सुनिश्चित करना।
- » **कट्टरपंथ से मुक्ति:** कट्टरपंथी व्यक्तियों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करना।
- » **वित्तीय खुफिया जानकारी:** आतंकवादी वित्तपोषण पर निगरानी रखना और उसे बाधित करना।
- **उन्नत हथियार:** आधुनिक खतरों से निपटने के लिए इकाइयों को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) द्वारा अनुशंसित उन्नत हथियारों से सुसज्जित किया जाएगा।
- **मानकीकृत प्रशिक्षण:** एकरूपता और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सभी इकाइयाँ एनएसजी द्वारा निर्धारित एक सामान्य प्रशिक्षण मॉड्यूल का पालन करेंगी।
- **नीति का उद्देश्य:** आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूरे भारत में समन्वित, सुसज्जित और प्रशिक्षित इकाइयाँ स्थापित करना है।

विशेष इकाइयों की वर्तमान स्थिति:

- 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में समर्पित आतंकवाद-रोधी इकाइयाँ (एटीएस, एसटीएफ) हैं।
- 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इन इकाइयों को पुलिस स्टेशन के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- क्षेत्रीय खतरों के आधार पर इकाइयों का आकार 80 से 650 कर्मियों तक होता है।

आतंकवाद क्या है ?

- आतंकवाद राजनीतिक, वैचारिक या धार्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नागरिकों के खिलाफ हिंसा, धमकी या भय का गैरकानूनी उपयोग है। यह गैर-लड़ाकों को निशाना बनाकर भय का माहौल उत्पन्न करता है और समाज को अस्थिर करता है, जिसमें बम

विस्फोट, हत्या, अपहरण और बुनियादी ढांचे पर हमले शामिल हैं।

भारत में आतंकवाद से संबंधित कानून और अभिसमय:

भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कानूनों को लागू किया है:

- **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967:** यह कानून सरकार को आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने, उनकी संपत्तियाँ जब्त करने और संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए):** यह एजेंसी 2008 में स्थापित की गई थी, ताकि आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच की जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का सामना किया जा सके।
- **आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा) 2002:** यह कानून 2004 में निरस्त कर दिया गया था, जो निवारक निरोध और कड़े उपायों की अनुमति देता था।
- **आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) 1985:** यह कानून 1995 में निरस्त कर दिया गया था, जोकि निवारक निरोध की अनुमति देता था।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:

- भारत निम्नलिखित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हस्ताक्षरकर्ता है:
 - » **संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद सम्मेलन:** इसमें आतंकवादी

वित्तपोषण और परमाणु आतंकवाद से संबंधित सम्मेलन शामिल हैं।

- » **हेग और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन:** यह विमान अपहरण और विमानन सुरक्षा खतरों को अपराध घोषित करने पर केंद्रित है।

अंतर्राष्ट्रीय निकायों की भूमिका:

- **इंटरपोल:** सीमा पार पुलिस सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने में सुविधा प्रदान करता है।
- **एफएटीएफ:** यह आतंकवादी वित्तपोषण के विरुद्ध वैश्विक उपायों को बढ़ावा देता है।

दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम जारी किये गये हैं। यह नियम मोबाइल डिवाइस उपकरण पहचान संख्या छेड़छाड़ रोकथाम नियम, 2017 को प्रतिस्थापित करेंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करना और उभरती सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी समाधान प्रदान करना है।

नियमों के मुख्य प्रावधान:

- **डेटा संग्रहण और साझाकरण:**
 - » केन्द्र सरकार या नामित एजेंसियाँ दूरसंचार संस्थाओं से ट्रैफिक डेटा और अन्य संबंधित जानकारी मांग सकती हैं।
 - » सुरक्षा उद्देश्यों के लिए डेटा को कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य दूरसंचार संस्थाओं के साथ साझा किया जा सकता है।
 - » दूरसंचार संस्थाओं को निर्दिष्ट बिंदुओं से डेटा संग्रहण, प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना करनी होगी।

व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए दायित्व:

- **व्यक्ति:**
 - » किसी भी व्यक्ति को ऐसे संदेश भेजने या कार्य करने की अनुमति नहीं है, जिससे दूरसंचार साइबर सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो।
- **संस्थाएँ:**
 - » जोखिमों से निपटने, ऑडिट करने और घटना प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए साइबर सुरक्षा नीतियों को विकसित और कार्यान्वित करना होगा।
 - » उन्हें घुसपैठ जैसी सुरक्षा घटनाओं पर निगरानी रखने और

उनका उत्तरदायित्व निभाने के लिए सुरक्षा परिचालन केंद्र (SOC) स्थापित करने होंगे।

- » साइबर सुरक्षा प्रयासों की देखरेख के लिए संस्थाओं द्वारा एक मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी (CTSO) की नियुक्ति की जानी चाहिए। बूट का विवरण केंद्र सरकार को प्रदान किया जाना चाहिए।

घटना की रिपोर्टिंग:

- **रिपोर्टिंग के लिए समय-सीमा:** दूरसंचार संस्थाओं को किसी भी सुरक्षा संबंधी घटना की जानकारी मिलने के 6 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को रिपोर्ट करना आवश्यक है। 24 घंटे के भीतर संस्थाओं को विस्तृत जानकारी प्रदान करनी होगी, जैसे:
 - » प्रभावित उपयोगकर्ताओं की संख्या।
 - » घटना की अवधि और भौगोलिक क्षेत्र।
 - » इस समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदम।

दंड और प्रवर्तन:


- यद्यपि दुरुपयोग या अनुपालन में विफलता के लिए दंड का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन नियम दूरसंचार संस्थाओं के लिए सुरक्षा ढांचे और जवाबदेही तंत्र की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

प्रमुख शब्दों की परिभाषाएँ:

- **दूरसंचार साइबर सुरक्षा:** यह साइबर जोखिमों से बचाव के लिए नीतियों, उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं की सुरक्षा को संदर्भित करता है।
- **दूरसंचार इकाई:** यह कोई भी व्यक्ति या संगठन हो सकता है जो दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने या दूरसंचार नेटवर्क के रखरखाव में शामिल है।
- **सुरक्षा घटना:** यह कोई भी घटना हो सकती है जोकि संभावित रूप से दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।

नियमों का प्रभाव:

- नए नियमों का उद्देश्य सुरक्षा घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना और डेटा सुरक्षा तथा घटना प्रबंधन के लिए व्यापक उपाय स्थापित करके भारत के दूरसंचार क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को बढ़ाना है।
- हालांकि, ये नियम सरकार को दूरसंचार डेटा तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण शक्ति भी प्रदान करते हैं, जिससे गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।



अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे

भारत और अमेरिका संबंध: ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में अवसरों और जोखिमों का विश्लेषण

डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति के रूप में आने से भारत-अमेरिका संबंधों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण निहितार्थ प्रस्तुत हुए हैं। दोनों देशों के बीच राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग में समानताएँ उभर कर सामने आई हैं। तथापि ट्रम्प प्रशासन का दृष्टिकोण व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक, लेन-देन आधारित संबंधों पर आधारित है, जिसमें आर्थिक राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद पर विशेष बल दिया गया है। इस दृष्टिकोण का भारत-अमेरिका के रक्षा, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद-विरोधी सहयोग पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के दौरान, इन साझा लक्ष्यों के माध्यम से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की दिशा और दोनों देशों की विदेश और आर्थिक नीतियाँ प्रभावित हो सकती हैं, जोकि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

भारत-अमेरिका संबंधों का महत्व:

- भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी दशकों से मजबूत हो रही है। दोनों देशों के समान लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा हितों के कारण उनके संबंध और गहरे हुए हैं। इन संबंधों का मुख्य केंद्र वैश्विक स्थिरता, आतंकवाद से लड़ाई और आर्थिक विकास है। भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और अमेरिका का वैश्विक नेतृत्व दोनों देशों को जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा खतरों और व्यापार असंतुलन जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने में एक मजबूत साझेदार बनाता है।

भारत-अमेरिका संबंधों का सामरिक आयाम:

- **साझा रणनीतिक हित:** भारत और अमेरिका के सामरिक हितों में समानताएँ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं, जिनमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
 - » **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** ट्रम्प की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति का उद्देश्य अमेरिका की विदेशी सैन्य भागीदारी को कम करना था, जिससे भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा में अधिक प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर मिला। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियार सौदों और अमेरिकी सैन्य तकनीक तक पहुँच शामिल है।
 - » **हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और आतंकवाद निरोध:**

दोनों देश समान सुरक्षा खतरों का सामना कर रहे हैं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आतंकवाद निरोध, समुद्री सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने पर सहयोग बढ़ने की संभावना है।

- » **चीन पर नियंत्रण:** दोनों देश चीन के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन के सैन्य और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए गहन सहयोग के अवसर उत्पन्न होते हैं।

- **भू-राजनीतिक संतुलन:** ट्रम्प की अप्रत्याशित विदेश नीति के कारण भारत को अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करना होगा, साथ ही चीन और रूस जैसी वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को भी संतुलित करना होगा। यह संतुलन भारत के रणनीतिक हितों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।


ट्रम्प 2.0 नीतियों के आर्थिक आयाम:

व्यापार संबंध: अवसर और चुनौतियाँ: ट्रम्प का 'अमेरिका फर्स्ट' दृष्टिकोण व्यापार असंतुलन को कम करने और अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों के प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **टैरिफ और व्यापार बाधाएँ:** ट्रम्प के पहले कार्यकाल में भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाए गए थे, जिनमें स्टील, एल्युमीनियम और वस्त्र शामिल थे। यह नीति ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में भी जारी रह सकती है, जिससे भारतीय निर्यातकों को चुनौतियाँ आ सकती हैं। अमेरिका भारत से कृषि, बौद्धिक संपदा और सेवाओं में अधिक बाजार पहुँच की मांग कर सकता है।
- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** ट्रम्प के पहले कार्यकाल में FTA वार्ताएँ रुकी हुई थीं, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में इन वार्ताओं के फिर से शुरू होने की संभावना है। हालांकि, भारत को अमेरिकी मांगों के साथ अपनी घरेलू प्राथमिकताओं को संतुलित करते हुए बाजार पहुँच और बौद्धिक संपदा सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
- **विनिर्माण और आपूर्ति शृंखला विविधीकरण:** अमेरिका

में विनिर्माण को फिर से बढ़ावा देने के प्रयासों के चलते भारत के लिए कई नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। अमेरिकी कंपनियाँ चीन के विकल्प के रूप में भारत की श्रम शक्ति, कम उत्पादन लागत और बेहतर बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) का विस्तार इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जो इसे अमेरिकी कंपनियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना रहा है।

- **उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का प्रभाव:** भारत की पीएलआई योजना, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अमेरिकी निवेश आकर्षित करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करती है। इन सुधारों से अमेरिकी कंपनियों को भारत में अपने परिचालन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जो अंततः रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।



आव्रजन और कार्यबल चुनौतियां:

ट्रम्प की सख्त आव्रजन नीतियाँ भारत के आईटी क्षेत्र और ट्रम्प 2.0 के तहत अमेरिका में कार्यबल पर प्रभाव डाल सकती हैं:

- **एच-1बी वीजा प्रतिबंध:** भारतीय पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण एच-1बी वीजा कार्यक्रम को सख्त नियमों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कुशल भारतीय श्रमिकों के लिए अमेरिकी वर्क परमिट प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। इससे भारत के आईटी क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **निर्वासन और वैध प्रवासन:** अवैध आव्रजन पर ट्रम्प का सख्त रुख वैध भारतीय प्रवासियों को सीधे प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन इससे भारतीय प्रवासियों के लिए अनिश्चितता पैदा हो सकती है।

ऊर्जा और जलवायु नीति के निहितार्थ:

- **ऊर्जा आयात लाभ:** एक प्रमुख तेल आयातक के रूप में, भारत को ट्रम्प की नीतियों से लाभ हो सकता है, जोकि अमेरिकी जीवाश्म ईंधन उत्पादन के कारण वैश्विक तेल कीमतों को घटा सकती हैं। इससे भारत का आयात बिल कम हो सकता है और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार हो सकता है।
- **जलवायु परिवर्तन पहल के लिए चुनौतियाँ:** जलवायु परिवर्तन के बारे में ट्रम्प का संदेह और पेरिस समझौते से उनका हटना भारत के लिए चिंताजनक है, जोकि जलवायु प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। भारत सतत विकास लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है और ट्रम्प का रुख जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों को धीमा कर सकता है, जिससे भारत की जलवायु अनुकूलन रणनीतियों पर असर पड़ सकता है।

वैश्विक एवं क्षेत्रीय निहितार्थ

- **वैश्विक व्यापार और आपूर्ति शृंखलाओं पर प्रभाव**
 - » **भारत के लिए अवसर:** अमेरिका-चीन के बीच चल रहे व्यापार तनाव के कारण अमेरिकी कंपनियाँ चीन से दूर आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने की कोशिश कर सकती हैं। भारत, अपने बड़े उपभोक्ता बाजार और पीएलआई जैसी अनुकूल नीतियों के साथ, एशिया में विस्तार करने की इच्छुक अमेरिकी कंपनियों के लिए एक आकर्षक विकल्प के रूप में स्थित है।
 - » **भारत के लिए चुनौतियाँ:** हालाँकि, वैश्विक व्यापार तनाव भारत के व्यापार संबंधों को बाधित कर सकता है, जिसके लिए अमेरिका, चीन और अन्य वैश्विक देशों के साथ अपनी साझेदारी को सावधानीपूर्वक संचालित करने की आवश्यकता होगी। व्यापार युद्ध का जोखिम भारत की आर्थिक वृद्धि और स्थिरता को जटिल बना सकता है।
- **भू-राजनीतिक विचार:** ट्रंप की विदेश नीति, जोकि अप्रत्याशित है, के कारण भारत को अमेरिका और रूस तथा चीन सहित अन्य शक्तियों के साथ अपने संबंधों को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना होगा। भारत के लिए चुनौती इन देशों के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना होगा।

निष्कर्ष:

ट्रम्प का दूसरा कार्यकाल भारत के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है। अमेरिका की संरक्षणवादी व्यापार नीतियाँ, सख्त आव्रजन कानून और जलवायु परिवर्तन के बारे में संदेह भारत की आर्थिक और भू-राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए बाधाएँ खड़ी कर सकते हैं। हालाँकि, रक्षा, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग

के अक्सर भारत-अमेरिका साझेदारी को मजबूत कर सकते हैं। इन चुनौतियों से निपटने की भारत की क्षमता उसकी रणनीतिक कूटनीति, आर्थिक सुधारों और अनुकूलनशीलता पर निर्भर करेगी। अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था, रणनीतिक महत्व और पीएलआई योजना जैसी पहलों का लाभ उठाकर भारत अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को गहरा कर सकता है और साथ ही अन्य वैश्विक शक्तियों के

साथ अपने संबंधों को संतुलित कर सकता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों के रूप में, भारत और अमेरिका के पास एक मजबूत और लचीली साझेदारी बनाने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए ट्रम्प 2.0 के तहत विकसित वैश्विक और क्षेत्रीय गतिशीलता को ध्यान से समझने की आवश्यकता होगी।

संक्षिप्त मुद्दे

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव (डिजी फ्रेमवर्क)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। इस पहल को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव (डिजी फ्रेमवर्क) नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य भारत में प्रमुख डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के संचालन को सुव्यवस्थित करना है, जिससे भारत में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा प्राप्त होगी।

डिजी फ्रेमवर्क के प्रमुख साझेदार:

- डिजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत तीन प्रमुख संगठनों का सहयोग शामिल है:
 - अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम (DFC)
 - जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (JBIC)
 - कोरिया का निर्यात-आयात बैंक (कोरिया एक्जिम्बैंक)
- ये संस्थान भारत की डिजिटल अवसंरचना आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपने संसाधनों और विशेषज्ञता का योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रमुख फोकस क्षेत्र:

- इस ढांचे में विभिन्न डिजिटल तकनीकों और बुनियादी ढांचे में निवेश और विकास के कई प्राथमिक फोकस क्षेत्र तय किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - 5जी प्रौद्योगिकी
 - ओपन आरएएन (ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क)
 - पनडुब्बी केबल
 - ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क
 - दूरसंचार टावर
 - डेटा सेंटर

- स्मार्ट शहर
- ई-कॉमर्स
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)
- क्वांटम प्रौद्योगिकी

- इन क्षेत्रों का विकास भारत के डिजिटल परिदृश्य को गति प्रदान करेगा और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करेगा।

डिजी फ्रेमवर्क में निजी क्षेत्र की भूमिका:

- डिजी फ्रेमवर्क का एक प्रमुख उद्देश्य भारत के निजी क्षेत्र के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करना है। इस ढांचे के तहत भारत की अवसंरचना आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रभावी नीति संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।
- यह दृष्टिकोण डिजिटल परियोजनाओं में निजी वित्तपोषण को बढ़ावा देगा, जिससे निजी क्षेत्र के हितधारकों की भागीदारी सुगम होगी।

रणनीतिक उद्देश्य:

- डिजी फ्रेमवर्क का उद्देश्य अमेरिका-जापान-कोरिया गणराज्य त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में स्थापित लक्ष्यों के अनुरूप तीनों देशों के बीच सहयोग और साझा प्राथमिकताओं को बढ़ाना है। इस पहल से भारत के डिजिटल परिदृश्य को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास में योगदान का लक्ष्य है।

भारत के प्रति प्रतिबद्धता:

- डिजी फ्रेमवर्क के तहत डीएफसी, जेबीआईसी और कोरिया एक्जिम्बैंक की साझेदारी भारत की डिजिटल अवसंरचना के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती हैं।
- इनका उद्देश्य निजी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग कर भारत में डिजिटल अवसंरचना में उच्च गुणवत्ता वाले निवेश को बढ़ावा देना है, जिससे देश के विकास को समर्थन मिले।

डिजिटल अवसंरचना के बारे में:

- डिजिटल अवसंरचना से तात्पर्य उन प्रौद्योगिकियों से है, जो संगठन की सूचना प्रौद्योगिकी और परिचालन का आधार बनती

हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत की डिजिटल अवसंरचना ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

महत्वपूर्ण पहल:

- **डिजिटल पहचान:** आधार एक 12-अंकीय बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी आधारित पहचान है, जिसमें 135.5 करोड़ से अधिक निवासियों का नामांकन है, जो एक अद्वितीय, आजीवन, ऑनलाइन और प्रामाणिक पहचान प्रदान करता है।
- **डिजिटल सेवाएं:** सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) 5.21 लाख केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा 400 से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं।
- **डिजिटल लॉकर:** डिजिटल लॉकर के 13.7 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं, जिसमें 2,311 जारीकर्ता संगठनों के 562 करोड़ से अधिक दस्तावेज संग्रहीत हैं।
- **डिजिटल हस्ताक्षर:** ई-साइन सुविधा के माध्यम से 31.08 करोड़ से अधिक ऑनलाइन हस्ताक्षर किए गए हैं।
- **डिजिटल गांव:** डिजिटल गांव पायलट परियोजना 700 ग्राम पंचायतों/गांवों को कवर करती है, जोकि डिजिटल स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं और कौशल विकास प्रदान करती है।
- **ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं:** ई-डिस्ट्रिक्ट भारत के 709 जिलों में 4.671 ई-सेवाएं उपलब्ध कराता है।

चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से ब्राजील बाहर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) में शामिल न होने के घोषणा की, जिससे वह भारत के बाद ब्रिक्स ब्लॉक का दूसरा सदस्य बन गया, जिसने इस बहु-अरब डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजना में भागीदारी से इनकार कर दिया। इस निर्णय से ब्राजील ने चीन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बजाय अपनी स्वयं की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए चीनी निवेशकों के साथ तालमेल तलाशने को प्राथमिकता दी है।

बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के बारे में:

- BRI, जिसे शुरू में 2013 में 'वन बेल्ट वन रोड' के रूप में लॉन्च किया गया था, का उद्देश्य भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना है। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार, व्यापार में वृद्धि और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना शामिल है। इस पहल में शामिल हैं:

- » सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट: एक ट्रांस-महाद्वीपीय मार्ग।
- » समुद्री सिल्क रोड: एक समुद्री मार्ग।


- बीआरआई में बंदरगाहों और परिवहन नेटवर्क सहित विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण निवेश शामिल है।

बीआरआई के संबंध में भारत की प्रमुख चिंताएँ:

- **संप्रभुता:** बीआरआई की प्रमुख परियोजना, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान को पार करती है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है।
- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** बीआरआई के वित्तीय प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कम ब्याज वाले ऋण दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं।
- **ऋण स्थिरता:** चीनी ऋण के कारण भागीदार देशों पर पड़ने वाले अस्थिर ऋण बोझ के बारे में चिंताएं ऋण जाल की धारणा को जन्म देती हैं, जिससे वे चीन के प्रभाव के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
- **सुरक्षा संबंधी खतरे:** हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को भारत सुरक्षा चिंता के रूप में देखता है, विशेष रूप से स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति के तहत।

बीआरआई का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम:

- जी7 समूह द्वारा वैश्विक अवसंरचना और निवेश (पीजीआईआई) और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (बी3डब्ल्यू) साझेदारी।
- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC), जिसे भारत की G-20 अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC), जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है।



भू-राजनीतिक निहितार्थ:

- ब्राजील, इटली और फिलीपींस सहित उन देशों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)

से खुद को अलग कर लिया है। हालाँकि ब्राजील और चीन के बीच व्यापार संबंध बहुत अच्छे हैं (लगभग \$180 बिलियन प्रति वर्ष) लेकिन चीनी निवेश पर निर्भरता के बारे में ब्राजील के भीतर सतर्कता बढ़ रही है।

- वर्तमान में, ब्राजील को हर साल लगभग \$3 बिलियन का चीनी निवेश मिलता है, जिससे इसकी आर्थिक रणनीति और क्षेत्रीय साझेदारी का महत्वपूर्ण पुनर्मूल्यांकन हो रहा है।
- बीआरआई की यह अस्वीकृति भारत के पहले के विरोध से मेल खाती है, जिसने संप्रभुता, संभावित ऋण जाल और बीआरआई परियोजनाओं में पारदर्शिता की कमी के बारे में चिंताएँ जताई थीं। भारत का रुख खास तौर पर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से प्रभावित था, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है और संप्रभुता के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता है।
- ब्राजील जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, यह निर्णय उसके कूटनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव को रेखांकित करता है, जो व्यापक बाहरी प्रभाव पर राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देता है।

स्पेन राष्ट्रपति की भारत यात्रा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्पेन के राष्ट्रपति पेद्रो सांचेज ने भारत की आधिकारिक यात्रा की, जो कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह यात्रा न केवल राष्ट्रपति सांचेज की भारत की पहली यात्रा है, बल्कि 18 वर्षों में स्पेन के किसी शासनाध्यक्ष द्वारा की गई पहली यात्रा भी है।

भारत-स्पेन आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध:


- भारत-स्पेन व्यापारिक संबंधों में निरंतर वृद्धि देखी गई है तथा स्पेन यूरोपीय संघ में भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- **कुल व्यापार (2023):** 8.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2022 से 4.2% की वृद्धि)।
- **भारत का स्पेन को निर्यात:** खनिज ईंधन, रसायन, लोहा और इस्पात, विद्युत मशीनरी, परिधान और समुद्री उत्पादों में 6.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर (5.2% की वृद्धि)।
- **स्पेन से भारत का आयात:** 1.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर (1.05% की वृद्धि), मुख्य रूप से मशीनरी और विनिर्मित वस्तुओं में।
- भारत-स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग (जेसीईसी) और भारत-स्पेन सीईओ फोरम (2015) इन आर्थिक संबंधों को समर्थन देने वाले प्रमुख मंच हैं। ये निकाय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देते हैं, जिससे आर्थिक सहयोग पर नियमित बातचीत

संभव होती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई):

एफडीआई भारत-स्पेन आर्थिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है:

- **भारत में स्पेन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:** 3.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल 2000-दिसंबर 2023), स्पेन को भारत का 16वां सबसे बड़ा निवेशक माना गया। भारत में 280 से ज्यादा स्पेनिश कंपनियाँ धातुकर्म, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोटिव और बुनियादी ढाँचे सहित कई क्षेत्रों में काम करती हैं, जिनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात प्रमुख निवेश केंद्र हैं।
- **स्पेन में भारतीय एफडीआई:** स्पेन में लगभग 80 भारतीय कंपनियाँ (900 मिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई) हैं, जिनमें से अधिकांश आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में हैं। इससे भारत स्पेन के शीर्ष 30 वैश्विक निवेशकों में से एक और एशिया के शीर्ष 5 निवेशकों में से एक बन गया है।



सामरिक एवं रक्षा सहयोग:

- रक्षा सहयोग भारत-स्पेन संबंधों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है।
- फाइनल असेंबली लाइन (FAL) प्लांट भारत की पहली निजी सैन्य परिवहन विमान सुविधा है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ साझेदारी में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) द्वारा विकसित इस परियोजना के तहत 2.5 बिलियन डॉलर के अनुबंध में 56 C295 विमानों में से 40 को भारत में असेंबल किया जाएगा।
- यह सुविधा 2026 तक अपना पहला 'मेड-इन-इंडिया' C295 विमान वितरित करेगी, जबकि सभी डिलीवरी 2031 तक पूरी हो जाएंगी। यह परियोजना भारत में एक पूर्ण एयरोस्पेस विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रही है, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और कई निजी एमएसएमई का योगदान शामिल है।

आतंकवाद निरोध और साइबर सुरक्षा:

- भारत और स्पेन के बीच आतंकवाद निरोध तथा खुफिया जानकारी

साझा करने में सहयोग जारी है, जिससे वैश्विक सुरक्षा संबंधी आपसी चिंताओं का समाधान हो सके।

सतत विकास और जलवायु कार्रवाई:

- भारत और स्पेन दोनों ही पेरिस समझौते का समर्थन करते हैं और जलवायु परिवर्तन पहलों पर मिलकर काम करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में स्पेन की विशेषज्ञता भारत के हरित ऊर्जा स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के विस्तार के लक्ष्यों को पूरा करती है।
- दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के तहत सहयोग करते हैं, जिसमें स्पेन सतत विकास पर भारत के फोकस के साथ जुड़ता है।

बहुपक्षीय सहयोग:

- भारत और स्पेन बहुपक्षीय जुड़ाव के लिए साझा मंचों का उपयोग करते हैं:
 - » **संयुक्त राष्ट्र (यूएन):** दोनों देश वैश्विक शांति, सतत विकास और मानवीय प्रयासों पर सहयोग करते हैं।
 - » **जी-20:** जी-20 के सदस्य के रूप में भारत और स्पेन वैश्विक आर्थिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन और व्यापार सुधारों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
 - » **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए):** स्पेन की आईएसए सदस्यता सौर ऊर्जा और टिकाऊ पहलों पर सहयोग को मजबूत करती है।

स्पेन में भारतीय प्रवासी:

- स्पेन में भारतीय समुदाय, हालांकि अपेक्षाकृत छोटा है, फिर भी यह तेजी से विस्तारित हो रहा है। 2023 तक, लगभग 55,000 भारतीय नागरिक स्पेन में निवास करते हैं। ये नागरिक आतिथ्य, खुदरा, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं, जिससे स्पेनिश समाज का समृद्धिकरण हो रहा है।

निष्कर्ष:

भारत और स्पेन के बीच बढ़ते संबंध रक्षा आधुनिकीकरण, आर्थिक सहयोग और सतत विकास के प्रति आपसी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करते हैं। वडोदरा में C295 FAL संयंत्र, रक्षा विनिर्माण के एक नए चरण का प्रतीक है और यह दोनों देशों के बीच एक लचीले और सहकारी गठबंधन की स्थापना की दिशा में ठोस कदम है, जो कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभान्वित करेगा।

व्यापार बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह के उपयोग की पेशकश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान प्रभाग के संयुक्त सचिव श्री जे.पी. सिंह के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने काबुल में अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब और अन्य वरिष्ठ अफगान नेताओं के साथ बैठक की।

बैठक के मुख्य विवरण:

- **चाबहार बंदरगाह का प्रस्ताव:**
 - » भारत ने अफगान व्यवसायों को चाबहार बंदरगाह तक पहुँच प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो ईरान में स्थित एक रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गहरे पानी वाला बंदरगाह है, जिसका विकास और संचालन भारत द्वारा किया जाता है।
 - » चाबहार बंदरगाह भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच व्यापार के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार है, जो पाकिस्तान को दरकिनार करता है, जिससे अफगानिस्तान की वैश्विक बाजारों तक पहुँच बढ़ती है और आयात-निर्यात की प्रक्रिया को सुगम बनाता है।
- **मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित:**
 - » तालिबान द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद, भारत की ओर से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता जारी रखी जाएगी।
 - » भारत ने लगातार अफगान लोगों को गेहूँ, दवाइयाँ और चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराई है।

भारत का कूटनीतिक रुख:

- भारत तालिबान शासन को मान्यता नहीं देता है, जिसने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया था। हालांकि, भारत ने काबुल में एक कार्यात्मक राजनयिक उपस्थिति बनाए रखी है।
- भारत का दूतावास अब भी कार्यरत है और मानवीय प्रयासों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने के लिए जून 2022 से एक तकनीकी टीम वहाँ तैनात है।

चाबहार बंदरगाह का महत्व:

- सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की रणनीति का प्रमुख केंद्र है।
- 500 मिलियन डॉलर के निवेश से विकसित चाबहार, अफगानिस्तान को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए समुद्र तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।
- यह अफगानिस्तान के खनिज, कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प जैसे निर्यातों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने में सक्षम बनाता है और ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है।



भारत और अफगानिस्तान के बीच राजनयिक संबंध:

- **ऐतिहासिक संदर्भ:**
 - » भारत ने 1980 के दशक में सोवियत समर्थित लोकतांत्रिक गणराज्य अफगानिस्तान को मान्यता दी और उसके साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे।
 - » 1990 के दशक में अफगान गृह युद्ध और तालिबान सरकार के दौरान भारत के संबंध कमजोर हो गए थे।
- **2001 के बाद के घटनाक्रम:**
 - » अफगानिस्तान पर अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद, भारत ने नवगठित लोकतांत्रिक सरकार के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और इसके बाद के वर्षों में अफगानिस्तान को सहायता और पुनर्निर्माण में मदद की।

भारत-अफगानिस्तान संबंधों में हालिया घटनाक्रम:

- **दूतावास पुनः खोला गया:** 2022 में, भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोला, जिसे अगस्त 2021 में तालिबान के अधिग्रहण के बाद बंद कर दिया गया था।
- **मानवीय सहायता:** भारत ने अपने मानवीय प्रयास जारी रखे हैं और संकट के दौरान अफगानिस्तान की मदद के लिए 500,000 कोविड वैक्सिन खुराक और 2,500 मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराया है।
- **बुनियादी ढांचा विकास:** भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसमें सलमा डैम और अफगान संसद भवन जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ शामिल हैं।
- **आर्थिक सहयोग:** भारत और अफगानिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार

को सुविधाजनक बनाने और दोनों देशों के बीच माल के सुचारु परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए दो हवाई गलियारे स्थापित किए हैं, जिससे आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा मिला है।

भारत और रूस के मध्य वायु रक्षा समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वायु रक्षा प्रौद्योगिकी पर केंद्रित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके भारत और रूस ने अपने रक्षा सहयोग में वृद्धि की है। यह समझौता भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) और रूस की रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के मध्य औपचारिक रूप से हुआ।

समझौते की मुख्य विशेषताएँ:

- **पैट्रि प्रणाली के सह-विकास के लिए समझौता ज्ञापन:**
 - » भारत की रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप पैट्रि-संस्करण वायु रक्षा प्रणाली के सह-विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
 - » पैट्रि प्रणाली एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है, जोकि विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए मिसाइलों और तोपों का संयोजन करती है।
 - » यह प्रणाली 15 किलोमीटर तक की प्रभावी रेंज प्रदान करती है, जिससे यह मिसाइलों, विमानों, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।
- **भारत के लिए सामरिक महत्व:**
 - » यह समझौता भारत की रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाने, उन्नत खतरों का मुकाबला करने में आत्मनिर्भरता और क्षमता में सुधार करने में मदद करेगा।
 - » यह समझौता ज्ञापन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में वृद्धि करता है, साथ ही प्रमुख रक्षा साझेदार रूस के साथ भारत के रिश्तों को भी मजबूत करता है।

भारत और रूस के बीच सामरिक रक्षा साझेदारी:

- यह कदम दीर्घकालिक रणनीतिक रक्षा साझेदारी का हिस्सा है, जोकि दशकों से चली आ रही है और इसमें मिसाइलों, नौसैनिक प्लेटफॉर्मों और वायु रक्षा प्रणालियों में संयुक्त परियोजनाएँ शामिल हैं।
- दोनों देश विभिन्न सैन्य प्रौद्योगिकियों पर आपसी विश्वास और सहयोग साझा करते हैं और रूस भारत के प्रमुख रक्षा साझेदारों में से एक रहा है।

आत्मनिर्भरता पर जोर:

- भारत 'मेक इन इंडिया' पहल के साथ जुड़कर रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- यह समझौता ज्ञान, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ बनाए रखते हुए स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को आगे बढ़ाने के भारत के प्रयासों को रेखांकित करता है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति:

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच, भारत की सैन्य और रणनीतिक साझेदारियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में अपनी भूमिका बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में, भारत की मजबूत रक्षा क्षमताएँ वैश्विक सुरक्षा चर्चाओं में अधिक प्रभावी तरीके से भाग लेने में सक्षम बनाती हैं।

भारत-नाइजीरिया सामरिक साझेदारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया की यात्रा पूरी की, जोकि 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नाइजीरिया यात्रा थी। यह यात्रा प्रधानमंत्री की तीन देशों की यात्रा का हिस्सा थी, जिसमें 17 से 21 नवंबर, 2024 तक ब्राजील और गुयाना का दौरा भी शामिल था।

नाइजीरिया यात्रा से मुख्य बिंदु:

- **सामरिक साझेदारी:** भारत और नाइजीरिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया है, जिसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। यह कदम दोनों देशों के बीच सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए उठाया गया है।
- **मानवीय सहायता:** नाइजीरिया में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान, भारत ने 20 टन मानवीय सहायता की घोषणा की। यह सहायता नाइजीरिया में राहत प्रयासों को मजबूत करने के लिए थी और संकट के समय भारत की सहायता की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** दोनों देशों ने सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख समझौतों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिनमें:
 - » सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
 - » सीमा शुल्क सहयोग
 - » सर्वेक्षण सहयोग इन समझौतों से दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की स्थापना होगी।
- **वैश्विक दक्षिण सहयोग:** प्रधानमंत्री मोदी और नाइजीरिया के

राष्ट्रपति टीनूबू ने वैश्विक दक्षिण की विकास आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने हेतु सहयोग की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने साझा वैश्विक चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए एक समावेशी वैश्विक व्यवस्था बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।

प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान:

- प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए नाइजीरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर (GCON) से सम्मानित किया गया।



भारत-नाइजीरिया संबंधों के बारे में:

- **ऐतिहासिक संबंध:** भारत ने अफ्रीकी देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने 1958 में अफ्रीका में अपना राजनयिक मिशन स्थापित किया था, जोकि 1960 में नाइजीरिया के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने से दो साल पहले था।
- **सैन्य और क्षमता निर्माण:** स्वतंत्रता के बाद, भारत ने नाइजीरिया को नाइजीरियाई रक्षा अकादमी (NDA) और पोर्ट हरकोर्ट में नौसेना कॉलेज जैसे सैन्य संस्थानों की स्थापना में सहायता की। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) पहल के तहत भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 1964 से नाइजीरिया की रक्षा और नागरिक क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण रहे हैं।
- **वाणिज्यिक संबंध:** भारतीय व्यवसायों ने नाइजीरिया में लगभग 15 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, जिससे भारत नाइजीरिया का अग्रणी निवेशक बन गया है, जिसका कुल निवेश आधार लगभग 20 बिलियन डॉलर है।
- **तेल व्यापार:** नाइजीरिया भारत को कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है, हालाँकि हाल के वर्षों में इसकी हिस्सेदारी कम हो गई है। 2020 में, नाइजीरिया भारत को कच्चे तेल का पाँचवाँ सबसे बड़ा विक्रेता था।
- **अफ्रीका में भारत की भूमिका:** चीन और अमेरिका के बाद

भारत अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अफ्रीका के कुल व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 6.4% है।

भारत और इटली द्वारा 5-वर्षीय रणनीतिक कार्य योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में जी20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी ने 2025-29 के लिए व्यापक संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना का अनावरण किया।

मुख्य फोकस क्षेत्र:

- यह रणनीतिक योजना में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग:

- कार्ययोजना का मुख्य उद्देश्य भारत और इटली के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। दोनों नेताओं ने वार्षिक संयुक्त रक्षा परामर्श बैठकें और संयुक्त स्टाफ वार्ता आयोजित करने पर सहमति जताई, जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान, संयुक्त यात्राएँ और प्रशिक्षण गतिविधियाँ सुगम होंगी।

आर्थिक और औद्योगिक सहयोग:

- कार्ययोजना में मजबूत आर्थिक सहयोग की परिकल्पना की गई है, विशेष तौर पर औद्योगिक भागीदारी के माध्यम से। इटली और भारत का लक्ष्य ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर, बुनियादी ढांचे और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है।

कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे का विकास:


- कार्ययोजना का एक प्रमुख घटक कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। दोनों देशों ने समुद्री और भूमि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जिसमें भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना पर विशेष ध्यान दिया गया।

अंतरिक्ष और वैज्ञानिक सहयोग:

- योजना में सहयोग के सबसे आशाजनक क्षेत्रों में से एक अंतरिक्ष अन्वेषण है। भारत का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और इटली की इटैलियन स्पेस एजेंसी (एएसआई) पृथ्वी अवलोकन, हीलियोफिजिक्स और चंद्र विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए तैयार हैं।

ऊर्जा संक्रमण और वैश्विक सहयोग:

- भारत और इटली ने वैश्विक स्थिरता पहलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने का भी संकल्प लिया। दोनों देश ऊर्जा संक्रमण प्रयासों पर मिलकर काम करेंगे, विशेष तौर पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से। इन साझेदारियों का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव को गति देना और वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है।



भारत और इटली संबंध के बारे में:

- भारत और इटली के बीच राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए।
- भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में इटली का दौरा किया।
- ऑस्कर लुइगी स्काल्फारो फरवरी 1995 में भारत आने वाले पहले इतालवी राष्ट्राध्यक्ष थे।
- भारतीय प्रधानमंत्री अक्टूबर 2021 में जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। मार्च 2023 में, इतालवी प्रधानमंत्री रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आए।
- मार्च 2023 में इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया गया।
- भारत-प्रशांत क्षेत्र, जिसमें भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भूमध्य सागर क्षेत्र के बीच संबंध स्थापित किया गया है। इटली भूमध्य सागर के केंद्र में स्थित है और यह भारत-प्रशांत क्षेत्र से जुड़ने का एक प्राकृतिक रास्ता है।
- जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड के बाद इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। द्विपक्षीय व्यापार 14.253 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जिसमें भारत का इटली को निर्यात 8.691 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और ट्राइस्टे स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरिटिकल फिजिक्स (आईसीटीपी)

ने विकासशील देशों के लिए गणित में डीएसटी-आईसीटीपी रामानुजन पुरस्कार की स्थापना की है। वर्ष 2022 का पुरस्कार प्रो. मोहम्मद मुस्तफा, सेनेगल को मिला।

- 2023-2027 की अवधि के लिए सांस्कृतिक सहयोग हेतु कार्यकारी कार्यक्रम पर 2023 में हस्ताक्षर किए गए, जिससे सांस्कृतिक कूटनीति को और अधिक मजबूती मिलेगी।

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूर्वी समुद्री गलियारे (ईएमसी) के शुभारंभ की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय और रूसी बंदरगाहों के बीच माल की आवाजाही के लिए परिवहन समय और दूरी में कमी आएगी, जिससे नए व्यापार अवसर उत्पन्न होंगे। चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा, भारत और रूस के बीच समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य विशेषताएं और लाभ:

- **दूरी और अवधि:** चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग लगभग 5,600 समुद्री मील की दूरी तय करता है, जो मुंबई से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक के वर्तमान व्यापार मार्ग की 8,675 समुद्री मील की दूरी को काफी कम करता है।
 - » इस नए कॉरिडोर से परिवहन समय में 16 दिन तक की कमी आएगी, जिससे परिवहन समय 40 दिनों से घटकर 24 दिन रह जाएगा। 20-25 नॉट की गति से चलने वाला एक कंटेनर जहाज इस मार्ग को लगभग 10 से 12 दिनों में पूरा कर सकता है।
- **कार्गो और व्यापार प्रभाव:** कच्चे तेल, धातु और वस्त्रों सहित विभिन्न प्रकार के सामान ले जाने वाले कंटेनर जहाज पहले ही भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने लगे हैं, जो गलियारे की परिचालन सफलता का संकेत है। यह व्यापार मार्ग भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सहयोग और वृद्धि के लिए अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता है।

पूर्वी समुद्री गलियारे (ईएमसी) का महत्व:

- परिवहन समय और दूरी में कमी से रसद लागत में लगभग 40% की कमी आएगी, जिससे व्यापार में दक्षता में सुधार होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- मुंबई और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच स्वेज नहर के माध्यम से वर्तमान व्यापार मार्ग लगभग 40 दिन का है, जो 16,066 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो नए मार्ग के समय और लागत लाभ को दर्शाता है।

भारत के समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा:

- भारत का समुद्री क्षेत्र, जो मात्रा की दृष्टि से देश के 95% व्यापार तथा मूल्य की दृष्टि से 70% व्यापार को संभालता है, इस नए गलियारे से काफी लाभान्वित होगा।
- यह भारत के समुद्री विजन 2030 के अनुरूप है, जिसमें समुद्री क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से 150 से अधिक पहल शामिल हैं।

सामरिक भू-राजनीतिक लाभ:

- यह गलियारा रूस के संसाधनों तक बेहतर पहुंच प्रदान करके और प्रशांत व्यापार नेटवर्क में भारत को एक प्रमुख देश के रूप में स्थापित करके भारत की 'एक्ट फॉर ईस्ट' नीति का पूरक है।
- यह मार्ग जापान सागर, दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरूमध्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जो वैश्विक व्यापार और रणनीतिक समुद्री मार्गों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- इसके अलावा, यह गलियारा दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभुत्व को भी संबोधित करता है, जो भू-राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है।



वैश्विक संपर्क में वृद्धि हेतु अन्य गलियारे:

- चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर वैश्विक संपर्क बढ़ाने के लिए बनाई गई कई पहलों में से एक है। 2023 के जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) और रूस के बाल्टिक तट को भारत के पश्चिमी बंदरगाहों से जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) में भारत की भागीदारी, क्षेत्रों में अपने समुद्री और व्यापार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा भारत-रूस व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण विकास है, जोकि कम रसद लागत एवं बढ़े हुए भू-राजनीतिक प्रभाव तक के लाभ प्रदान करता है, साथ ही भारत की व्यापक समुद्री रणनीति और वैश्विक आर्थिक एकीकरण में भी योगदान करता है।

भारत-कैरिफॉम संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जटाउन, गुयाना में आयोजित दूसरे भारत-कैरिफॉम शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और कैरिबियाई समुदाय (कैरिफॉम) के बीच साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए सात प्रमुख स्तंभों का प्रस्ताव रखा। यह शिखर सम्मेलन, जो 50 वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की गुयाना की पहली यात्रा थी, व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित था।

भारत-कैरिफॉम साझेदारी के बारे में:

- कैरिफॉम 15 कैरिबियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जो विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देता है।
- पहला भारत-कैरिफॉम शिखर सम्मेलन 2003 में हुआ था, जिसने सहयोग के लिए मंच तैयार किया और 2024 में दूसरा शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय जुड़ाव में एक उन्नत चरण को चिह्नित करता है।

प्रधानमंत्री मोदी के सात प्रमुख स्तंभ:

- **व्यापार:** मोदी ने भारत और कैरिबियन के बीच व्यापार संबंधों को गहरा करने और एक मजबूत व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने, बाधाओं को कम करने और नए व्यापार मार्ग खोलने पर जोर दिया।
- **प्रौद्योगिकी:** आईसीटी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचे में भारत के नेतृत्व का लाभ उठाते हुए, मोदी ने कैरिफॉम देशों में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारत के तकनीकी संसाधनों का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा।
- **पर्यटन:** कैरिबियन के लिए पर्यटन एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है, मोदी ने भारत के बढ़ते यात्रा बाजार को बढ़ावा देने और कनेक्टिविटी में सुधार करने सहित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तालमेल को बढ़ावा देने का सुझाव दिया।
- **प्रतिभा:** मोदी ने दोनों क्षेत्रों के बीच कौशल और प्रतिभा के आदान-प्रदान का प्रस्ताव रखा, जिससे शैक्षिक आदान-प्रदान, व्यावसायिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की सुविधा मिल सके।
- **परंपरा:** कैरिबियन में भारतीयों के प्रवास के कारण गहरे सांस्कृतिक संबंधों को पहचानते हुए, मोदी ने पारंपरिक बंधनों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ाने का आह्वान किया।
- **लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई):** मोदी ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पिछली भारत-कैरिफॉम बैठक से मिले 1 मिलियन डॉलर के अनुदान के आधार पर एसएमई सहयोग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का प्रस्ताव रखा।

- **कृषि और खाद्य सुरक्षा:** कृषि में भारत की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, मोदी ने ज्ञान के आदान-प्रदान और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैरिबियन में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग पर जोर दिया।



भारत-कैरिफॉम शिखर सम्मेलन का महत्व:

इस शिखर सम्मेलन ने कैरिबियन के रणनीतिक महत्व के प्रति भारत की बढ़ती मान्यता को प्रदर्शित किया। प्रमुख लाभों में शामिल हैं:

- **आर्थिक सहयोग:** व्यापार, प्रौद्योगिकी और एसएमई संबंधों को मजबूत करने से भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार खुलते हैं और निवेश को बढ़ावा मिलता है।
- **स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स:** किफायती स्वास्थ्य सेवा और टीकों में भारत की विशेषज्ञता कैरिबियन की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।
- **अक्षय ऊर्जा:** भारत की 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन के माध्यम से सतत ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग जारी रहेगा।
- **आपदा प्रबंधन:** मानवीय सहायता और आपदा राहत में भारत की विशेषज्ञता कैरिफॉम देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया है।
- **सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान:** आदान-प्रदान बढ़ने से लोगों के बीच संबंध मजबूत होंगे तथा आपसी समझ को बढ़ावा मिलेगा।

आसियान-भारत माल व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए) संयुक्त समिति की छठी बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आसियान-भारत माल व्यापार समझौता (AIFTA) संयुक्त समिति की छठी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करना है।

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते के बारे में :

- आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए) भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण समझौता है।

पृष्ठभूमि:

- आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (एआईएफटीए) की शुरुआत अक्टूबर 2003 में हस्ताक्षरित रूपरेखा समझौते के साथ हुई। इस समझौते ने वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के व्यापार को सम्मिलित किया। एआईटीआईजीए 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ।
- प्रमुख प्रावधान:** समझौते का उद्देश्य आसियान और भारत के बीच व्यापार होने वाले 76.4% वस्तुओं पर शुल्क कम करना या समाप्त करना है।

समीक्षा प्रक्रिया:

- सितंबर 2022 में दोनों पक्षों ने इस समझौते की समीक्षा शुरू की।
- समीक्षा का उद्देश्य व्यापार को अधिक सुविधाजनक बनाना है, जिसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

उप-समितियाँ:

- आठ उप-समितियाँ गठित की गई हैं, जोकि बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियम और व्यापार उपचार जैसे क्षेत्रों पर कार्य कर रही हैं।
- द्विपक्षीय व्यापार:** आसियान-भारत व्यापार 2023-24 में 122.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारतीय निर्यात में 9.96% और आयात में 34.30% की वृद्धि दर्ज की गई।

आसियान:

- स्थापना:** इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा की गई थी।
- वर्तमान सदस्य देश:** वर्तमान में 'इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम' इस संगठन के सदस्य हैं। नवंबर 2022 में, आसियान ने पूर्वी तिमोर (तिमोर-लेस्ते) को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमत व्यक्त की और उच्च स्तरीय

बैठकों में इसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया।

आसियान शिखर सम्मेलन:

- यह संगठन का सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय है। प्रथम शिखर सम्मेलन फरवरी 1976 में बाली, इंडोनेशिया में हुआ।
- वर्तमान में यह प्रतिवर्ष दो बार बैठक करता है।
- महत्व:** आसियान एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है। इसके वार्ता साझेदारों में भारत, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

भारत-आसियान संबंध:

- 'एक्ट ईस्ट' नीति:** आसियान भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का केंद्रीय अंग है और विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है। यह नीति क्षेत्रीय आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।
- संबंधों का विकास:** 1992 में भारत-आसियान संबंध क्षेत्रीय वार्ता साझेदारी के रूप में शुरू हुए। 1995 में इन्हें पूर्ण वार्ता साझेदारी का दर्जा मिला। 2012 में इसे और सुदृढ़ कर रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया गया। 2022 में, इस साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के रूप में उन्नत किया गया।
- आर्थिक सहयोग और व्यापार लक्ष्य:** भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य 2025 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना है। वर्तमान में, आसियान भारत का पाँचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

अर्जेंटीना और पेरिस समझौता: वैश्विक जलवायु लक्ष्यों पर प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अर्जेंटीना के दक्षिणपंथी राष्ट्रपति, जेवियर माइली के नेतृत्व में, अर्जेंटीना पेरिस समझौते से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है, जोकि जलवायु परिवर्तन के प्रति संदेह और नकारात्मक दृष्टिकोण की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

पेरिस समझौता:

- पेरिस समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने के प्रयास करना है।
- इसका फोकस ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- जलवायु कार्रवाई बढ़ाने के लिए देशों को हर पांच साल में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत करना होता

हैं।

पेरिस समझौते से हटने की प्रक्रिया:

- कोई भी देश पेरिस समझौते से अनुसमर्थन के तीन वर्ष बाद बाहर निकल सकता है। इसके बाद, वह संयुक्त राष्ट्र को सूचित करने के एक वर्ष बाद अपनी वापसी प्रभावी कर सकता है।
- यह प्रक्रिया औपचारिक और क्रमिक है, लेकिन यह वैश्विक जलवायु प्रयासों से अलगाव का संकेत देती है।

अर्जेटीना वापसी पर विचार क्यों कर रहा है?

- जलवायु परिवर्तन पर संदेह रखने वाले अर्जेटीना के राष्ट्रपति, जेवियर माइली, ने पहले जलवायु परिवर्तन को 'समाजवादी झूठ' करार दिया था। वे अब पेरिस समझौते में अर्जेटीना की भागीदारी का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं।
- सरकार जलवायु परिवर्तन को स्वीकार करती है, लेकिन इसके कारणों को मानवीय गतिविधियों के बजाय प्राकृतिक चक्र से जोड़ती है।

अर्जेटीना की पेरिस समझौते से वापसी के प्रभाव:

- वैश्विक जलवायु लक्ष्यों पर प्रभाव:** अर्जेटीना ग्रीनहाउस गैसों का 24वां सबसे बड़ा उत्सर्जक है। इसके हटने से ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं और अन्य देश भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
- आर्थिक एवं व्यापारिक निहितार्थ:** अर्जेटीना में जीवाश्म ईंधन के बड़े भंडार हैं। समझौते से बाहर निकलने से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे जलवायु के प्रति जागरूक व्यापार भागीदारों के लिए यह कम आकर्षक हो जाएगा। यूरोपीय संघ जैसे जलवायु-केंद्रित देशों के साथ व्यापार संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं।

घरेलू राजनीति और चुनौतियाँ:

- अर्जेटीना ने संवैधानिक रूप से समझौते की पुष्टि की है, इसलिए माइली को इससे बाहर निकलने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होगी। घरेलू विरोध इसे जटिल बना सकता है।

वैश्विक प्रतिक्रियाएं और चिंताएं:

- जलवायु विशेषज्ञ निकोलस होह्ले ने चेतावनी दी है कि अर्जेटीना के बाहर निकलने से वह आर्थिक और कूटनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ सकता है।
- इससे जलवायु-केंद्रित देशों के साथ रिश्तों में तनाव पैदा होगा और चरम मौसम घटनाओं तथा जैव विविधता की हानि जैसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभावों से बचने के प्रयासों में रुकावट उत्पन्न होगी।

वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए निहितार्थ:

- उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य:** 1.5°C के तापमान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को 42% तक कम करना होगा। अर्जेटीना के हटने से यह लक्ष्य संकट में पड़


सकता है।

- विकासशील देशों की भूमिका:** महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन भंडार वाले एक विकासशील देश के रूप में, अर्जेटीना के हटने से हरित अर्थव्यवस्थाओं की ओर संक्रमण करने वाले अन्य विकासशील देशों के लिए समर्थन कमजोर हो सकता है।

11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लाओस के वियनतियाने में 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) आयोजित की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लिया। एडीएमएम-प्लस आसियान देशों और उनके वार्ता साझेदारों के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।



एडीएमएम-प्लस: क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग का एक प्रमुख मंच

- एडीएमएम-प्लस की स्थापना 2010 में आसियान सदस्य देशों और उनके आठ प्रमुख साझेदार देशों 'भारत, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड' के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी।
- यह मंच क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ आतंकवाद-निरोध, मानवीय सहायता, शांति स्थापना और समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग को प्रोत्साहित

करता है।

- एडीएमएम-प्लस, भारत-प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीय संवाद, सहयोग और क्षेत्रीय साझेदारी के प्रति आसियान की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है और जटिल सुरक्षा चुनौतियों के समाधान में एक अहम भूमिका निभाता है।

एडीएमएम-प्लस में भारत के लिए फोकस के प्रमुख क्षेत्र:


- **समुद्री सुरक्षा:** हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में अपनी रणनीतिक स्थिति को देखते हुए, भारत समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देता है। प्रमुख क्षेत्रों में नौवहन की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन और समुद्री डकैती विरोधी उपाय शामिल हैं। भारत इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आसियान और उसके साझेदारों के साथ सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है।
- **आतंकवाद-विरोधी:** भारत लंबे समय से इस क्षेत्र में आतंकवाद-रोधी सहयोग को मजबूत करने का आह्वान करता रहा है। विशेष रूप से आतंकवाद के वित्तपोषण, कट्टरपंथ और सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है।
- **मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर):** भारत इस क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत में एक

प्रमुख भागीदार के रूप में उभरा है। आपदा प्रबंधन अभ्यासों और मानवीय मिशनों में भागीदारी, क्षेत्रीय मानव सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह सहयोग क्षेत्रीय देशों के बीच आपसी विश्वास और सहायता नेटवर्क को सुदृढ़ करता है।

- **साइबर सुरक्षा:** साइबर हमलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए, भारत एडीएमएम-प्लस के अंतर्गत साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने का समर्थन करता है। इसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में साइबर लचीलापन विकसित करना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

ए.डी.एम.एम.-प्लस का महत्व:

- क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करता है तथा इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और आपदा प्रतिक्रिया जैसी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- 11वें ADMM-प्लस में भारत की भागीदारी क्षेत्रीय और वैश्विक रक्षा सहयोग में एक प्रमुख देश के रूप में इसके बढ़ते महत्व को दर्शाती है। भारत, मलेशिया के साथ मिलकर आतंकवाद-निरोध पर ADMM-प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की सह-अध्यक्षता कर रहा है।



पर्यावरणीय मुद्दे

वैश्विक जलवायु शासन में भारत की उभरती भूमिका

भारत ने वैश्विक जलवायु शासन में एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए भारत ने एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है, जो कि विकास संबंधी प्राथमिकताओं और पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह लेख वैश्विक जलवायु वार्ताओं में भारत की यात्रा, जलवायु वित्त में उसकी भूमिका और पार्टियों के सम्मेलन (COP) के साथ इसके संबंधों का विश्लेषण करता है।

जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत का ऐतिहासिक दृष्टिकोण:

- भारत की वैश्विक जलवायु शासन में भागीदारी 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन से प्रारंभ होती है। इस सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा था: 'हम पर्यावरण को और अधिक खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम लाखों लोगों की भयंकर गरीबी को भी नहीं भूल सकते।'।
- प्रारंभिक वर्षों में, पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक विकास और औद्योगीकरण में बाधा के रूप में देखा गया, जो गरीबी उन्मूलन और मानव विकास के लिए आवश्यक थे। बाद में, सतत विकास की अवधारणा, जो कि आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करती है, ने भारत के रुख को प्रभावित किया।
- भारत ने साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां (Common but Differentiated Responsibilities -CBDR) और जलवायु न्याय के सिद्धांतों को वैश्विक जलवायु वार्ताओं में एक स्थायी दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। इन सिद्धांतों पर आधारित भारत का रुख विकासशील देशों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जलवायु परिवर्तन में भारत का योगदान:

- **21वीं सदी में सक्रिय भागीदारी:** 2000 के दशक के प्रारंभ में भारत की जलवायु वार्ता में भागीदारी में महत्वपूर्ण बदलाव आया। 2002 में नई दिल्ली में COP8 की मेजबानी ने भारत

की जलवायु शासन में बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित किया। 2008 में, भारत ने राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) पेश की, जिसमें सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।

- 2015 में पेरिस समझौते के तहत वैश्विक जलवायु शासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जिसमें देशों को अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करने का अधिकार मिला। भारत ने इस ढांचे को अपनाते हुए 2015 में अपना पहला राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत किया और 2022 में इसे अद्यतन किया। ये प्रतिबद्धताएँ वैश्विक जलवायु आंदोलन में भारत की सक्रिय भूमिका को दर्शाती हैं।

जलवायु लक्ष्य और उपलब्धियाँ:


- भारत के अद्यतन एनडीसी (2022) में महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों की रूपरेखा दी गई है, जिनमें प्रमुख हैं:
 - » सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33-35% तक कम करना (निर्धारित समय से पहले हासिल किया गया)।
 - » गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से 40% संचयी विद्युत शक्ति क्षमता प्राप्त करना (लक्ष्य पार किया गया)।
- भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन ट्रेडिंग तंत्र में भी प्रमुख भागीदार के रूप में भाग लिया, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ इसके स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) पहलों का 50% हिस्सा हैं।

कॉप 29 में भारत का रुख:

- बाकू, अजरबैजान में आयोजित कॉप 29 में भारत ने न्यू क्लेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (NCQG) को अस्वीकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि यह वैश्विक दक्षिण की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल है। NCQG का लक्ष्य 2035 तक विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के लिए सालाना कम से कम 300 बिलियन डॉलर जुटाना था, जिसमें विकसित देश सबसे अधिक योगदान देंगे।
- भारत ने शीर्ष-से-नीचे "जस्ट ट्रांजिशन" दृष्टिकोण का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि इस तरह के उपाय जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी)

और पेरिस समझौते के सिद्धांतों के विपरीत हैं। भारत ने दोहराया कि जलवायु कार्रवाई को सीबीडीआर सिद्धांतों के साथ संरेखित किया जाना चाहिए और वैश्विक दक्षिण की विकासात्मक प्राथमिकताओं का सम्मान करना चाहिए।

- भारत की वार्ताकार चांदनी रैना ने निर्णय लेने में समावेशिता की कमी की आलोचना करते हुए सहयोग और विश्वास की आवश्यकता पर जोर दिया। नाइजीरिया सहित अन्य विकासशील देशों ने भारत की आपत्तियों का समर्थन किया।



जलवायु वित्त में भारत की बढ़ती भूमिका

- **प्राप्तकर्ता और योगदानकर्ता:** भारत वैश्विक जलवायु वित्त का लाभार्थी और योगदानकर्ता दोनों रहा है। वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 31% है और इसने नवीकरणीय ऊर्जा में बदलाव के लिए स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) जैसी पहलों का लाभ उठाया है। 2022 में, भारत ने अन्य विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त में 1.28 बिलियन डॉलर का योगदान दिया, जोकि दक्षिण-दक्षिण सहयोग में इसके नेतृत्व को दर्शाता है।
- **ऊर्जा परिवर्तन में चुनौतियाँ:** प्रगति के बावजूद, भारत को जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जोकि इसकी ऊर्जा आवश्यकताओं का 78% हिस्सा है। स्थिर ऊर्जा संक्रमण को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निवेश, तकनीकी प्रगति और क्षमता निर्माण प्रयासों की आवश्यकता होती है।

वैश्विक जलवायु पहल में भारत का नेतृत्व:

- **अभिनव जलवायु कार्रवाई कार्यक्रम:** भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय पहलों का नेतृत्व किया है, जिनमें शामिल हैं:
 - » **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):** वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना।

» **पर्यावरण के लिए जीवनशैली (LIFE):** टिकाऊ जीवनशैली प्रथाओं का समर्थन करना।

» **मैंग्रोव जलवायु गठबंधन:** मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और पुनर्स्थापना।

- ये पहल वैश्विक जलवायु नेतृत्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।
- **जलवायु समूहों के साथ सहभागिता:** भारत जी-77, समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDC) और BASIC समूह (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) जैसे गठबंधनों में सक्रिय रूप से भाग लेता है तथा समतापूर्ण जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की वकालत करता है। जलवायु मुद्दों को व्यापक वैश्विक एजेंडा में एकीकृत करने के लिए भारत जी-20, टट्बै और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे गैर-जलवायु मंचों का भी लाभ उठाता है।
- **जलवायु परिवर्तन और विकास का अंतर्संबंध:** जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर अनेक गंभीर चुनौतियों से जुड़ा हुआ है, जिनमें प्रवास, प्राकृतिक आपदाएँ और जैव विविधता का क्षय प्रमुख हैं। भारत, जोकि अपनी विविध जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली चरम मौसम की घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित है, COP29 के दौरान स्थापित हानि और क्षति कोष से महत्वपूर्ण लाभ उठा सकता है। इस कोष का मुख्य उद्देश्य उन देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण असमान रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

आगे की राह: महत्वाकांक्षा और समानता में संतुलन

- वैश्विक जलवायु शासन में भारत का बढ़ता प्रभाव उसे विकसित और विकासशील देशों के बीच सेतु के रूप में स्थापित करता है। हालांकि, भारत के लिए अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को सशक्त बनाने हेतु कई कदम उठाना आवश्यक है:
 - » **उन्नत जलवायु वित्त जुटाना:** नवीकरणीय ऊर्जा और क्षमता निर्माण में तेजी लाने के लिए निवेश को बढ़ाना।
 - » **मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन:** समान जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने हेतु विकासशील देशों के साथ सहयोग को सशक्त करना।
 - » **एकीकृत जलवायु नीति:** सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय नीतियों को वैश्विक प्रतिबद्धताओं के साथ समन्वित करना।

निष्कर्ष:

29वें सीओपी की समापन के साथ, वैश्विक जलवायु शासन में भारत की भूमिका एक सतर्क भागीदार से एक सक्रिय नेता के रूप में बदलती हुई प्रतीत होती है। सीबीडीआर और सतत विकास के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, भारत अपनी आबादी की विकासात्मक

आकांक्षाओं को पूरा करते हुए न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई का समर्थन करता रहा है। अपनी रणनीतिक पहलों और बढ़ते प्रभाव के साथ, भारत विकासशील और विकसित देशों के बीच की खाई को पाटने, समानता, वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत

स्थिति में है। अपनी प्रतिबद्धताओं को मजबूत करके और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का प्रभावी उपयोग करके, भारत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का नेतृत्व कर सकता है, जिससे सभी के लिए एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

साक्षिप्त मुद्दे

अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने कोलंबिया के कैली में जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के 16वें सम्मेलन (COP 16) के दौरान अपनी अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) का अनावरण किया।

- इस महत्वपूर्ण पहल की घोषणा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने की। उन्होंने 'कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (KMGBF) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रोडमैप तथा भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) के विमोचन' विषयक एक विशेष कार्यक्रम में यह घोषणा की।

अद्यतन एनबीएसएपी (राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना) के मुख्य उद्देश्य:

- अद्यतन एनबीएसएपी में कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है:
 - » **केएमजीबीएफ (कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क) के साथ संरेखण:** इसमें 2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकने और 2050 तक प्रकृति के साथ एक स्थायी संबंध को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
 - » **संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज दृष्टिकोण:** यह एकीकृत रणनीति पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है।

अद्यतन एनबीएसएपी की मुख्य विशेषताएं:

- **पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली:** इस योजना में क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने, आर्द्रभूमि की रक्षा करने और समुद्री तथा तटीय क्षेत्रों के टिकाऊ प्रबंधन को सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी गई है।

- **प्रजाति पुनरुद्धार कार्यक्रम:** लक्षित संरक्षण प्रयासों का उद्देश्य संकटग्रस्त एवं संकटग्रस्त प्रजातियों के अस्तित्व को बढ़ाना है।
- **समुदाय-संचालित संरक्षण:** स्थानीय समुदायों को संरक्षण पहलों का नेतृत्व करने, जमीनी स्तर पर भागीदारी और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाया जाता है।
- **परिवर्तनकारी दृष्टिकोण:** एनबीएसएपी एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, जोकि विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों और उनके निवासियों के बीच अंतर्संबंधों को पहचानता है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित प्रबंधन:** पारिस्थितिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ समग्र रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन पर जोर दिया जाता है।
- **जैव विविधता को मुख्यधारा में लाना:** विकास के सभी क्षेत्रों में जैव विविधता के विचारों को एकीकृत करना यह सुनिश्चित करता है कि संरक्षण प्रयास राष्ट्रीय नीति का केन्द्रबिन्दु हों।

सहयोगात्मक विकास प्रक्रिया:

- 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य स्थापित किए गए हैं, जो कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (केएमजीबीएफ) के साथ संरेखित हैं। ये लक्ष्य भारत की वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों में योगदान देने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

गवर्नेंस ढांचा:

- जैव विविधता संरक्षण के लिए शासन संरचना को 2002 के जैविक विविधता अधिनियम और 2023 में इसके संशोधनों द्वारा सुदृढ़ किया गया है। इसमें निम्नलिखित संस्थाएं शामिल हैं:
 - » राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
 - » राज्य जैव विविधता बोर्ड
 - » स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियां
- यह त्रि-स्तरीय संरचना सभी स्तरों पर जैव विविधता रणनीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) केंद्रीय समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

परिवर्तनकारी दृष्टिकोण पर बल:

अद्यतन एनबीएसएपी में कई परिवर्तनकारी दृष्टिकोणों पर जोर दिया

गया है:

- **पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित प्रबंधन:** पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन को समग्र रूप से प्राथमिकता देना।
- **कार्यान्वयन रणनीतियाँ:** संरक्षण प्रयासों में स्थानीय भागीदारी और स्वामित्व सुनिश्चित करना।
- **जैव विविधता को मुख्यधारा में लाना:** राष्ट्रीय विकास के सभी क्षेत्रों में जैव विविधता संबंधी विचारों को शामिल करना।
- **अंतर-एजेंसी सहयोग बढ़ाना:** प्रभावी जैव विविधता प्रबंधन के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना।

यूएनईपी अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने 'अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2024: कम हेल एंड हाई वाटर' (Come Hell and High Water) जारी की। रिपोर्ट जलवायु अनुकूलन में वैश्विक प्रगति का आकलन करती है और COP29 की बैठक निकट आने पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए विशेष रूप से वित्तीय प्रतिबद्धताओं की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान करती हैं।

अनुकूलन अंतराल क्या है?

- अनुकूलन अंतराल, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए क्रियान्वित किए जा रहे वास्तविक उपायों तथा सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुकूलन के स्तर के बीच का अंतर है।
- यह संसाधन सीमाओं और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं को दर्शाता है जोकि जलवायु लचीलापन रणनीतियों के पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन को रोकते हैं।

अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2024 के प्रमुख निष्कर्ष:

- **अनुकूलन वित्त अंतर:**
 - » अनुकूलन वित्त अंतर प्रति वर्ष 187-359 बिलियन डॉलर अनुमानित है।
 - » 2022 तक अनुकूलन वित्त प्रवाह बढ़कर 27.5 बिलियन डॉलर हो गया, लेकिन वास्तविक वार्षिक आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं, 2030 तक प्रतिवर्ष 387 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।
- **अनुकूलन वित्त में प्रगति:**
 - » विकासशील देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त 2021 में 22 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 में 28

बिलियन डॉलर हो गया।

- » ग्लासगो जलवायु समझौते के तहत 2019 से 2025 तक अनुकूलन वित्त को दोगुना करके 38 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य है, जो कुल अनुकूलन वित्त अंतर का केवल 5% ही पूरा कर पाएगा।
- **अनुकूलन का महत्व:**
 - » अनुकूलन प्रयासों से वैश्विक जलवायु जोखिम को आधा करने में मदद मिल सकती है।
 - » उदाहरण के लिए, कृषि में प्रतिवर्ष 16 बिलियन डॉलर का निवेश करने से 78 मिलियन लोगों को भूख और भुखमरी का सामना करने से बचाया जा सकता है।
- **अनुकूलन प्रयासों में वृद्धि की आवश्यकता:**
 - » अनुकूलन प्रयासों में अभी भी काफी कमी है। राष्ट्रों को COP29 में अनुकूलन प्रयासों में उल्लेखनीय वृद्धि करनी होगी, विशेष रूप से वित्तीय प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में।
 - » प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से हटकर पूर्वानुमानित और परिवर्तनकारी अनुकूलन की ओर बढ़ना होगा।



अनुकूलन अंतर को समाप्त करने के लिए सिफारिशें:

रिपोर्ट में अनुकूलन वित्त अंतर को पाटने और प्रयासों को बढ़ाने के लिए कई सिफारिशें दी गई हैं:

- **जलवायु वित्त के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य अपनाना:** COP29 में अनुकूलन वित्तपोषण सहित जलवायु वित्तपोषण के लिए एक नए लक्ष्य पर सहमति बनाई जानी चाहिए।
- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** प्रभावी अनुकूलन के लिए आवश्यक संस्थाओं, प्रशासन और वित्तीय साधनों को मजबूत करना।
- **परिवर्तनकारी अनुकूलन:** अल्पकालिक, परियोजना-आधारित दृष्टिकोण से हटकर अधिक दीर्घकालिक, परिवर्तनकारी अनुकूलन की ओर बढ़ें जो प्रणालीगत जलवायु जोखिमों का समाधान करता हो।

वैश्विक एवं राष्ट्रीय अनुकूलन पहल:

- **पेरिस समझौता:** इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। इसमें

अनुकूलन क्षमता बढ़ाने और सबसे कमजोर देशों को सहायता प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया है।

- **वैश्विक जलवायु लचीलेपन के लिए यूएई फ्रेमवर्क:** यह फ्रेमवर्क विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कृषि, जल संसाधन और स्वास्थ्य में लचीलेपन में सुधार के लिए 11 वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य निर्धारित करता है।
- **अनुकूलन कोष:** क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित यह कोष विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

भारत की राष्ट्रीय अनुकूलन कार्रवाइयाँ:

- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी):** इसमें जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण आदि शामिल हैं।
- **जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी):** यह कोष विशेष रूप से संवेदनशील राज्यों में अनुकूलन परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।
- **क्षेत्रीय योजनाएँ:** भारत ने मिष्ठी (मैंग्रोव पहल) और अमृत जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से तटीय क्षेत्रों में जलवायु लचीलापन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है।

विश्व का पहला CO₂ से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश स्थित विंध्याचल पावर प्लांट में विश्व के पहले CO₂ से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन किया। यह परियोजना कार्बन प्रबंधन और टिकाऊ ईंधन उत्पादन में उपलब्धि है, जोकि जलवायु परिवर्तन से निपटने और हरित ऊर्जा समाधानों की ओर बढ़ने में एनटीपीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

कार्बन कैप्चर और ईंधन उत्पादन में वैश्विक स्तर पर प्रथम उपलब्धि


- विंध्याचल में इस नवीन संयंत्र को फ्लू गैसों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) को संग्रहित करने और इसे मेथनॉल (मूल्यवान ईंधन और औद्योगिक रसायन) में परिवर्तित करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इस प्रक्रिया में प्रमुख घटक शामिल हैं:
 - » **कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) कैप्चर:** यह संयंत्र विंध्याचल पावर प्लांट की फ्लू गैसों से प्रतिदिन 20 टन CO₂ को कैप्चर करता है। यह संयंत्र 4.8 गीगावाट क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा कोयला आधारित बिजली

स्टेशन है।

- » **हाइड्रोजन उत्पादन:** प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से पानी से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, जो इस रूपांतरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।
- » **मेथनॉल संश्लेषण:** कैप्चर की गई CO₂ को हाइड्रोजन के साथ संयोजित कर प्रतिदिन 10 टन मेथनॉल का उत्पादन किया जाता है, जिसका उपयोग परिवहन, औद्योगिक एवं रासायनिक उत्पादन जैसे क्षेत्रों में स्थायी ईंधन स्रोत के रूप में किया जा सकता है।

एनटीपीसी का भारत की शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य में योगदान :

- एनटीपीसी की CO₂ से मेथनॉल रूपांतरण पहल पेरिस समझौते के तहत भारत के व्यापक जलवायु लक्ष्यों और 2070 तक शुद्ध-शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की प्राप्ति की महत्वाकांक्षा के साथ संरेखित है।
- एक प्रमुख बिजली उत्पादक के रूप में, एनटीपीसी भारत के ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह परियोजना हरित प्रौद्योगिकी और कार्बन उत्सर्जन में कटौती के क्षेत्र में कंपनी के नेतृत्व को प्रदर्शित करती है।



एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में:

- एनटीपीसी लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
- 7 नवंबर, 1975 को स्थापित, एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी बन गई है और यह देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह

पर्यावरणीय स्थिरता को संबोधित करते हुए भारत के समग्र विकास के लिए विश्वसनीय और सस्ती बिजली प्रदान करने के मिशन के साथ काम करती है।

भारत के ऊर्जा परिवर्तन में एनटीपीसी की भूमिका:

- एनटीपीसी का प्रमुख फोकस स्थिरता और सतत ऊर्जा समाधान पर है। कंपनी ने CO2 से मेथनॉल संयंत्र के अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और इसके तहत 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी ने हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रयास किए हैं, जोकि भारत की ऊर्जा संरचना को स्वच्छ, टिकाऊ और विविध बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

सीसा संकट: स्वास्थ्य और आर्थिक लागत के दृष्टिकोण से विश्लेषण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लैंसेट पब्लिक हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन 'वैश्विक अर्थव्यवस्था से सीसा हटाना' ने सीसा के संपर्क में आने से उत्पन्न होने वाली गंभीर आर्थिक लागत को उजागर किया है, विशेष रूप से समय से पूर्व हृदय रोग (सीवीडी) से होने वाली मौतों के संदर्भ में। अध्ययन में यह अनुमानित किया गया है कि सीसा के संपर्क के कारण होने वाली सीवीडी मृत्यु दर के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। यह स्थिति इस बात को स्पष्ट करती है कि वैश्विक स्तर पर सीसे को अर्थव्यवस्था से चरणबद्ध रूप से बाहर निकालने के लिए तात्कालिक और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

प्रमुख उद्योग: वर्तमान सीमा और मांग

- **ऐतिहासिक उपयोग:** प्राचीन काल से ही सीसे का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता रहा है और कुछ प्रतिबंधों के बावजूद यह आज भी प्रचलित है।
- **प्राथमिक अनुप्रयोग:** वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 86% सीसे का उपयोग लेड-एसिड बैटरियों में किया जाता है, जो विशेष रूप से वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के लिए उपयोगी हैं।
- **बढ़ती मांग:** लेड-एसिड बैटरियों की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप पुनर्चक्रण प्रयासों में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके साथ-साथ पर्यावरणीय प्रदूषण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।

सीसा संदूषण के पारिस्थितिक प्रभाव:

- **जैवसंचय:** सीसा पारिस्थितिक तंत्र में जमा हो जाता है, जिससे

मृदा स्वास्थ्य प्रभावित होती है और खाद्य श्रृंखला में इसका प्रवेश होता है, जोकि पौधों, कीटों और जानवरों के लिए हानिकारक है।

- **जैव विविधता का विघटन:** सीसा की उच्च सांद्रता के कारण पौधों की वृद्धि बाधित होती है और कीटों के प्रजनन में कमी आती है, जिससे स्थानीय जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **खाद्य श्रृंखला का संदूषण:** जैव संचय के माध्यम से सीसा खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ता है, जो शिकारियों और बड़ी प्रजातियों को प्रभावित करता है, और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा करता है।

सीसे के संपर्क से मानव स्वास्थ्य को खतरा:

- **संज्ञानात्मक हानि:** सीसे के संपर्क में आने से बच्चों में संज्ञानात्मक देरी, बौद्धिक क्षमता में कमी और विकासात्मक हानि हो सकती है।
- **व्यवहारगत प्रभाव:** सीसे के उच्च स्तर का संबंध अपराधी व्यवहार से जोड़ा गया है, विशेष रूप से युवा वयस्कों में।
- **अपरिवर्तनीय क्षति:** सीसे के कम स्तर के संपर्क से भी अपरिवर्तनीय मस्तिष्क क्षति हो सकती है, जिससे इस समस्या के वैश्विक स्तर पर रोकथाम के उपायों की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

आर्थिक प्रभाव और उद्योग चुनौतियाँ:

- **उद्योग मूल्य:** वैश्विक सीसा उत्पादन का मूल्य 2022 में 10.3 बिलियन डॉलर था तथा सीसा-एसिड बैटरी उद्योग का मूल्य 2020 में 50 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।
- **उच्च स्वास्थ्य लागत:** सीसे से संबंधित स्वास्थ्य प्रभावों की लागत, विशेष रूप से हृदय रोगों के कारण, इसके औद्योगिक लाभ से कहीं अधिक है।
- **वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ:** लिथियम-आयन बैटरी जैसी सुरक्षित प्रौद्योगिकियाँ आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होती जा रही हैं, जो सीसे के विकल्प के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

सीसा पुनर्चक्रण में समस्याएँ

- **नियामक चुनौतियाँ:** कई देशों में सुरक्षित सीसा पुनर्चक्रण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियमन का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न होते हैं।
- **पर्यावरण प्रदूषण:** असुरक्षित पुनर्चक्रण प्रक्रियाएँ स्थानीय पर्यावरण में सीसा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बनती हैं।
- **पर्यवेक्षण की आवश्यकता:** प्रभावी पुनर्चक्रण प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए मजबूत विनियमन और निगरानी प्रणाली स्थापित की जाए।

निष्कर्ष:

सीसे के संपर्क से होने वाले स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए, वैश्विक स्तर पर सीसे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता है। लिथियम-आयन बैटरी जैसी सुरक्षित और पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकियों की ओर रुख करना और पुनर्चक्रण नियमों को मजबूत करना मानव और पर्यावरण दोनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

वैश्विक कार्बन बाजार और जलवायु वित्त

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बाकू, अजरबैजान में आयोजित COP29 शिखर सम्मेलन ने वैश्विक कार्बन बाजार के विकास और जलवायु वित्त लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की। इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 को अंतिम रूप देने और जलवायु वित्त के लिए नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्यों (NCQG) को स्थापित करने पर चर्चा की गई।

वैश्विक कार्बन बाजार के लिए रूपरेखा:

- **अनुच्छेद 6.2:** यह कार्बन क्रेडिट के द्विपक्षीय व्यापार की अनुमति देता है, जिससे देशों को उत्सर्जन में कमी लाने के लिए आपसी सहयोग का अवसर मिलता है।
- **अनुच्छेद 6.4:** यह संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में वैश्विक कार्बन बाजार की स्थापना करता है, जिससे द्विपक्षीय समझौतों से परे व्यापक और विनियमित व्यापार संभव हो पाता है।
- **कार्बन क्रेडिट:** यह उत्सर्जन में प्रमाणित कटौती का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो टिकाऊ परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देते हैं और देशों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) हासिल करने में मदद करते हैं।

COP29 में प्राप्त प्रगति:

- राष्ट्रों ने कार्बन निष्कासन की सत्यापन प्रक्रिया के लिए नए मानकों को मंजूरी दी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्रेडिट प्रामाणिक और विश्वसनीय हों।
- COP29 के अध्यक्ष, मुख्तार बाबायेव, ने कहा कि अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन से जलवायु लक्ष्यों की लागत में प्रतिवर्ष 250 बिलियन डॉलर की कमी आ सकती है।
- इन प्रगतियों से यह उम्मीद जताई जा रही है कि कार्बन ट्रेडिंग विकासशील देशों की ओर संसाधन लाने के लिए एक "खेल-परिवर्तनकारी उपकरण" बन सकती है।

कार्बन बाजार में चुनौतियाँ:

- दुरुपयोग से बचने और वास्तविक उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट सत्यापन में पारदर्शिता और जवाबदेही महत्वपूर्ण है।
- स्पष्ट दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है कि ऋण कब व्यापार योग्य होंगे और ऋण का स्वामित्व किसके पास रहेगा।
- इन मानकों की व्यापक स्वीकृति सुनिश्चित करना सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए एक प्राथमिकता बनी हुई है।

स्वामित्व और पात्रता संबंधी मुद्दे:

- **ऋण स्वामित्व:** यदि कोई विकसित देश किसी विकासशील देश में कार्बन कम करने वाली परियोजना को वित्तपोषित करता है, तो यह सवाल उठता है कि उत्सर्जन में कमी का दावा कौन कर सकता है।
- **पात्रता मानदंड:** किसी परियोजना के जीवनचक्र के किस चरण पर क्रेडिट व्यापार के लिए पात्र हो जाएगा, इसका निर्धारण सटीक लेखांकन के लिए आवश्यक है।
- **एनडीसी रिपोर्टिंग:** देशों को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या उनकी सीमाओं के भीतर विदेशी वित्तपोषित परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न ऋणों को उनके एनडीसी लक्ष्यों में गिना जा सकता है या नहीं।

भारत की प्रतिबद्धताएँ और आवश्यकताएँ:

- भारत का लक्ष्य 2005 के स्तर से उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना और 2030 तक 2.5-3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना है।
- एक प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत को अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए स्पष्ट ऋण स्वामित्व नियमों की आवश्यकता है।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण और कार्बन क्रेडिट स्वामित्व के प्रबंधन में पारदर्शी नियमों के महत्व को रेखांकित करता है।

जलवायु वित्त के लिए नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी):

- विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए विकसित देशों के लिए निर्धारित प्रारंभिक 100 बिलियन डॉलर के वार्षिक जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य को अद्यतन किया गया है।
- एनसीक्यूजी का उद्देश्य जलवायु अनुकूलन और शमन प्रयासों की बढ़ती लागत को संबोधित करते हुए इस लक्ष्य को बढ़ाना है।
- एनसीक्यूजी के 2025 तक प्रभावी होने की उम्मीद है और यह कमजोर क्षेत्रों की मदद करने के लिए विकसित देशों की वित्तीय जिम्मेदारी को रेखांकित करता है।
- एनसीक्यूजी वैश्विक स्तर पर महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार तैयार कर सकता है।

निष्कर्ष:

बाकू में आयोजित COP29 ने वैश्विक कार्बन बाजार और जलवायु

वित्त ढाँचों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कार्बन क्रेडिट की प्रामाणिकता के लिए मानक तय किए गए और एनसीक्यूजी में भी सुधार हुआ। COP29 ने जलवायु कार्रवाई के लिए सहकारी दृष्टिकोण पर जोर दिया है। इन ढाँचों का 2025 तक कार्यान्वित होने की उम्मीद है, फिर यह कार्बन बाजार और जलवायु वित्त वैश्विक जलवायु लक्ष्यों और सतत विकास के लिए आवश्यक उपकरण बन जाएंगे।

भारत का नवीकरणीय ऊर्जा विकास

चर्चा में क्यों?


हाल ही में भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जोकि स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण के प्रति देश की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत निर्धारित पंचामृत लक्ष्यों के अनुरूप अपने अक्षय ऊर्जा (RE) लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

नवीकरणीय ऊर्जा विकास की मुख्य विशेषताएँ (2023 – 2024)

- **कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता:**
 - » भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 24.2 गीगावाट (13.5%) बढ़कर अक्टूबर 2023 में 178.98 गीगावाट से अक्टूबर 2024 में 203.18 गीगावाट हो जाएगी।
 - » परमाणु ऊर्जा सहित कुल गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता 2024 में बढ़कर 211.36 गीगावाट हो जाएगी, जबकि 2023 में यह 186.46 गीगावाट थी।
- **सौर ऊर्जा वृद्धि:**
 - » सौर ऊर्जा क्षेत्र में 20.1 गीगावाट (27.9%) की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिससे अक्टूबर 2023 में 72.02 गीगावाट से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 92.12 गीगावाट हो गई।
 - » कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं और निविदाकृत परियोजनाओं सहित कुल सौर क्षमता अब 250.57 गीगावाट हो गई है, जो पिछले वर्ष 166.49 गीगावाट थी।
- **पवन ऊर्जा विकास:**
 - » पवन ऊर्जा में स्थिर वृद्धि हुई है, इसकी स्थापित क्षमता 7.8% बढ़कर अक्टूबर 2023 में 44.29 गीगावाट से अक्टूबर 2024 में 47.72 गीगावाट हो गई है।
 - » पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पाइपलाइन में कुल क्षमता 72.35 गीगावाट तक पहुंच गई है, जोकि पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा का योगदान:

- **बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ:**
 - » अक्टूबर 2024 तक, बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ भारत के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में 46.93 गीगावाट का योगदान देंगी, जिससे देश के हरित ऊर्जा मिश्रण में और विविधता आएगी।
- **परमाणु शक्ति:**
 - » परमाणु ऊर्जा ने 8.18 गीगावाट का योगदान दिया, जिससे भारत की स्वच्छ, विश्वसनीय ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा किया गया।
 - » यह योगदान इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक व्यापक और विविध दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें संतुलित और लचीले ऊर्जा भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सौर, पवन, जल और परमाणु ऊर्जा को मिलाया जा रहा है।



भारत की नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि के पीछे प्रमुख चालक:

- **पंचामृत लक्ष्य:**
 - » भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी।
 - » 2030 तक भारत की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% सौर, पवन और अन्य स्वच्छ ऊर्जा समाधानों सहित

- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
- » भारत ने 2021 और 2030 के बीच अपने अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक अरब टन तक कम करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य अपने कार्बन फूटप्रिंट को न्यूनतम करना और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में योगदान देना है।
 - » देश का लक्ष्य 2005 के स्तर के आधार पर 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करना है। यह लक्ष्य ऊर्जा दक्षता में सुधार और सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
 - » भारत के द्वारा 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके और भारत वैश्विक जलवायु कार्रवाई में अग्रणी बन सके।
- **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:**
 - » भारत ने स्वच्छ ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है, जिससे देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को और बढ़ावा मिलेगा तथा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी।
 - **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना:**
 - » PLI योजना ने सौर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे आयात पर निर्भरता कम करते हुए भारत की सौर ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता बढ़ी है।

‘मीथेन पर नजर: अदृश्य लेकिन अनदेखी नहीं’ रिपोर्ट का चौथा संस्करण

चर्चा में क्यों?


हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला (IMEO) ने ‘मीथेन पर नजर: अदृश्य लेकिन अनदेखी नहीं’ रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया। यह रिपोर्ट वैश्विक मीथेन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन पर उनके प्रभाव और इन उत्सर्जनों को कम करने के प्रयासों पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करती है। यह रिपोर्ट वैश्विक मीथेन कटौती में तेजी लाने के लिए सरकारों, उद्योगों और अनुसंधान निकायों के साथ काम करते हुए विश्वसनीय और कार्रवाई योग्य डेटा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव**
 - » मानव-जनित मीथेन उत्सर्जन वर्तमान तापमान वृद्धि के लगभग एक-तिहाई के लिए जिम्मेदार है।
 - » मीथेन को कम करना, निकट भविष्य में वैश्विक तापमान

में कमी लाने के लिए सबसे प्रभावी और त्वरित रणनीतियों में से एक माना जाता है।

- **तेल और गैस क्षेत्र से उत्सर्जन**
 - » तेल और गैस मीथेन साझेदारी 2.0 (OGMP 2.0), UNEP के नेतृत्व में एक प्रमुख पहल है, जिसमें इसके सदस्यों को मीथेन उत्सर्जन की रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
 - » हालांकि, OGMP 2.0 वर्तमान में वैश्विक तेल और गैस उत्पादन का केवल 42% ही कवर करता है, जो उद्योग-व्यापी रिपोर्टिंग में अंतर को उजागर करता है और विस्तारित भागीदारी की आवश्यकता पर बल देता है।
- **स्टील आपूर्ति श्रृंखला में उत्सर्जन**
 - » धातुकर्म कोयला (मेटकोल) उत्पादन वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के मीथेन उत्सर्जन के लगभग दसवें हिस्से के लिए जिम्मेदार है।
 - » इस उत्सर्जन को न्यूनतम लागत पर कम किया जा सकता है, जिससे इस्पात उद्योग में जलवायु कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न होता है।
- **उत्सर्जन चेतावनियों पर खराब प्रतिक्रिया**
 - » UNEP की मीथेन अलर्ट और रिस्पांस प्रणाली (MARS) प्रमुख मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने और सरकारों को सचेत करने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है।
 - » 1,200 से अधिक MARS अधिसूचनाओं के बावजूद, केवल 1% पर ही ठोस प्रतिक्रिया या शमन कार्रवाई हुई है।
 - » इससे सरकारों और ऑपरेटरों के लिए अधिक त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया का अवसर दिखाई देता है।



मीथेन उत्सर्जन कम करने की पहल:

- **वैश्विक पहल**
 - » **वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा:** मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों और कंपनियों द्वारा की गई वैश्विक प्रतिबद्धता।
 - » **जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन (CCAC):**

अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों (SLCFs) में मीथेन को कम करने के लिए साझेदारी।

- » **ग्लोबल मीथेन एलायंस:** मीथेन शमन को बढ़ावा देने के लिए देशों और उद्योगों को एकजुट करने वाली वैश्विक पहल।
- **भारत में पहल**
 - » **जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए):** मीथेन उत्सर्जन को कम करने वाली कृषि पद्धतियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - » **राष्ट्रीय पशुधन मिशन:** इसका उद्देश्य पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को न्यूनतम करते हुए पशुधन उत्पादकता को बढ़ाना है।
 - » **गोबर-धन योजना:** जैविक अपशिष्ट से बायोगैस के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, जोकि मीथेन उत्सर्जन को कम करती है।
 - » **राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम जैविक अपशिष्टों, जैसे खाद्य अपशिष्ट, गोबर, कृषि अवशेष, आदि से बायोगैस उत्पादन को प्रोत्साहित करता है, जिससे मीथेन उत्सर्जन में कमी आती है और स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत मिलता है।

मीथेन के बारे में:

- मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, जोकि 20 वर्ष की अवधि में CO₂ से 86 गुना अधिक शक्तिशाली है।
- इसका वायुमंडलीय जीवनकाल लगभग 12 वर्ष है, जिससे इसे CO₂ जैसी दीर्घकालिक गैसों की तुलना में कम करना आसान है।
- 60% से अधिक मीथेन उत्सर्जन मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं, जिनमें प्रमुख योगदान है:
 - » कृषि (पशुधन पाचन और चावल के खेत)।
 - » जीवाश्म ईंधन (प्राकृतिक गैस निष्कर्षण, तेल उत्पादन, कोयला खनन)।
 - » अपशिष्ट (लैंडफिल और अपशिष्ट उपचार संयंत्र)।

जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि पहल (एफएफ-एनपीटी)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि (एफएफ-एनपीटी) ने जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु परमाणु हथियारों की तरह जीवाश्म ईंधन के उत्पादन और उपयोग पर नियंत्रण का समर्थन किया है। इस पहल को विभिन्न देशों, संगठनों और व्यक्तित्वों से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है।

- इस संधि का उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वैश्विक परिवर्तन सुनिश्चित करना, तथा जीवाश्म ईंधन उद्योगों पर निर्भर श्रमिकों और समुदायों को सहायता प्रदान करना है।
- यह संधि समानता पर केंद्रित है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी राष्ट्र, श्रमिक या समुदाय परिवर्तन में पीछे न छूट जाए।

एफएफ-एनपीटी के मुख्य उद्देश्य:

- **अप्रसार:** जीवाश्म ईंधन उत्पादन (कोयला, तेल, गैस) के विस्तार को रोकना।
- **निष्पक्ष चरण-समाप्ति:** निष्पक्ष और न्यायसंगत दृष्टिकोण के साथ वर्तमान जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण को समाप्त करना।
- **न्यायोचित परिवर्तन:** नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से अपनाना और जीवाश्म ईंधन से अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाना।

एफएफ-एनपीटी की पृष्ठभूमि:

- **लॉन्च:** 2016 में संकल्पना की गई, आधिकारिक तौर पर 2019 में लॉन्च किया गया।
- **पेरिस समझौते की आलोचना:** पेरिस समझौते में जीवाश्म ईंधन उत्पादन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिसे एफएफ-एनपीटी में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया।
- यह पहल पेरिस समझौते के लगभग उसी समय शुरू की गई थी, जिसमें जीवाश्म ईंधन में कटौती के लिए बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

अनुमोदन और समर्थन:

- जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील 13 छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य (SIDS), जैसे वानुअतु, तुवालु, फिजी, सोलोमन द्वीप और टोंगा, एफएफ-एनपीटी का समर्थन करते हैं।
- एक बड़े कोयला निर्यातक देश कोलंबिया ने दिसंबर 2023 में एफएफ-एनपीटी का समर्थन किया।
- COP29 (2024) में 10 और देश इस चर्चा में शामिल हुए, हालांकि उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए।

वित्तीय संस्थान:

- 70 स्थायी बैंकों के नेटवर्क ग्लोबल अलायंस फॉर बैंकिंग ऑन वैल्यूज ने घोषणा की है कि 25 सदस्य बैंकों ने इस पहल का समर्थन किया है, जो वित्तीय संस्थानों द्वारा पहला सामूहिक समर्थन है।

वैज्ञानिक प्रमाण और तात्कालिकता:

- COP29 (2024) में एफएफ-एनपीटी के अध्यक्ष त्जेपोराह बर्मन ने इसकी तात्कालिकता पर प्रकाश डाला:
 - » अनुमान है कि 2024 में जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन 2015 के मुकाबले 8% अधिक होगा।
 - » प्रमुख जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश 2030 तक जीवाश्म ईंधन उत्पादन में 110% की वृद्धि करने की योजना बना रहे

हैं, जो वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लक्ष्य के विपरीत है।

- » यदि वर्तमान नीतियां जारी रहें, तो विश्व 3°C तापमान वृद्धि की ओर बढ़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप विनाशकारी जलवायु प्रभाव होंगे।

एफएफ-एनपीटी के समक्ष चुनौतियाँ:

- वित्तीय सहायता की उपलब्धता विकासशील देशों के लिए प्रमुख चुनौती बनी हुई है, जो जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं।
- एफएफ-एनपीटी में विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य के निर्माण का प्रस्ताव है, जो पेरिस समझौते जैसे मौजूदा जलवायु ढांचे का पूरक होगा।

भारत की स्थिति:

- भारत एफएफ-एनपीटी में व्यापक रूप से शामिल नहीं हुआ है।
- भारत और इंडोनेशिया जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भर बड़े देशों का इस संधि की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।
- भारत, जहां 2024 में जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में 4.6% की वृद्धि होने की संभावना है, इस संधि से न्यायसंगत जलवायु वित्त और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए समर्थन प्राप्त कर सकता है।

COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित COP29 सम्मेलन में, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन का अनावरण किया। यह गठबंधन 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करने और कार्बन उत्सर्जन को घटाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। यह पहल COP28 में 'यूएई सर्वसम्मति' के तहत की गई यूएई की पूर्व प्रतिबद्धताओं पर आधारित है, जहां राष्ट्रों, संगठनों और व्यवसायों ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने का संकल्प लिया था।

मुख्य उद्देश्य:

- 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दर को दोगुना करना।
- कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना।
- प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम उपभोग सुनिश्चित करना।

लक्ष्य और विजन:

- ज्ञान साझाकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना।
- सर्वोत्तम प्रथाओं की स्थापना करना तथा अफ्रीका जैसे क्षेत्रों पर

ध्यान केंद्रित करना, जोकि तकनीकी और वित्तीय समाधानों में बाधाओं का सामना करते हैं।

- सतत प्रगति को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना।

सामरिक महत्व:

- COP29 में गठबंधन का शुभारंभ जलवायु परिवर्तन से निपटने और वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने में ऊर्जा दक्षता के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है।
- यूएई का नेतृत्व वैश्विक जलवायु कार्रवाई में अग्रणी स्थान पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है।

COP29 के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP29) वर्तमान में 11 से 22 नवंबर, 2024 तक बाकू, अजरबैजान में हो रहा है। इस प्रमुख वैश्विक जलवायु कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्तार अब्बास नकवी कर रहे हैं, जबकि आयोजन समिति के अध्यक्ष समीर नूरियेव हैं।

बैठक का मुख्य एजेंडा:

- **जलवायु वित्त:** इस बैठक का मुख्य फोकस इस बात पर है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों को कैसे सहायता प्रदान की जाए और जलवायु कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन कैसे सुनिश्चित किए जाएं।
- **ऊर्जा परिवर्तन:** एक अन्य महत्वपूर्ण विषय जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर परिवर्तन है, जिसका उद्देश्य तेल, गैस और कोयले पर वैश्विक निर्भरता को कम करना है।
- **न्यायपूर्ण परिवर्तन:** एक मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन न्यायपूर्ण परिवर्तन पर चर्चा करेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भर श्रमिकों और समुदायों के लिए उचित व्यवहार सुनिश्चित करते हुए न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था में बदलाव को कैसे प्रबंधित किया जाए। इसके अतिरिक्त, संयुक्त अरब अमीरात के न्यायपूर्ण परिवर्तन कार्यक्रम पर भी चर्चा की जाएगी।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीडी):

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तैयार किया गया है।
- **मुख्य विवरण:** प्रारूपित: 9 मई, 1992
- **हस्ताक्षर:** 4-14 जून, 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीडी) में।
- **उद्देश्य (अनुच्छेद 2):**
 - » इस संधि का उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों (जैसे

कार्बन डाइऑक्साइड) की मात्रा को उस स्तर तक नियंत्रित करना है, ताकि वे जलवायु प्रणाली में ऐसे बदलाव न लाएं, जोकि मनुष्यों और पर्यावरण के लिए हानिकारक हों।

- » इस स्थिरीकरण लक्ष्य को निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जाएगा:
 - सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
 - यह सुनिश्चित करना कि खाद्य उत्पादन को कोई खतरा न हो।
 - बदलती जलवायु के अनुरूप स्वाभाविक रूप से अनुकूलित होने की दक्षता।

तीस्ता घाटी में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) संकट

चर्चा में क्यों?

तीस्ता घाटी में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) के कारण आपदा का गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। इस संदर्भ में, सामुदायिक संगठनों सेव द हिल्स और दार्जिलिंग हिमालय इनिशिएटिव (DHI) ने राज्य और केंद्र सरकारों को तत्काल चेतावनी जारी की है। इन संगठनों का मानना है कि अगले मानसून के दौरान और अधिक विनाशकारी घटनाओं को रोकने के लिए त्वरित और प्रभावी उपायों की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि:

- तीस्ता घाटी 2023 में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) से बुरी तरह प्रभावित हुई। इस आपदा में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई, हजारों लोग विस्थापित हुए और व्यापक पर्यावरणीय क्षति हुई, जिससे कृषि और जैव विविधता पर नकारात्मक असर पड़ा। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों को भी नुकसान हुआ, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ गईं।

मुख्य चिंताएँ:

- **समन्वय का अभाव:** दोनों राज्य सरकारें (सिक्किम और पश्चिम बंगाल) स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, जिससे तीस्ता नदी बेसिन की परस्पर संबद्ध प्रकृति की उपेक्षा हो रही है।
- **एकीकृत आपदा प्रबंधन का अभाव:** बिना एकीकृत दृष्टिकोण के पुनर्प्राप्ति और तैयारी के प्रयास अपर्याप्त रहते हैं, जिसके कारण समुदाय असुरक्षित हो जाते हैं।
- **तीस्ता नदी से आवर्ती खतरा:** हर मानसून में नदी से खतरा उत्पन्न होता है, नदी का अतिप्रवाह न केवल जीवन और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि कृषि भूमि और जल आपूर्ति प्रणालियों को भी प्रभावित करता है।

कार्रवाई के लिए सिफारिशें:

- **संयुक्त समिति का गठन:** आपदा तैयारी और पुनर्प्राप्ति के समन्वय के लिए सिक्किम-पश्चिम बंगाल संयुक्त समिति की स्थापना की जाए।
- **विशेषज्ञ कार्य बल:** एक व्यापक कार्य योजना विकसित करने, कमजोरियों का आकलन करने और पुनर्स्थापना रणनीतियों का प्रस्ताव करने के लिए एक कार्य बल का गठन करना।
- **संरचनात्मक शमन:** बाढ़ प्रबंधन के लिए तटबंधों को सुदृढ़ करना, बाढ़ अवरोधकों का निर्माण करना तथा तीस्ता नदी की जलधारा को पुनः प्रवाहित करना।
- **गैर-संरचनात्मक रणनीतियाँ:** बाढ़ चेतावनी प्रणाली स्थापित करना, संचार में सुधार करना और तैयारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
- **भूमि-उपयोग नियोजन:** उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करना, निकासी मार्ग स्थापित करना तथा जोखिम वाले समुदायों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाना।
- **वनरोपण कार्यक्रम:** पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने, मृदा क्षरण को रोकने और भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए वृक्षारोपण पहल की शुरुआत की जाए।

ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ के बारे में:

- ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) एक प्रकार की बाढ़ है, जो तब उत्पन्न होती है जब किसी ग्लेशियल झील का प्राकृतिक बांध टूट जाता है, जिससे झील में संग्रहित पानी अचानक बहकर आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनता है। यह घटना सामान्यतः कटाव, भारी वर्षा, भूकंप या हिमस्खलन के परिणामस्वरूप होती है।
- उत्तराखंड में कोल्हापुर क्षेत्र में GLOF की घटना देखी गई थी, जिसमें केदारनाथ में अचानक बाढ़ आ गई और हजारों लोग मारे गए।
- दक्षिण ल्होनक झील GLOF के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, क्योंकि इसका विस्तार बर्फ पिघलने से हो रहा है और 2011 के भूकंप ने इस क्षेत्र में जोखिम को बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों ने पहले ही इसके संभावित विस्फोट का चेतावनी दी है।

तीस्ता घाटी के बारे में:

- तीस्ता घाटी पारिस्थितिकी, आर्थिक, रणनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लाल पांडा और हिम तेंदुए जैसी प्रजातियों का घर होने के कारण एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है।
- तीस्ता नदी सिंचाई, पेयजल और जलविद्युत शक्ति की आपूर्ति करती है। आर्थिक दृष्टि से यह कृषि, जलविद्युत और पर्यटन को बढ़ावा देती है।
- रणनीतिक रूप से, यह भारत को नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जोड़ती है, जिससे रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनती है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, यह विविध जातीय समूहों और ऐतिहासिक स्थलों का स्थल है।

- पर्यावरणीय दृष्टि से, यह कार्बन पृथक्करण, जल सुरक्षा और मृदा संरक्षण में योगदान करती है। यह घाटी स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका, विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्रोत है।

गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत का 56वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, जोकि बाघ संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।


मुख्य विशेषताएं:

- नागार्जुनसागर-श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश) और मानस (असम) के बाद, यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है।
- छत्तीसगढ़ में यह चौथा बाघ अभयारण्य है।
- यह लगभग 4,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले एक भूदृश्य परिसर का हिस्सा है। टाइगर रिजर्व निम्नलिखित टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है:
 - » उत्तर: संजय डुबरी टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश)
 - » पश्चिम: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश)
 - » पूर्व: पलामू टाइगर रिजर्व (झारखंड)
- यह संपर्क एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करता है।
- यह अभयारण्य भारतीय भेड़िया, सुस्त भालू, तेंदुआ और बंगाल बाघ जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान है।
- गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की अधिसूचना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की सिफारिश के अनुरूप है। एनटीसीए ने अक्टूबर 2021 में अधिसूचना के लिए अपनी अंतिम मंजूरी दी।
- यह छोटा नागपुर पठार और बघेलखंड पठार में स्थित है और अपनी पारिस्थितिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहां विभिन्न भूभाग, घने जंगल और जल निकाय उपलब्ध हैं, जो बंगाल टाइगर के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं।

प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में शुरू की गई प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य बंगाल टाइगर को संरक्षित करना और उसके आवासीय पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना है। प्रारंभ में इसे 9 बाघ अभयारण्यों में लागू किया गया था और अब यह पूरे भारत में 56 बाघ अभयारण्यों को कवर करता है।
- यह परियोजना बाघों को उनके वैज्ञानिक, आर्थिक और पारिस्थितिक मूल्य के लिए संरक्षित करने पर केंद्रित है, जिसमें

शिकार प्रजातियों के संरक्षण सहित एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह परियोजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा प्रबंधित और बाघ अभयारण्यों और अवैध शिकार विरोधी उपायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।



प्रमुख रणनीतियां:

- » **कोर-बफर क्षेत्र:** सख्त संरक्षण के लिए कोर क्षेत्र और मिश्रित उपयोग के लिए बफर क्षेत्र।
- » **तकनीकी नवाचार:** निगरानी और प्रबंधन के लिए यूएवी तकनीक और एम-स्ट्रीप्स (M-STripES) का उपयोग।
- » **अवैध शिकार विरोधी उपाय:** विशेष बाघ संरक्षण बल (STPF) का गठन।
- 2023 तक भारत की बाघ आबादी 3,000 से अधिक हो चुकी है, जिससे यह बाघ संरक्षण में विश्व में अग्रणी हो गया है। प्रोजेक्ट टाइगर सामुदायिक सहभागिता और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देता है, जिससे संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय आजीविका को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

वैश्विक प्लास्टिक संधि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण, विशेष रूप से समुद्री पर्यावरण में, नियंत्रण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि तैयार करने के लिए 170 से अधिक देश कोरिया गणराज्य के बुसान में पांचवें और अंतिम दौर की वार्ता के लिए एकत्रित होंगे। इस संधि को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) द्वारा 2022 में अनिवार्य किया गया था। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के उत्पादन से लेकर उसके निपटान तक पूरे

जीवन चक्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक समग्र रूपरेखा स्थापित करना है। इस संधि को 2024 के अंत तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ग्लोबल प्लास्टिक संयोजन की आवश्यकता:

- **प्लास्टिक उत्पादन में वृद्धि:** प्लास्टिक के बहुउपयोगी स्वभाव ने इसके उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि की है। 2000 में 234 मिलियन टन का उत्पादन 2019 तक 460 मिलियन टन हो गया और 2040 तक इसके 700 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है।
- एशिया सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका (19%) और यूरोप (15%) का स्थान है।
- प्लास्टिक को नष्ट होने में 20 से 500 वर्ष तक का समय लगता है। वैश्विक स्तर पर हर साल 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें 10% से भी कम का पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) हो पाता है। अनुमान है कि 2050 तक प्लास्टिक कचरे में 62% की वृद्धि होगी।



पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि यह माइक्रोप्लास्टिक में टूटकर समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। प्लास्टिक में मौजूद रासायनिक तत्वों के कारण कैंसर, मधुमेह, प्रजनन विकार और तंत्रिका विकास संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
- 2020 में प्लास्टिक उत्पादन ने वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 3.6% योगदान दिया। इसमें 90% उत्सर्जन उत्पादन चरण और

10% अपशिष्ट प्रबंधन से था। अगर मौजूदा रुझान जारी रहे, तो 2050 तक यह योगदान 20% तक बढ़ सकता है।

- भारत वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन में 9.3 मिलियन टन (20%) का योगदान देता है। यह नाइजीरिया, इंडोनेशिया और चीन जैसे अन्य प्रमुख प्रदूषणकारी देशों से अधिक है।

संस्तुति:

- **विशिष्ट प्लास्टिक और रसायनों पर प्रतिबंध:** कुछ प्लास्टिक और रसायनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है।
- **पुनर्चक्रण और पुनर्चक्रण सामग्री का लक्ष्य:** पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और उपभोक्ता वस्तुओं में पुनर्नीकीकरण सामग्री शामिल करने के लिए कानूनी प्रावधान लाने का लक्ष्य है।
- **प्रभावित समुदायों के लिए सहायता:** उन क्षेत्रों और समुदायों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करना जो कि प्लास्टिक उत्पादन और उसके प्रभाव से प्रभावित हैं।

वार्ता में चुनौतियाँ:

- **उत्पादन सीमा:** सऊदी अरब, रूस और भारत जैसे देश प्लास्टिक उत्पादन पर प्रतिबंध का विरोध करते हैं तथा इसके स्थान पर अपशिष्ट प्रबंधन समाधान की वकालत करते हैं।
- **महत्वाकांक्षी न्यूनीकरण लक्ष्य:** रवांडा, पेरू और यूरोपीय संघ ने 2040 तक प्लास्टिक कचरे में 40% की कमी का प्रस्ताव रखा है।
- **वित्त:** एक प्रमुख मुद्दा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वित्त पोषण सुनिश्चित करना है, जिसमें सार्वजनिक और निजी निवेश के बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।

वार्ता में भारत की स्थिति:

- **उत्पादन सीमा का विरोध:** भारत ने यूएनईए के अधिदेश का हवाला देते हुए उत्पादन सीमा को अस्वीकार कर दिया।
- **वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के लिए समर्थन:** भारत अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को शामिल करना चाहता है।
- **हानिकारक रसायनों का विनियमन:** भारत इस बात पर जोर देता है कि रसायनों का विनियमन वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित होना चाहिए तथा घरेलू स्तर पर ही किया जाना चाहिए।
- **प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण:** भारत कुछ प्लास्टिक उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए लचीले, संदर्भ-विशिष्ट दृष्टिकोण की मांग करता है।



विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

वैश्विक नवाचार में भारत का बढ़ता प्रभाव

हाल ही में जारी हुई विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) 2024 रिपोर्ट में रेखांकित किया गया कि भारत नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। पेटेंट फाइलिंग, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ, देश बौद्धिक संपदा (IP) के क्षेत्र में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है। यह सफलता सरकारी नीतियों की सहायता, एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय नवाचार पर बल देने के परिणामस्वरूप संभव हुई है। जैसे-जैसे भारत ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाता है, वैश्विक स्तर पर इसकी उपस्थिति और प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है।

बौद्धिक संपदा में भारत की उपलब्धियां:

- **पेटेंट फाइलिंग:** भारत अब पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर 6वें स्थान पर है, 2023 में 64,480 पेटेंट आवेदनों के साथ, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 15.7% की वृद्धि है। यह लगातार पाँचवाँ वर्ष है जिसमें दोहरे अंकों में वृद्धि हुई है, जो भारत की नवाचार के केंद्र के रूप में बढ़ती क्षमता को दर्शाता है।
- **निवासियों द्वारा दाखिल आवेदनों की ज्यादा संख्या:** यह पहली बार है कि भारत के 55.2% पेटेंट आवेदन निवासियों द्वारा किए गए, जो घरेलू नवाचार के उभार को प्रकट करता है। भारतीय कंपनियाँ, विश्वविद्यालय और शोध संस्थान अब तकनीकी प्रगति में प्रमुख योगदानकर्ता हैं, जिन्हें राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी सरकारी पहलों का समर्थन प्राप्त है।
- **पेटेंट अनुदान में वृद्धि:** भारत ने 2023 में पेटेंट अनुदान में 149.4% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की, जोकि इसके पेटेंट कार्यालयों की दक्षता को प्रदर्शित करता है। यह वृद्धि उच्च गुणवत्ता वाले अनुप्रयोगों, वैश्विक मानकों को पूरा करने और तकनीकी एवं वैज्ञानिक विकास के लिए भारत के परिपक्व पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाती है।
- **पेटेंट-से-जीडीपी अनुपात:** भारत का पेटेंट-से-जीडीपी अनुपात उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जोकि 2013 में 144 से बढ़कर 2023 में 381 हो गया है। यह वृद्धि दर्शाती है कि नवाचार भारत की आर्थिक वृद्धि का केंद्रीय स्तंभ बन गया है, जो ज्ञान-

आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण का संकेत है।

- **औद्योगिक डिजाइन अनुप्रयोग:** भारत ने 2023 में औद्योगिक डिजाइन अनुप्रयोगों में 36.4% की वृद्धि दर्ज की, जो रचनात्मकता, डिजाइन और विनिर्माण नवाचार पर इसके बढ़ते ध्यान को प्रदर्शित करता है।
- **क्षेत्रीय फोकस:** औद्योगिक डिजाइन फाइलिंग में अग्रणी प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:
 - » वस्त्र और सहायक उपकरण
 - » उपकरण और मशीनें
 - » स्वास्थ्य एवं सौंदर्य प्रसाधन
- इन क्षेत्रों में कुल डिजाइन आवेदनों का लगभग आधा हिस्सा आता है, जो पारंपरिक उद्योगों (जैसे वस्त्र) और उभरते क्षेत्रों (जैसे स्वास्थ्य सेवा और फैशन) में भारत की ताकत को दर्शाता है।

विनिर्माण पर प्रभाव:

- डिजाइन अनुप्रयोगों में वृद्धि भारत के विनिर्माण क्षेत्र में बदलाव को दिखाती है, जोकि अब बुनियादी उत्पादन से आगे बढ़कर मूल्य-वर्धित, डिजाइन-संचालित उद्योगों की ओर बढ़ रहा है। यह बदलाव भारत को सौंदर्य, कार्यक्षमता और उपयोगकर्ता अनुभव पर जोर देने वाले वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करता है।


ट्रेडमार्क:

- भारत अब ट्रेडमार्क फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है, 2023 में 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- **ट्रेडमार्क फाइलिंग:** भारत में लगभग 90% ट्रेडमार्क फाइलिंग भारतीय निवासियों द्वारा की गई, जो घरेलू ब्रांडों की सुरक्षा पर एक मजबूत फोकस को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि भारतीय व्यवसाय, स्टार्टअप और उद्यमी ब्रांड सुरक्षा के महत्व के प्रति तेजी से जागरूक हो रहे हैं।
- **सक्रिय ट्रेडमार्क पंजीकरण:** भारत में अब दुनिया में सक्रिय ट्रेडमार्क पंजीकरण की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें 3.2 मिलियन से अधिक ट्रेडमार्क प्रभावी हैं। यह एक जीवंत घरेलू बाजार और भारतीय ब्रांडों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांग को रेखांकित करता है।

- **क्षेत्रीय रुझान:** ट्रेडमार्क फाइलिंग के लिए शीर्ष क्षेत्र शामिल हैं:
 - » स्वास्थ्य (21.9%)
 - » कृषि (15.3%)
 - » वस्त्र (12.8%)
- ये आंकड़े फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य उत्पादन और फैशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को उजागर करते हैं, जहां ट्रेडमार्क ब्रांड इक्विटी की सुरक्षा और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Global leaders in innovation, 2024

Top three innovation economies by region



भारत के बौद्धिक संपदा के विकास को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक:

- **राष्ट्रीय आईपीआर नीति:** राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति (2016) ने नवाचार-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में सहायक भूमिका निभाई है। इसके प्रमुख तत्वों में शामिल हैं:
 - » **बौद्धिक संपदा अधिकार कानून में संशोधन:** आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
 - » **आईपी कार्यालयों का आधुनिकीकरण:** दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण और कार्यप्रवाह में सुधार।
 - » **जागरूकता कार्यक्रम:** राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (एनआईपीएम) जैसी पहल व्यवसायों और संस्थानों को आईपी अधिकारों के बारे में शिक्षित करती है।
 - » **आईपी व्यावसायीकरण:** पेटेंट और अन्य आईपी के व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार सहायता केंद्रों (टीआईएससी) की स्थापना।

SPRIHA और बौद्धिक संपदा अधिकार:

- समग्र शिक्षा और शैक्षणिक जगत के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों में शिक्षण और अनुसंधान योजना (एसपीआरआईएचए) ने बौद्धिक संपदा अधिकार शिक्षा को उच्च शिक्षण संस्थानों में एकीकृत किया है, जिससे बौद्धिक संपदा में विशेषीकृत अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिला है।

स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए समर्थन:

- स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) जैसे कार्यक्रमों ने उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा दिया है।
 - » **स्टार्टअप इंडिया:** 2024 तक 1,49,414 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गयी जोकि मजबूत और समृद्ध स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान करेगा।
 - » **अटल इनोवेशन मिशन:** स्कूलों में 10,000 अटल टिकरिंग लैब्स की स्थापना की गई और 3,500 से अधिक स्टार्टअप को विकसित किया गया, जिससे 32,000 से अधिक नौकरियां पैदा हुईं।
- यह पहल जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि बौद्धिक संपदा उद्यमशीलता की रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए।

वैश्विक आईपी रुझानों में भारत की भूमिका:

- **वैश्विक विकास में योगदान:** 2023 में, वैश्विक स्तर पर कुल 3.55 मिलियन पेटेंट आवेदन दायर किए गए, जिसमें भारत ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया। आईपी फाइलिंग के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक के रूप में, भारत वैश्विक आईपी परिदृश्य को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है, विशेष रूप से उभरते हुए बाजारों में।
- **स्थानीय नवाचार की ओर रुख:** भारत में निवासियों के लिए आवेदन करने वालों की बढ़ती संख्या स्थानीय नवाचार में बदलाव को दर्शाती है। यह प्रवृत्ति भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की परिपक्वता का प्रमाण है, जोकि अनुसंधान संस्थानों, स्टार्टअप और घरेलू समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने वाले निगमों द्वारा संचालित है।

आगे की राह:

- WIPO रिपोर्ट में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को दर्शाया गया है, जोकि वैश्विक नवाचार शक्ति के रूप में इसके उभरने को दर्शाता है। पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों में लगातार वृद्धि देश की विविध अर्थव्यवस्था और अनुसंधान एवं विकास पर इसके जोर को रेखांकित करती है।
- मजबूत सरकारी समर्थन, एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय नवाचार पर बढ़ते फोकस के साथ, भारत वैश्विक आईपी रैंकिंग में अपनी ऊपर की ओर गति को बनाए

रखने के लिए तैयार है। वैश्विक बौद्धिक संपदा परिदृश्य में इसका बढ़ता प्रभाव न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि भारत को विश्व मंच पर रचनात्मकता, प्रौद्योगिकी और नवाचार में अग्रणी के रूप में भी स्थापित करेगा।

निष्कर्ष:

बौद्धिक संपदा में भारत की उल्लेखनीय प्रगति नवाचार में वैश्विक नेता बनने की इसकी क्षमता का स्पष्ट संकेत है। सरकारी पहलों

का लाभ उठाकर, उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर और स्थानीय रचनात्मकता को अपनाकर, भारत ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था में बदलने की राह पर है। जैसे-जैसे भारत वैश्विक आईपी रुझानों में अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है, आर्थिक विकास और तकनीकी उन्नति में इसका योगदान और मजबूत होता जाएगा, जिससे वैश्विक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र पर स्थायी प्रभाव सुनिश्चित होगा।

संक्षिप्त मुद्दे

आदित्य-एल 1 मिशन से सौर विस्फोटों पर महत्वपूर्ण डेटा

चर्चा में क्यों?

भारत का आदित्य-एल1 मिशन, जोकि सितंबर 2023 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, ने अपने प्राथमिक पेलोड, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (वीईएलसी) के माध्यम से उल्लेखनीय वैज्ञानिक परिणाम प्रस्तुत किए हैं। वीईएलसी ने कोरोनाल मास इजेक्शन (सीएमई) के सटीक मापन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सीएमई बड़े पैमाने पर सौर विस्फोट होते हैं, जो उपग्रह संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित पृथ्वी की तकनीकी प्रणालियों को गंभीर रूप से बाधित कर सकते हैं। यह पेलोड भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईएपी) द्वारा विकसित किया गया है।

अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान के निहितार्थ:

- आदित्य-एल1 द्वारा एकत्र किए गए डेटा न केवल सौर गतिविधियों के बारे में हमारी समझ को विस्तारित करेगा, बल्कि अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाने में भी सहायक होगा।
- पृथ्वी की तरफ उन्मुख कोरोनाल मास इजेक्शन (सीएमई) उपग्रह प्रणालियों, जीपीएस नेटवर्क और यहां तक कि विद्युत ग्रिड में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं।
- वीईएलसी की इन विस्फोटों को उनकी प्रारंभिक अवस्था में अवलोकन करने की क्षमता के साथ, अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणियां उच्च सटीकता के साथ की जा सकेंगी, जिससे पृथ्वी की तकनीकी प्रणालियों में संभावित व्यवधानों को कम करने के लिए आवश्यक समय उपलब्ध हो जाएगा।

आदित्य-एल 1 मिशन के बारे में:

- आदित्य-एल1 मिशन भारत का अग्रणी अंतरिक्ष-आधारित सौर

वेधशाला है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा 2 सितंबर, 2023 को लॉन्च किया गया।

- इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य के ऊपरी वायुमंडलीय गतिशीलता, कोरोनाल हीटिंग और सौर वायु त्वरण का अध्ययन करना है। पृथ्वी-सूर्य लैंग्रेंज बिंदु (L1) पर स्थित, आदित्य-एल1 सौर घटनाओं की निरंतर निगरानी के लिए आदर्श रूप से स्थित है।

मुख्य उद्देश्य:

- कोरोनाल हीटिंग और सौर पवन त्वरण को समझना।
- कोरोनाल मास इजेक्शन (CME) और सौर ज्वालाओं की उत्पत्ति का अध्ययन करना।
- सौर वायुमंडल के युग्मन और गतिशीलता का विश्लेषण करना।
- सौर वायु वितरण और तापमान विषमता की जांच करना।

पेलोड:

- दृश्य उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ (VELC)
- सौर अल्ट्रा-वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT)
- सौर कम ऊर्जा एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (SOLEX)
- उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (HEL1OS)
- आदित्य सौर पवन कण प्रयोग (ASPEX)
- आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज (PAPA)
- उन्नत त्रि-अक्षीय उच्च-रिजॉल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर (MAG)

महत्व:

- भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन।
- इसरो की वैज्ञानिक क्षमताओं का पृथ्वी की कक्षा से परे विस्तार।
- अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाना।
- सौर भौतिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की विशेषज्ञता को आगे बढ़ाना।
- इसरो को विश्व स्तर पर अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसियों में स्थान दिलाना।

लैंग्रेंजियन बिंदु 1:

- पृथ्वी और सूर्य के बीच एक गुरुत्वाकर्षण स्थिर बिंदु।
- सूर्य का निर्बाध दृश्य प्रदान करता है।
- सौर अवलोकन और अंतरिक्ष मौसम निगरानी के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है।

आरएनए संपादन (RNA Editing)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, यू.एस. आधारित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी वेव लाइफ साइंसेज ने आनुवंशिक विकारों, विशेषकर-1 एंटीट्रिप्सिन की कमी (AATD) के उपचार के लिए आरएनए संपादन तकनीक का एक नया नैदानिक अनुप्रयोग विकसित किया है।

आरएनए संपादन के बारे में:

- आरएनए संपादन एक प्रक्रिया है जिसमें मैसेंजर आरएनए (mRNA) में न्यूक्लियोटाइड को संशोधित किया जाता है, जोकि डीएनए से बनता है और प्रोटीन संश्लेषण में उपयोग किया जाता है।
- डीएनए संपादन जीनोम को स्थायी रूप से बदल देता है, वही आरएनए संपादन में अस्थायी संशोधन होते हैं जिससे अंतर्निहित आनुवंशिक कोड नहीं बदलते हैं।

आरएनए में शामिल हैं:

- एक्सॉन वे भाग हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक सूचना रखते हैं।
- इंट्रॉन वे भाग हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए उपयोगी नहीं होते और बाद में हटा दिए जाते हैं।
- आरएनए संपादन एक्सॉन को संशोधित करता है, जिससे प्रोटीन परिणाम बदल जाते हैं। यह संशोधन अस्थायी होते हैं और डीएनए को नहीं बदलते।

आरएनए संपादन के प्रकार:

- **जोड़ (Insertion):** आरएनए अनुक्रम में एक नया न्यूक्लियोटाइड डाला जाता है।
- **विलोपन (Deletion):** आरएनए अनुक्रम में न्यूक्लियोटाइड को हटा दिया जाता है।
- **प्रतिस्थापन (Substitution):** आरएनए अनुक्रम में न्यूक्लियोटाइड को दूसरे से बदल दिया जाता है।

आरएनए संपादन तंत्र:

- एडेनोसिन डेमिनेज (एडीएआर) एंजाइम आरएनए संपादन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एंजाइम विशेष रूप से आरएनए में एडेनोसिन बेस को इनोसिन में परिवर्तित करता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण में अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है।
- वैज्ञानिक एडीएआर को लक्ष्य मआरएनए अनुक्रम में निर्देशित

करने के लिए गाइड आरएनए (जीआरएनए) का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया आरएनए में सटीक परिवर्तन करने और आवश्यकतानुसार संशोधित प्रोटीन का उत्पादन करने में मदद करती है। वेव लाइफ साइंसेज ने इस तकनीक का उपयोग एंटीडी के इलाज के लिए डब्ल्यूवीई-006 थरेपी में किया, जो आरएनए संपादन की चिकित्सीय क्षमता को दर्शाता है।

आरएनए संपादन बनाम डीएनए संपादन:

पहलू	डीएनए संपादन	आरएनए संपादन
स्थायित्व	स्थायी जीनोम परिवर्तन जो अपरिवर्तनीय हैं।	अस्थायी, समय के साथ लुप्त होने वाला, प्रतिवर्ती।
रोग प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाना	इसमें प्रायः जीवाणु-व्युत्पन्न उपकरण (जैसे, CRISPR) का प्रयोग किया जाता है, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को सक्रिय कर सकता है।	यह मानव कोशिकाओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ADAR का उपयोग करता है, जो प्रतिरक्षा जोखिम को कम करता है।

आरएनए संपादन के लाभ:

- **अस्थायी संशोधन:** आरएनए संपादन से ऐसे परिवर्तन संभव होते हैं जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, जिससे रोगियों को किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उपचार बंद करने की सुविधा मिलती है।
- **प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में कमी:** चूंकि ADAR एंजाइम मानव कोशिकाओं में स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं, इसलिए डीएनए संपादन की तुलना में आरएनए संपादन में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का जोखिम कम हो सकता है, जिससे यह बार-बार उपचार की आवश्यकता वाले या प्रतिरक्षा ट्रिगर्स के प्रति संवेदनशील रोगियों के लिए उपयुक्त हो जाता है।

आरएनए संपादन में वर्तमान चुनौतियाँ:

- अपनी क्षमता के बावजूद, आरएनए संपादन को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है:
 - » **अस्थायी प्रभाव:** चूंकि आरएनए में परिवर्तन स्थायी नहीं होते, इसलिए वांछित प्रभाव बनाए रखने के लिए उपचार को बार-बार लागू करने की आवश्यकता होती है।
 - » **डिलीवरी की सीमाएँ:** लिपिड नैनोपार्टिकल्स और एडेनो- एसोसिएटेड वायरस (एएवी) वेक्टर जैसी मौजूदा डिलीवरी विधियाँ, विशेष रूप से बड़े चिकित्सीय अणुओं के लिए, क्षमता में सीमित हो सकती हैं। यह जटिल बीमारियों के इलाज के लिए आरएनए संपादन की क्षमता को सीमित करता है और डिलीवरी तकनीकों में नवाचार की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष:

आरएनए संपादन आनुवंशिक चिकित्सा में एक परिवर्तनकारी कदम प्रस्तुत करता है, जो आनुवंशिक विकारों के उपचार में सटीकता और अनुकूलनशीलता प्रदान करता है। प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के कम जोखिम के साथ अस्थायी संशोधनों की लचीलेपन को जोड़कर, आरएनए संपादन व्यक्तिगत, उत्तरदायी उपचारों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अपनी वर्तमान सीमाओं पर काबू पाने में आगे की प्रगति के साथ, आरएनए संपादन आनुवंशिक और जटिल रोगों के इलाज के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है, जिससे रोगी के परिणामों और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से अभिनव उपचारों के लिए नए रास्ते खुलेंगे।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की रिपोर्ट में साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरों का खुलासा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट भारत में साइबर सुरक्षा की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त करती है, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों के संदर्भ में।

- रिपोर्ट में साइबर अपराध की घटनाओं में तेजी से वृद्धि को उजागर किया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - रक्षा इकाई पर रैनसमवेयर हमला
 - लाखों भारतीय नागरिकों को प्रभावित करने वाला एक विशाल डेटा उल्लंघन
 - महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए दुर्भावनापूर्ण साइबर हमले

डीओपीटी (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- रक्षा इकाई पर रैनसमवेयर हमला:** 2023 में, एक रक्षा इकाई रैनसमवेयर हमले की चपेट में आ गई। रैनसमवेयर डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और उसे अनलॉक करने के लिए फिरौती की मांग करता है। इस हमले ने महत्वपूर्ण कंप्यूटर प्रणालियों तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया, जिससे भारत के रक्षा बुनियादी ढांचे की बढ़ती भेद्यता उजागर हुई।
- डेटा उल्लंघन से 81 करोड़ भारतीय प्रभावित:** भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को बड़ी डेटा चोरी का सामना करना पड़ा। इस उल्लंघन का पता अक्टूबर 2023 में अमेरिका स्थित साइबर सुरक्षा फर्म रीसिक्वोरिटी को

चला। इस उल्लंघन ने भारत के डेटा संरक्षण तंत्र की गंभीर खामियों को उजागर किया, जिससे नागरिकों की गोपनीयता और पहचान की चोरी का खतरा पैदा हो सकता है।

- मंत्रालय पर मैलवेयर हमला:** 2023 में एक मैलवेयर हमले ने एक सरकारी मंत्रालय को निशाना बनाया।
- मैलवेयर का प्रभाव:** मैलवेयर हमले महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे वर्गीकृत जानकारी की चोरी या आवश्यक सेवाओं में व्यवधान। इससे सरकारी प्रणालियों में अधिक सतर्कता और सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता रेखांकित होती है।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर DDOS हमले:** डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल-ऑफ-सर्विस (DDOS) हमले ने भारत के हवाई अड्डों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया।

डीडीओएस कैसे काम करता है:

- डीडीओएस हमले सर्वरों पर अत्यधिक ट्रैफिक ला देते हैं, जिससे वे निष्क्रिय हो जाते हैं और सेवा में बाधा उत्पन्न होती है।

साइबर सुरक्षा घटनाओं में वृद्धि:

CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम) ने साइबर सुरक्षा घटनाओं में निम्नलिखित वृद्धि की सूचना दी:

- 2023 में 15,92,917 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि 2017 में यह संख्या केवल 53,117 थी। इन घटनाओं में कई प्रकार की धमकियां शामिल थीं। जैसे:
 - वेबसाइट घुसपैठ
 - मैलवेयर प्रसार
 - फिशिंग हमले
 - डीडीओएस हमले
 - अनधिकृत नेटवर्क गतिविधियाँ



धोखाधड़ी के प्रकार:

- क्रिप्टो धोखाधड़ी:** एक फर्जी तकनीकी सहायता कॉल सेंटर से जुड़े 2 मिलियन डॉलर के क्रिप्टोकॉरेसी घोटाले का पर्दाफाश किया गया। सीबीआई ने भारत में बड़े पैमाने पर क्रिप्टो माइनिंग घोटाले का भी पर्दाफाश किया, जहां अपराधियों ने नागरिकों को फर्जी क्रिप्टो माइनिंग परिचालन में 100 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए गुमराह किया।

- **कॉल सेंटर धोखाधड़ी:** सीबीआई ने भारत में संचालित कई कॉल सेंटर धोखाधड़ी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, जोकि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के नागरिकों को निशाना बनाते थे।
- **निवेश और ऋण ऐप धोखाधड़ी:** सीबीआई ने निवेश और ऋण ऐप धोखाधड़ी की भी जांच की, जहां धोखाधड़ी के जरिए नागरिकों, विशेष रूप से पड़ोसी देशों के नागरिकों को निशाना बनाया गया। ये ऐप्स निवेशकों को फंसाने के लिए भ्रामक रणनीति का इस्तेमाल करते थे।

साइबर सुरक्षा समन्वय का बदलता परिदृश्य:

- सितंबर 2023 में, कैबिनेट सचिवालय ने व्यवसाय आवंटन नियमों में संशोधन किया और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA), अजीत डोभाल के अधीन रखा। डोभाल को साइबर सुरक्षा पर रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा की देखरेख के लिए नामित किया गया, जबकि गृह मंत्रालय (MHA) को साइबर अपराधों से निपटने की जिम्मेदारी दी गई।

ओडिशा के तट से लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से भारत ने अपनी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (एलआरएलएसीएम) का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। यह परीक्षण भारत की रक्षा क्षमताओं, विशेष रूप से उसकी मिसाइल प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का परिचायक है।

एलआरएलएसीएम की मुख्य विशेषताएं:

- **रेंज:** इस मिसाइल की मारक क्षमता 1,000 किलोमीटर से अधिक है, जोकि भारत को सामरिक भूमि आधारित लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता प्रदान करती है।
- **उन्नत नेविगेशन:** यह मिसाइल वेपॉइंट नेविगेशन प्रणाली से सुसज्जित है, जोकि लक्ष्य को भेदने में उच्च सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्व-निर्धारित उड़ान पथ का अनुसरण करती है।
- **गतिशीलता:** एलआरएलएसीएम जटिल गतिशीलताओं में सक्षम

है, जिसमें ऊंचाई और गति में परिवर्तन शामिल हैं, जिससे इसे रोकना और पहचानना कठिन हो जाता है।

- **प्रक्षेपण लचीलापन:** इस मिसाइल को जमीन आधारित मोबाइल प्लेटफार्मा और नौसैनिक जहाजों दोनों से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसे युद्ध के विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक लचीलापन प्राप्त होता है।

विकास और उत्पादन:

- **विकास नेतृत्व:** इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अंतर्गत बेंगलुरु स्थित वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (एडीई) द्वारा विकसित किया गया है।
- **सहयोग:** मिसाइल के डिजाइन और परीक्षण में अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) सहित प्रमुख भारतीय रक्षा उद्योगों का योगदान शामिल है।
- **स्वदेशी उत्पादन:** ये भारतीय कंपनियां प्रमुख घटकों के एकीकरण, उत्पादन और आपूर्ति के लिए जिम्मेदार हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि भारत महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता कम कर सके।

सामरिक महत्व:

- **उन्नत मारक क्षमता:** अपनी लंबी दूरी के साथ, यह मिसाइल भारत को दुश्मन के इलाके में स्थित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे या सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है।
- **सामरिक प्रतिरोध:** यह मिसाइल भारत की प्रतिरोध क्षमताओं को मजबूत करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वह क्षेत्रीय शत्रुओं से संभावित खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब दे सके।
- **रक्षा में आत्मनिर्भरता:** एलआरएलएसीएम रक्षा के लिए 'मेक इन इंडिया' पर भारत की सफलता का प्रमाण है, जोकि घरेलू स्तर पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास करने और विदेशी हथियार आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने की देश की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

भू-राजनीतिक और रक्षा निहितार्थ:

- **क्षेत्रीय सुरक्षा:** एलआरएलएसीएम एक विश्वसनीय लंबी दूरी का हमला करने का विकल्प प्रदान करके भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाती है, जोकि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना करने में मदद करता है।
- **वैश्विक स्थिति:** इस मिसाइल के साथ, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है, जिनके पास उन्नत लंबी दूरी की, सटीक-निर्देशित क्रूज मिसाइलें हैं, जोकि वैश्विक रक्षा गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
- **सशस्त्र बलों के लिए लचीलापन:** मिसाइल का दोहरा प्रक्षेपण

प्लेटफॉर्म (भूमि और समुद्र) इसकी बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाता है, जिससे भारतीय सेना और भारतीय नौसेना दोनों को विभिन्न परिदृश्यों में रणनीतिक लाभ प्राप्त होता है।

उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए PAIR कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) के माध्यम से देश भर में अनुसंधान-संचालित उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए 'त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी' (PAIR) कार्यक्रम शुरू किया है।

PAIR कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य:

- अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ाना
 - » केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में अनुसंधान उत्कृष्टता की संस्कृति विकसित करना।
 - » पूरे भारत में शैक्षणिक अनुसंधान की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना।
- सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देना
 - » विभिन्न अनुसंधान क्षमताओं वाले संस्थानों के बीच के अंतर को कम करना।
 - » मार्गदर्शन और ज्ञान के आदान-प्रदान के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उभरते विश्वविद्यालयों को शीर्ष स्तरीय संस्थानों के साथ जोड़ना।
- अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन
 - » अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना, विशेष रूप से नए बुनियादी ढांचे वाले विश्वविद्यालयों में।
 - » भारत में एक मजबूत और गतिशील अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।

PAIR कार्यक्रम की कार्यप्रणाली:

पीएआईआर कार्यक्रम हब-एंड-स्पोक मॉडल का अनुसरण करता है:

- **हब संस्थान:**
 - » ये भारत में शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालय हैं, जैसे शीर्ष 25 एनआईआरएफ-रैंक वाले संस्थान और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई)।
 - » यह केंद्र के रूप में काम करेंगे और मजबूत अनुसंधान बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता के साथ सहयोग करेंगे।
- **स्पोक संस्थान:**
 - » स्पोक संस्थानों में बढ़ती अनुसंधान क्षमताओं वाले केंद्रीय

और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, साथ ही चुनिंदा एनआईटी और आईआईआईटी शामिल हैं।

- » इन संस्थानों में अनुसंधान के बुनियादी ढांचे का स्तर हब के समान नहीं हो सकता है, लेकिन वे अनुसंधान में वृद्धि के लिए तैयार हैं।
- **मार्गदर्शन और ज्ञान का आदान-प्रदान**
 - » इस कार्यक्रम के तहत अनुसंधान गतिविधियों पर मार्गदर्शन और सलाह प्रदान की जायेगी, साथ ही शीर्ष स्तरीय संकाय और शोधकर्ताओं से संसाधनों और विशेषज्ञता तक पहुंच प्रदान करेंगे।
 - » बहु-विभागीय संकाय सहयोग से लाभ मिलेगा, जिससे अंतः विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा।

ANRF's Partnerships for Accelerated Innovation and Research (PAIR) Program

Objective

- Transforming Research and Innovation in Indian Universities
- Fostering research excellence in universities, aligned with NEP 2020


Eligibility

Hub Institutions

- Top 25 NIRF-ranked institutions
- Institutions of National Importance within top 50 of the NIRF ranking

Spoke Institutions

- Central and State Public Universities
- Selected NITs and IITs



QR code



सहयोग मॉडल

- » प्रत्येक PAIR नेटवर्क में एक हब और अधिकतम सात स्पोक संस्थान शामिल होंगे।
- » प्रत्येक हब संस्थान से केवल एक प्रस्ताव की अनुमति दी जाएगी, जिसमें स्पोक संस्थानों की बहु-विभागीय संकाय टीमों की अनिवार्य भागीदारी होगी।

PAIR कार्यक्रम के लाभ:

- मार्गदर्शन-संचालित दृष्टिकोण स्पोक संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देगा तथा हब संस्थानों के संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा।
- इससे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और वैश्विक प्रभाव वाले नए शोध परिणाम सामने आएंगे।
- सहयोग को बढ़ावा देकर, पीएआईआर कार्यक्रम भारत में एक मजबूत अनुसंधान नेटवर्क बनाने में मदद करेगा, अंतर-संस्थागत साझेदारी को प्रोत्साहित करेगा और सर्वोत्तम प्रथाओं और उन्नत बुनियादी ढांचे को साझा करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ संरेखण:

- पीएआईआर कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य भारत में अधिक शोध-उन्मुख, नवीन और सहयोगात्मक शिक्षा प्रणाली बनाना है।
 - » **विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देना:** एनईपी उच्च शिक्षा में शोध संस्कृति के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। पीएआईआर कार्यक्रम विश्वविद्यालयों में शोध उत्कृष्टता को बढ़ाकर इसका समर्थन करता है।
 - » **सहयोगात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना:** एनईपी अधिक ज्ञान-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अंतर-संस्थागत सहयोग के महत्व पर जोर देता है। पीएआईआर कार्यक्रम का हब-एंड-स्पोक मॉडल इस दृष्टिकोण की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है।

असम सेमीकंडक्टर प्लांट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में असम के मोरीगांव में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर सुविधा का निर्माण प्रारंभ हुआ है। इस परियोजना की कुल लागत 27,000 करोड़ है और इसे टाटा सेमीकंडक्टर असंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (टीएसएटी) के द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना भारत की आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास है।

संयंत्र की मुख्य विशेषताएँ:

- उत्पादन क्षमता:** मोरीगांव संयंत्र से प्रतिदिन 48 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होने की संभावना है। इसमें फ्लिप चिप और इंटीग्रेटेड सिस्टम इन पैकेज (आईएसआईपी) जैसी उन्नत पैकेजिंग तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
- क्षेत्रीय ध्यान:** यह संयंत्र मुख्यतः ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), दूरसंचार और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को सेवा प्रदान करेगा, जोकि सेमीकंडक्टर घटकों पर अत्यधिक निर्भर हैं।

अर्धचालक के बारे में:

- अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और इन्सुलेटर के बीच होती है। ये आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे पदार्थ अर्धचालक के सामान्य उदाहरण हैं।
- जिनका उपयोग डायोड, ट्रांजिस्टर और एकीकृत सर्किट (IC) बनाने में किया जाता है। इनका प्रमुख उपयोग स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविजन, और ऑटोमोबाइल जैसी तकनीकों में होता है। बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता संकेतों को बढ़ाने, इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को स्विच करने और डेटा संग्रहीत करने के

लिए महत्वपूर्ण है।

भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षा:

- मोरीगांव संयंत्र भारत की व्यापक सेमीकंडक्टर रणनीति का हिस्सा है, जो भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत संचालित है।
- इस मिशन का उद्देश्य सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के डिजाइन, निर्माण, संयोजन, परीक्षण और पैकेजिंग तक के सभी पहलुओं में आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करना है।
- भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2023 में 38 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक 109 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो इस क्षेत्र में घरेलू उत्पादन की अत्यधिक आवश्यकता को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण पहलें:

- सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम:** यह कार्यक्रम 2021 में 76,000 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य पूरे देश में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। इसमें सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स (फैब्स), पैकेजिंग सुविधाएँ, और अन्य बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु प्रोत्साहन शामिल हैं।
- सेमीकंडक्टर उत्पादन का विस्तार:** मोरीगांव के अतिरिक्त, भारत के अन्य हिस्सों में भी सेमीकंडक्टर परियोजनाएँ चल रही हैं, जैसे कि गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सुविधा और साणंद में सीजी पावर का संयंत्र।

सरकारी सहायता:

- वित्तीय प्रोत्साहन:** सेमीकॉन इंडिया के अलावा, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालक (SPECS) और प्रोडक्शन लिंक इंसेटिव (PLI) योजनाओं जैसी कई योजनाओं को लागू किया है, जो सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करती हैं।

वैश्विक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की बढ़ती भूमिका:

- वैश्विक सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग:** 5G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ते अनुप्रयोगों के कारण वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की मांग में वृद्धि हो रही है।
- वैश्विक कमी को दूर करना:** भारत का बढ़ता सेमीकंडक्टर बुनियादी ढाँचा वैश्विक सेमीकंडक्टर की कमी को कम करने और एक सुरक्षित, विविध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था में योगदान:** भारत का लक्ष्य वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना है, जिससे नवाचार, आर्थिक विकास, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व निवेश के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

भारत की पहली डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने देश की पहली डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। यह पहल विशेष रूप से दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए की गई है, जहाँ पारंपरिक ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचा स्थापित करना कठिन रहा है।

बीएसएनएल की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की मुख्य विशेषताएँ:

- यह सेवा तीव्र इंटरनेट पहुँच प्रदान करती है, जिससे उपयोगकर्ता वेबसाइट ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया में भागीदारी और अन्य ऑनलाइन गतिविधियाँ बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं।
- उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से व्यापक कवरेज सुनिश्चित किया गया है, जोकि उन क्षेत्रों तक पहुँचता है, जहाँ पारंपरिक ब्रॉडबैंड सेवाएँ नहीं पहुँच पाती हैं, विशेषकर भारत के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में।
- यह सेवा उपयोगकर्ताओं को आपातकालीन कॉल करने और सेलुलर या वाई-फाई नेटवर्क अनुपलब्ध होने पर एसओएस संदेश भेजने की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता आपातकालीन स्थितियों में यूपीआई भुगतान भी कर सकते हैं, जोकि विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जहाँ अन्य नेटवर्क विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।

डी2डी सैटेलाइट इंटरनेट क्या है?

- डी2डी सैटेलाइट इंटरनेट में उपग्रहों के माध्यम से सीधे उपयोगकर्ता के उपकरणों (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट) को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है।
- यह पारंपरिक स्थलीय बुनियादी ढाँचों, जैसे सेल टावर और फाइबर ऑप्टिक केबलों की भूमिका को कम करता है, जिससे दूरदराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में इंटरनेट तक पहुँच संभव होती है।

डी2डी सैटेलाइट इंटरनेट की मुख्य विशेषताएँ:


- **उपग्रह-आधारित:** डेटा संचारित करने के लिए उपग्रहों का उपयोग किया जाता है जो भूस्थिर कक्षा (GEO), निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO), या मध्यम पृथ्वी कक्षा (MEO) में स्थित होते हैं।
- **डायरेक्ट-टू-डिवाइस:** इस प्रणाली में सैटेलाइट डिश या रिसेवर की आवश्यकता नहीं होती, यह सीधे उपयोगकर्ता के डिवाइस से जुड़ती है।
- **वायरलेस:** यह डेटा संचारण के लिए रेडियो आवृत्ति (RF)

संकेतों का उपयोग करता है, जैसे सेलुलर या वाई-फाई नेटवर्क।

- **वैश्विक कवरेज:** यह दूरदराज, ग्रामीण और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में इंटरनेट पहुँच प्रदान करता है, जहाँ पारंपरिक ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है।

डी2डी सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है?

- **डिवाइस-सैटेलाइट संचार:** उपयोगकर्ता के डिवाइस उपग्रहों से वायरलेस तरीके से संचार करते हैं, जिसमें बीमफॉर्मिंग जैसी उन्नत सिग्नल अनुकूलन तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- **नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (NOC) से डेटा रिले:** उपग्रह डेटा को केंद्रीय हब (NOC) तक रिले किया जाता है, जहाँ नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और प्रबंधन किया जाता है।
- **इंटरनेट बैकबोन से कनेक्शन:** NOC वैश्विक इंटरनेट बैकबोन से जुड़ता है, जिससे इंटरनेट डेटा का आदान-प्रदान सुगम होता है।
- **डिवाइस पर डेटा का संचरण:** डेटा को NOC से उपग्रह पर वापस भेजा जाता है और फिर उपयोगकर्ता के डिवाइस पर डाउनलॉक किया जाता है।



डी2डी सैटेलाइट इंटरनेट के लाभ:

- **दूरस्थ कवरेज:** यह उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जहाँ पारंपरिक ब्रॉडबैंड अवसंरचना उपलब्ध नहीं है, जैसे ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र।
- **विश्वसनीय कनेक्टिविटी:** यह भौगोलिक बाधाओं या प्राकृतिक आपदाओं से कम प्रभावित होता है, जिससे जमीन आधारित नेटवर्क की तुलना में अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
- **गतिशीलता:** यात्रा के दौरान भी कनेक्टिविटी सक्षम होती है, चाहे आप यात्रा पर हों, उड़ान में हों या जहाज पर हों।
- **त्वरित तैनाती:** पारंपरिक ब्रॉडबैंड बुनियादी ढाँचे की तुलना में इसकी तैनाती तेज होती है, जो इसे आपातकालीन स्थितियों और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए आदर्श बनाती है।

डी2डी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के उदाहरण:

- बीएसएनएल की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा (भारत)
- स्पेसएक्स का स्टारलिनक (वैश्विक)

- अमेजन का कुड़पर सिस्टम्स (वैश्विक)
- वनवेब (वैश्विक)
- सैटेलाइट के माध्यम से एप्पल का आपातकालीन एसओएस

भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक: नैफिथ्रोमाइसिन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नैफिथ्रोमाइसिन लॉन्च की है, जोकि देश की रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा घोषित, नैफिथ्रोमाइसिन को जीवाणुजनित निमोनिया (सीएबीपी) के इलाज के लिए तैयार किया गया है, यह बीमारी दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के कारण गंभीर बनती है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के सहयोग से विकसित यह नया एंटीबायोटिक एएमआर के विरुद्ध लड़ाई में एक आशाजनक समाधान प्रस्तुत करता है।

नैफिथ्रोमाइसिन की मुख्य विशेषताएं:

- **अधिक प्रभावी:** नैफिथ्रोमाइसिन को एजिथ्रोमाइसिन जैसे मौजूदा एंटीबायोटिक्स की तुलना में दस गुना अधिक प्रभावी पाया गया है। यह दवा प्रतिरोधी निमोनिया के खिलाफ महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है।
- **उपचार अवधि में कमी:** पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं के विपरीत, जिनमें लंबे उपचार की आवश्यकता होती है, नैफिथ्रोमाइसिन केवल तीन दिनों के उपचार में प्रभावी है। इससे रोगी की अनुपालन क्षमता और उपचार की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है।
- **व्यापक रोगजनक कवरेज:** यह एंटीबायोटिक विशिष्ट और असामान्य दोनों प्रकार के रोगजनकों को लक्षित करता है, जो एंटीबायोटिक विकास में एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करता है। पिछले 30 वर्षों में इस वर्ग में कोई नया एंटीबायोटिक विकसित नहीं किया गया है।
- **बेहतर सुरक्षा और सहनशीलता:** नैफिथ्रोमाइसिन के नैदानिक परीक्षणों में न्यूनतम जठरांत्र संबंधी दुष्प्रभाव और कोई महत्वपूर्ण दवा-खाद्य अंतःक्रिया नहीं पाई गई। इसकी सहनशीलता दर अधिक है, जो इसे विभिन्न प्रकार के रोगियों के लिए उपयुक्त बनाती है।

वैश्विक एएमआर संकट:

- **एएमआर का वैश्विक खतरा:** एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) वैश्विक स्वास्थ्य सेवा के लिए गंभीर चुनौती है, जो संक्रमणों का इलाज कठिन बना देता है। यह बीमारी की गंभीरता,

मृत्यु दर और स्वास्थ्य सेवा लागत में वृद्धि करता है। निमोनिया, जो हर साल 2 मिलियन से अधिक मौतों का कारण बनता है, एएमआर के वैश्विक बोझ में प्रमुख योगदान देता है। भारत में ऐसे मामलों का 23% हिस्सा दर्ज किया जाता है।

- **विकास की उपलब्धियां:** नैफिथ्रोमाइसिन के विकास में 14 वर्ष और 500 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। इसकी प्रभावशीलता को प्रमाणित करने के लिए अमेरिका, यूरोप और भारत में क्लिनिकल परीक्षण किए गए, जो इसकी बहु-आबादी में उपयोगिता को सुनिश्चित करते हैं।

India's First Indigenous Antibiotic
NAFITHROMYCIN
A milestone in combating antimicrobial resistance (AMR)

- Developed by BIRAC (Biotechnology Industry Research Assistance Council)
14 years of research, ₹500 crore investment
- 10x More Effective: Targets drug-resistant pneumonia
- 3-Day Regimen: Faster, safer, and more tolerable
- Global Breakthrough: First in its class in 30+ years
- Marketed as "Miqnaf" by Wolkardt Pharma

भारत के लिए महत्व:

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** नैफिथ्रोमाइसिन का विकास सरकार, अनुसंधान संस्थानों और दवा उद्योग के बीच सफल सहयोग का उदाहरण है। यह भारत की घरेलू स्वास्थ्य देखभाल समाधान विकसित करने की क्षमता को सशक्त करता है।
- **वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व:** इस एंटीबायोटिक के लॉन्च से भारत को एएमआर के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में एक प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। यह विशेष रूप से विश्व एएमआर जागरूकता सप्ताह के दौरान जागरूकता बढ़ाने और भारत की स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगा।

एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR):

- एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी जैसी सूक्ष्मजीव दवाओं के प्रभाव का सामना करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण बीमारी लंबे समय तक रहती है, स्वास्थ्य सेवा की लागत बढ़ती है और मृत्यु दर बढ़ जाती है।
- यह प्रतिरोध स्वाभाविक रूप से समय के साथ आनुवंशिक

बदलावों के कारण हो सकता है, लेकिन एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीपैरासिटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग के कारण यह समस्या तेजी से बढ़ रही है।

दुनिया का पहला समानांतर उपग्रह युग

चर्चा में क्यों?

भारत का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) 4 दिसंबर 2024 को प्रोबा-3 मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के सहयोग से संचालित होगा। इस अभियान के तहत, सूर्य के बाहरी वायुमंडल (सौर कोरोना) का अध्ययन करने के लिए सहगामी (Parallel) युग में उड़ान भरने वाले दुनिया के पहले उपग्रहों की जोड़ी को तैनात किया जाएगा।

प्रोबा-3 मिशन के बारे में:

- इस मिशन में दो उपग्रह शामिल हैं:
 - एक उपग्रह सूर्य का निरीक्षण करने के लिए कोरोनाग्राफ से सुसज्जित है।
 - दूसरा उपग्रह सूर्य के तीव्र प्रकाश को अवरुद्ध करने के लिए गुप्त उपकरण (Occulter) से लैस है, जिससे सौर कोरोना का अध्ययन संभव हो सके।
- उपग्रह प्रतिदिन छह घंटे तक 150 मीटर की दूरी पर गठन में उड़ान भरेंगे और फिर अलग होकर पुनः मिलेंगे।

लेजर की दिशा:

- उपग्रहों का सटीक संरेखण बनाए रखने के लिए, एक उपग्रह से लेजर दूसरे उपग्रह पर परावर्तित किया जाएगा।
- यह प्रक्रिया मिलीमीटर स्तर की सटीकता सुनिश्चित करेगी।

टकराव से बचाव और स्वायत्तता:

- उपग्रह स्वचालित रूप से अपनी स्थिति को समायोजित करेंगे ताकि टकराव या बहाव रोका जा सके। यह प्रणाली भविष्य के मिशनों के लिए उन्नत नेविगेशन का प्रदर्शन करेगी।

अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा:

- उपग्रहों को 600 किमी की परिधि और 60,530 किमी की अपोजी वाली दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लॉन्च किया जाएगा।
- इसके बाद में उन्हें अपने मिशन के लिए समानांतर कक्षा (Parallel Orbit) में प्रवेश कराया जाएगा।

दो उपग्रहों के लाभ:


- अलग-अलग उपग्रह बड़े उपकरणों के उपयोग की अनुमति देते हैं, जो कमजोर संकेतों को कैच करने और सौर अध्ययन को

गहराई से समझने में मदद करते हैं।

- यह प्रणाली सौर कोरोना की संरचना और व्यवहार का अधिक विस्तृत विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है।

मिशन की क्षमता:

- फॉर्मेशन फ्लाइटिंग परिशुद्धता:** प्रोबा-3 मिशन में उपग्रह मिलीमीटर-स्तर की सटीकता के साथ फॉर्मेशन फ्लाइटिंग बनाए रखेगा। यह पिछली तकनीकों को पीछे छोड़ते हुए अधिक जटिल अंतरिक्ष संचालन को संभव बनाएगा।
- स्वायत्त नेविगेशन:** टकराव से बचने और स्थिति को स्वायत्त रूप से समायोजित करने की उपग्रहों की क्षमता भविष्य में कई अंतरिक्ष यानों को शामिल करने वाले मिशनों के लिए महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन करती है।



पीएसएलवी की भूमिका:

- भारत का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) प्रोबा-3 मिशन लॉन्च करेगा। यह इसरो की विश्वसनीयता और अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित करता है।

ईएसए के साथ सहयोग:

- यह मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के साथ साझेदारी के माध्यम से वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।

इसरो के बारे में:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बंगलुरु, कर्नाटक में है। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के विकास और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए इन प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए जिम्मेदार है।

मुख्य उपलब्धियाँ:

- **कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता:** 1980 में एसएलवी-3 के सफल प्रक्षेपण के साथ इसरो अपने प्रक्षेपण यान के साथ वस्तुओं को कक्षा में भेजने वाला 7वाँ देश बन गया।
- **ऑपरेशनल क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन:** इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया, जिससे भारत इस तकनीक वाले छह देशों में से एक बन गया।
- **चाँद पर पानी:** चंद्रयान-1 ने चाँद पर पानी की खोज की, जिससे भारत चाँद की सतह पर पहुँचने वाला चौथा देश बन गया।
- **मार्स ऑर्बिटर मिशन (एमओएम):** भारत अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुँचने वाला पहला देश बन गया, और ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बना।
- **चंद्रयान-3:** चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग, जिससे भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया।
- **आदित्य-एल1 मिशन:** सूर्य की बाहरी परत (सौर कोरोना) का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन।

शुक्र मिशन 'शुक्रयान'

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने शुक्रयान, भारत के महत्वाकांक्षी वेनस ऑर्बिटर मिशन (VOM) को मंजूरी दी है, जो मार्च 2028 में लॉन्च होने के लिए निर्धारित है। यह ऐतिहासिक मिशन भारत के वेनस अन्वेषण में प्रवेश को चिह्नित करेगा और ग्रह के अत्यधिक पर्यावरणीय स्थितियों का अध्ययन करेगा।

मिशन के उद्देश्य:

- शुक्रयान मिशन का उद्देश्य 'पृथ्वी की बहन' कहे जाने वाले शुक्र ग्रह के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना है, इसके लिए तीन प्रमुख उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:
 - » **वेनस के वायुमंडल का अध्ययन:** यह मिशन वेनस के घने वायुमंडल, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं, की संरचना, तापमान और दबाव का अध्ययन करेगा। इससे ग्रह के अत्यधिक ग्रीनहाउस प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी।
 - » **वेनस की सतह का अन्वेषण:** उन्नत रडार और इमेजिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए, अंतरिक्ष यान वेनस की टोपोग्राफी, भूवैज्ञानिक विशेषताओं और खनिज संरचना का मानचित्रण करेगा, जो घने बादल आवरण के कारण होने वाली चुनौतियों को पार करेगा।
 - » **वेनस-सूर्य इंटरएक्शन का विश्लेषण:** शुक्रयान यह

अध्ययन करेगा कि सौर पवन वेनस के चुंबकीय क्षेत्र के साथ कैसे इंटरएक्ट करता है और सूर्य का वेनस के आयनमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिससे वेनस के चुंबकीय वातावरण की बेहतर समझ में योगदान मिलेगा।

पेलोड और प्रौद्योगिकी:

- यह अंतरिक्ष यान 16 भारतीय-निर्मित पेलोड और तीन अंतरराष्ट्रीय पेलोड लेकर जाएगा। प्रमुख उपकरणों में शामिल हैं:
 - » **वेनस सर्फेस एमिसिविटी और एटमॉस्फेरिक मैप (VSEAM):** सतह और वायुमंडल का मानचित्रण करने के लिए एक हाइपरस्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रोमीटर।
 - » **वेनस आयनोस्फेरिक और सोलर विंड पार्टिकल अनालाइजर (VISWAS):** आयनमंडल और सौर पवन के इंटरएक्शन का अध्ययन करने वाला एक प्लाज्मा विश्लेषक।
 - » **वेनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर्स (VIRAL):** वायुमंडल की संरचना और तापमान का विश्लेषण करने वाला एक स्पेक्ट्रोमीटर।

लॉन्च और बजट:

- शुक्रयान मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा तैयार किए गए स्टड-3 (GSLV Mk III) रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, जो भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। अंतरिक्ष यान वेनस के चारों ओर कक्षा में स्थापित होगा, जहां यह अपने मिशन के दौरान कई वैज्ञानिक प्रयोग करेगा।
- मिशन की अनुमानित लागत लगभग 1236 करोड़ रुपये है, जो परियोजना के पैमाने और जटिलता को दर्शाता है।

ISRO की अन्य महत्वाकांक्षाएँ

- **चंद्रयान 4:**
 - » चंद्रयान 3 का फॉलो-अप।
 - » जापान के साथ सहयोग।
 - » चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने का लक्ष्य, पानी की बर्फ का अध्ययन।
 - » 350 किलोग्राम का रोवर, जो पिछले रोवर से 12 गुना बड़ा है।
- **गगनयान मिशन:**
 - » भारत का पहला मानवयुक्त मिशन
 - » दो वर्षों में लॉन्च होने की उम्मीद, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- **भारत का अंतरिक्ष स्टेशन:**
 - » पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होगा।
 - » ISS से छोटा, पांच मॉड्यूल वाला।
 - » 2035 तक पूरी तरह से संचालन में आएगा।

एचआईवी का शीघ्र पता लगाने की तकनीक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (जेएनसीएसआर), भारत के वैज्ञानिकों ने एड्स वायरस एचआईवी-1 के शीघ्र और सटीक पहचान के लिए एक अभिनव नैदानिक मंच (Diagnostic Platform) विकसित किया है। इसे जीक्यू टोपोलॉजी-लक्षित विश्वसनीय अनुरूपण बहुरूपता (GQ Topology-targeted Reliable Conformational Polymorphism - GQ-RCP) कहा जाता है। यह मंच एचआईवी जीनोम में पाए जाने वाले विशेष चार-स्ट्रैंड डीएनए संरचनाओं, जिन्हें जी-क्वाड्रप्लेक्स (G-Quadruplex - GQ) कहा जाता है, को लक्षित करता है। यह खोज एचआईवी की सटीक जांच को सरल और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

एचआईवी का पता लगाने में वर्तमान सीमाएँ:


मौजूदा नैदानिक विधियाँ जैसे एलिसा (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay - ELISA) और पीसीआर (Polymerase Chain Reaction - PCR) विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जो एचआईवी का शीघ्र और सटीक निदान करने में बाधा उत्पन्न करती हैं:

- **शुरुआती संक्रमणों का पता न लगना:** वर्तमान परीक्षण एचआईवी संक्रमण के प्रारंभिक चरण में इसे पहचानने में विफल हो जाते हैं, जो समय पर उपचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **गलत सकारात्मक परिणाम:** कई मौजूदा परीक्षणों में एचआईवी के अलावा अन्य प्रोटीन या एंटीबॉडी के साथ प्रतिक्रिया (क्रॉस-रिएक्टिविटी) के कारण गलत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे मरीज को अनावश्यक मानसिक तनाव झेलना पड़ता है और गलत उपचार का खतरा भी उत्पन्न होता है।
- **संवेदनशीलता और धीमी प्रक्रिया:** पारंपरिक परीक्षणों में अक्सर पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं होती, जिससे संक्रमण के सूक्ष्म स्तर का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही, इन परीक्षणों में परिणाम प्राप्त करने में अधिक समय लगता है, जो त्वरित और प्रभावी निदान को बाधित करता है। ये सीमाएँ एचआईवी जैसी गंभीर बीमारी के निदान में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

एचआईवी का पता लगाने में जी-क्वाड्रप्लेक्स की भूमिका:

- जी-क्वाड्रप्लेक्स (GQ) संरचनाएं दुर्लभ चार-स्ट्रैंड डीएनए संरचनाएं हैं, जो एचआईवी जीनोम के विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं।

- जीक्यू संरचनाओं को लक्षित करने से एचआईवी का अधिक चयनात्मक और सटीक पता लगाया जा सकता है।
- यह झूठे सकारात्मक परिणामों की घटनाओं को कम करने और पारंपरिक तरीकों की सीमाओं को दूर करने में मदद करता है।



जीक्यू-आरसीपी प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है?

- यह प्लेटफॉर्म एचआईवी जीनोम के 176-न्यूक्लियोटाइड भाग को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और प्रवर्धन के माध्यम से पहचानता है।
- पीएच-मध्यस्थ प्रक्रिया डबल-स्ट्रैंड डीएनए को जीक्यू संरचना में परिवर्तित करती है। इसे एकल-चरणीय मात्रात्मक प्रक्रिया में आसानी से पता लगाया जाता है।
- बेंजोबिस्थियाजोल-आधारित फ्लोरोसेंट जांच (TGS64) विशेष रूप से GQ संरचना से जुड़ती है, जिससे उच्च चयनात्मकता और सटीकता सुनिश्चित होती है।

जी-क्वाड्रप्लेक्स (GQ)-RCP प्लेटफॉर्म के लाभ:

- **बढ़ी हुई संवेदनशीलता और सटीकता:** फ्लोरोमेट्रिक डिटेक्शन विधि संवेदनशीलता को बढ़ाती है, जिससे एचआईवी डीएनए के निम्न स्तर का पता लगाना संभव होता है। यह प्रारंभिक चरण में एचआईवी की पहचान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
- **संख्याओं में कमी:** जी-क्वाड्रप्लेक्स की अद्वितीय संरचना को लक्षित करने से पारंपरिक परीक्षणों में देखी जाने वाली क्रॉस-रिएक्टिविटी और झूठी सकारात्मकता की घटनाएं काफी हद तक कम हो जाती हैं।
- **त्वरित परीक्षण:** जीक्यू-आरसीपी प्लेटफॉर्म की एक-चरणीय प्रक्रिया पारंपरिक तरीकों की तुलना में समग्र परीक्षण समय को कम करती है, जिससे तेज और कुशल परिणाम मिलते हैं।
- **बहुपयोगी:** मूल रूप से SARS-CoV-2 के लिए डिजाइन किया गया यह प्लेटफॉर्म, एचआईवी के लिए अनुकूलनीय है। इसका उपयोग अन्य डीएनए/आरएनए आधारित रोगजनकों, जैसे बैक्टीरिया और वायरस, का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है।

व्यापक अनुप्रयोग की संभावना:

- यह प्लेटफॉर्म डीएनए और आरएनए आधारित रोगजनकों का पता लगाने की क्षमता रखता है।
- इसकी बहुमुखी कार्यक्षमता एचआईवी के साथ-साथ अन्य संक्रामक रोगों के त्वरित और विश्वसनीय निदान के लिए इसे एक प्रभावी उपकरण बनाती है।

- यह तकनीक नैदानिक प्रक्रियाओं में सुधार कर, वायरल और बैक्टीरियल रोगजनकों के लिए तेज, सटीक और किफायती परीक्षण प्रदान करने में सहायक हो सकती है।

एचआईवी के बारे में:

- एचआईवी (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस) एक वायरस है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को लक्षित करता है।
- यह वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली को लक्षित कर, विशेष रूप से सीडी4 कोशिकाओं (टी कोशिकाओं) को संक्रमित करता है, जो प्रतिरक्षा रक्षा के लिए आवश्यक हैं।
- यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए, तो एचआईवी समय के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है।
- यह स्थिति एड्स (इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम) में बदल सकती है, जो एचआईवी संक्रमण का सबसे गंभीर चरण है।
- यह बीमारी व्यक्ति को विभिन्न संक्रमणों और अन्य जटिलताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती है।

भारत की 6GHz स्पेक्ट्रम दुविधा और PS5 प्रो लॉन्च पर इसका प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैश्विक स्तर पर लॉन्च हुआ नवीनतम प्लेस्टेशन 5 प्रो (PS5 Pro) भारत में उपलब्ध नहीं हो सका, क्योंकि 6GHz वाई-फाई बैंड को अभी तक भारत में उपयोग के लिए स्वीकृति नहीं मिली है।

6GHz स्पेक्ट्रम को समझना :

- GHz स्पेक्ट्रम (5,925 मेगाहर्ट्ज - 7,125 मेगाहर्ट्ज) वाई-फाई 6E तकनीक का एक अभिन्न हिस्सा है, जोकि निम्नलिखित क्षमताओं को प्रदान करता है:
 - » Gbps तक की गति।
 - » बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और नेटवर्क भीड़भाड़ में कमी।
 - » गेमिंग, स्ट्रीमिंग, और IoT डिवाइसों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी।
- वाई-फाई 6, 2.4GHz और 5GHz बैंड के साथ-साथ 6GHz बैंड का उपयोग करता है, जिससे यह उच्च-घनत्व वाले वातावरण में भीड़भाड़ कम करता है और अधिक स्थिर कनेक्शन प्रदान करता है।

वैश्विक रझान:

- 2021 के बाद से, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान और यूएई जैसे देशों ने वाई-फाई उपयोग के लिए 6GHz स्पेक्ट्रम को लाइसेंस मुक्त कर दिया है। इससे वाई-फाई 6E और इससे संगत उपकरणों का तेजी से विकास हुआ है।
- हालांकि, भारत और चीन ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है,

जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक तकनीकी पहुंच में असमानताएँ बनी हुई हैं।

भारत में 6GHz स्पेक्ट्रम पर बहस:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पास उपग्रह संचार के लिए 6GHz स्पेक्ट्रम के अधिकार हैं।
 - » **प्रौद्योगिकी कंपनियों का रुख:** गूगल, मेटा और अमेजन जैसी कंपनियां इस स्पेक्ट्रम को वाई-फाई के लिए लाइसेंस मुक्त करने का समर्थन कर रही हैं। उनका तर्क है कि ऐसा करने से सैटेलाइट सेवाओं में हस्तक्षेप किए बिना इंटरनेट की गति और कनेक्टिविटी में सुधार हो सकता है।
 - » **दूरसंचार ऑपरेटरों की मांग:** दूरसंचार कंपनियां 5G और 6G नेटवर्क के लिए इस स्पेक्ट्रम के आवंटन पर जोर दे रही हैं, ताकि मोबाइल डेटा की गति बढ़ाई जा सके और नेटवर्क क्षमता में सुधार किया जा सके।
- विश्व रेडियो संचार सम्मेलन (डब्ल्यूआरसी) के अनुसार दूरसंचार विभाग (डीओटी) को 2027 तक स्पेक्ट्रम आवंटन पर निर्णय लेना होगा।

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार पर प्रभाव:

- **सीमित डिवाइस प्रदर्शन:** भारत में वाई-फाई 6ई राउटर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते, जिससे वायरलेस कनेक्टिविटी में अपेक्षित प्रगति बाधित हो रही है।
- **प्रौद्योगिकी तक पहुंच में विलंब:** पीएस5 प्रो जैसे उच्च प्रदर्शन वाले उपकरणों और वाई-फाई 6ई व वाई-फाई 7 पर निर्भर अन्य गैजेट्स के भारतीय बाजार में प्रवेश में देरी हो रही है।
- **तकनीकी नवाचार में रुकावट:** वाई-फाई 6 (जो केवल 2.4GHz और 5GHz बैंड का उपयोग करता है) कनेक्टिविटी में सुधार तो करता है, लेकिन 6GHz स्पेक्ट्रम की अनुपलब्धता इसकी क्षमताओं को सीमित कर देती है।

निष्कर्ष:

6GHz स्पेक्ट्रम पर भारत के अनिर्णय का असर कनेक्टिविटी, तकनीकी नवाचार और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स तक उपभोक्ताओं की पहुंच पर पड़ रहा है। दूरसंचार, तकनीकी कंपनियों और उपग्रह सेवाओं की मांगों को संतुलित करने वाला एक सुविचारित समाधान भविष्य की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।



आर्थिक मुद्दे



सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस): भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए एक आवश्यक साधन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी तंत्र है। यह 813.5 मिलियन से अधिक लोगों को खाद्यान्न प्रदान करता है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य वितरण कार्यक्रम बन जाता है। पीडीएस का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है, ताकि भूख और कुपोषण जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

ऐतिहासिक संदर्भ और विकास:

- पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब खाद्य आपूर्ति में कमी थी और सरकार ने खाद्य नियंत्रण तंत्र लागू किया था। 1943 के बंगाल के अकाल ने औपचारिक खाद्य वितरण प्रणाली की आवश्यकता को उजागर किया। 1992 में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आरपीडीएस) को शुरू किया गया, जिसने दूरदराज के क्षेत्रों में खाद्य वितरण को प्राथमिकता दी।
- इसके बाद 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) लागू की गई, जो विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को लक्षित करती थी। 2013 में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) ने खाद्य कवरेज को और विस्तार दिया और इसे आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए कानूनी अधिकार बना दिया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य:

पीडीएस के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- **किफायती मूल्य पर आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना:** इसका मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों की खाद्य असुरक्षा को कम करना है।
- **कीमतों में स्थिरता:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली आवश्यक खाद्य वस्तुओं के बाजार मूल्य को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होती है।
- **जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना:** पीडीएस खाद्यान्न की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करके बाजार में कालाबाजारी को रोकता है।
- **भूख और कुपोषण को समाप्त करना:** इसका लक्ष्य विशेष रूप से वंचित समुदायों में खाद्य असुरक्षा से निपटना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यकरण:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली चार प्रमुख चरणों में संचालित होती है:


- **खाद्यान्न की खरीद:** सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न खरीदती है। यह प्रक्रिया बाजार की कीमतों को स्थिर रखने और खाद्य आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करती है, खासकर आपातकालीन स्थितियों में। हालांकि, खुली खरीद नीति के तहत अधिशेष स्टॉक के कारण कभी-कभी

मूल्य विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं।

- **खाद्यान्न का भंडारण:** खरीद के बाद, खाद्यान्न को एफसीआई द्वारा गोदामों में संग्रहीत किया जाता है। भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन अपर्याप्त क्षमता और अनुचित भंडारण विधियों जैसी चुनौतियां खाद्यान्न के खराब होने या बर्बाद होने का कारण बन जाती हैं। अकुशल भंडारण प्रबंधन के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण नुकसान हो जाता है।
- **खाद्यान्न का आवंटन:** केंद्र सरकार राज्यों को खाद्यान्न आवंटित करती है, जो फिर उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को वितरित करते हैं। आवंटन राज्य सरकारों द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों की संख्या पर निर्भर करता है। बीपीएल परिवारों की गलत पहचान जैसे मुद्दे खाद्य वितरण में अक्षमता पैदा करते हैं।
- **परिवहन और वितरण:** एफसीआई अनाज के अंतरराज्यीय परिवहन को संभालता है, जबकि राज्य सरकारें एफपीएस के माध्यम से उपभोक्ताओं तक अनाज पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। हालांकि, परिवहन के दौरान अनाज का रिसाव और डायवर्सन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे प्रणाली की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का महत्व:

- टीपीडीएस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध हो। यह लक्षित दृष्टिकोण समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सब्सिडी देने में मदद करता है। 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) ने भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी तक पीडीएस के कवरेज का विस्तार किया, जिससे उनके लिए भोजन एक कानूनी अधिकार बन गया। एनएफएसए के तहत, 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी सब्सिडी वाले भोजन के लिए पात्र हैं।



सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समक्ष चुनौतियाँ:

अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली

को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

- **रिसाव और भ्रष्टाचार:** पीडीएस में रिसाव एक गंभीर समस्या है। गरीबों के लिए आवंटित खाद्यान्न दूसरे के हाथ में चला जाता है या खुले बाजार में बेच दिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, आवंटित अनाज का लगभग 28% हिस्सा इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे 69,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होता है। फर्जी राशन कार्ड सहित वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।
- **लाभार्थी पहचान में अकुशलता:** सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान में खामियाँ हैं। वर्गीकरण में त्रुटियाँ और बीपीएल पहचान में धोखाधड़ी के कारण अक्षमताएँ उत्पन्न हुई हैं। कुछ गैर-जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिला है, जबकि जरूरतमंद परिवारों तक अनाज नहीं पहुंचता है।
- **अपर्याप्त भंडारण और बुनियादी ढांचा:** एफसीआई की भंडारण क्षमता अपर्याप्त है, जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न खराब हो जाता है। इसके अतिरिक्त, परिवहन बुनियादी ढांचा भी हमेशा विश्वसनीय नहीं होता है, जिससे अनाज की हानि और डायवर्सन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** पीडीएस की प्रभावशीलता राज्यों के हिसाब से अलग-अलग है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने अपनी व्यवस्थाओं में सुधार किया है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों को कम डिजिटलीकरण और अन्य बुनियादी ढांचे की समस्याओं के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार:

- **आधार लिंकिंग और डिजिटलीकरण:** पीडीएस को आधार से जोड़ने से धोखाधड़ी को कम करने में मदद मिली है और यह सुनिश्चित किया गया है कि खाद्यान्न सही लाभार्थियों तक पहुंचे। अभिलेखों का डिजिटलीकरण पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करता है।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** डीबीटी योजना के तहत लाभार्थियों को सीधे नकद हस्तांतरण किया जाता है, जिससे उन्हें किसी भी बाजार से खाद्यान्न खरीदने की स्वतंत्रता मिलती है। यह प्रणाली लीकेज और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करती है।
- **एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड:** इस पहल से लाभार्थियों को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा मिलती है, जिससे पोर्टेबिलिटी में वृद्धि होती है और प्रवासी श्रमिकों के लिए पहुंच सुनिश्चित होती है।
- **उचित मूल्य की दुकानों का कम्प्यूटरीकरण:** उचित मूल्य की दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनों की शुरुआत से अनाज वितरण स्वचालित हो गया है और रिकॉर्ड-कीपिंग में

सुधार हुआ है। इससे पारदर्शिता में वृद्धि हुई है और गलतियाँ कम हुई हैं।

- **खाद्य कूपन प्रणाली:** कुछ राज्यों में खाद्य कूपन की शुरुआत की गई है, जिनका उपयोग बुनियादी अनाज के बजाय विभिन्न प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए किया जा सकता है। यह मॉडल लाभार्थियों के लिए अधिक विविध और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भारत की खाद्य सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो वंचित और कमजोर वर्गों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करती है। इसका उद्देश्य भूख,

कुपोषण और खाद्य असुरक्षा से निपटना है। हालांकि, इसके संचालन में लीकेज, लाभार्थियों की पहचान में गलतियाँ और अपयाप्त बुनियादी ढाँचे जैसी चुनौतियाँ हैं, फिर भी आधार लिंकिंग, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' जैसे सुधारों ने पारदर्शिता और दक्षता में सुधार किया है। इन सुधारों ने खाद्यान्न वितरण को विश्वसनीय और सुगम बनाया है, लेकिन पीडीएस को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए और सुधारों की आवश्यकता है। सही तरीके से लागू किए गए सुधार पीडीएस को भारत में खाद्य सुरक्षा और कुपोषण में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

संक्षिप्त मुद्दे

आरबीआई ने एफपीआई को एफडीआई में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए रुपरेखा पेश की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में बदलने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक परिचालन ढांचा प्रस्तुत किया है। यह तब लागू होगा जब एफपीआई भारतीय कंपनियों में 10% की निर्धारित सीमा को पार कर जाता है। यह ढांचा 30 मई 2024 से प्रभावी होगा और यह सेबी के हालिया अद्यतन के अनुरूप है, जो 10% से अधिक एफपीआई होल्डिंग्स को पुनर्वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।

भारत में एफपीआई निवेश सीमाएँ:

- मौजूदा नियमों के अनुसार, एफपीआई को किसी कंपनी की कुल इक्विटी पूंजी का अधिकतम 10% हिस्सा रखने की अनुमति है।
- यदि एफपीआई इस सीमा को पार कर जाता है, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं:
 - » **विनिवेश:** 10% की सीमा के भीतर रहने के लिए अतिरिक्त शेयरों को बेचना।
 - » **पुनर्वर्गीकरण:** अतिरिक्त हिस्सेदारी को एफडीआई में बदलना, जिसके लिए भारत सरकार और निवेशित कंपनी से अनुमोदन आवश्यक है।

आरबीआई के नए ढांचे की मुख्य विशेषताएँ:

- **पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया:**
 - » यदि एफपीआई की हिस्सेदारी 10% से अधिक है, तो एफपीआई को अतिरिक्त शेयरों को एफडीआई के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का विकल्प मिलेगा।
 - » पुनर्वर्गीकृत हिस्सेदारी को एफडीआई माना जाएगा, भले ही बाद में हिस्सेदारी 10% से कम हो जाए।
- **पुनर्वर्गीकरण की समयसीमा:**
 - » पुनर्वर्गीकरण 10% की सीमा का उल्लंघन होने की तिथि से पांच कारोबारी दिनों के भीतर पूरा करना होगा।
 - » इससे एफपीआई के लिए समय पर अनुपालन और स्पष्टता सुनिश्चित होती है।
- **नियामक स्वीकृतियाँ:**
 - » पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया के लिए भारत सरकार और निवेशित कंपनी दोनों से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 - » पुनर्वर्गीकृत निवेश को मौजूदा एफडीआई मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें क्षेत्रीय सीमा, प्रवेश मार्ग और अन्य शर्तें शामिल हैं।
- **संरक्षक की भूमिका:**
 - » एफपीआई को अपने कस्टोडियन को पुनर्वर्गीकरण के इरादे के बारे में सूचित करना होगा।
 - » कस्टोडियन एफपीआई के निर्दिष्ट डीमैट खाते से प्रतिभूतियों को एफडीआई होल्डिंग्स के लिए विशेष रूप से स्थापित खाते में स्थानांतरित करने में सहायता करेगा।
- **प्रतिबंध वाले क्षेत्र:**
 - » उन क्षेत्रों में पुनर्वर्गीकरण की अनुमति नहीं होगी, जहाँ एफडीआई प्रतिबंधित है, जैसे रक्षा, दूरसंचार, और राष्ट्रीय

सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र।

- » यह सुनिश्चित करता है कि पुनर्वर्गीकरण देश की एफडीआई नीति के अनुरूप हो और संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी स्वामित्व को रोका जा सके।
- **रिपोर्टिंग और अनुपालन:**
 - » विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का अनुपालन करना होगा और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान का तरीका और गैर-ऋण उपकरणों की रिपोर्टिंग) विनियम, 2019 के तहत आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
 - » संरक्षक द्वारा अनुपालन की पुष्टि होने के बाद, पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

विदेशी निवेशकों के लिए निहितार्थ:

- **उन्नत लचीलापन:**
 - » नया ढांचा एफपीआई को 10% से अधिक निवेश को एफडीआई में परिवर्तित करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करता है।
 - » यह रूपांतरण स्वामित्व का स्थायी और रणनीतिक स्वरूप प्रदान करता है, जोकि दीर्घकालिक निवेश लक्ष्यों से मेल खाता है।
- **पारदर्शिता और स्पष्टता:**
 - » नया ढांचा पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया में स्पष्टता लाता है, जिससे एफपीआई को विनियामक आवश्यकताओं, समयसीमा और प्रक्रिया में शामिल चरणों को समझने में मदद मिलती है।
- **दीर्घकालिक जुड़ाव:**
 - » एफडीआई में पुनर्वर्गीकरण की सुविधा प्रदान करके, यह ढांचा एफपीआई को भारतीय निवेशों को अल्पकालिक स्थिति के बजाय दीर्घकालिक, रणनीतिक प्रतिबद्धताओं के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है।
 - » इस बदलाव से विदेशी भागीदारी में वृद्धि और भारतीय कंपनियों के सतत विकास में योगदान मिलने की संभावना है।

पैन 2.0 परियोजना: भारत में करदाता सेवाओं में परिवर्तन

चर्चा में क्यों?


हाल ही में भारत सरकार ने पैन 2.0 परियोजना की शुरुआत की है, जोकि मौजूदा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रणाली को उन्नत बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल है। 1,435 करोड़ के निवेश के साथ, इस परियोजना का उद्देश्य करदाता पंजीकरण सेवाओं को आधुनिक बनाना, दक्षता, पहुंच और डेटा सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

पैन क्या है?

- स्थायी खाता संख्या (पैन) आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला एक अद्वितीय 10-अंकीय अल्फान्यूमेरिक कोड है। यह भारत की कर प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पैन का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है:
 - » आयकर रिटर्न दाखिल करना।
 - » बैंक खाता खोलना।
 - » उच्च मूल्य के वित्तीय और व्यावसायिक लेन-देन का संचालन।

पैन 2.0 परियोजना के मुख्य उद्देश्य:

- **प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तन:** करदाता पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने और पैन/टैन जारी करने एवं सत्यापन सेवाओं को स्वचालित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- **पहुंच में आसानी और शीघ्र सेवा वितरण:**
 - » कर और वित्तीय प्रणालियों के साथ निर्बाध संपर्क के लिए पैन को अन्य डिजिटल सरकारी सेवाओं के साथ एकीकृत करना।
 - » पैन जारी करने और सत्यापन प्रक्रियाओं को तीव्र और कुशल बनाना।
- **डेटा संगतता:** करदाता डेटा में त्रुटियों और विसंगतियों को कम करने के लिए सही पहचान का एकल स्रोत स्थापित करना।
- **पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाएं:** कागज आधारित अनुप्रयोगों से पूर्णतया डिजिटल प्रक्रियाओं की ओर बदलाव, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित होगी।
- **लागत अनुकूलन:** परिचालन लागत को कम करने और करदाता सेवा की दक्षता बढ़ाने के लिए स्वचालन और डिजिटल उपकरणों का समावेश।
- **उन्नत सुरक्षा:** सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल सेवा वितरण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना।



विजन: डिजिटल इंडिया और कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर

- पैन 2.0 परियोजना डिजिटल इंडिया पहल के साथ संरेखित है, जिसका लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना

है। पैन को एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में उपयोग करके, परियोजना सभी डिजिटल सरकारी प्रणालियों में संवाद को सरल बनाती है।

पैन 2.0 के लाभ:

- **करदाता सुविधा:** पैन के प्रबंधन और आवेदन की प्रक्रिया को सरल और तीव्र बनाना।
- **एकीकरण:** डिजिटल प्रणालियों के साथ पैन का संरेखण उत्तरदायी और व्यक्तिगत सरकारी सेवाओं को सक्षम बनाता है।
- **सरकारी दक्षता:** केंद्रीकृत डेटा सूचना और सार्वजनिक सेवा वितरण के प्रबंधन में सुधार करता है।
- **वित्तीय समावेशन:** औपचारिक लेनदेन को प्रोत्साहित करता है, बैंकिंग और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देता है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास:** डेटा प्रबंधन, समावेशिता और सुचारु डिजिटल इंटरैक्शन को बढ़ावा देता है।
- पैन 2.0 परियोजना डिजिटल इंडिया के विजन को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जोकि भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देती है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) पहल को शुरू किया है। इस मिशन के लिए 2,481 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान 1,584 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 897 करोड़ रुपये है।

- इसका उद्देश्य 2025-26 तक 1 करोड़ किसानों को लाभान्वित करना है। यह योजना रसायन मुक्त और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए पारंपरिक कृषि-पारिस्थितिक ज्ञान के साथ आधुनिक कृषि को संरेखित करने का प्रयास करती है।

उद्देश्य एवं विशेषताएँ:

- एनएमएनएफ का उद्देश्य इनपुट लागत को कम करना, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना और पौष्टिक, रसायन-मुक्त भोजन सुनिश्चित करना है। यह मिशन पशुधन और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके जीवामृत और बीजामृत जैसी प्राकृतिक खेती की विधियों को प्रोत्साहित करता है।
- मिशन निम्नलिखित कार्य करेगा:
 - » 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 15,000 क्लस्टरों में परिचालन।
 - » उपयोग हेतु तैयार प्राकृतिक कृषि इनपुट की आपूर्ति के लिए

- 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना।
- » कृषि में 2,000 मॉडल प्रदर्शन फार्म विकसित करना, जिसे विज्ञान केंद्रों (के.वी.के.), कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों में आयोजित किया जाएगा।
- » 18.75 लाख किसानों को प्रशिक्षित करना और 30,000 कृषि यंत्रों की तैनाती।
- » जागरूकता और मार्गदर्शन के लिए सखियों/सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की तैनाती।

National Mission on Natural Farming

Cabinet approves National Mission on Natural Farming (NMNF) as a standalone Centrally Sponsored Scheme under the Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare

Salient features

- Mission to promote natural farming in mission mode across the country
- Total outlay of **Rs.2481 crore** (Government of India share – **Rs.1584 crore** and States' share – **Rs.897 crore**)
- To be implemented in **15,000 clusters in Gram Panchayats**, which are willing, & reach **1 crore farmers** and initiate **Natural Farming in 7.5 lakh Ha area**
- Preference to be given to areas having prevalence of practising **NF farmers, SRLM / PACS / FPOs, etc**



क्रियान्वयन और निगरानी:

- जियो-टैग्ड पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी, पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। प्राकृतिक खेती के उत्पादों का प्रमाणन और ब्रांडिंग बाजार तक आसान पहुंच बनाएंगे। अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण स्थानीय पशुधन, बाजार संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करेगा।
- इसके अतिरिक्त, छात्रों को RAWE कार्यक्रम और प्राकृतिक खेती में समर्पित पाठ्यक्रमों के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

लाभ:

- » **पर्यावरणीय स्थिरता:** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए मिट्टी की उर्वरता, जल उपयोग दक्षता और जैव विविधता में सुधार करता है।
- » **आर्थिक लाभ:** महंगे इनपुट पर निर्भरता कम होने से खेती की लागत घटती है और किसानों की आय में वृद्धि होती है।
- » **स्वास्थ्य लाभ:** रसायन-मुक्त और पौष्टिक भोजन प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम न्यूनतम हो जाते हैं।

» **जलवायु लचीलापन:** बाढ़, सूखे और अन्य जलवायु जोखिमों के प्रति कृषि की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाता है। एनएमएनएफ एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना करता है, जोकि पारंपरिक और टिकाऊ प्रथाओं को एकीकृत कर 'स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ भोजन और स्वस्थ राष्ट्र' सुनिश्चित करता है। यह पहल भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव को चिह्नित करती है, जिससे किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण को समान रूप से लाभ होता है।

भारत में युवा बेरोजगारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत में युवा बेरोजगारी एक दीर्घकालिक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि यहाँ युवा आबादी अधिक और गतिशील है। हालांकि, नवीनतम आँकड़े यह दर्शाते हैं कि भारत की युवा बेरोजगारी दर वैश्विक औसत से कम है, जोकि रोजगार सृजन के क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति को दर्शाता है।

युवा बेरोजगारी: वैश्विक परिप्रेक्ष्य

- युवा बेरोजगारी का अर्थ 15-24 (या कभी-कभी 15-29) आयु वर्ग के उन व्यक्तियों के प्रतिशत से है, जो सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यह किसी देश के श्रम बाजार की स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, वैश्विक युवा बेरोजगारी दर 2021 में 15.6% से घटकर 2023 में 13.3% हो गई, जो देशों के सामने पर्याप्त रोजगार अवसर प्रदान करने की चुनौती को उजागर करती है।

भारत में युवा बेरोजगारी: वर्तमान रुझान

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की रिपोर्ट के अनुसार, 15-29 आयु वर्ग के युवाओं के लिए भारत की बेरोजगारी दर 2023-24 में 10.2% होगी, जो वैश्विक औसत 13.3% से कम है।
- पीएलएफएस के प्रमुख संकेतक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं:
 - » **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):** 2017-18 में 31.4% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो जाएगा, जोकि युवा रोजगार में सुधार का संकेत है।
 - » **EPFO पेट्रोल डेटा:** यह डेटा औपचारिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि को दर्शाता है। 2023-24 में 1.3 करोड़ से अधिक नए ग्राहक EPFO में शामिल हुए और 2017 से 2024 के बीच 7.03 करोड़ से अधिक नए ग्राहक जुड़े।

States/UTs with high unemployment rate in July 2023-June 2024 period

STATE/UT	Male	Female	Person
Lakshadweep	26.2	79.7	36.2
Andaman & N Islands	24	49.5	33.6
Kerala	19.3	47.1	29.9
Nagaland	27.9	26.6	27.4
Manipur	19.9	27.5	22.9
Ladakh	11.4	38.3	22.2
Arunachal Pradesh	21.9	19.6	20.9
Goa	13.2	31	19.1
Punjab	16.7	24.5	18.8
Andhra Pradesh	16.4	19.7	17.5

States/UTs with lowest youth unemployment rate

STATE/UT	Male	Female	Person
Madhya Pradesh	2.8	2.1	2.6
Gujarat	3.3	2.7	3.1
Jharkhand	4.8	1.5	3.6
Delhi	4.6	4.8	4.6
Chhattisgarh	6.6	5.8	6.3
Dadra & Nagar Haveli	7.8	3.7	6.6
Tripura	6.8	6.7	6.8
Sikkim	8.3	6.8	7.7
West Bengal	8.5	10	9
Uttar Pradesh	9.3	12.3	9.8

रोजगार को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल:

- युवा बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने रोजगार सृजन, कौशल विकास और उद्यमिता पर केंद्रित कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है:
 - » **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों और रोजगार सृजन को समर्थन देता है।
 - » **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** यह योजना युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किरायायती ऋण उपलब्ध कराती है।
 - » **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY):** यह योजना उच्च मांग वाले क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है।
 - » **ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (RSETI):** युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करने हेतु उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

भारत के प्रयासों के परिणामस्वरूप युवा बेरोजगारी दर में गिरावट और रोजगार संकेतकों में सुधार हो रहा है। कौशल विकास, रोजगार के

औपचारिकीकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने में निरंतर निवेश इस सकारात्मक प्रवृत्ति को बनाए रखने, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने और देश के युवा कार्यबल की क्षमता को विकसित करने के लिए आवश्यक है।

- इन प्रावधानों का उद्देश्य डिजाइन पंजीकरण को सरल बनाना है, जिससे यह विश्व भर के आवेदकों के लिए अधिक पूर्वानुमानित, कम जटिल और किफायती बन सके।

बौद्धिक संपदा को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के तहत डिजाइन कानून संधि (DLT) पर हस्ताक्षर करके समावेशी विकास को बढ़ावा देने और अपनी बौद्धिक संपदा (IP) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि की है।

- लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद, WIPO के सदस्य देशों ने इस ऐतिहासिक संधि को अपनाया, जिसका उद्देश्य वैश्विक डिजाइन संरक्षण को सुसंगत बनाना और इसे विशेष रूप से स्टार्टअप्स, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) और स्वतंत्र डिजाइनरों के लिए अधिक सुलभ और कुशल बनाना है।


डिजाइन कानून संधि (डीएलटी) के प्रमुख प्रावधान:

- डीएलटी ने औद्योगिक डिजाइन पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और उन्नत बनाने के लिए कई प्रावधान प्रस्तुत किए हैं:
 - » **एकल आवेदन में अनेक डिजाइन:** यह संधि आवेदकों को कुछ शर्तों के अधीन एक ही आवेदन में अनेक डिजाइन दाखिल करने की अनुमति देती है, जिससे कार्यकुशलता में सुधार होता है।
 - » **प्रकाशन के लचीले प्रावधान:** आवेदक दाखिल करने की तिथि प्राप्त करने के बाद छह महीने तक डिजाइन को अप्रकाशित रख सकते हैं, जिससे समय से पहले प्रकाशन के खिलाफ सुरक्षा मिलती है।
 - » **प्रकटीकरण के लिए अवधि:** 12 महीने की रियायती अवधि शुरू की गई है, जो आवेदकों को पंजीकरण वैधता से समझौता किए बिना अपने डिजाइन का खुलासा करने की अनुमति देती है।
 - » **ई-फाइलिंग प्रणाली:** इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और प्राथमिकता दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान की शुरुआत से आवेदन प्रक्रिया सरल हो गई है, और यह अधिक सुलभ हो गई है।
 - » **दाखिल करने की तिथि से संबंधित आवश्यकताएँ:** संधि में आवेदन की तिथि निर्धारित करने के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं और अधिकारों को खोने से बचने के लिए समय पर आवेदन दाखिल करने के महत्व पर जोर दिया गया है।



डीएलटी का महत्व:

- डीएलटी स्टार्टअप्स, एसएमई और स्वतंत्र डिजाइनरों को उनके डिजाइनों के लिए वैश्विक सुरक्षा प्रदान करके सशक्त बनाता है। प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को मानकीकृत करके, संधि प्रशासनिक बोझ को कम करती है और वैश्विक रचनात्मकता को बढ़ावा देती है।
- डिजाइन संरक्षण पर भारत के नीतिगत प्रयास इसके आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, नवाचार और बाजार विकास को समर्थन देने के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।
- स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) योजना जैसे कार्यक्रम उद्यमियों के लिए आईपी पहुंच को सुविधाजनक बनाकर डीएलटी के पूरक हैं।



डिजाइन पंजीकरण में भारत की प्रगति:

- भारत ने आर्थिक विकास में डिजाइन के महत्व को लंबे समय

से पहचाना है। हाल के वर्षों में डिजाइन पंजीकरण में उछाल आया है, पिछले दो वर्षों में अकेले घरेलू दाखिलों में 120% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष डिजाइन आवेदनों में 25% की वृद्धि हुई, जोकि डिजाइन संरक्षण के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

डब्ल्यूआईपीओ और भारत का योगदान:

- डब्ल्यूआईपीओ (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन), एक विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, जो वैश्विक स्तर पर आईपी अधिकारों को बढ़ावा देती है। भारत द्वारा डीएलटी पर हस्ताक्षर करने से उसका आईपी पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है और वैश्विक डिजाइन संरक्षण का समर्थन होता है, जो डब्ल्यूआईपीओ के लक्ष्यों में योगदान करता है।

निष्कर्ष:

औद्योगिक डिजाइन संरक्षण को अधिक सुलभ और कुशल बनाने की दिशा में डीएलटी एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के लिए, यह आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है, स्टार्टअप और एसएमई को सशक्त बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश की रचनात्मकता वैश्विक रूप से संरक्षित है, जिससे सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है।

भारत में दूध, मांस और अंडा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी-2024 में दी गई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दूध, मांस और अंडे के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- **दूध उत्पादन:**
 - » **वृद्धि:** भारत में दूध उत्पादन 2023-24 में 3.78% बढ़कर अनुमानित कुल 239.30 मिलियन टन तक पहुंच गया।
 - » ऐतिहासिक वृद्धि: पिछले दशक में भारत का दूध उत्पादन 5.62% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है। 2014-15 में दूध उत्पादन 146.3 मिलियन टन था।
 - » **वैश्विक रैंकिंग:** भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना हुआ है और अन्य दूध उत्पादक देशों से काफी अधिक अंतर से आगे है।
 - » **राज्यवार योगदान:**
 - कुल दूध उत्पादन में 16.21% के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है, इसके बाद राजस्थान (14.51%), मध्य प्रदेश (8.91%), गुजरात (7.65%),

और महाराष्ट्र (6.71%) का स्थान है।

- पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों ने 2022-23 की तुलना में 2023-24 के लिए क्रमशः 9.76% और 9.04% की उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की।

अंडा उत्पादन:

- » **वृद्धि:** 2023-24 के लिए भारत का अंडा उत्पादन 142.77 बिलियन अंडे तक पहुंचने का अनुमान है, जोकि पिछले दशक की तुलना में 6.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है।
- » **वार्षिक वृद्धि:** अंडा उत्पादन में पिछले वर्ष (138.38 बिलियन अंडे) की तुलना में 3.18% की वृद्धि हुई।
- » **वैश्विक रैंकिंग:** भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़े अंडा उत्पादक देश का स्थान रखता है, जोकि वैश्विक अंडा आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- » **राज्यवार योगदान:**
 - कुल अंडा उत्पादन में 17.85% हिस्सेदारी के साथ आंध्र प्रदेश देश में सबसे आगे है, इसके बाद तमिलनाडु (15.64%), तेलंगाना (12.88%), पश्चिम बंगाल (11.37%), और कर्नाटक (6.63%) का स्थान है।

मांस उत्पादन:

- » **वृद्धि:** भारत में 2023-24 के लिए मांस उत्पादन 10.25 मिलियन टन होने का अनुमान है, जोकि पिछले दशक की तुलना में 4.85% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। देश का मांस उत्पादन 2014-15 में 6.69 मिलियन टन से बढ़ा है।
- » **वार्षिक वृद्धि:** 2023-24 के दौरान मांस उत्पादन में पिछले वर्ष (9.77 मिलियन टन) की तुलना में 4.95% की वृद्धि हुई।
- » **संघटन:**
 - मुर्गीपालन का इसमें प्रमुख योगदान है, जोकि कुल मांस उत्पादन का 48.96% है।
 - मांस के अन्य स्रोतों में भैंस का मांस (18.09%), मवेशी (2.60%), भेड़ (11.13%), बकरी (15.50%), और सूअर का मांस (3.72%) शामिल हैं।
- » **राज्यवार योगदान:**
 - पश्चिम बंगाल 12.62% के साथ सबसे बड़ा मांस उत्पादक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश (12.29%), महाराष्ट्र (11.28%), तेलंगाना (10.85%), और आंध्र प्रदेश (10.41%) का स्थान है।
 - मांस उत्पादन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर असम (17.93%) में दर्ज की गई, उसके बाद उत्तराखंड (15.63%) तथा छत्तीसगढ़ (11.70%) का स्थान रहा।

ऊन उत्पादन:

- » **वृद्धि:** 2023-24 में भारत का ऊन उत्पादन 33.69

मिलियन किलोग्राम होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.22% की मामूली वृद्धि दर्शाता है। इसकी तुलना 2019-20 में 36.76 मिलियन किलोग्राम और पिछले वर्ष 33.61 मिलियन किलोग्राम से की जा सकती है।

» राज्यवार योगदान:

- राजस्थान ऊन उत्पादन में अग्रणी है, जोकि कुल उत्पादन में 47.53% का योगदान देता है, इसके बाद जम्मू और कश्मीर (23.06%), गुजरात (6.18%), महाराष्ट्र (4.75%), और हिमाचल प्रदेश (4.22%) का स्थान आता है।

डिजिटल करेंसी: वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव

चर्चा में क्यों?

डिजिटल करेंसी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को बदल रही है। दुनिया भर में सेंट्रल बैंक और सरकारें इलेक्ट्रॉनिक मनी लागू करने के नए तरीकों पर काम कर रही हैं। हाल के वर्षों में दो बड़े प्रयास सामने आए हैं: यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) द्वारा डिजिटल यूरो और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा डिजिटल रुपया। ये डिजिटल करेंसी पैसे के इस्तेमाल और लेन-देन के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाते हैं, जो तेज लेन-देन और कम शुल्क जैसे फायदे प्रदान करते हैं।

डिजिटल करेंसी क्या है?


- डिजिटल करेंसी किसी भी ऐसे पैसे को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित और उपयोग किया जाता है। सिक्कों या कागजी नोटों जैसी भौतिक मुद्राओं के विपरीत, डिजिटल करेंसी केवल डिजिटल रूप में मौजूद होती है और ऑनलाइन लेन-देन के लिए उपयोग की जाती है। डिजिटल करेंसी दो प्रकार की होती है:
 - » **क्रिप्टोकॉर्सेसी:** यह एक विकेंद्रीकृत डिजिटल करेंसी है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है और ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है। उदाहरण: बिटकॉइन, एथेरियम और रिपल (XRP)। इसे सरकार या किसी सेंट्रल बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता।
 - » **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC):** यह किसी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी और नियंत्रित डिजिटल करेंसी है। इसे उस देश की आधिकारिक मुद्रा का डिजिटल रूप माना जाता है।

डिजिटल यूरो


- डिजिटल यूरो को यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) द्वारा एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसकी तैयारी 2023 में शुरू हुई। डिजिटल यूरो को कैंश के डिजिटल रूप में पेश किया जाएगा, जो यूरो क्षेत्र के सभी

लोगों के लिए उपलब्ध होगा।


What is Cryptocurrency



Cryptocurrency is digital money created from code.




The cryptocurrency economy is monitored by a peer-to-peer internet protocol.




Cryptocurrency is an encrypted string of data or a hash, encoded to signify one unit of currency.


Examples of Cryptocurrency



Bitcoin Market Cap
\$127,331,758,431



Ethereum Market Cap
\$24,383,863,767



XRP Market Cap
\$18,187,690,567

भारत का डिजिटल रुपया

- भारत का डिजिटल रुपया, जिसे eRS या eINR भी कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लॉन्च किया गया है। RBI ने 2022 में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया।
- डिजिटल रुपया लेन-देन की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने का लक्ष्य रखता है और यह पारंपरिक नकद प्रणाली का एक विकल्प प्रदान करता है। डिजिटल रुपया दो प्रकारों में उपलब्ध है:
 - » **थोक CBDC (e₹&W):** बैंकों के बीच भुगतान और निपटान को सरल बनाने के लिए।
 - » **खुदरा CBDC (e₹&R):** आम जनता के लिए, जो सामान्य नकदी की तरह उपयोग किया जा सकता है।

मुख्य विशेषताएं:

- यह ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक पर आधारित है।
- यह भारतीय रुपये का डिजिटल रूप है और इसे वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से भौतिक नकदी में बदला जा सकता है।
- यह एक वैध मुद्रा है, जिसे व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारी संस्थाएं स्वीकार कर सकती हैं।

डिजिटल करेंसी का महत्व:

- **तेज और सुरक्षित लेन-देन:** डिजिटल करेंसी पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम की तुलना में तेज और सुरक्षित लेन-देन की सुविधा देती है।
- **वित्तीय समावेशन:** डिजिटल करेंसी उन लोगों को भी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर सकती है जिनके पास पारंपरिक बैंक तक पहुंच नहीं है।

- **कम लागत:** बिचौलियों (जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनियों) को हटाकर लेन-देन शुल्क को कम किया जा सकता है।
- **सरकारी नियंत्रण:** सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग सब्सिडी जैसे विशेष उद्देश्यों के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं, ताकि उसका दुरुपयोग न हो।

निष्कर्ष:

डिजिटल यूरो और डिजिटल रुपया जैसी डिजिटल करेंसी वित्तीय सिस्टम को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार द्वारा समर्थित इस इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा से लेन-देन को बेहतर बनाने और आम जनता के लिए इसे अधिक सुलभ बनाने का प्रयास हो रहा है। जैसे-जैसे ये डिजिटल करेंसी विकसित होंगी, वे भविष्य में पैसे के इस्तेमाल के तरीके को पूरी तरह बदल सकती हैं।

डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक (D-SIBs) और आरबीआई के नियम

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुष्टि की है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को 2023 की तरह ही डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक (D-SIBs) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यह वर्गीकरण 31 मार्च, 2024 के डेटा के आधार पर किया गया है और यह इन बैंकों की वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

D-SIBs क्या हैं?

- D-SIBs वे बैंक हैं जिन्हें 'टू बिल टू फेल' (Too Big To Fail) माना जाता है।
- इन बैंकों की विफलता से पूरे बैंकिंग सिस्टम और अर्थव्यवस्था में भारी असर हो सकता है।
- ऐसे बैंकों को अतिरिक्त नियामक नियमों का पालन करना पड़ता है ताकि उनके जोखिमों को कम किया जा सके और उनकी स्थिरता सुनिश्चित हो।

D-SIBs की मुख्य विशेषताएं

- **आकार (Size):** बड़े पैमाने पर संचालन जो अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं।
- **आपस में जुड़ाव (Interconnectedness):** अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ गहरा संबंध।
- **जटिलता (Complexity):** विभिन्न वित्तीय सेवाओं और गतिविधियों में शामिल होना।

- **अद्वितीयता (Lack of Substitutability):** वित्तीय प्रणाली में इनके कार्यों को आसानी से बदलना मुश्किल है।

D-SIBs का महत्व

- D-SIBs के विफल होने से पूरे वित्तीय सिस्टम में हलचल मच सकती है, जिससे आर्थिक अस्थिरता और आवश्यक सेवाओं में बाधा आ सकती है।
- इन्हें सरकार से 'अप्रत्यक्ष गारंटी' प्राप्त होती है, यानी संकट के समय इन्हें समर्थन मिलने की संभावना होती है। यह स्थिति प्रतिस्पर्धा में असंतुलन और अत्यधिक जोखिम लेने को बढ़ावा दे सकती है।

D-SIBs के लिए नियामक उपाय

- **अतिरिक्त पूंजी बनाए रखना:** इन बैंकों को अतिरिक्त पूंजी रखनी होती है ताकि जोखिमों को संभाला जा सके।
- **संकट के समय तैयारी:** अतिरिक्त पूंजी आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि ये बैंक वित्तीय संकट के दौरान घाटे को सहन कर सकें, जिससे सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत न पड़े।

D-SIBs का वर्गीकरण:

- D-SIBs को उनकी सिस्टमेटिक महत्वता स्कोर के आधार पर विभिन्न बकेट्स में रखा जाता है। यह स्कोर तय करता है कि उन्हें कितनी अतिरिक्त पूंजी रखनी होगी:
 - » **SBI:** बकेट 4 में है, इसे 0.80% अतिरिक्त CET1 (कॉमन इक्विटी टियर 1) पूंजी रखनी होगी।
 - » **HDFC बैंक:** बकेट 3 में है, इसे 0.40% अतिरिक्त CET1 पूंजी रखनी होगी।
 - » **ICICI बैंक:** बकेट 1 में है, इसे 0.20% अतिरिक्त CET1 पूंजी रखनी होगी।

पूंजी आवश्यकताएं:

- » **SBI:** 0.80% अतिरिक्त CET1 पूंजी (1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी)।
- » **HDFC बैंक:** 0.40% अतिरिक्त CET1 पूंजी (1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी)।
- » **ICICI बैंक:** 0.20% अतिरिक्त CET1 पूंजी।
- इन बैंकों पर यह पूंजी आवश्यकता 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी, जबकि SBI और HDFC बैंक पर अस्थायी सरचार्ज 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगा।

D-SIBs की पहचान कैसे होती है?

- RBI दो चरणों में सिस्टमेटिक महत्व का आकलन करता है:
 - » **बैंकों का चयन:** केवल वे बड़े बैंक (जो GDP के 2% से अधिक हैं) D-SIB वर्गीकरण के लिए चुने जाते हैं।
 - » **मूल्यांकन:** आकार, जटिलता और आपस में जुड़ाव जैसे संकेतकों के आधार पर कंपोजिट स्कोर तैयार किया जाता है।

ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक (G-SIBs):

- D-SIBs के अलावा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (FSB) ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक (G-SIBs) की पहचान करता है।
- G-SIBs वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और उनकी विफलता का व्यापक असर हो सकता है।
- उदाहरण: जेपी मॉर्गन चैस, HSBC और बैंक ऑफ अमेरिका।

निष्कर्ष:

D-SIBs वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। RBI के नियम सुनिश्चित करते हैं कि ये बड़े बैंक पर्याप्त पूंजी बनाए रखें ताकि किसी भी संकट की स्थिति में झटकों को संभाला जा सके। इन बैंकों के वर्गीकरण और अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं के माध्यम से, RBI इनसे जुड़े जोखिमों को कम करने और देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है।

स्कूल आधारित कौशल विकास के माध्यम से अवसरों में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी एक अध्ययन 'जॉब्स एट योर डोरस्टेप्स' में विभिन्न क्षेत्रों में कौशल अंतर को कम करने पर ध्यान दिया गया है। यह अध्ययन विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में स्थानीय आर्थिक मांगों को पूरा करने के लिए कौशल शिक्षा को बढ़ाने पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने जारी किया।

प्रमुख निष्कर्ष:

- अध्ययन में सेवाओं और कृषि क्षेत्रों में स्कूल आधारित कौशल विकास के लिए बड़ी संभावनाओं की पहचान की गई है।
- **सेवाओं का क्षेत्र (Services Sector):** अध्ययन में कई ऐसे सेवा क्षेत्रों को उजागर किया गया है जहां बहु-कौशल वाले कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है:
 - » **रिटेल (Retail):** ग्राहक सेवा, बिक्री और इन्वेंटरी प्रबंधन में ज्ञान की आवश्यकता होती है।
 - » **आईटी (IT):** सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग और नेटवर्क प्रबंधन जैसे कौशल की मांग है।
 - » **बैंकिंग:** वित्त, डिजिटल लेनदेन, और ग्राहक सेवा में दक्षता जरूरी है।
- अध्ययन ने सभी क्षेत्रों में संचार और टीमवर्क जैसे रोजगार कौशल को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।
- **कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector):** कृषि क्षेत्र में स्कूल आधारित कौशल विकास के लिए बड़ी संभावनाएं हैं, खासकर:
 - » **बागवानी और उद्यान विज्ञान:** ग्रामीण क्षेत्रों के लिए

उपयुक्त, ये कौशल खेतों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

- » **डेयरी फार्मिंग:** पशुधन स्वास्थ्य और डेयरी प्रबंधन का प्रशिक्षण ग्रामीण आय में सुधार कर सकता है।
- » **मत्स्य पालन और जलीय कृषि:** भारत के व्यापक समुद्र तट को देखते हुए, ये क्षेत्र रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करते हैं।
- स्थानीय कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए फसल उत्पादन, कृषि विज्ञान और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की गई है।

अन्य क्षेत्रों की चुनौतियां:

- जबकि सेवाएं और कृषि क्षेत्र काफी संभावनाएं देते हैं, अध्ययन ने अन्य क्षेत्रों की चुनौतियों की भी जांच की:
 - » **खनन (Mining):** यह एक बड़ा उद्योग है, लेकिन खतरनाक कार्य परिस्थितियों और अकुशल श्रमिकों की अधिक मांग के कारण स्कूल से कार्य तक कौशल विकास के लिए उपयुक्त नहीं है।
 - » **निर्माण (Manufacturing):** MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग): बहु-कौशल वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं।
 - » **बड़े उद्योग:** औपचारिक प्रमाणपत्र (जैसे ITI) की मांग करते हैं।
- स्कूलों को पाठ्यक्रम तैयार करने में उद्योगों के साथ सहयोग करने की सलाह दी गई है।



स्कूल आधारित कौशल विकास में सुधार के लिए सिफारिशें

- **कौशल केंद्र बनाना:** स्थानीय उद्योगों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने वाले क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करना।
- **पाठ्यक्रम में बदलाव:** व्यापार विकल्पों को बढ़ाना और उन्हें स्थानीय आर्थिक जरूरतों के अनुरूप बनाना।
- **रोजगार योग्य कौशल पर ध्यान:** तकनीकी कौशल के साथ संचार, टीमवर्क, और समस्या-समाधान जैसे कौशल शामिल करना।
- **व्यावहारिक शिक्षा:** इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से वास्तविक अनुभव प्रदान करना।

- **उद्योग साझेदारी:** यह सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों के साथ सहयोग को मजबूत करना कि प्रशिक्षण नौकरी बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
- **कैरियर परामर्श:** छात्रों और अभिभावकों को कौशल-आधारित शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उनकी सोच में बदलाव लाना।

निष्कर्ष:

'जॉब्स एट योर डोरस्टेप्स' अध्ययन स्कूल आधारित कौशल विकास को बढ़ाने का एक खाका प्रदान करता है, विशेष रूप से सेवाओं और कृषि क्षेत्रों में। पाठ्यक्रम को अपडेट करके, रोजगार योग्य कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, और उद्योगों के साथ साझेदारी को मजबूत करके, भारत न केवल युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है, बल्कि उनकी रोजगार क्षमता में भी सुधार कर सकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की संख्या को 43 से घटाकर 28 करने का प्रस्ताव रखा है। 4 नवंबर 2024 के एक सरकारी दस्तावेज में यह जानकारी दी गई। इस कदम का उद्देश्य RRBs की कार्यक्षमता बढ़ाना और उनकी पूंजी को मजबूत करना है। इस विलय से इन बैंकों के संचालन खर्च कम होंगे, कामकाज में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की उनकी क्षमता में वृद्धि होगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) क्या हैं?

- RRBs सरकारी सहायता प्राप्त वित्तीय संस्थान हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और ऋण उपलब्ध कराने पर केंद्रित हैं। ये छोटे किसानों, कृषि मजदूरों और छोटे व्यवसायों की मदद के लिए काम करते हैं।
- ये बैंक्स वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर उन ग्रामीण इलाकों में जहां बड़े वाणिज्यिक बैंकों की पहुंच कम होती है। हालांकि, RRBs को सीमित पूंजी और पुरानी तकनीक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

RRBs की वर्तमान स्थिति:

- 31 मार्च 2024 तक, RRBs के पास 6.6 ट्रिलियन रुपये (लगभग 78.46 अरब USD) के जमा और 4.7 ट्रिलियन रुपये के अग्रिम थे।
- इन आंकड़ों के बावजूद, छोटे पैमाने और पुराने बुनियादी ढांचे के कारण RRBs बड़े बैंकों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते।
- इस विलय से ये बैंक अधिक कुशल संस्थानों में बदल जाएंगे, जिसमें प्रत्येक राज्य का एक बैंक होगा।

RRBs का स्वामित्व ढांचा

- 50% हिस्सेदारी: केंद्र सरकार।
- 35% हिस्सेदारी: प्रायोजक या अनुसूचित बैंक (बड़े वाणिज्यिक बैंक)।
- 15% हिस्सेदारी: राज्य सरकारें।

RRBs के विलय की जरूरत:

- सरकार 2004-05 से RRBs के क्षेत्र में सुधार कर रही है। 2020-21 तक इनकी संख्या 196 से घटाकर 43 कर दी गई थी।
- नए प्रस्ताव का उद्देश्य बड़ी और कुशल बैंकों का निर्माण करना है जो सरकार की पूंजी पर कम निर्भर हों और अपने दम पर संचालन कर सकें।
- इससे RRBs ग्रामीण भारत की वित्तीय जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे।

प्रस्तावित विलय:

- हर राज्य में एक RRB बनाने का प्रस्ताव है, जिससे मजबूत और अधिक सक्षम संस्थान बन सकें।
- महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विलय की योजना है। महाराष्ट्र में दो बैंकों का और आंध्र प्रदेश में चार बैंकों का विलय किया जाएगा।

बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव:

- यह कदम भारतीय सरकार की व्यापक रणनीति के तहत आता है, जो सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों का एकीकरण करना चाहती है। वर्तमान में ये बैंक भारत के बैंकिंग क्षेत्र की 50% से अधिक संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं।
- इस एकीकरण से RRBs की कार्यक्षमता, तकनीकी एकीकरण, और संसाधन प्रबंधन में सुधार होगा। साथ ही, ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने में अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनेंगे।

निष्कर्ष:

RRBs के विलय का प्रस्ताव बड़े, अधिक कुशल संस्थानों का निर्माण करेगा, जो ग्रामीण आर्थिक विकास को समर्थन देंगे और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देंगे। यह कदम भारत के बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक बनाने और सतत विकास के लिए मजबूत बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

भारत और EFTA: व्यापार और निवेश के नए आयाम

चर्चा में क्यों?

भारत के वाणिज्य सचिव ने हाल ही में नॉर्वे का दौरा किया, जहां भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) के बीच व्यापार और

आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) को शीघ्र लागू करने पर चर्चा हुई। यह समझौता मार्च में हस्ताक्षरित हुआ था और इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। हालांकि, इस समझौते के लागू होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है।


- EFTA में आइसलैंड, लीख्टेनश्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। यह समझौता भारत और इन देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बनाया गया है।

नार्वे दौरे के मुख्य उद्देश्य:

- **व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना:** भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए EFTA देशों में बाजार के अवसरों को खोलना।
- **भारतीय पेशेवरों की गतिशीलता:** कार्यबल विनिमय को बढ़ाने के लिए पेशेवर गतिशीलता को प्रोत्साहित करना।
- **TEPA की पुष्टि:** समझौते को जल्दी लागू करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना।
- **निवेश लक्ष्य:** द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का लक्ष्य।

भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि:

- मूल्य (7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और मात्रा (17.81 लाख मीट्रिक टन) दोनों में निर्यात दोगुना हुआ है।
- यूरोपीय संघ (EU) अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री उत्पाद बाजार है, जहां वार्षिक खरीद 0.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर की होती है।
- भारत EU का दूसरा सबसे बड़ा झींगा (Shrimp) आपूर्तिकर्ता है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 8% है, और EU में स्क्विड (Squid) आयात में 12% हिस्सा है।



संस्थानिक सहयोग को मजबूत बनाना:

भारत और EFTA के बीच संस्थानिक सहयोग को बेहतर बनाने के प्रयास भी चल रहे हैं। दोनों पक्ष निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं:

- **मौजूदा ढांचे को पुनर्जीवित करना:** समुद्री उत्पादों समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत बनाना।
- **व्यापार चुनौतियों को हल करना:** वैश्विक व्यापार चुनौतियों का समाधान और वस्तुओं के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करना।

भारत-EFTA साझेदारी के भविष्य की संभावनाएं:

- **बाजार तक पहुंच:** TEPA से भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए EFTA देशों में विस्तारित बाजार उपलब्ध होगा।
- **निवेश के अवसर:** समझौते के तहत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से भारत में आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा।
- **क्षेत्रीय विकास:** समुद्री उत्पादों और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को इस समझौते के तहत बढ़ते व्यापार और सहयोग से लाभ होगा।

निष्कर्ष:

भारत और EFTA के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के प्रयास प्रगति पर हैं और TEPA इस साझेदारी का एक प्रमुख आधार बन रहा है। समुद्री उत्पाद जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि के साथ, भारत-EFTA व्यापार संबंधों का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है। TEPA का कार्यान्वयन भारत को वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख भूमिका निभाने में मदद करेगा।

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में जेब खर्च (OOPE) में कमी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता (NHA) 2021-22 के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में स्वास्थ्य पर होने वाले जेब खर्च (Out-of-Pocket Expenditure - OOPE) में बड़ी गिरावट आई है। यह सुधार मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य खर्च में बढ़ोतरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार के कारण हुआ है।

जेब से खर्च (OOPE) क्या है?

- OOPE का मतलब है कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सीधे अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है। इसमें डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्च और अस्पताल में भर्ती होने का खर्च शामिल होता है।
- उच्च OOPE, विशेष रूप से भारत जैसे देशों में, परिवारों को आर्थिक तंगी में डाल सकता है, कर्ज और गरीबी का कारण बन सकता है। यह समय पर चिकित्सा सेवा लेने से भी रोकता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं।

OOPE में कमी के कारण:


- **सरकारी स्वास्थ्य खर्च (GHE) में बढ़ोतरी:**

- » 2014-15 से 2021-22 के बीच, सरकारी स्वास्थ्य खर्च जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 1.13% से बढ़कर 1.84% हो गया।
- » इस बढ़ती ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया है, जिससे लोगों की वित्तीय बोझ कम हुआ।
- » कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी 3.94% से बढ़कर 6.12% हो गई।
- **सामाजिक सुरक्षा खर्च (SSE) का विस्तार:**
 - » स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा खर्च 2014-15 में कुल स्वास्थ्य खर्च का 5.7% था, जो 2021-22 में बढ़कर 8.7% हो गया।
 - » यह विस्तार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों से बचाव में मदद करता है।
- **सरकार द्वारा वित्त पोषित बीमा योजनाओं का विकास:**
 - » आयुष्मान भारत और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य बीमा योजनाओं जैसे कार्यक्रमों ने गरीब वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता बनाया है।
 - » ये योजनाएं उन चिकित्सा खर्चों को कवर करती हैं, जिन्हें अन्यथा व्यक्तियों को खुद वहन करना पड़ता।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर ध्यान:**
 - » ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए निवेश किया गया है, जिससे सेवाएं सुलभ और किफायती हो गई हैं।
 - » इसका सीधा प्रभाव यह पड़ा है कि लोगों का जेब से खर्च कम हुआ है।
- **गैर-संचारी रोगों (NCDs) के लिए लक्षित कार्यक्रम:**
 - » डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसे गैर-संचारी रोगों के बढ़ने पर सरकार ने इनसे बचाव और प्रबंधन के लिए कार्यक्रम शुरू किए।
 - » यह पहल उन मरीजों के आर्थिक बोझ को कम करती है, जिन्हें इन बीमारियों के लिए निजी तौर पर भुगतान करना पड़ता।

OOPE में कमी के प्रभाव

- **स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच:** कम OOPE का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों सहित अधिक लोग चिकित्सा सेवाएं ले सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित होती है।
- **बेहतर स्वास्थ्य परिणाम:** सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को समय पर इलाज और बचावात्मक देखभाल के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परिणाम बेहतर होते हैं और कुल खर्च कम होता है।
- **परिवारों की आर्थिक स्थिरता:** OOPE कम होने से परिवार अपनी आय को अन्य आवश्यकताओं पर खर्च कर सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

- **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की नींव:** OOPE में कमी भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) की दिशा में एक अहम कदम है, जहां चिकित्सा सेवाएं व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होती।




निष्कर्ष:

भारत में OOPE में कमी एक बड़ी उपलब्धि है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए समावेशी और सुलभ बना रही है। सरकारी निवेश और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के विस्तार के साथ, भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह बदलाव न केवल लोगों के वित्तीय बोझ को कम करता है, बल्कि एक स्वस्थ और आर्थिक रूप से स्थिर आबादी के निर्माण में भी योगदान देता है।



विविध मुद्दे



भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) शिक्षा: प्रगति, चुनौतियां और भविष्य की दिशा

भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, विशेषकर महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत ने STEM विषयों में महिलाओं के 40% नामांकन का रिकॉर्ड स्तर प्राप्त किया है, जोकि विश्व में सर्वाधिक है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत शिक्षा में समान पहुँच को प्रोत्साहित कर अपने आर्थिक और तकनीकी विकास को सशक्त बनाता है।

भारत के विकास के लिए STEM शिक्षा की आवश्यकता:

- STEM शिक्षा आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और नवाचार जैसे महत्वपूर्ण कौशल प्रदान करती है, जो आधुनिक उद्योगों में प्रभावी योगदान के लिए आवश्यक हैं। ये कौशल एक दक्ष कार्यबल का निर्माण करते हैं, जो जटिल तकनीकी चुनौतियों का समाधान कर सकता है और भारत की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करता है।

- एक कुशल STEM कार्यबल का विकास भारत के प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और अनुसंधान क्षेत्रों के विस्तार में सहायक है, जिससे देश विज्ञान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बन सकता है।
- **आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता:** STEM क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे तकनीक-प्रधान क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देते हैं। STEM शिक्षा से छात्रों को सशक्त बनाकर, भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर सकता है। यह न केवल घरेलू आर्थिक विकास को गति देता है बल्कि विदेशी निवेश आकर्षित करने और वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की भूमिका को भी मजबूत करता है।
- **समानता और पहुँच:** महिलाओं और हाशिये पर मौजूद समुदायों में STEM शिक्षा को बढ़ावा देना समावेशी कार्यबल के निर्माण के लिए जरूरी है। STEM में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भारत की लैंगिक समानता और रोजगार में अंतर को कम करने की क्षमता को दर्शाती है। STEM में महिलाओं

का सशक्तिकरण नवाचार को भी प्रोत्साहित करता है, क्योंकि विविध दृष्टिकोण समस्या-समाधान को बेहतर बनाते हैं और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं।

- **पाठ्यक्रम नवाचार:** STEM शिक्षा पारंपरिक रटने की बजाय व्यावहारिक और परियोजना-आधारित शिक्षा पर जोर देती है। यह जिज्ञासा और स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करती है, जिससे छात्र वास्तविक समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने के लिए तैयार होते हैं। इसे साकार करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जो STEM कार्यक्रमों को कुशलता से संचालित कर सकें और नई शिक्षण विधियों का समर्थन कर सकें।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति की प्रगति:

- नीति आयोग द्वारा विकसित एसडीजी इंडिया इंडेक्स में भारत के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्कोर में समग्र सुधार देखा गया है, जो 100 में से 66 से बढ़कर 71 तक पहुँच गया है। एसडीजी 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) का स्कोर 66 से बढ़कर 75 हो गया, जो शिक्षा तक पहुँच और गुणवत्ता में सुधार की दिशा में सकारात्मक प्रगति को दर्शाता है। यह प्रगति एसडीजी 4.4 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य 2030 तक युवाओं और वयस्कों को रोजगार, उद्यमिता और अच्छी नौकरियों के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल प्रदान करना है।
- एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य एसडीजी 8 है, जो समावेशी और सतत आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार और सभ्य कार्य को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। STEM शिक्षा में निवेश के माध्यम से, भारत इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में कार्य कर रहा है, युवाओं को ऐसे कौशल प्रदान कर रहा है जो नए रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं और सतत आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं।

प्रभावी STEM शिक्षा में चुनौतियाँ:

प्रगति के बावजूद, भारत को गुणवत्तापूर्ण STEM शिक्षा प्रदान करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

- **स्कूल से जुड़ी चुनौतियाँ:** कई स्कूलों में STEM विषयों के लिए आवश्यक प्रयोगशाला सुविधाओं और उपकरणों की कमी है। इसके अतिरिक्त, छात्र-शिक्षक का उच्च अनुपात व्यक्तिगत ध्यान को बाधित करता है, जिससे छात्रों को प्रभावी रूप से शिक्षित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **शिक्षक-संबंधी चुनौतियाँ:** योग्य STEM शिक्षकों की कमी और उनके व्यावसायिक विकास के अवसरों का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है। कई शिक्षकों के पास प्रभावी शिक्षण रणनीतियों की कमी होती है, जिससे STEM शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। निरंतर प्रशिक्षण के अभाव में,

शिक्षकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे तेजी से उभरते क्षेत्रों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है।

- **छात्र-संबंधी चुनौतियाँ:** कई छात्र STEM विषयों को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण मानते हैं, अक्सर कठोर पाठ्यक्रम के कारण जो पाठ्यक्रम की सामग्री को छात्रों के जीवन से जोड़ने में विफल हो जाते हैं। STEM क्षेत्रों के प्रति छात्रों में कम प्रेरण II भारत की कुशल कार्यबल विकसित करने की क्षमता को सीमित कर सकती है।
- **पाठ्यक्रम और निर्देशात्मक चुनौतियाँ:** वर्तमान पाठ्यक्रम अक्सर कठोर और पारंपरिक होते हैं, जो अंतःविषय दृष्टिकोणों का समर्थन नहीं करते। इससे छात्रों के लिए विभिन्न STEM क्षेत्रों के बीच संबंधों को समझना कठिन हो जाता है। एक अधिक एकीकृत दृष्टिकोण उन्हें अपने ज्ञान को नए और अभिनव तरीकों से लागू करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।
- **प्रौद्योगिकी से संबंधित चुनौतियाँ:** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच बनी हुई है। यह संसाधनों की कमी छात्रों के लिए आधुनिक STEM शिक्षण उपकरणों और प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा का अंतर और गहराता है।

STEM क्षेत्र में शिक्षण पद्धतियों को अपनाना:

इन बाधाओं को दूर करने के लिए, भारतीय शिक्षण संस्थान को अधिक लचीली और छात्र-केंद्रित शिक्षण पद्धतियों को अपनाना चाहिए:

- **प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षा (PBL):** प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षा छात्रों को ऐसे प्रोजेक्ट्स करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिनमें महत्वपूर्ण सोच और टीमवर्क की आवश्यकता होती है, जिससे STEM अवधारणाओं की गहरी समझ विकसित होती है। इस पद्धति में, छात्र योजना बनाने से लेकर क्रियान्वयन तक अपने सीखने की जिम्मेदारी लेते हैं, जिससे उनके समस्या-समाधान कौशल और व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि होती है।
- **समस्या-आधारित और विश्लेषणात्मक सोच (PBAT):** यह विधि छात्रों को जटिल समस्याओं से सामना कराती है, जिनके लिए विश्लेषण और अभिनव सोच की आवश्यकता होती है, जिससे उनके समस्याओं का रचनात्मक तरीके से समाधान करने की क्षमता में सुधार होता है। यह छात्रों को समस्या-समाधान पर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है, जो STEM जैसे गतिशील क्षेत्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- **जिज्ञासा और अन्वेषण को प्रोत्साहित करना:** छात्रों को उनकी रुचियों का पता लगाने और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता

दने से एक अधिक आकर्षक और प्रेरक शिक्षण वातावरण का निर्माण होता है। प्रयोग और जांच द्वारा, छात्रों को STEM के व्यावहारिक पहलुओं की समझ प्राप्त होती है, जो उन्हें इन क्षेत्रों में नवाचार और योगदान करने के लिए प्रेरित करती है।

- **प्रौद्योगिकी का एकीकरण:** कक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैसे सिमुलेशन, कोडिंग प्लेटफार्म और सहयोगात्मक उपकरण, सैद्धांतिक ज्ञान और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच की खाई को पाटने में मदद करता है। इन संसाधनों तक पहुँच से छात्रों का जुड़ाव बढ़ सकता है और उन्हें आधुनिक उद्योग की मांगों के अनुसार कौशल प्राप्त हो सकते हैं।

STEM शिक्षा को मजबूत करने में उद्योग क्षेत्र की भूमिका:

उद्योग के साथ सहयोग छात्रों को STEM अवधारणाओं को व्यावहारिक संदर्भों में लागू करने के अवसर प्रदान करता है, जिससे शिक्षा अधिक प्रासंगिक और प्रेरक बनती है। उद्योग साझेदारी कई लाभ प्रदान करती है:

- **वास्तविक दुनिया के ज्ञान तक पहुँच:** उद्योग सहयोग छात्रों को यह समझने का अवसर प्रदान करता है कि STEM सिद्धांतों का वास्तविक दुनिया में कैसे अनुप्रयोग होता है, जिससे उनकी शिक्षा का मूल्य और प्रभाव बढ़ता है। इस प्रकार के संपर्क से छात्रों में STEM करियर की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा उत्पन्न होती है और उनके अध्ययन के वास्तविक जीवन के निहितार्थों को स्पष्टता मिलती है।
- **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और संसाधनों तक पहुँच:** उद्योग जगत के साथ साझेदारी के माध्यम से, शैक्षिक संस्थान अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता और संसाधनों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्र वर्तमान बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी उपकरणों और ज्ञान से संपन्न हो रहे हैं।
- **सामुदायिक और आर्थिक प्रभाव:** स्थानीय व्यवसायों के साथ सहयोग करके, शैक्षणिक संस्थान अपने समुदाय के साथ

सशक्त संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिससे स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार की साझेदारियाँ कुशल कार्यबल के निर्माण में भी सहायक होती हैं, जोकि निरंतर और समग्र क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक है।

आगे की राह:

STEM शिक्षा में सुधार की दिशा में भारत की यात्रा अत्यधिक आशाजनक है, किंतु इसके लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम सुधार में निरंतर निवेश की आवश्यकता है। प्रमुख अनुशासक निम्नलिखित हैं:

- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण में निवेश:** यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक STEM विषयों को प्रभावी रूप से पढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हों।
- **अंतःविषयक पाठ्यक्रम पर जोर देना:** एक ऐसे पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना, जो समग्र समस्या-समाधान कौशल विकसित करने के लिए विभिन्न STEM विषयों को एकीकृत करता हो।
- **उद्योग के साथ सहयोग को बढ़ावा देना:** व्यावहारिक अनुभव, उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुँच और STEM में करियर के विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी करना।
- **संसाधनों तक पहुँच में समानता को प्रोत्साहित करना:** प्रौद्योगिकी तक पहुँच में ग्रामीण-शहरी असमानताओं को दूर करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी छात्र आधुनिक STEM शिक्षा उपकरणों से समान रूप से लाभान्वित हो सकें।
- **STEM में भारत की प्रगति, विशेष रूप से महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि, समावेशी और कुशल कार्यबल के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। मौजूदा चुनौतियों का समाधान और निरंतर सुधारों के माध्यम से, भारत अपने STEM शिक्षा परिदृश्य को सशक्त बनाने, अगली पीढ़ी को नवाचार के प्रति प्रेरित करने तथा सतत विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।**

संक्षिप्त मुद्दे

ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, WHO ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसके अनुसार भारत ने तपेदिक (टीबी) के खिलाफ अपनी लड़ाई में

उल्लेखनीय प्रगति की है, 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 मामलों से 2023 में 195 तक 17.7% की गिरावट दर्ज की गई है। यह उपलब्धि 8.3% की वैश्विक गिरावट से दोगुनी से भी अधिक है। इस सफलता का श्रेय मुख्य रूप से देश भर में 1.7 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को विकेंद्रीकृत करने के सरकार के प्रयासों को जाता है।

मुख्य उपलब्धियाँ:

- **उपचार कवरेज:** भारत का उपचार कवरेज 2023 में 89% तक बढ़ गया है, जो 2015 में 72% से उल्लेखनीय वृद्धि है। यह प्रगति छूटे हुए मामलों के अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण रही है।
- **मृत्यु दर में कमी:** देश में टीबी से संबंधित मौतों में 21.4% की गिरावट देखी गई है, जो प्रति लाख जनसंख्या पर 28 मौतों से घटकर 22 हो गई है।
- **बढ़ी हुई फंडिंग:** टीबी बजट में आवंटन में अभूतपूर्व 5.3 गुना वृद्धि देखी गई है, जो 2015 में 640 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 3,400 करोड़ हो गई है। इस वित्तीय बढ़ावा ने टीबी प्रबंधन में संसाधनों को बढ़ाने की अनुमति दी है।

सरकारी पहल:

- **निक्षय पोषण योजना (एनपीवाई):** सरकार ने एनपीवाई के तहत सहायता को बढ़ावा दिया है, टीबी रोगियों के लिए मासिक भत्ता 500 से बढ़ाकर 1,000 कर दिया है। इस वृद्धि का उद्देश्य उपचार करा रहे लोगों को बेहतर पोषण सहायता प्रदान करना है।
- **ऊर्जा सघन पोषण अनुपूरण (ईडीएनएस):** ईडीएनएस की शुरुआत से लगभग 12 लाख कुपोषित टीबी रोगियों को लाभ हुआ है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम निदान उपकरण:** निदान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, सरकार 800 से अधिक AI-सक्षम पोर्टेबल चेस्ट एक्स-रे मशीनें खरीद की है। ये भारत के व्यापक टीबी प्रयोगशाला नेटवर्क का पूरक होंगे, जिसमें 7,767 रैपिड आणविक परीक्षण सुविधाएँ शामिल हैं।

तपेदिक के बारे में:

- तपेदिक (टीबी) एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, जो बेसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है।
- **रोकथाम:** बेसिल कैलमेट-गुएरिन (बीसीजी) वैक्सिन टीबी के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करती है।

ड्रग-रेसिस्टेंट टीबी क्या है?

- ड्रग-रेसिस्टेंट टीबी तब होता है जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया एक या अधिक एंटी-टीबी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, जिससे उपचार के प्रयास जटिल हो जाते हैं।

ड्रग-रेसिस्टेंट टीबी के प्रकार:

- **मल्टी-ड्रग-रेसिस्टेंट टीबी (एमडीआर-टीबी):** कम से कम दो फर्स्ट-लाइन टीबी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी: आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन।
- **व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी टीबी (एक्सडीआर-टीबी):** एमडीआर-टीबी होने के अलावा, किसी भी फ्लोरोक्विनोलोन

और कम से कम तीन इंजेक्शन वाली दूसरी पंक्ति की दवाओं के प्रति प्रतिरोधी।

- **पूरी तरह से दवा प्रतिरोधी टीबी (टीडीआर-टीबी):** सभी उपलब्ध टीबी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी।

निष्कर्ष:

भारत की प्रगति के लिए डब्ल्यूएचओ की मान्यता पिछले आठ वर्षों में टीबी देखभाल में एक आदर्श बदलाव को दर्शाती है। निरंतर सरकारी प्रतिबद्धता, अभिनव स्वास्थ्य सेवा रणनीतियों और रोगी कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, भारत तपेदिक के बोझ को और कम करने और टीबी उन्मूलन के अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए अच्छी स्थिति में है।

प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन (एबीएस) 2024

चर्चा में क्यों?

पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन (एबीएस) 5-6 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया।

- **आयोजक:** संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद (आईबीसी)।
- **विषय:** “एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका।”
- **मुख्य अतिथि:** भारत की माननीय राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

बुद्ध धम्म का ऐतिहासिक संदर्भ:

- **उत्पत्ति:** बुद्ध धर्म की शुरुआत छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम के साथ हुई, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अपनी शिक्षाओं को साझा किया।
- **मौर्य सम्राट अशोक (268-232 ईसा पूर्व)** ने शांति और सद्भाव के माध्यम से अपने सामाजिक प्रभाव का प्रयोग करते हुए बुद्ध धम्म को पूरे एशिया में फैलाया।
- **विकास:** थेरवाद, महायान और वज्रयान में विभाजन के बाद बौद्ध धर्म उत्तर में मध्य एशिया (उत्तरी शाखा) और पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया (दक्षिणी शाखा) तक फैल गया।

शिखर सम्मेलन के मुख्य विषय:

- **बौद्ध कला, वास्तुकला और विरासत:** सांची स्तूप और अजंता गुफाओं जैसे बौद्ध स्थलों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- **बुद्ध चारिका (बुद्ध का भ्रमण):** इसमें चर्चा की गई है कि किस प्रकार बुद्ध की भारत यात्रा ने उनकी शिक्षाओं के प्रसार में सहायता की।

- **बौद्ध अवशेषों की भूमिका:** बौद्ध अवशेष पवित्र हैं जोकि भक्ति की प्रेरणा देते हैं, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान और कल्याण में महत्व:** यह पता लगाना कि कैसे बुद्ध धम्म की जागरूकता और करुणा की शिक्षाएं आधुनिक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण में योगदान करती हैं।
- **बौद्ध साहित्य और दर्शन:** आधुनिक विश्व के लिए प्राचीन बौद्ध ग्रंथों और उनकी दार्शनिक अंतर्दृष्टि की प्रासंगिकता।

Timeline of The Spread of Buddha Dhamma	
6th Century BCE	Siddhartha Gautama attains enlightenment.
Emperor Ashoka promotes Buddha Dhamma across his empire.	268-232 BCE
1st Century BCE	Emergence of Mahayana and Nikaya traditions within Buddhism.
Ashoka's dhammaduta establish communities in Sri Lanka, Myanmar, and beyond.	3rd Century BCE
1st Century BCE	Kasyapa Matanga and Dharmaratna spread Buddhism along the Silk Route to Central and East Asia.
Masters like Atisha Dipankara and Bodhidharma contribute to the dissemination of Buddha Dhamma in Tibet and East Asia.	11th Century

विशेष प्रदर्शनी:

- **प्रदर्शनी का शीर्षक:** 'भारत: एक धम्म के रूप में'। यह प्रदर्शनी एशिया महाद्वीप में बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का उत्सव मनाती है।

बौद्ध संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहल:

- **बौद्ध पर्यटन सर्किट:** स्वदेश दर्शन के तहत भारत में प्रमुख

बौद्ध स्थलों को बढ़ावा देना, जो पर्यटन विकास के लिए एक दर्शन योजना है।

- **वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023:** बुद्ध धम्म के माध्यम से सार्वभौमिक मूल्यों के प्रसार और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित।
- **साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (2022-2023):** एससीओ सदस्य देशों के बीच बौद्ध कला और पुरातात्विक स्थलों में समानताओं का पता लगाया गया।
- **विपश्यना ध्यान पर संगोष्ठी:** कल्याण और वैश्विक शांति के लिए ध्यान के महत्व पर चर्चा की गई।
- **पाली भाषा को शास्त्रीय दर्जा:** बुद्ध धम्म के संरक्षण में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए पाली को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस:** अक्टूबर 2024 में एक प्रमुख आयोजन, जिसमें अभिधम्म शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर चर्चा की जाएगी।

बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका:

- भारत आध्यात्मिक अभ्यास और सांस्कृतिक परिसंपत्ति दोनों के रूप में बुद्ध धम्म में वैश्विक रुचि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।
- एबीएस 2024 की मेजबानी करके, भारत बौद्ध धर्म के जन्मस्थान और आध्यात्मिक संवाद तथा अंतर-सांस्कृतिक समझ के अग्रणी समर्थक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा।

'चलो इंडिया अभियान'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, पर्यटन मंत्रालय अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 'चलो इंडिया' अभियान शुरू कर रहा है। इस पहल के तहत ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों द्वारा नामित विदेशी नागरिकों को निःशुल्क ई-वीजा प्रदान किया जाएगा। यह अभियान भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने और देश के लिए एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाने के प्रयास का हिस्सा है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **निःशुल्क ई-वीजा:** प्रत्येक ओसीआई (Overseas Citizen of India) कार्डधारक अधिकतम पाँच विदेशी नागरिकों को निःशुल्क ई-वीजा के लिए नामांकित कर सकता है। इस पहल के तहत कुल एक लाख ई-वीजा की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- **पंजीकरण के लिए विशेष पोर्टल:** ओसीआई कार्डधारक एक समर्पित पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे। सत्यापन के उपरांत उन्हें एक कोड प्राप्त होगा, जिसका उपयोग नामांकित विदेशी नागरिक ई-वीजा के आवेदन के लिए कर सकेंगे।

- **लक्षित बाजार:** इस पहल का मुख्य केंद्र ब्रिटेन है, जहां भारतीय प्रवासियों की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है।

अभियान के उद्देश्य:

- **पर्यटन को बढ़ावा देना:** इस अभियान का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि करना है। विशेष रूप से, यह कोविड-19 महामारी के कारण पर्यटन क्षेत्र में आई गिरावट को पुनः सशक्त करने पर केंद्रित है।
- **ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देना:** वैश्विक भारतीय प्रवासियों की भागीदारी का उपयोग करते हुए, इस अभियान का उद्देश्य भारत को एक जीवंत, विविध और आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है।
- **ब्रिटेन से भारत में पर्यटन वृद्धि:** ब्रिटेन भारत के विदेशी पर्यटकों का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत बाजार है। हाल के वर्षों में लगभग 1.9 मिलियन ब्रिटिश नागरिक भारत यात्रा कर चुके हैं।

ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) योजना का अवलोकन:

- अगस्त 2005 में शुरू की गई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) योजना भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) को एक विशेष पंजीकरण स्थिति प्रदान करती है। यह उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक थे या उस समय भारतीय नागरिक बनने के योग्य थे।
- इस योजना के अंतर्गत, ऐसे व्यक्तियों को विदेशी पासपोर्ट रखते हुए भारत से अपना संबंध बनाए रखने की अनुमति दी जाती है।

पात्रता मापदंड:

- **पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक:** ऐसे व्यक्ति जिनके माता-पिता या दादा-दादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हों, ओसीआई आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं।
- **विदेशी सैन्यकर्मी:** सेवारत और सेवानिवृत्त विदेशी सैन्यकर्मी ओसीआई आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, किसी भारतीय नागरिक या ओसीआई धारक के विदेशी मूल के जीवनसाथी, जिनका विवाह पंजीकृत है और जो कम से कम दो वर्षों से साथ रह रहे हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

ओसीआई कार्ड रखने के लाभ:

- **आजीवन वीजा:** भारत भ्रमण के लिए एक बहु-प्रवेश, बहु-उद्देश्यीय वीजा प्रदान किया जाता है, जिसे बार-बार नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती।
- **पंजीकरण से छूट:** ओसीआई धारकों को भारत में किसी भी अवधि के प्रवास के लिए स्थानीय पुलिस के पास पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती।

ओसीआई धारकों के लिए सीमाएं:

- **मतदान का अधिकार नहीं:** ओसीआई धारक भारतीय चुनावों में मतदान नहीं कर सकते और भारतीय संसद, विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य भी नहीं बन सकते।
- **संवैधानिक पदों के लिए अयोग्यता:** वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जैसे प्रमुख संवैधानिक पदों पर आसीन नहीं हो सकते।
- **रोजगार प्रतिबंध:** वे भारत में सरकारी नौकरियों के लिए पात्र नहीं हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वार्षिक सभा का सातवां सत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की सातवीं वार्षिक सभा नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई। इस सभा में 103 सदस्य देशों और 17 हस्ताक्षरकर्ता देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, 29 देशों के मंत्री भी सम्मेलन में सम्मिलित हुए, जिन्होंने सौर ऊर्जा को वैश्विक सतत विकास के मुख्य उत्प्रेरक के रूप में बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

सत्र के दौरान प्रमुख पहल:

इस सम्मेलन में विशेष रूप से अल्प विकसित देशों (LDCs) और लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए कई नई पहलें घोषित की गईं:

- **सौर डेटा पोर्टल:** यह एक वास्तविक समय मंच है, जो सौर संसाधनों, परियोजना निष्पादन और निवेश अवसरों पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। यह पोर्टल हितधारकों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने में सहायता करेगा।
- **वैश्विक सौर सुविधा:** इस पहल का उद्देश्य कम सेवा वाले क्षेत्रों में सौर परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक पूंजी को सुलभ बनाना है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक पायलट प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा है, जिसमें भारत, आईएसए, ब्लूमबर्ग और चिल्ड्रन्स इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन की ओर से महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धताएं हैं।
- **व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना:** एलडीसी और एसआईडीएस में सौर परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए परियोजना लागत का 35% तक अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, जिससे अधिक समावेशी सौर ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा।
- **नेतृत्व चुनाव:** 2024-2026 के कार्यकाल के लिए आईएसए के अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष के चुनाव हुए, साथ ही एक नए महानिदेशक की घोषणा की गई, जो मार्च 2025 में पदभार ग्रहण करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी21) में की गई थी।

आईएसए के उद्देश्य और लक्ष्य:

- आईएसए का मुख्य मिशन वैश्विक ऊर्जा संकट को दूर करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए सौर ऊर्जा समाधान जुटाना है। संगठन अपनी महत्वाकांक्षी 'टुवर्ड्स 1000' रणनीति का पालन करता है, जो 2030 तक हासिल करने के लिए चार मुख्य लक्ष्य निर्धारित करता है:
- 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना, सौर ऊर्जा को किफायती और सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।
- स्वच्छ और टिकाऊ सौर ऊर्जा समाधान प्रदान करके, विशेष रूप से विकासशील देशों में, 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना।
- 1000 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करने से ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा की वैश्विक हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- सौर ऊर्जा को अपनाकर वैश्विक CO2 उत्सर्जन को प्रति वर्ष 1000 मिलियन टन तक कम करना, जिससे वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में योगदान मिलेगा।

मुख्यालय:

- आईएसए का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) में स्थित है।

विश्व शहर रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों के कार्यक्रम (यूएन-हैबिटेट) ने विश्व शहर रिपोर्ट 2024: शहर और जलवायु कार्रवाई जारी की है। यह रिपोर्ट शहरी क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण करती है और वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि को रेखांकित करती है। इसके साथ ही, रिपोर्ट शहरी क्षेत्रों में अनुकूलन प्रयासों को प्रभावित करने वाले वित्त पोषण की कमी पर भी प्रकाश डालती है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

तापमान में वृद्धि और खतरे:

- 2040 तक 2 अरब से अधिक शहरी निवासियों को औसत तापमान में 0.5°C की वृद्धि का सामना करना पड़ेगा।
- इस वृद्धि से चरम मौसम की घटनाओं की तीव्रता में वृद्धि होगी, जैसे:
 - घनी आबादी वाले क्षेत्रों में गर्म लहरें जन स्वास्थ्य को

प्रभावित करेंगी।

- अनियमित वर्षा से बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी।
- तीव्र चक्रवात तथा तूफान जैसी प्राकृतिक घटनाओं की तीव्रता बढ़ेगी।
- शहरी क्षेत्र, विशेष रूप से बड़े शहर, जलवायु-जनित झटकों के प्रति तेजी से संवेदनशील हो रहे हैं, जिससे जलवायु लचीलापन महत्वपूर्ण प्राथमिकता बन गया है।

शहर: पीड़ित और अपराधी

- शहरी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से असमान रूप से प्रभावित हैं और इस संकट में प्रमुख योगदानकर्ता भी हैं।
- घनी आबादी, उच्च ऊर्जा खपत और तीव्र आर्थिक गतिविधियों के कारण शहरी क्षेत्रों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन अधिक होता है।
- मेगा-शहर, जहां लाखों लोग रहते हैं, विशेष रूप से बाढ़, गर्म लहरों और तूफानी लहरों जैसे जलवायु झटकों के प्रति संवेदनशील हैं।
- निरंतर शहरी विस्तार संभावित जलवायु आपदाओं का जोखिम बढ़ाता है।

जलवायु निवेश अंतराल:

- जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए शहरों को प्रति वर्ष अनुमानतः 4.5 से 5.4 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है।
- वर्तमान में उपलब्ध जलवायु वित्त केवल 831 बिलियन डॉलर है, जो आवश्यक राशि का एक छोटा हिस्सा है।
- इस वित्तीय अंतराल के कारण शहरों की बाढ़ सुरक्षा, हरित स्थानों और ऊर्जा कुशल भवनों जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे में निवेश की क्षमता सीमित हो जाती है, जिससे वे जलवायु जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील बनते हैं।

जलवायु भेद्यता और असमानता:

- रिपोर्ट बताती है कि वे आबादी, जो पहले से ही संरचनात्मक असमानताओं का सामना कर रही हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती हैं:
 - अनौपचारिक और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग अक्सर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बसते हैं और चरम मौसम की घटनाओं से बचाव के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव होता है।
 - ऐसे समुदायों पर जलवायु आपदाओं का असमान प्रभाव पड़ता है और उनके पास अनुकूलन तथा पुनरुद्धार के लिए सीमित संसाधन होते हैं।

हरित स्थानों में कमी और हरित जेंटीफिकेशन:

- शहरी क्षेत्रों में हरित स्थानों की हिस्सेदारी 20% से घटकर 14% रह गई है।
- हरित क्षेत्रों की कमी के कारण शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव (Urban Heat Island Effect) अधिक गंभीर होता जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्र आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना

में अधिक तापमान का अनुभव करते हैं।

- जलवायु हस्तक्षेप, जैसे पार्क या हरित स्थानों का विकास, संपत्ति मूल्यों में वृद्धि का कारण बनते हैं, जिससे कम आय वर्ग के निवासियों को विस्थापित होने का खतरा बढ़ता है। इसे 'हरित जेंटीफिकेशन' कहा जाता है।

अनुशंसाएँ:

- **राजस्व जुटाना:** ऋण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से वित्त पोषण का सृजन करना तथा जलवायु वित्त जुटाने के अन्य साधनों को स्थापित करना।
- **जलवायु कार्रवाई का एकीकरण:** शहरी नियोजन में जलवायु अनुकूलन को एकीकृत करना और प्रभावी लचीलापन प्राप्त करने के लिए 'नीचे से ऊपर' दृष्टिकोण पर आधारित स्थानीय स्तर पर संचालित प्रयासों को समर्थन देना।
- **सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम:** जलवायु झटकों से निपटने के लिए सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना और प्रकृति-आधारित समाधानों को अपनाना।

यूएन-हैबिटेट के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों के कार्यक्रम (यूएन-हैबिटेट) एक ऐसी एजेंसी है, जो सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ शहरों के विकास को बढ़ावा देती है।
- इसकी स्थापना 1978 में मानव बस्तियों पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (हैबिटेट-1) के उपरांत की गई थी।
- यूएन-हैबिटेट का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है।
- यह संगठन सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकारों, नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य करता है।

यूनेस्को वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2024 के अनुसार, दुनिया भर में 251 मिलियन बच्चे और युवा अभी भी विद्यालयी शिक्षा से बाहर हैं, जोकि शिक्षा तक पहुँच में गंभीर असमानताओं और चुनौतियों को उजागर करता है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **शिक्षा में वैश्विक प्रगति स्थिर है:**
 - » 2015 में शिक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG) को अपनाने के बाद से 110 मिलियन से अधिक बच्चे और युवा स्कूल में प्रवेश ले चुके हैं।

- » 2015 की तुलना में 40 मिलियन अधिक युवा माध्यमिक विद्यालय पूरा कर रहे हैं।
- » इन सुधारों के बावजूद, स्कूल न जाने वाले बच्चों और युवाओं की संख्या में केवल 1% की कमी आई है, जिसका अर्थ है कि वैश्विक स्तर पर अभी भी 251 मिलियन बच्चे और किशोर शिक्षा तक पहुँच से वंचित हैं।
- **शिक्षा तक पहुँच में क्षेत्रीय असमानताएं:**
 - » निम्न आय वाले देशों में लगभग 33% स्कूल जाने योग्य बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जबकि उच्च आय वाले देशों में यह आंकड़ा केवल 3% है।
 - » विश्व में स्कूल न जाने वाले बच्चों में से आधे से अधिक बच्चे उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्र में रहते हैं, जो शिक्षा तक पहुँच में गंभीर क्षेत्रीय असमानताओं को उजागर करता है।
- **शिक्षा वित्तपोषण में चुनौतियाँ:**
 - » रिपोर्ट में शिक्षा के वित्तपोषण को सार्वभौमिक शिक्षा पहुँच प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण बाधा बताया गया है।
 - » 40% देश अपने कुल सार्वजनिक व्यय का 15% से कम और सकल घरेलू उत्पाद का 4% से भी कम शिक्षा पर खर्च करते हैं, जोकि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से कम है।
 - » निम्न आय और उच्च आय वाले देशों के बीच फंडिंग का अंतर अधिक है। 2022 में, निम्न आय वाले देशों ने शिक्षा पर प्रति छात्र केवल 55 डॉलर खर्च किए, जबकि उच्च आय वाले देशों में यह खर्च प्रति छात्र 8,543 डॉलर था।
- **ऋण सेवा का बढ़ता बोझ:**
 - » ऋण अदायगी का बढ़ता बोझ राष्ट्रीय शिक्षा बजट पर दबाव डाल रहा है।
 - » अफ्रीका में, कई देशों ने 2022 में ऋण अदायगी पर उतना ही खर्च किया जितना उन्होंने शिक्षा पर किया।
 - » शिक्षा के लिए आवंटित आधिकारिक विकास सहायता (ODA) का हिस्सा 2019 में 9.3% से घटकर 2022 में 7.6% हो गया है, जो बढ़ते वित्त पोषण अंतर को दर्शाता है।

शिक्षा में सुधार हेतु के लिए नवीन वित्तपोषण तंत्र:

- इन चुनौतियों से निपटने के लिए, यूनेस्को शिक्षा के वित्तपोषण में कमी को पाटने के लिए अभिनव वित्तपोषण तंत्रों की मांग कर रहा है।
- 'शिक्षा के लिए ऋण स्वैप', यह ऐसा एक तंत्र है जो ऋणग्रस्त देशों को अपनी ऋण अदायगी को शिक्षा में निवेश में बदलने का अवसर प्रदान करता है।
- **शिक्षा के लिए ऋण स्वैप:**
 - » यह बहुपक्षीय मंच के निर्माण का समर्थन करता है, जहाँ राष्ट्रीय ऋणों को स्थायी शिक्षा वित्तपोषण में परिवर्तित किया जा सके।
 - » अपने ऋण राहत का कुछ हिस्सा शिक्षा परियोजनाओं के वित्तपोषण में लगाने में मदद मिलेगी, जिससे भावी पीढ़ियों

के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित होगी।

- » यह पहल मौजूदा ढांचों जैसे कि जी-20 के ऋण पुनर्गठन के लिए सामान्य ढांचे और शिक्षा के लिए वैश्विक भागीदारी (GPE) जैसे बहुपक्षीय वित्त पोषण संगठनों के साथ साझेदारी पर आधारित है।
- **जी-20 और यूनेस्को सहक्रियाएं:**
 - » ब्राजील के फोर्टालेजा में 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक आयोजित 2024 वैश्विक शिक्षा बैठक में वैश्विक शिक्षा की स्थिति पर चर्चा करने के लिए वैश्विक नेता और शिक्षा मंत्री एकत्रित हुए।
 - » वैश्विक शिक्षा बैठक का एक महत्वपूर्ण परिणाम फोर्टालेजा घोषणापत्र था, जिसका 40 से अधिक शिक्षा मंत्रियों ने समर्थन किया। घोषणापत्र में उन महत्वपूर्ण कार्रवाइयों को रेखांकित किया गया, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि शिक्षा सामाजिक न्याय और सतत विकास का एक प्रमुख चालक बन जाए।

बच्चों के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने पर पहला वैश्विक सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने हेतु पहला वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 7-8 नवम्बर, 2024 को बोगोटा, कोलंबिया में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बच्चों के साथ होने वाले व्यापक दुर्व्यवहार से निपटना था। सम्मेलन में इस चिंताजनक आंकड़े पर ध्यान केंद्रित किया गया कि लगभग 1 बिलियन बच्चे, जोकि कुल बच्चों की आबादी का लगभग आधे हैं, हर वर्ष शारीरिक, मानसिक या यौन दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं।

सम्मेलन की मेजबानी:

- कोलंबिया और स्वीडन की सरकारों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से इस कार्यक्रम की मेजबानी की। इसमें शामिल थे:
 - » विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
 - » यूनिसेफ
 - » बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के विशेष प्रतिनिधि

सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य:

- **राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पुनर्जीवित करना:** इंस्पायर और पाथफाइंडिंग पहल जैसे ढाँचों के माध्यम से बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करना।
- **बच्चों/युवाओं के नेतृत्व में आंदोलन:** बाल हिंसा को रोकने

के लिए जागरूकता बढ़ाने और नीतियों की वकालत करने के लिए बच्चों/युवाओं के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू करना।

- **राजनीतिक घोषणापत्र अपनाना:** राजनीतिक घोषणापत्र को अपनाना, जिससे सरकारों को बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने और उसका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध किया जा सके।

एआई गवर्नेंस के लिए सहभागी दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास (IIT-M) द्वारा किए गए एक अध्ययन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों के प्रबंधन के लिए सहभागी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस दृष्टिकोण में विकास और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करना आवश्यक माना गया है। इस समावेशी मॉडल का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना और AI प्रौद्योगिकियों में जनता के विश्वास को सुदृढ़ करना है।

अध्ययन के मुख्य बिंदु:

- **हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता:**
 - » AI प्रणालियां अक्सर उन व्यक्तियों और समूहों के दृष्टिकोणों को बाहर कर देती हैं जो उनके उपयोग से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
 - » प्रभावित समुदाय (AI उपयोगकर्ता), नागरिक समाज और कानूनी विशेषज्ञ जैसे विविध हितधारकों की भागीदारी से AI प्रणालियों को अधिक जिम्मेदार और मानव-केंद्रित बनाने में सहायता मिलती है।
- **पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास में वृद्धि:**
 - » **प्राथमिक तर्क:** हितधारकों की भागीदारी से पारदर्शिता बढ़ती है, जिससे जनता का विश्वास बढ़ता है।
 - » AI जीवनचक्र के समग्र चरणों (डिजाइन, विकास, परिनियोजन और निरीक्षण) के दौरान प्रभावित पक्षों को शामिल करने से AI प्रणालियों को समाज द्वारा अधिक स्वीकार्यता मिलती है।
 - » एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और गोपनीयता उल्लंघन जैसे जोखिमों को कम किया जा सकता है।
- **कानून प्रवर्तन: चेहरे की पहचान तकनीक (FRT):**
 - » पुलिस बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली FRT में पक्षपात की संभावना होती है, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों पर असमान प्रभाव पड़ सकता है।
 - » नागरिक समाज समूहों, विचाराधीन कैदियों और कानूनी विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित करती है कि तकनीक

का परीक्षण पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए किया जाए और यह निजता का उल्लंघन न करे तथा भेदभाव से मुक्त हो।

- **स्वास्थ्य सेवा: बड़े भाषा मॉडल (LLM):**
 - » चिकित्सा सलाह या निदान में प्रयुक्त LLM, यदि त्रुटिपूर्ण डेटा पर प्रशिक्षित हो, तो गलत या पक्षपातपूर्ण जानकारी उत्पन्न कर सकते हैं।
 - » डॉक्टरों, मरीजों, कानूनी टीमों और एआई डेवलपर्स की भागीदारी से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि एआई सिस्टम सटीक, न्यायसंगत और पारदर्शी हों।
 - » स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों से फीडबैक लेकर एआई उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, और रोगी समूहों की भागीदारी से प्रणाली में भेदभाव कम किया जा सकता है।

सहभागी दृष्टिकोण के लाभ:

- **बेहतर निष्पक्षता और समानता:** हितधारकों की भागीदारी से पूर्वाग्रह कम होते हैं और AI प्रणालियों का अधिक समावेशी डिजाइन संभव हो पाता है।
- **बढ़ी हुई जवाबदेही:** हितधारक सहभागिता सुनिश्चित करती है कि डेवलपर्स अपने सिस्टम के सामाजिक प्रभावों के प्रति जवाबदेह रहें।
- **सार्वजनिक विश्वास और स्वीकृति में वृद्धि:** पारदर्शी AI प्रणालियों को जनता का समर्थन और स्वीकृति प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है।
- **सीमित जोखिम:** प्रारंभिक चरण में सहभागिता से कानूनी चुनौतियों, सार्वजनिक प्रतिक्रिया या कमजोर समूहों को होने वाली संभावित हानियों की पहचान और उनके निवारण में सहायता मिलती है।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: एशिया 2025

चर्चा में क्यों?

हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: एशिया 2025 में भारतीय संस्थानों ने अकादमिक प्रदर्शन, शोध उत्पादन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। इस रैंकिंग में सात भारतीय विश्वविद्यालयों को एशिया के शीर्ष 100 में शामिल किया गया है, जिनमें से दो विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त किया है।








भारत के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं

- **आईआईटी दिल्ली:**
 - » 44वें स्थान पर, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।
- **आईआईटी बॉम्बे:**

- » 48वें स्थान पर, उच्च शैक्षणिक प्रतिष्ठा (96.6%) और नियोक्ता प्रतिष्ठा (99.5%) के लिए मान्यता प्राप्त।
- » भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में अपनी स्थिति बनाए रखी है।
- **आईआईटी मद्रास:**
 - » 56वें स्थान पर, इंजीनियरिंग और अनुसंधान का केंद्र।
 - » उच्च शिक्षा में भारत की वैश्विक स्थिति को सशक्त करता है।
- **आईआईटी खड़गपुर:**
 - » 60वें स्थान पर, इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध।
 - » भारत की वैश्विक शैक्षणिक प्रतिष्ठा को मजबूत करता है।
- **आईआईटी कानपुर:**
 - » 67वें स्थान पर, भारतीय उच्च शिक्षा में आईआईटी की अग्रणी स्थिति को सशक्त करता है।
- **भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी):**
 - » 62वें स्थान पर, विज्ञान और इंजीनियरिंग में अत्याधुनिक अनुसंधान पर केंद्रित।
 - » भारत की अनुसंधान-आधारित शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका।
- **दिल्ली विश्वविद्यालय:**
 - » 94वें स्थान से सुधार करते हुए 81वें स्थान पर।
 - » बढ़ती शैक्षणिक और शोध क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।

India's Rising Academic Prowess

QS World University Rankings: Asia 2025

7 Indian Institutes in Top-100	
Institution	Ranking
 IIT* DELHI	44
 IIT* BOMBAY	48
 IIT* MADRAS	56
 IIT* KHARAGPUR	60
 IISc**	62
 IIT* KANPUR	67
 UNIVERSITY OF DELHI	81

भारत की शैक्षणिक ताकत:

भारतीय संस्थानों ने शैक्षणिक उत्कृष्टता के कई प्रमुख संकेतकों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है:

- **प्रति संकाय शोधपत्र:**
 - » अन्ना विश्वविद्यालय और आईआईटी जैसे संस्थानों ने शोध उत्पादन में उत्कृष्टता हासिल की है, जहां प्रति संकाय सदस्य उच्च संख्या में शोधपत्र तैयार किए जाते हैं। यह भारत की बढ़ती शैक्षणिक उत्पादकता को दर्शाता है।
- **पीएचडी प्राप्त कर्मचारी:**

- » 15 से अधिक विश्वविद्यालयों ने पीएचडी सूचक में 99% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जो उच्च संकाय योग्यता और शिक्षण मानकों को रेखांकित करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क:**
 - » दिल्ली विश्वविद्यालय ने में 96.4% अंक प्राप्त किए हैं, जो उसके अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग और वैश्विक दृश्यता की बढ़ती को दर्शाता है।
- **संकाय-छात्र अनुपात:**
 - » नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बैंगलोर ने इस सूचक में 100 का पूर्ण स्कोर अर्जित किया है, जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान को दर्शाता है।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: एशिया 2025

- इस रैंकिंग में एशिया के 25 देशों के 984 संस्थानों का मूल्यांकन किया गया है। रैंकिंग में अकादमिक प्रतिष्ठा, शोध उत्पादकता, अंतर्राष्ट्रीय विविधता और नियोक्ता प्रतिष्ठा जैसे कई महत्वपूर्ण मापदंडों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के प्रदर्शन का विस्तार से उल्लेख है।

विश्व में मधुमेह रोगियों का एक चौथाई हिस्सा भारत से

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस (14 नवंबर, 2024) के अवसर पर द लांसेट में प्रकाशित अध्ययन ने वैश्विक मधुमेह महामारी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अध्ययन के अनुसार, विश्व की कुल मधुमेह जनसंख्या का एक चौथाई भाग भारत से है।

लांसेट अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- **वैश्विक मधुमेह प्रसार:**
 - » 828 मिलियन वयस्क मधुमेह से प्रभावित।
 - » भारत में 212 मिलियन मधुमेह रोगी हैं, जोकि वैश्विक मधुमेह जनसंख्या का एक चौथाई है।
- **मधुमेह के अधिक मामले वाले अन्य देश:**
 - » चीन: 148 मिलियन
 - » अमेरिका: 42 मिलियन
 - » पाकिस्तान: 36 मिलियन
 - » इंडोनेशिया: 25 मिलियन
 - » ब्राजील: 22 मिलियन

अध्ययन में उपयोग किए गए नैदानिक मानदंड:

- **उपवास प्लाज्मा ग्लूकोज (एफपीजी):** 7.0 mmol/L (126

mg/dL)

- **HbA1c:** 6.5% या अधिक (तीन महीनों में औसत रक्त शर्करा)
- विशेषज्ञों का कहना है कि HbA1c और उपवास ग्लूकोज स्तरों (Fasting Plasma Glucose levels) को मानक मानकर भारत में मधुमेह की व्यापकता का अनुमान अधिक हो सकता है।
- एचबीए1सी को शामिल किए बिना, 2022 में भारत में मधुमेह की वास्तविक व्यापकता निम्नलिखित थी:
 - » महिलाओं में 14.4% (69 मिलियन)
 - » पुरुषों में 12.2% (62 मिलियन)
 - » कुल प्रसार: 131 मिलियन लोग
- यह आंकड़ा, जोकि एचबीए1सी के बिना है, लांसेट अध्ययन द्वारा प्रस्तुत 212 मिलियन के आंकड़े से काफी कम है।

उपचार अंतराल:

- 2022 में लगभग 59% वयस्कों (लगभग 445 मिलियन लोग) को मधुमेह के इलाज के लिए कोई दवा नहीं मिली। यह संख्या 1990 में 129 मिलियन लोगों की तुलना में काफी अधिक है, अर्थात् उपचार प्राप्त न करने वालों की संख्या में काफी बढ़ती हुई है।
- भारत में 2022 में लगभग 64 मिलियन पुरुष और 69 मिलियन महिलाएं अनुपचारित मधुमेह (Untreated Diabetes) से पीड़ित थीं।
- उपचार की कमी के कारण निम्नलिखित जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है:
 - » अंगविच्छेद जैसी शल्यक्रियाएं
 - » हृदय रोग
 - » गुर्दे की क्षति
 - » दृष्टिहीनता
 - » असमय मृत्यु

मधुमेह क्या है?

- मधुमेह एक चिकित्सा स्थिति है, जोकि तब उत्पन्न होती है जब शरीर रक्त शर्करा (ग्लूकोज) के स्तर को समुचित रूप से नियंत्रित नहीं कर पाता। रक्त शर्करा शरीर की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का एक आवश्यक स्रोत है, परंतु इसके स्तर को नियंत्रित रखना अत्यंत आवश्यक होता है। जब यह संतुलन विघटित होता है, तो रक्त शर्करा का स्तर अत्यधिक बढ़ सकता है या घट सकता है, जो समय के साथ विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं को उत्पन्न कर सकता है।
- **मधुमेह के दो मुख्य प्रकार हैं:**
 - » टाइप 1 मधुमेह
 - » टाइप 2 मधुमेह, साथ ही एक स्थिति जिसे गर्भावधि मधुमेह कहा जाता है।
- टाइप 1 मधुमेह एक ऑटोइम्यून स्थिति है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अग्न्याशय में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं

(बीटा कोशिकाओं) पर हमला करती है और उन्हें नष्ट कर देती है। इंसुलिन एक हार्मोन है, जो ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश करने और ऊर्जा के रूप में उपयोग करने में मदद करता है।

- टाइप 2 मधुमेह तब होता है जब शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, अर्थात् कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया नहीं करतीं। समय के साथ, अग्न्याशय रक्त शर्करा के सामान्य स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता। आनुवंशिक कारक, खराब आहार, शारीरिक निष्क्रियता और मोटापा टाइप 2 मधुमेह के विकास में योगदान करते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में किशोरों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक) तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए कानून लाने की योजना की घोषणा की है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना है।

प्रस्तावित कानून:

- यह प्रस्ताव दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट फ्रेंच के नेतृत्व में किए गए एक स्वतंत्र अध्ययन पर आधारित है, जिसमें नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को प्रतिबंधित करने की व्यवहार्यता का विश्लेषण किया गया था।

कानून के मुख्य पहलू:

- **आयु सत्यापन:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि 14 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म तक पहुंच न सकें। 14 और 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक्सेस केवल माता-पिता की सहमति से संभव होगा।
- **विनियमन और दंड:** कानून के प्रवर्तन की निगरानी के लिए एक नियामक निकाय की स्थापना की जाएगी। गैर-अनुपालन करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जिससे सोशल मीडिया के एक्सपोजर से होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए बच्चों के ऑनलाइन सुरक्षा कोष को निधि दी जाएगी।

आयु-आधारित प्रतिबंध लागू करने की चुनौतियाँ:

- इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं से उनकी आयु की जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन यह जानकारी स्वयं उपयोगकर्ता द्वारा दी जाती है। कई बार

नाबालिग अपने वास्तविक आयु को छिपाकर या गलत जानकारी देकर इन प्लेटफॉर्मों तक पहुँच प्राप्त कर लेते हैं

- वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) उपयोगकर्ताओं को अपना स्थान छिपाने और आयु प्रतिबंधों को दरकिनार करने की अनुमति देता है, जिससे प्रवर्तन कठिन हो जाता है।

प्रस्तावित समाधान:

- अध्ययन में आयु सत्यापन के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड या चेहरे की पहचान तकनीक जैसे अधिक सुरक्षित तरीकों के उपयोग का सुझाव दिया गया है।
- हालांकि, इन समाधानों से गोपनीयता संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं, विशेषकर जब इसमें नाबालिगों का संवेदनशील डेटा शामिल हो।

सोशल मीडिया और किशोरों पर इसका प्रभाव:

- **मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट का खतरा:**
 - » अध्ययन से पता चलता है कि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे चिंता, अवसाद और मादक द्रव्यों के सेवन में वृद्धि हो सकती है।
 - » यह पाया गया है कि लंबा समय स्क्रीन पर बिताने से नींद की आदतों पर नकारात्मक असर पड़ता है, जोकि किशोरों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
 - » एक आदर्श ऑनलाइन व्यक्तित्व बनाए रखने का दबाव किशोरों में अपर्याप्तता, कम आत्मसम्मान और शारीरिक छवि के प्रति नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न कर सकता है।
- **फियर ऑफ मिसिंग आउट (FOMO) की भूमिका:**
 - » किशोरों में फियर ऑफ मिसिंग आउट (FOMO) की भावना होती है, जिससे उनमें लगातार जुड़े रहने की इच्छा और चिंता उत्पन्न होती है।
 - » निरंतर ऑनलाइन संपर्क के कारण व्यक्तिगत बातचीत में कमी आती है, जिससे अकेलेपन की भावना बढ़ सकती है।
- **सोशल मीडिया के संभावित लाभ:**
 - » सोशल मीडिया का एक सकारात्मक पक्ष भी है, विशेषकर महामारी के दौरान, जब इसने किशोरों को जुड़े रहने और जानकारी प्राप्त करने में मदद की।
 - » यह हाशिए पर पड़े समूहों के लिए सामुदायिक भावना पैदा कर सकता है और मानसिक स्वास्थ्य, लिंग पहचान और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर समर्थन प्रदान कर सकता है।

वैश्विक बहस:

- **वैश्विक संदर्भ:**
 - » ऑस्ट्रेलिया का यह कदम बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के बारे में चल रही वैश्विक बहस में वृद्धि करता है। कई देशों (जैसे, यू.के., यू.एस) ने पहले ही सख्त नियमों या आयु सत्यापन प्रणालियों को लागू किया है।

- **शिक्षा बनाम प्रतिबंध:**
 - » कुछ लोग आयु सत्यापन प्रणाली और प्रतिबंधों के पक्षधर हैं, जबकि अन्य का मानना है कि सुरक्षित सोशल मीडिया उपयोग को लेकर शिक्षा और जागरूकता अधिक प्रभावी हो सकती है।
 - » नीति निर्माता सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने के बजाय डिजिटल साक्षरता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और किशोरों को ऑनलाइन जिम्मेदारी से व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं।

भारत में लैंगिक संवेदनशील बजट की प्रभावशीलता में सीमित प्रगति: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग (जीआरबी) में भारत के प्रयासों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में महिलाओं पर केंद्रित आवश्यक कार्यक्रमों का अभाव और लैंगिक-विश्लेषित डेटा की कमी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित किया गया है, जोकि लैंगिक असमानताओं को समाप्त करने में जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग (जीआरबी) की प्रभावशीलता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

जेंडर बजटिंग:

- लिंग बजट एक ऐसा उपकरण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक संसाधनों का आवंटन महिलाओं और हाशिए पर पड़े समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी ढंग से किया जाए।
- भारत ने 1993 में CEDAW (संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कन्वेंशन) का अनुसमर्थन किया और 2005-2006 के केंद्रीय बजट में अपना पहला जेंडर बजट स्टेटमेंट (GBS) प्रस्तुत किया।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जबकि वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों में जेंडर बजट प्रकोष्ठों की स्थापना का कार्य करता है।

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **महिलाओं केंद्रित कार्यक्रमों पर सीमित ध्यान:** स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के आवश्यक कार्यक्रमों पर कम ध्यान दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लिंग-विशिष्ट आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है।
- **लैंगिक-भेदभाव आंकड़ों का अभाव:** भारत को लैंगिक-

भेदभाव आंकड़ों को एकत्र करने और उपयोग करने में कठिनाई होती है, जिससे संसाधनों की प्रभावी ट्रेकिंग और महिलाओं पर उनके प्रभाव में बाधा आती है।

- **कमजोर निगरानी और कार्यान्वयन:** महिला कल्याण के लिए आवंटित निधियों की प्रभावी निगरानी में सीमित जवाबदेही के कारण मजबूत निगरानी तंत्र की आवश्यकता है, ताकि धन का उचित और लक्षित उपयोग सुनिश्चित हो सके।
- **बजट प्राथमिकता में अपर्याप्त एकीकरण:** बजट प्रक्रिया की शुरुआत से ही लिंग संबंधी विचारों को एकीकृत किया जाना चाहिए, ताकि सभी योजनाओं में महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को समुचित स्थान मिल सके।

सिफारिशें:

- **बेहतर डेटा संग्रहण:** लिंग-विभाजित डेटा होने से महिलाओं की आवश्यकताओं का सटीक पता लगाने और बेहतर ढंग से उनका समाधान करने में मदद मिलेगी।
- **मजबूत निगरानी:** क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर निगरानी तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि धन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।
- **उप-राष्ट्रीय सरकारों की सहभागिता:** हाशिए पर रहने वाली महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तक पहुंचने के लिए राज्य और स्थानीय स्तर पर लिंग आधारित बजट को अपनाया जाना चाहिए।
- **क्षमता निर्माण:** लिंग बजट में अधिकारियों को प्रशिक्षण देने से प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।
- **सार्वजनिक भागीदारी:** बजट प्रक्रिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अधिक समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।

जेंडर बजट स्टेटमेंट (जीबीएस) 2024-25 की मुख्य विशेषताएं:


- **महिला-आधारित आवंटन में वृद्धि:** 2024-25 के बजट में महिला-समर्थक योजनाओं के लिए कुल बजट का 6.8% हिस्सा आवंटित किया गया है, जो पहले के 5% से अधिक है।
- **योजनाओं को वर्गीकरण-भाग सी:** भाग सी में उन योजनाओं को शामिल किया गया है, जिनमें महिलाओं के लिए 30% तक का आवंटन होता है, जैसे पीएम किसान। (भाग ए में वे योजनाएं हैं जिनमें 100% आवंटन होता है, जैसे सामर्थ्य, जोकि कुल जीबीएस आवंटन का लगभग 40% हैं। भाग बी में वे योजनाएं हैं जिनमें 30% से 99% तक आवंटन होता है, जैसे पीएम अजया।)

चर्चा में क्यों?

- हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संविधान को अपनाने का सम्मान करना और नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना है।
- इसे 2015 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने घोषित किया, ताकि संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके।

संविधान सभा की मांग

- **एम. एन. राय (1934)**: उन्होंने सबसे पहले भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की।
- **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1935)**: 1935 के अधिवेशन में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की।
- **अगस्त प्रस्ताव (1940)**: ब्रिटिश सरकार ने सिद्धांत रूप में संविधान सभा बनाने की मांग को स्वीकार किया।
- **क्रिप्स मिशन (1942)**: ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण अधिराज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा। महात्मा गांधी ने इसे 'पोस्टडेड चेक' कहकर खारिज कर दिया।
- **कैबिनेट मिशन (1946)**: इस मिशन ने संविधान सभा के गठन के लिए रूपरेखा तैयार की।



संविधान दिवस (26 नवंबर)

संविधान सभा की संरचना

- **कुल सदस्य**: संविधान सभा में 389 सदस्य थे:
 - » 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से।
 - » 93 सदस्य रियासतों से।

संविधान सभा की पहली बैठक

- **तिथि**: पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
- **अस्थायी अध्यक्ष**: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
- **स्थायी अध्यक्ष**: डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947)

- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947) के तहत संविधान सभा को पूर्ण स्वायत्तता मिली।
- **द्वि-भूमिकाएँ**:
 - » संविधान निर्माण, जिसका नेतृत्व डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किया।
 - » प्रांतीय विधायिकाओं की देखरेख, जिसकी अध्यक्षता जी. वी. मावलंकर ने की।

उद्देश्य प्रस्ताव

- **प्रस्तावना**: यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- इसमें भारतीय संविधान के मौलिक दर्शन जैसे संप्रभुता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को रेखांकित किया गया।

संविधान सभा की समितियाँ

- **संघ शक्ति समिति**: अध्यक्ष - पंडित जवाहरलाल नेहरू।
- **संघ संविधान समिति**: अध्यक्ष - पंडित जवाहरलाल नेहरू।
- **प्रांतीय संविधान समिति**: अध्यक्ष - सरदार वल्लभभाई पटेल।
- **मसौदा समिति**: अध्यक्ष - डॉ. बी. आर. अंबेडकर।
- **मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति**: अध्यक्ष - सरदार पटेल।
- **संचालन समिति**: अध्यक्ष - डॉ. राजेंद्र प्रसाद।
- **प्रक्रिया नियम समिति**: अध्यक्ष - डॉ. राजेंद्र प्रसाद।

चर्चा में क्यों?

- भारत को पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और औद्योगिक डिजाइन्स में दुनिया के टॉप 10 देशों में जगह मिली।
- मुख्य बिंदु:** पिछले 5 सालों से IP (बौद्धिक संपद) फाइलिंग्स में लगातार दो अंकों में बढ़ोतरी।
- महत्व:** भारत एक उभरता हुआ वैश्विक नवाचार केंद्र बन रहा है।

मुख्य उपलब्धियां

- पेटेंट वृद्धि:**
- फाइल की गई आवेदन:** 64,480 (2023)।
- वृद्धि:** +15.7%, जो उभरते हुए बाजारों में सबसे ज्यादा है।
- आवासीय फाइलिंग्स:** 55.2%, जो घरेलू नवाचार को दर्शाता है।
- पेटेंट ग्रांट:** +149.4% (2023 बनाम 2022)।
- पेटेंट-टू-GDP अनुपात:** 144 (2013) से बढ़कर 381 (2023), जो नवाचार-प्रति आर्थिक वृद्धि को दिखाता है।

औद्योगिक डिजाइन्स:

- वृद्धि:** 36.4% (2023 में) फाइलिंग्स में।
- मुख्य क्षेत्र:** वस्त्र, उपकरण एवं मशीनें, स्वास्थ्य और सौंदर्य उत्पाद।
- महत्व:** वेल्यू-एडेड मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन-आधारित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित।

ट्रेडमार्क वृद्धि:

- वैश्विक रैंक:** 4वां स्थान।
- आवासीय शेयर:** 90%, जो ब्रांड सुरक्षा की जागरूकता को दर्शाता है।
- सक्रिय ट्रेडमार्क्स:** 3.2 मिलियन, जो दुनिया में दूसरा स्थान है।
- मुख्य क्षेत्र:** स्वास्थ्य (21.9%), कृषि (15.3%), वस्त्र (12.8%)।

विस्तृत मापदंड

पेटेंट्स:


- भारत वैश्विक फाइलिंग्स में एक प्रमुख योगदानकर्ता है (3.55 मिलियन वैश्विक स्तर पर)।
- मुख्य क्षेत्र: फार्मास्यूटिकल्स, IT, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि।

ट्रेडमार्क्स:

- व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के साथ फाइलिंग्स में वृद्धि।
- उद्देश्य: ब्रांड की प्रतिष्ठा, उपभोक्ता विश्वास और सुरक्षा में वृद्धि।

औद्योगिक डिजाइन्स:

- सुदृढ़ता, कार्यक्षमता और उपयोगकर्ता अनुभव पर ज्यादा ध्यान केंद्रित।
- आवेदन भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दिखाते हैं।



वैश्विक नवाचार में भारत (WIPO 2024 रिपोर्ट)

अटल नवाचार मिशन (AIM):

- 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में।
- 3,500 स्टार्टअप्स को प्रेरित किया गया, जिससे 32,000+ नौकरियाँ पैदा हुईं।
- डिजिटल आधुनिकीकरण:** IP कार्यालयों को डिजिटाइज किया गया, जिससे प्रक्रिया में देरी कम हुई।

सरकारी पहल

राष्ट्रीय IPR नीति (2016):

- उद्देश्य:** IP जागरूकता, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और IP का व्यावसायीकरण।
- प्रमुख क्रियाएं:**
 - » जल्दी प्रक्रिया: पेटेंट कार्यालय के कार्यप्रवाह को सरल बनाना।
 - » जागरूकता कार्यक्रम: राष्ट्रीय IP जागरूकता मिशन (NIPAM)
 - » नवाचार का समर्थन: तकनीकी नवाचार समर्थन केंद्र (TISC)

SPRIHA योजना:

- विश्वविद्यालयों में IPR शिक्षा को शामिल किया गया।
- IPR चेंबर:** नवाचार और नीति अध्ययन के लिए शोध केंद्र।
- स्टार्टअप इंडिया:**
 - 1,49,414 स्टार्टअप्स की पहचान (2024)।
 - प्रमुख क्षेत्र:** तकनीकी, कृषि, स्वास्थ्य।


स्थापना दिवस समारोह

गठन दिवस मनाने वाले राज्य:

- **आंध्र प्रदेश:** राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956) के तहत यह राज्य भाषाई आधार पर बना था।
- **कर्नाटक:** कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर राज्य का निर्माण हुआ; कर्नाटका राज्योत्सव दिवस (1956) मनाया जाता है।
- **केरल:** मालाबार, कोचिन और त्रावणकोर को मिलाकर राज्य बना (1956)
- **मध्य प्रदेश:** यह राज्य मध्य भारत के दिल के रूप में पुनर्गठित हुआ (1956)
- **छत्तीसगढ़:** 26वां राज्य बना; इसे 'भारत का चावल का कटोरा' भी कहा जाता है (2000)
- **हरियाणा:** हिंदी भाषी लोगों के लिए पंजाब से अलग हुआ; कृषि और खेल को प्रमुखता दी जाती है (1966)
- **पंजाब:** पंजाबी बोलने वालों के लिए पुनर्गठित हुआ; इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को प्रमुखता दी जाती है (1966)

केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा गठन दिवस मनाना:

- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी।



भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण और गठन दिवस

राज्य के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 2:

- यह संसद को नई राज्यों को जोड़ने या स्थापित करने का अधिकार देता है।
- **उदाहरण:** सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाने के लिए अनुच्छेद 2 का उपयोग किया गया।

अनुच्छेद 3:

- यह राज्यों के आंतरिक पुनर्गठन से संबंधित है।

राज्यों के गठन का ऐतिहासिक संदर्भ

राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956):

- **आधार:** भाषाई और प्रशासनिक पुनर्गठन।
- इसके परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, और मध्य प्रदेश जैसे राज्य बने।

बाद के विकास:

- **1960 के दशक में:** हरियाणा और पंजाब को भाषाई आधार पर विभाजित किया गया।
- **2000 के दशक में:** नए राज्य जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, और तेलंगाना का निर्माण हुआ।

राज्य गठन के उदाहरण

- **भाषाई राज्यों का निर्माण:** आंध्र प्रदेश (पहला भाषाई राज्य), केरल, हरियाणा।
- **राज्य के विभाजन द्वारा नए राज्य:** तेलंगाना (आंध्र प्रदेश से), छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश से)।
- **नामकरण और सीमा समायोजन:**
 - » मद्रास --- तमिलनाडु (1967)
 - » मैसूर --- कर्नाटक

संसद की शक्तियाँ:

- एक नया राज्य बना सकती है (जैसे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से)
- किसी राज्य के क्षेत्र, सीमाएँ या नाम बदल सकती है (जैसे, कर्नाटक का नामकरण)

शर्तें:

- राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद में बिल पेश किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति प्रस्ताव को राज्य विधानसभा के विचार के लिए भेजता है।
- संसद राज्य विधानसभा के विचारों से बाध्य नहीं है।
- **केंद्र शासित प्रदेशों:** राज्य विधानसभा से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है।

एक दृष्टि

- **उपलब्धि:** भारत को 2014 में पोलियो-मुक्त घोषित किया गया, जो एक बड़ा वैश्विक स्वास्थ्य मील का पत्थर है।
- **मुख्य सहयोगी:** भारत सरकार, यूनिसेफ, WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल और CDC।

पोलियो उन्मूलन के प्रमुख चरण

- **1978-टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार (EPI)**
- बच्चों को टीके उपलब्ध करने की पहली कोशिश।
- 1985 में इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) नाम दिया गया और इसकी पहुंच बढ़ाई गई।
- **1995-पल्स पोलियो कार्यक्रम:**
- बड़े स्तर पर आरल पोलियो वैक्सीन (OPV) के इस्तेमाल से टीकाकरण अभियान।
- **नारा:** 'दो बूट जिंदगी की'।
- पहले अभियान में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा।


नियमित टीकाकरण को मजबूत बनाना:

- UIP को बढ़ाकर 12 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण शुरू किया गया, जिसमें पोलियो भी शामिल है।
- कोल्ड चैन प्रबंधन:
- वैक्सीन के भंडारण और वितरण को बेहतर बनाने के लिए NCCTE और eVIN (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटीलेंजेंस नेटवर्क) का उपयोग।

2015-निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (IPV) की शुरुआत:

- OPV के साथ IPV को जोड़ा गया ताकि टाइप-2 पोलियोवायरस से सुरक्षा मिल सके।
- यह ग्लोबल पोलियो एंडगेम स्ट्रैटेजी का हिस्सा था।

निगरानी प्रणाली:



भारत का पोलियो उन्मूलन

AFP निगरानी (Acute Flaccid Paralysis):

- 15 साल से कम उम्र के बच्चों में अचानक लकवे के मामलों पर नजर।
- **पर्यावरण निगरानी:** सीवेज में पोलियोवायरस के स्ट्रेन का पता लगाना।
- किसी भी प्रकोप का तेजी से पता लगाना और प्रतिक्रिया देना।

पोलियो सर्टिफिकेशन प्रक्रिया

- **2011:** अंतिम वाइल्ड पोलियोवायरस का मामला हावड़ा, पश्चिम बंगाल में देखा गया।
- WHO के सर्टिफिकेशन मानक:
 - » तीन साल तक वाइल्ड पोलियोवायरस का कोई मामला न हो।
 - » मजबूत निगरानी और वायरस स्टॉक का नष्ट होना।
- 27 मार्च 2014: भारत को WHO द्वारा पोलियो-मुक्त घोषित किया गया।

सर्टिफिकेशन के बाद उठाए गए कदम

- **वार्षिक पोलियो अभियान:** राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (NID) और उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (SNID) से रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना।
- **निगरानी:** AFP और पर्यावरण निगरानी जारी।
- **सीमा टीकाकरण:** पोलियो के प्रभावित क्षेत्रों से वायरस की वापसी को रोकना।

नए टीके और पहल

- **नए टीके:** रोटावायरस, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (PCV), और खसरा-रूबेला (MR) टीके।
- **मिशन इंद्रधनुष (2014):** टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाने का लक्ष्य, खासकर दूर-दराज और वंचित इलाकों में।

मुख्य शब्दावली

- **UIP (यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम):** बच्चों को पोलियो समेत कई बीमारियों के खिलाफ टीके उपलब्ध करने की राष्ट्रीय योजना।
- **OPV (ओरल पोलियो वैक्सीन):** पोलियो से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वैक्सीन।
- **IPV (निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन):** इंजेक्शन के जरिए दिया जाने वाला वैक्सीन, खासतौर पर टाइप-2 पोलियोवायरस के खिलाफ।
- **AFP निगरानी:** बच्चों में अचानक लकवे के मामलों पर नजर रखने का एक तरीका, पोलियो का पता लगाने में मददगार।

एक दृष्टि

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्र योजना, DAY-NRLM (दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के तहत।
- **उद्देश्य:** महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ड्रोन उपलब्ध कराकर किराए पर कृषि सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाना।
- **अवधि:** 2024-2026
- **मंत्रालय:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

मुख्य विशेषताएं

- **आर्थिक सहायता:** 80 प्रतिशत सब्सिडी: ड्रोन खरीदने के लिए SHGs को, अधिकतम 8 लाख रुपये तक।
- **अतिरिक्त वित्तपोषण:** कृषि इन्फ्रा फाइनैसिंग सुविधा (AIF) के तहत 3% ब्याज में छूट।

ड्रोन पैकेज:

- स्रे असेंबली, बैटरी, कैमरे, चार्जर और मापने वाले उपकरण शामिल।
- 20 एकड़ तक काम करने के लिए अतिरिक्त बैटरी और प्रोपेलर।

प्रशिक्षण कार्यक्रम:

- **15 दिन का प्रशिक्षण:** SHG सदस्यों को ड्रोन चलाने, खाद व कीटनाशक छिड़काव जैसे कृषि कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

क्रियान्वयन:

- **लीड फर्टिलाइजर कंपनियां (LFCs):** राज्य स्तर पर योजना लागू करेंगी।
- **केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति:** सरकारी अधिकारियों की टीम निगरानी करेगी।

आईटी आधारित ड्रोन पोर्टल:

- **MIS सिस्टम:** फंड ट्रैकिंग, वितरण और ड्रोन उपयोग की रियल-टाइम मॉनिटरिंग।

महत्व

- **महिलाओं को सशक्त बनाना:** SHGs को कृषि में ड्रोन सेवा देकर आय के अवसर प्रदान करना।
- **कृषि को आधुनिक बनाना:** खाद/कीटनाशक छिड़काव में ड्रोन से समय और लागत बचाकर उत्पादकता बढ़ाना।
- **कृषि लागत कम करना:** किसानों के लिए उन्नत खेती को सस्ता और सुलभ बनाना।
- **ग्रामीण कौशल विकास:** SHG सदस्यों को ड्रोन चलाने में प्रशिक्षित कर डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।
- **सरकारी योजनाओं का समर्थन:** DAY-NRLM और किसान ड्रोन जैसी पहलों के साथ ग्रामीण सशक्तिकरण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना।
- **तकनीकी पहुंच बढ़ाना:** ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत ड्रोन तकनीक उपलब्ध कराना।


चुनौतियां

- **SHGs पर वित्तीय बोझ:** ड्रोन लागत का 20% SHGs को वहन करना होगा, जो लाभ कम होने पर वित्तीय दबाव ला सकता है।
- **सीमित प्रशिक्षण:** 15 दिन का प्रशिक्षण तकनीकी समस्याओं को संभालने के लिए अपर्याप्त हो सकता है।
- **प्रशासनिक देरी:** LFCs पर निर्भरता से योजना के क्रियान्वयन में देरी हो सकती है।
- **पर्यावरण और स्वास्थ्य जोखिम:** कीटनाशक छिड़काव से जैव विविधता पर प्रभाव पड़ने की संभावना, खासकर नीलगिरि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में।

आगे की राह

- **अधिक वित्तीय समर्थन:** SHGs के 20% योगदान को कम करने के लिए अनुदान/सब्सिडी पर विचार करने की आवश्यकता।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार:** लंबे और गहन प्रशिक्षण के साथ रिफ्रेश कोर्स प्रदान करने की आवश्यकता।
- **पर्यावरण सुरक्षा:** संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास पर्यावरणीय नुकसान रोकने के लिए दिशानिर्देश लागू करना।

नमो ड्रोन दीदी योजना



अवलोकन

- **शुरुआत:** 17 सितंबर 2023 (विश्वकर्मा जयंती पर)।
- **पहला:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा।
- **उद्देश्य:** पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना।
- **मंजूरी:** 16 अगस्त 2023 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा।

उद्देश्य

- **कौशल विकास:** पारंपरिक शिल्प को आधुनिक बनाने के लिए।
- **बाजार से जुड़ाव:** कारीगरों को स्थानीय और वैश्विक बाजार से जोड़ना।
- **संस्कृति संरक्षण:** गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देना।

लाभार्थी

- **कारीगर:** 25 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े (जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई)।
- **असंगठित क्षेत्र के श्रमिक:** इन्हें संगठित प्रणाली में लाना।

पात्रता

- **औद्योगिक इकाइयां:** MSME से संबंधित।
- **व्यक्ति:** पढ़ाई छोड़ने वालों से लेकर M.Tech डिग्रीधारकों तक।

योजना की विशेषताएं

- **कुल बजट:** 13,000 करोड़ (2023-24 से 2027-28 तक)।
- **पंजीकरण:**
 - » **मुफ्त पंजीकरण:** कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए।
 - » पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर बायोमेट्रिक आधारित।
- **पहचान:** पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड।
- **क्रेडिट सुविधा:**
 - » पहला ऋण: 1 लाख।
 - » दूसरा ऋण: 2 लाख।
 - » 5% कम ब्याज दर।
 - » बैंक को 8% ब्याज की सब्सिडी सरकार द्वारा।
- **उपकरण प्रोत्साहन:** आधुनिक उपकरणों के लिए 15,000 ई-वाउचर।
- **प्रशिक्षण:** बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम।
- **डिजिटल सुविधा:** डिजिटल लेन-देन और मार्केटिंग सपोर्ट को बढ़ावा।

अब तक की उपलब्धियां (4 नवंबर 2024 तक)

- **आवेदन प्राप्त:** 2.58 करोड़।
- **पंजीकरण पूरा:** 23.7 लाख।
- **लाभार्थी:** 10 लाख कारीगरों ने टूलकिट प्रोत्साहन का लाभ उठाया।


मुख्य लाभ

- **उपकरणों तक पहुंच:** MSME की कार्यक्षमता में सुधार।
- **प्रशिक्षित कार्यबल:** उद्योग मानकों के अनुसार प्रशिक्षण।
- **उत्पाद विकास:** नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा।
- **सलाह सेवाएं:** उद्योग की जरूरतों के लिए अनुकूल समाधान।

व्यापक प्रभाव

- **गरीबी उन्मूलन:** ग्रामीण और शहरी कारीगरों को सहायता।
- **आत्मनिर्भरता:** कारीगरों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना।
- **संस्कृति और अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान:** भारत की विविध शिल्प परंपराओं को बनाए रखना।

पीएम विश्वकर्मा योजना




ब्रेन बूस्टर

परिचय

- प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र योजना।
- उद्देश्य:
 - » उच्च शिक्षा में वित्तीय समावेशन लाना, बिना जमानत के ऋण और ब्याज सब्सिडी प्रदान करना।
 - » योग्य और मेधावी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।
- अवधि: 2024-25 से 2030-31 तक।

मुख्य विशेषताएं

- पात्रता:
 - » NIRF (नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क) द्वारा रैंक किए गए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEIs) में प्रवेश।
 - » सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में लागू।
- ऋण की सुविधा:
 - » बिना जमानत ऋण: गारंटर की आवश्यकता नहीं।
 - » ट्यूशन फीस और कोर्स से जुड़ी अन्य सभी लागतों को कवर करता है।
- डिजिटल प्रणाली:
 - » पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और छात्रों के लिए अनुकूल।
 - » हर साल NIRF रैंकिंग के आधार पर पात्र संस्थानों की सूची अपडेट होती है।



पीएम-विद्या लक्ष्मी योजना

ऋण प्रावधान

- 7.5 लाख रुपये तक का ऋण:
 - बकाया डिफॉल्ट का 75% सरकार गारंटी देती है।
 - बैंकों को कम जोखिम पर ऋण देने के लिए प्रेरित करती है।
- 10 लाख तक का ऋण:
 - कोर्स की अवधि और मोरगोरियम पीरियड में 3% ब्याज सब्सिडी।
 - ब्याज सब्सिडी की पात्रता:
 - » वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक।
 - » अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ऋण योजनाओं के अंतर्गत कवर न हो।
 - » सरकारी संस्थानों में तकनीकी/व्यावसायिक कोर्स करने वाले छात्रों को प्राथमिकता।
- लक्षित समूह:
 - हर साल 1 लाख छात्रों को समर्थन।

फंडिंग और वित्तीय प्रावधान

- कुल बजट: 3,600 करोड़।
- फंडिंग अवधि: 7 साल (2024-25 से 2030-31 तक)।
- सरकार की भूमिका: बैंकों को समर्थन देने और शिक्षा ऋण को बढ़ावा देने के लिए सतत वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती है।

क्रियाव्ययन तंत्र

एकीकृत डिजिटल पोर्टल:

- पोर्टल का नाम: पीएम-विद्या लक्ष्मी पोर्टल।
 - शिक्षा ऋण और ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है।
 - सभी छात्रों के लिए सुलभ।
- ### भुगतान प्रणाली:
- ई-वाउचर और केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट के माध्यम से ब्याज सब्सिडी का भुगतान।

व्यापक प्रभाव

- ### सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:
- मेधावी छात्रों के लिए वित्तीय बाधाओं को कम करता है।
 - मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए उच्च शिक्षा की पहुंच को बढ़ावा देता है।
- ### उच्च शिक्षा को सशक्त बनाना:
- संस्थानों को NIRF रैंकिंग में बेहतर स्थान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

शामिल संस्थान

- NIRF रैंकिंग के शीर्ष 100 संस्थान: ओवरऑल, कैटेगरी-स्पेसिफिक और डोमेन-स्पेसिफिक सभी रैंकिंग में शामिल।
- राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान (NIRF रैंक 101-200): क्षेत्रीय संस्थानों को शामिल करने पर जोर।
- केंद्र सरकार के संस्थान: स्वचालित रूप से शामिल, ताकि योजना पूरे देश में पहुंचे।

टीबी (क्षय रोग) को समझना

- टीबी एक संक्रामक बीमारी है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर्कुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है (पल्मोनरी टीबी), लेकिन शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है (एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी)।
- **कैसे फैलता है:** जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है, तो हवा के माध्यम से फैलता है।
- **प्रकार:**
 - » **लेटेन्ट टीबी:** शरीर में बैक्टीरिया होते हैं लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखते।
 - » **सक्रिय टीबी:** बैक्टीरिया बढ़ते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, और रोग संक्रामक हो जाता है।
 - » **ड्रग-रेजिस्टेंट टीबी (DR-TB):** पहली पंक्ति की दवाओं से ठीक नहीं होने वाली टीबी।
- **लक्षण:**
 - » 2 या अधिक हफ्तों तक लगातार खांसी।
 - » बुखार, रात को पसीना आना, वजन कम होना।
 - » छाती में दर्द, थकान और भूख न लगना।

वैश्विक और भारतीय टीबी स्थिति

- **वैश्विक स्तर पर:**
 - » टीबी दुनिया में मौत के 10 प्रमुख कारणों में से एक है।
 - » हर साल 1 करोड़ से अधिक मामले, खासकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में।
- **भारत में:**
 - » दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के मामले (~27% विश्वभर के मामले)।
 - » 2015-2023 के बीच टीबी के मामलों में 17.7% की कमी, जो वैश्विक औसत 8.3% से अधिक है।
 - » **भारत का लक्ष्य:** 2025 तक टीबी का उन्मूलन, एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) 2030 से 5 साल पहले।

टीबी उन्मूलन के लक्ष्य और संकेतक

यूएन-एसडीजी लक्ष्य 3.3:

- 2030 तक टीबी, एड्स, मलेरिया और अन्य उपेक्षित बीमारियों का उन्मूलन।

भारत के लक्ष्य (2025 तक):

- टीबी के मामलों में 80% की कमी (2015 के स्तर से)।
- टीबी से होने वाली मृत्यु दर में 90% की कमी।
- टीबी से प्रभावित परिवारों पर कोई आर्थिक संकट न आए।


भारत की टीबी उन्मूलन रणनीति

राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP)

- पहले इसे संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम (RNITCP) कहा जाता था।
- **मुख्य ढांचा:** राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSP) 2017-2025।

मुख्य स्तंभ

- रोकथाम:**
 - उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए टीबी निवारक श्रेणी (TPT)।
 - वयस्क बीसीजी वैक्सीन पर शोध।
- निदान:**
 - आणविक परीक्षण (जैसे GeneXpert मशीन) का विस्तार।
 - 2023 में 68.3 लाख न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट किए गए।
- इलाज:**
 - डीआर-टीबी के लिए कम अवधि वाले ओरल ड्रग रेजिमेन।
 - सह-रुग्णता (कुपोषण, एचआईवी, डायबिटीज) का इलाज।
- मरीजों का समर्थन:**
 - **निक्षय पोषण योजना:** 1 करोड़ टीबी मरीजों को पोषण के




टीबी-मुक्त भारत

- लिए 2,781 करोड़ वितरित।
- **निक्षय मित्र:** मरीजों को मदद देने वाले स्वयंसेवक।
- **समुदाय की भागीदारी:**
- **पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान (PMTBMA):** सामुदायिक भागीदारी से चलाया गया अभियान।

PLI स्कीम का परिचय

- **शुरुआत:** 2020 में लागू हुई यह योजना भारत के विनिर्माण क्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर) को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देती है।
- **लक्ष्य:**
 - » भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना।
 - » आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) को बढ़ावा देना।
 - » आयात पर निर्भरता कम करना।
- **कवर किए गए क्षेत्र:**
 - » योजना में 14 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, फार्मा, ऑटोमोबाइल आदि।
- **परफॉर्मेंस आधारित प्रोत्साहन:**
 - » उच्च उत्पादन, बढ़ी हुई बिक्री और तकनीकी उन्नति जैसे मापने योग्य परिणामों के आधार पर प्रोत्साहन दिए जाते हैं।



प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (PLI) स्कीम

बजट प्रावधान

- **कुल बजट:** 1.97 लाख करोड़ (~24 अरब अमेरिकी डॉलर)।
- **प्रमुख क्षेत्र:**
 - » मोबाइल निर्माण।
 - » ऑटो पार्ट्स।
 - » अक्षय ऊर्जा।
 - » फार्मास्यूटिकल्स।
 - » फूड प्रोसेसिंग।
- **उद्देश्य:** तकनीकी नवाचार (इनोवेशन) को बढ़ावा देना, आयात कम करना, रोजगार के अवसर पैदा करना।

महत्वपूर्ण शब्दावली

- **PLI (प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव):** एक योजना जो कंपनियों को उनके उत्पादन और बिक्री प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन देती है।
- **आत्मनिर्भर भारत:** भारत को आत्मनिर्भर बनाने और घरेलू उद्योगों को मजबूत करने की पहल।
- **MSMEs:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में बड़ा योगदान देते हैं।

क्षेत्रवार उपलब्धियां

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण:

- **वृद्धि:** 2014-15 में 5.8 करोड़ यूनिट्स से बढ़कर 2023-24 में 33 करोड़ यूनिट्स।
- **निर्यात:** 5 करोड़ यूनिट्स निर्यात किए गए।
- **एफडीआई में वृद्धि:** विदेशी निवेश में 254% की वृद्धि।

फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस:

- **स्थान:** भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा उत्पादक देश है।
- **निर्यात:** उत्पादन का 50% हिस्सा निर्यात।
- **तकनीकी विकास:** सीटी स्कैनर और एमआरआई जैसी उन्नत मेडिकल डिवाइस अब भारत में बन रही हैं।

ऑटोमोटिव उद्योग:

- **निवेश:** 25,938 करोड़ (3 अरब अमेरिकी डॉलर) आवंटित।
- **आवेदन:** 115 कंपनियों ने आवेदन किया, जिनमें से 85 को स्वीकृति मिली।
- **आकर्षण:** 67,690 करोड़ (8 अरब अमेरिकी डॉलर) का निवेश अपेक्षित।

अक्षय ऊर्जा (सोलर पीवी):

- **आउटलुक:** शुरुआती चरण में 4,500 करोड़ (533.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित।
- **लक्ष्य:** 65 गीगावॉट सोलर उत्पादन क्षमता, आयात में कमी और रोजगार सृजन।

टेलीकॉम और नेटवर्किंग:

- **आयात प्रतिस्थापन:** 60% टेलीकॉम प्रोडक्ट्स अब भारत में बन रहे हैं।
- **निर्यात:** भारत 4G और 5G उपकरणों का प्रमुख निर्यातक बन रहा है।

ड्रोन और उनके उपकरण:

- **वृद्धि:** क्षेत्र का टर्नओवर सात गुना बढ़ा।
- **फोकस:** MSMEs और स्टार्ट-अप के नेतृत्व में भारत ड्रोन निर्माण में वैश्विक अग्रणी बन रहा है।

ब्रेन बूस्टर

अवलोकन

- लंबी तटरेखा:** 7,500 किमी तट, 12 बड़े बंदरगाह और 200+ छोटे बंदरगाह।
- वैश्विक महत्व:** प्रमुख वैश्विक शिपिंग मार्गों पर स्थित, 95% व्यापार (वॉल्यूम के हिसाब से) और 70% व्यापार (मूल्य के हिसाब से) समुद्री रस्तों से होता है।
- आर्थिक विकास में योगदान:** 2023 में वैश्विक विकास में 16% योगदान। जल्द ही भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर।
- सागरमंथन 2024:** दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच। इसे बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के साथ मिलकर आयोजित किया।

सागरमंथन के मुख्य विषय

- नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy):** समुद्र संसाधनों का सतत उपयोग, आर्थिक विकास के लिए।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला:** समुद्री लॉजिस्टिक्स को मजबूत कर व्यापार बढ़ाना।
- समुद्री शासन:** अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नीति निर्माण में सुधार।
- सतत समुद्री विकास:** पर्यावरण के अनुकूल बंदरगाह और शिपिंग प्रथाओं पर ध्यान।

सरकारी योजनाएं

- सागरमाला कार्यक्रम:** बंदरगाह ढांचा, कनेक्टिविटी और तटीय विकास पर ध्यान।
- मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 (MIV):** बंदरगाहों, जलमार्गों और शिपयार्ड के लिए व्यापक विकास का खाका।
- आंतरिक जलमार्ग विकास:** 26 नई राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाएं, परिवहन को टिकाऊ और भीड़-भाड़ मुक्त बनाने के लिए।
- ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GATP):** 2040 तक पारंपरिक ईंधन आधारित टग को पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों से बदलना।

भारत का समुद्री क्षेत्र: एक दृष्टि

- कार्गो प्रबंधन:** 2024 में 819 मिलियन टन कार्गो, 4.45% की वृद्धि।
- बंदरगाह:** 12 बड़े बंदरगाह, 200+ छोटे बंदरगाह।
- जहाजों की संख्या:** 1,530 जहाज भारत के ध्वज के तहत। जहाज रीसाइक्लिंग में दुनिया में तीसरे स्थान पर।
- बंदरगाह क्षमता में वृद्धि:** 2014-15 में 871.52 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 1,629.86 मिलियन टन।
- रणनीतिक स्थिति:** पूर्व एशिया, यूरोप, और अफ्रीका के बीच के शिपिंग मार्गों पर प्रमुख स्थान।


सरकारी पहल

- एफडीआई और टैक्स लाभ:** बंदरगाह परियोजनाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और 10 साल का टैक्स हॉलिडे।
- सागरमाला कार्यक्रम:** बंदरगाह आधारित विकास के लिए प्रमुख परियोजना।
- मैरीटाइम इंडिया विजन (MIV) 2030:** 150+ पहलों के साथ वैश्विक समुद्री नेतृत्व के लिए रोडमैप।
- शिपबिल्डिंग वित्तीय सहायता नीति:** 337 करोड़ की आर्थिक सहायता।
- हरित पहलें:** ग्रीन टग ट्रांजिशन जैसे पर्यावरण के अनुकूल शिपिंग प्रोग्राम।

सागरमंथन 2024: भारत की समुद्री विरासत

2024 की प्रमुख उपलब्धियां

- बंदरगाह दक्षता:** कंटेनर टर्नअराउंड समय 22.57 घंटे तक घटा, जो वैश्विक मानकों से बेहतर है।
- नई शिपिंग कंपनी:** अगले 10 वर्षों में 1,000 जहाज जोड़ने का लक्ष्य, विदेशी फ्रेट लागत घटाने के लिए।
- बंदरगाह प्रदर्शन:** पारदीप पोर्ट ने FY24 में 145.38 मिलियन टन कार्गो संभालकर सबसे बड़ा पोर्ट बनने का गौरव हासिल किया।
- वधावन पोर्ट:** 76,220 करोड़ की लागत से एक नया प्रमुख बंदरगाह, जो निर्यात-आयात (EXIM) क्षमता बढ़ाएगा।
- स्मार्ट और ग्रीन बंदरगाह:** जवाहरलाल नेहरू और वीओ चिदंबरनार बंदरगाहों को अगले साल तक स्मार्ट पोर्ट में बदलने की योजना।



चर्चा में रहे प्रमुख स्थल

गुयाना

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी 56 वर्षों में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। जॉर्जटाउन हवाई अड्डे पर गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया।
- इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकन मिशेल के साथ दूसरे भारत-कैरिबिअन शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे। शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारत और कैरिबिअन देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- भारत और गुयाना के बीच दीर्घकालिक विकास साझेदारी है। भारत की ओर से हाल ही में किए गए योगदानों में दो HAL 228 विमान, एक समुद्री नौका, 30,000 स्वदेशी परिवारों के लिए सौर प्रकाश व्यवस्था और ITEC कार्यक्रम के तहत 800 गुयाना के पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।



गुयाना के बारे में:

- दक्षिण अमेरिका के उत्तरी छोर पर स्थित गुयाना की सीमा वेनेजुएला, ब्राजील और सूरीनाम से लगती है तथा इसकी समुद्री सीमा बारबाडोस और त्रिनिदाद और टोबैगो से लगती है।
- इसकी राजधानी जॉर्जटाउन है। गुयाना अपने सबसे ऊंचे स्थान माउंट रोराइमा और कैयेटूर फॉल्स के लिए जाना जाता है, जोकि नियाग्रा फॉल्स से पांच गुना ऊंचे हैं। एस्सेकिबो नदी देश की सबसे बड़ी नदी है। गुयाना में भारतीय मूल के लगभग 3,20,000 लोग रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है।

अजरबैजान

- अजरबैजान, जोकि यूरेशिया के दक्षिण काकेशस क्षेत्र में स्थित है, एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक अंतरमहाद्वीपीय राष्ट्र है। इसकी राजधानी बाकू ने हाल ही में 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी सीओपी 29) की मेजबानी की। अजरबैजान की सीमा उत्तर में रूस, उत्तर-पश्चिम में जॉर्जिया, पश्चिम में आर्मेनिया, दक्षिण में ईरान और पूर्व में कैस्पियन सागर से लगती है।

राजनीतिक और भौगोलिक विशेषताएँ:

- भूमि सीमाएँ:** अजरबैजान की भूमि सीमाएँ रूस, ईरान, आर्मेनिया और जॉर्जिया से लगती हैं।
- जल निकाय:** कैस्पियन सागर इसके पूर्व में स्थित है, जो अजरबैजान के व्यापार और प्राकृतिक संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है।
- प्रमुख नदियाँ:** कुरा और अरास नदियाँ अजरबैजान की सिंचाई और कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- उच्चतम शिखर:** बजारद्युज्यू, जो ग्रेटर काकेशस पर्वतमाला का हिस्सा है, अजरबैजान का सबसे ऊँचा शिखर है।
- क्षेत्रीय विवाद:** अजरबैजान का नागोर्नो-करबाख क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है।
- प्राकृतिक संसाधन:** अजरबैजान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, विशेष रूप से तेल और प्राकृतिक गैस, साथ ही सीसा, जस्ता, लोहा और तांबा जैसे खनिजों के मामले में। ये संसाधन अजरबैजान की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- अजरबैजान की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और संसाधनों की प्रचुरता, इसके क्षेत्रीय प्रभाव और भू-राजनीतिक महत्व को निर्णायक रूप से मजबूत बनाती है।



जाम्बिया

हाल ही में भारत और जाम्बिया ने लुसाका में अपने संयुक्त स्थायी आयोग का छठा सत्र आयोजित किया, जिससे दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए। यह बैठक भारत के अफ्रीकी देशों के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को प्रगति की ओर एक और कदम बढ़ाने का हिस्सा है, जिसमें व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्राथमिकता दी गई है।

जाम्बिया के बारे में:

- जाम्बिया दक्षिण-मध्य अफ्रीका में स्थित एक स्थल-रुद्ध देश है, जिसकी प्रमुख विशेषता इसकी ऊँची पठारी भूमि है। इसका नाम जाम्बेजी नदी के नाम पर रखा गया है, जोकि देश के अधिकांश भाग को जल प्रदान करती है, केवल उत्तर में एक छोटे से क्षेत्र के छोड़कर।
- जाम्बिया की सीमा आठ देशों से लगती है: उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर-पूर्व में तंजानिया, पूर्व में मलावी, दक्षिण-पूर्व में मोजाम्बिक, दक्षिण में जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, पश्चिम में अंगोला और दक्षिण-पश्चिम में नामीबिया।
- जाम्बिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तांबे के खनन पर निर्भर है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में महत्वपूर्ण योगदान करता है।
- जाम्बिया के लोग मुख्य रूप से बटू भाषा बोलते हैं, जो नाइजर-कांगो भाषा परिवार का हिस्सा है।
- महत्वपूर्ण स्थल:** जाम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात और करिबा झील, जो आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है, जिसे करिबा बांध द्वारा निर्मित किया गया है। इसकी राजधानी, लुसाका, देश का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र है।



डोमिनिका

- डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान भारत और डोमिनिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- यह पुरस्कार डोमिनिका राष्ट्रमंडल के राष्ट्रपति सिल्वी बर्टन द्वारा 19 से 21 नवंबर, 2024 तक जॉर्जटाउन, गुयाना में आयोजित होने वाले भारत-कैरिबॉम शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया।
- फरवरी 2021 में भारत ने डोमिनिका को एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 70,000 खुराक दी, जोकि डोमिनिका की महामारी प्रतिक्रिया में मददगार साबित हुई। इसने द्वीप में टीकाकरण के प्रयासों को सहारा दिया और पड़ोसी कैरिबियाई देशों का भी समर्थन किया।
- डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निरंतर सहायता को भी मान्यता देता है।
- डोमिनिका के बारे में:** डोमिनिका, जोकि 1978 से राष्ट्रमंडल का हिस्सा है, एक ज्वालामुखी द्वीप है जो लेसर एंटिलीज में स्थित है। यह अपनी कैरिबियन भारतीय आबादी और समृद्ध जलोद् मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। यहां की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं में माउंट डायब्लोटिन्स और माउंट ट्रोइस पिटोन्स शामिल हैं।



पावर पैकड न्यूज

रायगढ़ किला

- हाल ही में, राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, भारतीय इतिहास और सैन्य नवाचार में शिवाजी महाराज के योगदान का सम्मान करते हुए, रायगढ़ किले की प्रतिकृति प्रदर्शित की गई।
- रायगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन मराठा साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। अपने सामरिक महत्व और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध, किले को 'भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य' के हिस्से के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है।
- मराठों द्वारा रायगढ़ को 1653 में मोरेसे से कब्जा किए गया था, रायगढ़ 1674 में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद राजधानी बन गया।

रायगढ़ की विशेषताएँ हैं:

- राजसदर (सार्वजनिक दर्शकों का हॉल):** शिवाजी महाराज के दरबार का स्थल, जो अपने ध्वनिक डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है।
- रॉयल कॉम्प्लेक्स:** इसमें रनिवास, नक्कारखाना और सुंदर टॉवर शामिल हैं, जो मराठा शासन की भव्यता का प्रतीक हैं।
- मंदिर:** जगदीश्वर मंदिर और शिवाजी महाराज की समाधि महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं।

डूमा बोको बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति बने

- डूमा बोको को बोत्सवाना का नया राष्ट्रपति घोषित किया गया है, जो देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। वह अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज (UDC) पार्टी से आते हैं और उन्होंने बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी (BDP) का स्थान लिया है, जिसने कई वर्षों तक शासन किया है। मुख्य न्यायाधीश टेरेंस रानोवने ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर इस खबर की घोषणा की।
- बोत्सवाना में, नेशनल असेंबली के लिए 61 सदस्यों और 609 स्थानीय पार्षदों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। चुनाव जीतने के लिए, किसी पार्टी को नेशनल असेंबली में कम से कम 31 सीटों की आवश्यकता होती है। हाल के चुनावों में, UDC ने 34 सीटें जीतीं, जबकि BDP, जो 1966 में बोत्सवाना के स्वतंत्र होने के बाद से सत्ता में है, केवल 4 सीटें जीत पाई। यह एक ऐतिहासिक बदलाव है क्योंकि यह पहली बार है जब BDP ने लगभग 60 वर्षों में अपना बहुमत खो दिया है। निवर्तमान राष्ट्रपति मोकग्वेत्सी मासीसी ने हार स्वीकार कर ली है।
- डूमा बोको ने 1987 में बोत्सवाना विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई शुरू की और कानून की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल में दाखिला लिया। बोको ने बोत्सवाना विश्वविद्यालय में कानून के व्याख्याता के रूप में भी काम किया, जहाँ उन्होंने भावी वकीलों को प्रशिक्षित करने में मदद की।

भारत ने ब्रिसबेन में एक नया वाणिज्य दूतावास खोला

- हाल ही में, भारत ने ब्रिसबेन में एक नया वाणिज्य दूतावास खोला, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह क्वींसलैंड में पहला भारतीय वाणिज्य दूतावास है जो मेलबर्न, पर्थ और सिडनी में मौजूदा वाणिज्य दूतावासों के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भारत की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है।
- वाणिज्य दूतावास का नेतृत्व महावाणिज्य दूत नीतू भगोटिया करेंगी, जिन्हें विभिन्न भारतीय मिशनों में काम करने का अनुभव है। वाणिज्य दूतावास की टीम क्वींसलैंड में भारतीय समुदाय, छात्रों और व्यवसायों का समर्थन करेगी और आर्थिक, शैक्षिक और अनुसंधान क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने के लिए काम करेगी। क्वींसलैंड भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ भारतीय मूल के लगभग 100,000 लोग रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
- आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) ने निवेश, कृषि, विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नए व्यापार अवसर पैदा किए हैं, जिसमें भारत क्वींसलैंड के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है।

अभ्यास वज्र प्रहार

भारत और अमेरिका स्पेशल फोर्सेज के संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार की 15वां संस्करण 2 से 22 नवंबर 2024 तक अमेरिका के इडाहो में ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया। इसी तरह का पिछला अभ्यास दिसंबर 2023 में उमरोई, मेघालय में आयोजित किया गया था। यह भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच वर्ष का दूसरा अभ्यास है, पिछला अभ्यास 'युद्ध अभ्यास 2024' था, जो सितंबर 2024 में

राजस्थान में आयोजित किया गया था।

अभ्यास वज्र प्रहार के बारे में:

- **पहला संस्करण:** इस संयुक्त अभ्यास का पहला संस्करण 2010 में आयोजित किया गया था।
- **13वां संस्करण:** भारत-अमेरिका संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण बकलोह (हिमाचल प्रदेश) के विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था।

भारत-अमेरिका के मध्य अन्य सैन्य अभ्यास

- **थल सेना:**
 - » वज्र-प्रहार (Joint Special Forces Exercise)
 - » युद्ध अभ्यास (Yudh Abhyas)
- **वायु सेना:**
 - » कोप इंडिया (Cope India)
- **अमेरिका का बहुपक्षीय वायु सेना अभ्यास:**
 - » रेड फ्लैग (Red Flag)
- **नौसेना:**
 - » पैसेज (Passage Exercise)
- **त्रिपक्षीय अभ्यास:**
 - » मालाबार अभ्यास (Malabar Exercise) - भारत, अमेरिका और जापान के बीच।

अभ्यास गरुड़ शक्ति

- अभ्यास का यह नौवां संस्करण 1 से 12 नवंबर, 2024 तक इंडोनेशिया के जकार्ता के सिजंटुंग में आयोजित किया गया और इसमें भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) के 25 कर्मी और इंडोनेशियाई विशेष बल कोपासस के 40 कर्मी शामिल हैं।
- अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, जिसका उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना है।

उद्देश्य:

- » **आपसी समझ बढ़ाना:** भारत और इंडोनेशिया के विशेष बलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
- » **सर्वोत्तम अभ्यास साझा करना:** आतंकवाद-रोधी अभियानों में अनुभवों का आदान-प्रदान करना।
- » **अंतर-संचालन में सुधार करना:** संयुक्त अभियान और अभ्यास करना।
- यह अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। इस संयुक्त अभ्यास में भाग लेकर, दोनों देशों का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का अध्यक्ष बना

- भारत को 2026 तक दो साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का अध्यक्ष चुना गया है, जिसमें फ्रांस सह-अध्यक्ष है। यह मील का पत्थर सौर ऊर्जा में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करता है, जिसने 2014 में 2 GW से अपनी क्षमता का विस्तार करके आज 90 GW कर लिया है।
- आईएसए में भारत का नेतृत्व वैश्विक सौर ऊर्जा प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद करेगा, प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। 2025 में डॉ. अजय माथुर की जगह आशीष खन्ना आईएसए के महानिदेशक बनेंगे, जिससे आईएसए का वैश्विक प्रभाव मजबूत होगा।
- आईएसए की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने 30 नवंबर, 2015 को की थी। आईएसए का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ाना, सौर वित्त, प्रौद्योगिकियों, नवाचार, अनुसंधान और विकास और क्षमता निर्माण की मांग के एकत्रीकरण के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम करना है। आईएसए का मुख्यालय हरियाणा, भारत में है।

- वियतनाम-भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास, VINBAX 2024, 4-23 नवंबर के मध्य हरियाणा के अंबाला में हुआ। इस पांचवें संस्करण का उद्देश्य भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना और अंतर-संचालन को बढ़ावा देना था।
- पहली बार, भारतीय सेना और वायु सेना दोनों के कर्मी भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है, जिसने 2016 में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की।
- VINBAX संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा वार्ता, क्षमता निर्माण और समुद्री सहयोग के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देता है, भारत-वियतनाम संबंधों को मजबूत करता है और इंडो-पैसिफिक में क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करता है।

लिंगनोसैट

- हाल ही में जापान ने दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह (लिंगनोसैट) का परीक्षण किया, जिसे क्योटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने होमबिल्डर सुमितोमो फॉरेस्ट्री के सहयोग से विकसित किया।
- लकड़ी के लिए लैटिन शब्द के नाम पर रखा गया उपग्रह, स्पेसएक्स रॉकेट पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर लॉन्च हुआ। यह छह उपग्रह महीने तक कक्षा में रहेगा ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि मैग्नोलिया के पेड़ों से प्राप्त जापानी होनोकी लकड़ी अंतरिक्ष की चरम स्थितियों का कितना अच्छा सामना कर सकती है।
- यह अभिनव सामग्री पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि यह पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने पर हानिरहित रूप से जल जाएगी, पारंपरिक उपग्रहों के विपरीत जो विघटित होने पर प्रदूषणकारी धातु के कण छोड़ते हैं।

विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024

2024 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 28 से 31 अक्टूबर 2024 तक तिराना, अल्बानिया में आयोजित की गई। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं थी। भारत ने इस साल कुश्ती में पहले ही दमदार प्रदर्शन किया है, जिसमें चिराग चिक्कारा ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की 57 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।

अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पदक विजेता:

- » चिराग चिक्कारा - स्वर्ण (पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा)
- » अंजली - रजत (महिला फ्रीस्टाइल 59 किग्रा)
- » शिक्षा - कांस्य (महिला फ्रीस्टाइल 65 किग्रा)
- » मोनिका - कांस्य (महिला फ्रीस्टाइल 68 किग्रा)
- » नेहा शर्मा - कांस्य (महिला फ्रीस्टाइल 57 किग्रा)
- » विश्वजीत मोरे - कांस्य (पुरुष ग्रीको-रोमन 55 किग्रा)
- » विक्की - कांस्य (पुरुष फ्रीस्टाइल 97 किग्रा)
- » सुजीत कलकल - कांस्य (पुरुष फ्रीस्टाइल 70 किग्रा)
- » अभिषेक ढाका - कांस्य (पुरुष फ्रीस्टाइल 61 किग्रा)

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव

- रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की, जिसमें उन्हें 295 इलेक्टोरल वोट और 73,236,927 लोकप्रिय वोट मिले। उनकी प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट और 68,859,041 लोकप्रिय वोट मिले।
- ट्रम्प एक सदी से भी अधिक समय में गैर-लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने पेंसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना और जॉर्जिया जैसे प्रमुख स्विंग राज्यों में जीत हासिल की।
- ट्रम्प का एजेंडा सीमा सुरक्षा, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित है, जिसका वैश्विक राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। ट्रम्प की जीत से वैश्विक राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, खासकर व्यापार, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे क्षेत्रों में।
- ट्रम्प द्वारा 20 जनवरी, 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली जाएगी। उनके साथी जेडी वेंस उपराष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे।
- संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों के रूप में कार्य करता है, और सशस्त्र बलों का कमांडर-इन-चीफ भी होता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद ॥ के अनुसार, राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को क्रियान्वित

करने और लागू करने का काम सौंपा गया है।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, 2024

- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक, साल 2024 में सबसे मजबूत सिंगापुर का पासपोर्ट है, जो 195 देशों में वीजा-मुक्त पहुँच प्रदान करता है। इटली, जापान, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस दूसरे स्थान पर हैं।
- भारत 83वें स्थान पर है, जहाँ 58 देशों में वीजा-मुक्त पहुँच है। रैंकिंग उन देशों की संख्या पर आधारित है, जहाँ पासपोर्ट धारक बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन 191 देशों में पहुँच के साथ तीसरे स्थान पर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 8वें स्थान पर है, जहाँ 186 देशों में वीजा-मुक्त पहुँच है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान के हैं।
- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक वैश्विक रैंकिंग है जो देशों के साधारण पासपोर्ट द्वारा दी गई यात्रा स्वतंत्रता का मूल्यांकन करती है। यह पासपोर्ट को उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर रैंक करता है, जहाँ उनके धारक बिना पूर्व वीजा के पहुँच सकते हैं। 2005 में हेनले एंड पार्टनर्स वीजा प्रतिबंध सूचकांक के रूप में लॉन्च किया गया, इसे जनवरी 2018 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया।

अनिल प्रधान को ग्रामीण विकास के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया

- हाल ही में ओडिशा के 28 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान को ग्रामीण विकास में उनके विशिष्ट योगदान के लिए तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- यह पुरस्कार अर्थशास्त्री और प्रशासक डॉ. रोहिणी नैयर की स्मृति में रोहिणी नैयर फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था, जिनका 2021 में निधन हो गया था। पुरस्कार में 10 लाख का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी शामिल है।
- अनिल प्रधान (एक नवोन्मेषी इंजीनियर और शिक्षाविद्) ओडिशा के बराल क्षेत्र के निवासी हैं और उन्होंने भोपाल में उच्च शिक्षा प्राप्त की। एशिया की पहली विश्वविद्यालय रॉकेट टीम, वीएसएलवी के मुख्य डिजाइनर के रूप में प्रसिद्ध प्रधान ने ग्रामीण समुदायों के उत्थान के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार और जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने पर अपने प्रयास केंद्रित किए हैं।
- पुरस्कार समारोह के दौरान डॉ. नैयर के बहुआयामी गरीबी के आकलन में योगदान को रेखांकित किया गया और इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा ग्रामीण विकास की कुंजी है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को सक्रिय रूप से समर्थन देने के लिए नागरिक समाज से आह्वान किया, साथ ही प्रधान जैसे प्रतिबद्ध व्यक्तियों के प्रभाव को भी उजागर किया।
- इस वर्ष के पुरस्कार विजेता का चयन शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं के निर्णायक मंडल द्वारा किया गया, जिसमें प्रधान के ग्रामीण विकास और सामाजिक उत्थान में प्रभावशाली कार्य को मान्यता दी गई।

ईएसए का रैमसेस मिशन

- हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने क्षुद्रग्रह अपोफिस का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष सुरक्षा के उद्देश्य से रैपिड अपोफिस मिशन (RAMSES) की शुरुआत की है, जोकि 13 अप्रैल, 2029 को पृथ्वी से 31,860 किलोमीटर की दूरी पर से गुजरेगा। अपोफिस, जिसे 2004 में खोजा गया था, 340 मीटर चौड़ा पृथ्वी के निकट का एक क्षुद्रग्रह है। यह पृथ्वी के पास से सुरक्षित रूप से गुजरेगा और विस्तृत अवलोकन के लिए पर्याप्त नजदीक होगा।
- रैमसेस अपोफिस की कक्षा, घूर्णन और आकार का अध्ययन करेगा, जबकि ओसिरिस-एपेक्स इसकी सतह का विश्लेषण करेगा। प्राप्त जानकारी भविष्य में उन क्षुद्रग्रहों को विक्षेपित करने के तरीकों को सूचित कर सकती है, जो पृथ्वी के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

पृथ्वी के निकट की वस्तुओं (NEO) के बारे में:

- अपोफिस जैसे क्षुद्रग्रह सौर मंडल के निर्माण के अवशेष हैं, जिनमें से कई पृथ्वी के लिए संभावित खतरे का कारण बन सकते हैं। अनुमानित 35,000 निकट-पृथ्वी वस्तुओं (NEO) में से लगभग 2,300 को 'संभावित रूप से खतरनाक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐतिहासिक प्रभाव, जैसे कि 66 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर के विलुप्त होने में योगदान करने वाला प्रभाव, इन वस्तुओं को समझने और उनका अवलोकन करने के महत्व को रेखांकित करता है।

नासा का ओसिरिस-एपेक्स मिशन:

- नासा द्वारा संचालित ओसिरिस-एपेक्स मिशन अपोफिस की सतह का विश्लेषण करेगा। संयुक्त रूप से, रैमसेस और ओसिरिस-एपेक्स

मिशन निकट-पृथ्वी वस्तु के विस्तृत अवलोकन का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करेंगे, जो लगभग प्रत्येक 5,000 से 10,000 वर्षों में एक बार ही प्राप्त होता है।

भारत की तनुश्री पांडे ने वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता

- हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में आयोजित वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। यह उपलब्धि उनके खेल कौशल और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है और वैश्विक मंच पर भारत को गौरव प्रदान करती है। तनुश्री ने क्वार्टर फाइनल में चीनी प्रतिद्वंद्वी को 4-3 के करीबी स्कोर से हराया। सेमीफाइनल में उन्होंने जापानी खिलाड़ी को 4-3 के स्कोर से हराकर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की।
- फाइनल में उनका मुकाबला चीनी ताइपे की चियांग मिन यू से हुआ। हालांकि तनुश्री 3-4 के मामूली अंतर से हार गईं, लेकिन उनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा।

रजत पदक का महत्व:

- यह रजत पदक तनुश्री के सॉफ्ट टेनिस कौशल को उजागर करता है और युवा भारतीय एथलीटों के लिए प्रेरणास्रोत है। उनकी उपलब्धि न केवल भारत में इस खेल के प्रति जागरूकता को बढ़ाती है, बल्कि भविष्य में और भी बड़ी सफलताओं की उनकी क्षमता को भी प्रदर्शित करती है।

सॉफ्ट टेनिस को समझना:

- सॉफ्ट टेनिस पारंपरिक टेनिस का एक रूप है, जिसमें नरम गेंदों और हल्के रैकेट का उपयोग होता है, जिससे यह सभी उम्र के खिलाड़ियों के लिए उपयुक्त है। छोटे कोर्ट पर खेले जाने वाले इस खेल में गति, सटीकता और रणनीति की आवश्यकता होती है। यह खेल जापान और ताइवान जैसे देशों में विशेष रूप से लोकप्रिय है।
- विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, जिसमें दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसमें प्रतिभागी एकल और युगल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे सॉफ्ट टेनिस में उत्कृष्ट प्रतिभाएं उभरकर सामने आती हैं।

कॉमन कैट स्नेक

- हाल ही में (बोइगा ट्राइगोनाटा) बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कॉमन कैट स्नेक खोजी गई। इस दुर्लभ और हल्के विषैले प्रजाति को 2022 में प्रकृति गाइड राजीव आर्य ने कोटाराहा गेस्ट हाउस के पास देखा था। कॉमन कैट स्नेक अपनी विशिष्ट बिल्ली जैसी आँखों के लिए प्रसिद्ध हैं। दिन में इसकी पुतलियाँ संकरी होती हैं, जबकि रात में ये गोल आकार में फैल जाती हैं, जिससे यह रात में शिकार करने में सक्षम होती है।
- यह साँप मुख्य रूप से रात में सक्रिय होता है और छिपकलियों, मेंढकों, चूहों और पक्षियों जैसे छोटे जानवरों का शिकार सूर्यास्त के बाद करता है। इसका जहर इंसानों के लिए घातक नहीं है, लेकिन यह अपने शिकार को वश में करने में सहायक है और स्थानीय पशु आबादी को नियंत्रित करने में मदद करता है।

संरक्षण और आवास:

- वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कॉमन कैट स्नेक और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी दुर्लभता को देखते हुए, इस प्रजाति के आवास की रक्षा करना इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

'ऑस्ट्रेलिया' 2024

- हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 'ऑस्ट्रेलिया-हिन्द' का तीसरा संस्करण पुणे में शुरू हुआ।
- दोनों देशों के बीच परस्पर आयोजित किए जाने वाले 'ऑस्ट्रेलिया-हिन्द' अभ्यास का उद्देश्य भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के तहत अर्ध-शहरी और अर्ध-रेगिस्तानी वातावरण में संयुक्त उप-पारंपरिक संचालन के लिए।
- इसका अंतिम संस्करण दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था।
- इस वर्ष का अभ्यास दो प्रमुख चरणों में आयोजित किया जा रहा है: युद्ध तैयारी और सामरिक प्रशिक्षण, जिसके बाद सत्यापन चरण का संचालन किया जाएगा।

- प्रमुख गतिविधियों में संयुक्त संचालन केंद्र की स्थापना, आतंकवादी खतरों के प्रति प्रतिक्रिया, निर्दिष्ट क्षेत्रों पर कब्जा करना और संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभियानों जैसे छापे, खोज-और-मिशन शामिल हैं।
- 21 नवंबर तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दोनों पक्ष ओवरसीज ट्रेनिंग नोड में रणनीति, तकनीक और परिचालन प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान भी करेंगे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

- हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की और न्यायमूर्ति खन्ना को आधिकारिक रूप से पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का स्थान लिया, जिनका सर्वोच्च न्यायालय में एक विशिष्ट कार्यकाल के बाद 10 नवंबर को कार्यकाल समाप्त हो गया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना छह महीने की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे।
- न्यायमूर्ति खन्ना ने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इनकी न्यायिक यात्रा 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के साथ आगे बढ़ी, जहां 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया।
- जनवरी 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया, जहां उन्होंने अपनी वर्तमान नियुक्ति तक कार्य किया।

झुरोंग रोवर

- चीन के तियानवेन-1 मिशन के अंतर्गत झुरोंग रोवर ने मंगल ग्रह पर अरबों वर्ष पहले महासागर के अस्तित्व के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
- झुरोंग रोवर 2021 में मंगल के यूटोपिया प्लैनिटिया क्षेत्र में उतरा और उसने तलछटी चैनल, गर्त और मिट्टी के ज्वालामुखी जैसी भूवैज्ञानिक विशेषताओं का पता लगाया, जोकि मंगल पर एक प्राचीन समुद्र तट की उपस्थिति का संकेत देते हैं। नासा के मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर से प्राप्त आंकड़ों के साथ इस खोज का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकला कि लगभग 3.68 अरब वर्ष पहले मंगल पर एक महासागर मौजूद था, जोकि समय के साथ जम गया।
- यह अध्ययन मंगल ग्रह पर समुद्री वातावरण में हुए परिवर्तनों का समर्थन करता है और इस संभावना को बढ़ाता है कि वहां सूक्ष्मजीवी जीवन रहा हो।
- माना जाता है कि लगभग 3.42 अरब वर्ष पूर्व यह महासागर लुप्त हो गया, क्योंकि मंगल एक रहने योग्य ग्रह से ठंडी और शुष्क ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया।
- यह खोज मंगल के जल इतिहास और पूर्व जीवन की संभावनाओं पर नई जानकारी देती है और इस प्रश्न को गहराई से जांचने की आवश्यकता पर बल देती है कि मंगल के पानी का क्या हुआ। अन्य अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि ग्रह की सतह के नीचे अब भी तरल पानी के बड़े भंडार हो सकते हैं।

शिव नादर हरुन इंडिया परोपकार सूची 2024 में शीर्ष पर

- हाल ही में एचसीएल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नादर ने 2,153 करोड़ रुपये के उल्लेखनीय दान के साथ हरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह सूची भारत के सबसे उदार परोपकारी लोगों को मान्यता देती है। इसमें मुकेश अंबानी और उनका परिवार 407 करोड़ रुपये के योगदान के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि बजाज परिवार 352 करोड़ रुपये का दान करके तीसरे स्थान पर है।
- सूची में नए शामिल हुए कृष्णा चिवुकुला ने 228 करोड़ रुपये के दान के साथ सबसे उदार व्यक्ति के रूप में पहचान बनाई है। अडानी समूह 330 करोड़ रुपये के परोपकारी योगदान के साथ शीर्ष पांच में शामिल है।
- महिला परोपकारियों में रोहिणी नीलेकणी 154 करोड़ रुपये के दान के साथ शीर्ष 10 में सबसे आगे हैं। जेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ सबसे कम उम्र के परोपकारी हैं, जिन्होंने रेनमैटर फाउंडेशन को 120 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।
- हरुन इंडिया परोपकार सूची सामाजिक कल्याण के लिए कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत योगदान की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है तथा भारत की चुनौतियों से निपटने में परोपकार की भूमिका को रेखांकित करती है।

गुजरात समर्पित सेमीकंडक्टर नीति वाला भारत का पहला राज्य बना

- गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-2027 की शुरुआत के साथ एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस नीति का उद्देश्य गुजरात को सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता में अग्रणी बनाना और इस क्षेत्र में प्रगति को प्रोत्साहित करना है।
- मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साणंद में माइक्रोन के उन्नत सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट, मार्क और पैक (एटीएमपी) संयंत्र की आधारशिला रखी।
- पावरचिप सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन (पीएसएमसी) के सहयोग से धोलेरा के 'सेमीकॉन सिटी' में भारत की पहली एआई-सक्षम सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित की जा रही है।
- नीति में प्रमुख प्रोत्साहन शामिल हैं, जैसे स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर 100% एकमुश्त रिफंड, 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी और 12 रुपये प्रति घन मीटर पानी की दर। भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में परिकल्पित धोलेरा में सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए 75% भूमि अधिग्रहण सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

भारत का पहला अंतरिक्ष-आधारित अभ्यास, 'अंतरिक्ष अभ्यास-2024'

अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के लिए उभरते खतरों के उत्तर में, भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष अभ्यास, 'अंतरिक्ष अभ्यास-2024' की शुरुआत की। इस अभ्यास का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। तीन दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास का आयोजन रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय के तत्वाधान में किया गया, जिसमें सेना, नौसेना और वायु सेना के कार्मिक भाग ले रहे हैं।

अंतरिक्ष अभ्यास-2024 के बारे में:

- अंतरिक्ष अभ्यास-2024 एक अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष संबंधित रक्षा कार्यों के लिए भारत की तैयारियों को मजबूत करना और अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों में निहित बुनियादी ढांचे पर निर्भरता को समझना है।
- यह कार्यक्रम अंतरिक्ष में अपने राष्ट्रीय रणनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को सैन्य अभियानों में और अधिक गहराई से एकीकृत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। प्रतिभागी प्रक्रियागत कमियों की पहचान करने और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में संभावित व्यवधानों के जवाबों की रणनीति बनाने के लिए सहयोग करेंगे।
- यह विशेष आयोजन अंतरिक्ष में प्रक्रिया-संबंधी निर्भरताओं को संबोधित करने और किसी व्यवधान की स्थिति में प्रक्रियागत प्रतिक्रियाओं की पहचान करने का अवसर भी प्रदान करता है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की रक्षा तत्परता मजबूत होती है। यह अभ्यास भारत की बाह्य अंतरिक्ष में अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

तैयब इकराम पुन: अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए

- ओमान के मस्कट में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) वैधानिक सम्मेलन में तैयब इकराम को चार वर्ष के पूर्ण कार्यकाल के लिए पुनः अध्यक्ष चुना गया।
- पाकिस्तान में जन्मे इकराम, जिन्होंने पहले दो साल का कार्यकाल पूरा किया था, ने पूर्व अध्यक्ष नरिंदर सिंह बत्रा के इस्तीफे के बाद 2022 में यह भूमिका संभाली थी। उनका पुनः निर्वाचन एफआईएच के नेतृत्व में स्थिरता और निरंतरता का संकेत है, जोकि वैश्विक हॉकी प्रशासन में निरंतर प्रगति की भावना को बढ़ावा देता है। इकराम का निरंतर नेतृत्व एफआईएच के मिशन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य इनडोर और फील्ड हॉकी के विकास को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है।
- इकराम के साथ दाने एंड्राडा (यूआरयू), अल्बर्टो डैनियल बुडस्की (एआरजी), और एरिक कॉर्नेलिसन (एनईडी) को भी एफआईएच कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में पुनः चुना गया। साथ ही, कैटरिन कौशके (जर्मनी) भी बोर्ड में शामिल हो रहे हैं।
- स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित एफआईएच, फील्ड हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय विकास, नियमों और टूर्नामेंट के आयोजन की देखरेख करता है। इकराम के नेतृत्व से खेल की वैश्विक पहुंच को और बढ़ाने और सदस्य देशों में समावेशिता तथा विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

यूरोशियन ऊदबिलाव

- पुणे जिले के इंदापुर में एक दुर्लभ यूरोशियन ऊदबिलाव (लूट्रा) को बचाया गया, जोकि इस क्षेत्र में इस प्रजाति का रिकॉर्ड किया गया पहला दृश्य है। यह बचाव अभियान पुणे वन विभाग और आरईएसक्यू चौरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया, जब उन्हें एक कुएं में फंसे सिवेट के बारे में सूचना प्राप्त हुई।
- वन रक्षकों और आरईएसक्यू टीम के सदस्यों ने ऊदबिलाव को सुरक्षित निकालने के लिए ऑटो-ट्रैप पिंजरे का उपयोग करते हुए छह घंटे

का ऑपरेशन किया। इसके बाद उसे मूल्यांकन के लिए पुणे स्थित वन्यजीव ट्रांजिट उपचार केंद्र भेजा गया।

- यह अप्रत्याशित दृश्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरेशियन ऊदबिलाव सामान्यतः यूरोप, हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये ऊदबिलाव स्वच्छ, मीठे पानी के वातावरण में रहते हैं और मछलियों से भरपूर होते हैं। वे एकांतप्रिय, रात्रिचर और प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- यूरेशियन ऊदबिलाव को IUCN द्वारा 'निकट-संकटग्रस्त' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (अनुसूची II) के तहत संरक्षित हैं और CITES के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध हैं, जो इनके संरक्षण के महत्व को दर्शाता है।

संकट के बीच हैती का नया नेतृत्व

- एलक्स डिडियर फिल्स-एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने गैरी कोनिले की जगह ली है, जिन्हें संक्रमणकालीन राष्ट्रपति परिषद द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। अप्रैल में गठित इस परिषद को देश में स्थिरता लाने के प्रयास में नए राजनीतिक नेताओं का चयन करने और चुनाव आयोजित करने का काम सौंपा गया था।
- कैरिबियाई देश हैती इस समय गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है, जो बढ़ती गैंग हिंसा के कारण और भी गंभीर हो गया है। अकेले 2024 के पहले तीन महीनों में गैंग-संबंधी हिंसा के कारण लगभग 2,500 लोग मारे गए या घायल हुए। सुरक्षा की स्थिति गंभीर बनी हुई है, खासकर राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस में, जहां हिंसा ने दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है।
- नए प्रधानमंत्री के रूप में फिल्स-एम को इन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियां राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार, गिरोह हिंसा से निपटना और चुनावों के आयोजन की देखरेख करना होंगी।
- हैती की भावी स्थिरता इन संकटों के प्रभावी समाधान पर निर्भर करेगी, जिसके लिए मजबूत नेतृत्व, प्रभावी शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

हैदराबाद में 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन

- हाल ही में हैदराबाद में 16वां इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस (IGDC) शुरू हुआ, जिसमें 20,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (GDAI) द्वारा आयोजित यह कॉन्फ्रेंस गेमिंग इंडस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है।
- सम्मेलन में 150 से अधिक सत्र होंगे और 250 से अधिक वक्ता भाग लेंगे, जिनमें बैटलटेक के निर्माता जॉर्डन वीसमैन और स्टारक्राफ्ट II के निर्माता टिम मोर्टन जैसी उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी।

इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस (IGDC) के बारे में:

- IGDC पेशेवरों को गेमिंग उद्योग में नवीनतम रुझानों, चुनौतियों और नवाचारों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह रचनात्मकता और तकनीकी कौशल को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है और भारत के बढ़ते वीडियो गेम क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया है।
- यह सम्मेलन उद्योग के विकास को समर्थन देने के लिए नीतियों को आकार देने और बुनियादी ढांचे के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

झिरी मेला

- हाल ही में जम्मू शहर में झिरी मेला प्रारंभ हुआ है। यह मेला जम्मू के झिरी गांव के बाहरी इलाके में आयोजित किया जा रहा है। यह मेला 16वीं शताब्दी के डोगरा नायक बाबा जित्तो के सर्वोच्च बलिदान की याद में मनाया जाता है। इस मेले में बाबा जित्तो को स्थानीय जमींदार द्वारा धोखा दिए जाने के बाद, अन्याय के खिलाफ खड़ा होने और सत्य तथा न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए श्रद्धांजलि दी जाती है।
- यह मेला हर वर्ष लगभग 20 लाख आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो क्षेत्रीय एकता, ईमानदारी और साहस को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। पूरे क्षेत्र से तीर्थयात्री बाबा जित्तो को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए झिरी आते हैं, जिससे यह आयोजन एक जीवंत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव बन जाता है। मेले में पारंपरिक कला और शिल्प का भी प्रदर्शन किया जाता है, जिससे स्थानीय कारीगरों को अपने कौशल को व्यापक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है।
- सरकारी विभाग मेले में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और ग्रामीण विकास योजनाओं तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए

इस मंच का उपयोग करते हैं। यह आयोजन जम्मू-कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और अखंडता तथा लचीलेपन जैसे मूल्यों पर जोर देकर सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देता है।

भारतीय नौसेना तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल-24' का चौथा संस्करण सम्पन्न

- हाल ही में अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण सम्पन्न हुआ, जोकि समुद्री सुरक्षा पर भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अभ्यास में देश के 11,098 किलोमीटर लंबे समुद्र तट और 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र को शामिल किया गया। इसमें छह मंत्रालयों की 21 से अधिक एजेंसियों ने भाग लिया, जिनमें भारतीय नौसेना, थल सेना, वायु सेना, तटरक्षक बल, राज्य समुद्री पुलिस, और बंदरगाह प्राधिकरण जैसे प्रमुख संगठन शामिल थे।
- इस अभ्यास में 550 से अधिक समुद्री संपत्तियों की तैनाती और 60 हवाई उड़ानें शामिल थीं, जो 200 उड़ान घंटों के बराबर थीं। मुख्य चरण से पहले, सात दिवसीय तटीय रक्षा और सुरक्षा तत्परता मूल्यांकन (सीडीएसआरई) के तहत मछली पकड़ने के केंद्रों, लाइटहाउस, बंदरगाहों और अपतटीय संपत्तियों जैसे 950 महत्वपूर्ण तटीय स्थानों का ऑडिट किया गया।
- प्रमुख ध्यान क्षेत्रों में तेल रिग, बंदरगाहों और व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित करना शामिल था। इसमें अपहरण और जहाज के मार्ग को बदलने जैसे अभ्यास भी किए गए। मछली पकड़ने वाले समुदायों और युवा समूहों ने सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे जमीनी स्तर पर समुद्री सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी।
- 2018 में अपनी शुरुआत के बाद से सी विजिल भारत की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2024 के संस्करण ने अंतर-एजेंसी समन्वय और तैयारियों को और अधिक सुदृढ़ किया, जिससे भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प की पुनः पुष्टि हुई। रक्षा को और मजबूत करता है।

एशिया का सबसे बड़ा ओपन-एयर व्यापार मेला 'बाली जात्रा' ओडिशा में शुरू

- ओडिशा में एशिया का सबसे बड़ा ओपन-एयर व्यापार मेला बाली जात्रा, जोकि इस क्षेत्र के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रतीक है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू हुआ और 22 नवंबर को सम्पन्न हुआ।
- यह ओडिशा की प्राचीन समुद्री व्यापार परंपरा का स्मरण कराता है, जहां 'सदाबा' के नाम से जाने जाने वाले व्यापारी कार्तिक मास के दौरान महानदी नदी से दूर देशों तक बोइटास नामक नौकाओं में समुद्री यात्राएं करते थे।
- यह त्यौहार न केवल समुद्री व्यापार के साथ ओडिशा के ऐतिहासिक संबंधों का जश्न मनाता है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। ओडिशा और अन्य भारतीय राज्यों के विभिन्न सांस्कृतिक समूह ओडिसी, छऊ, महारी, गोटीपुआ और बिहू सहित पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करते हैं, जो इस कार्यक्रम में जीवंतता जोड़ते हैं।
- बाली जात्रा देशभर से और विदेशों से भी पर्यटकों को आकर्षित करती है, जोकि ओडिशा की समृद्ध विरासत, शिल्प और पारंपरिक व्यंजनों का एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। यह व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है, जोकि लोगों को राज्य के गौरवमयी अतीत से जोड़ती है।

प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित

- हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया द्वारा 'ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर' (जीसीओएन) से सम्मानित किया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी गणमान्य व्यक्ति बने।
- जीसीओएन नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है, 1969 में महारानी एलिजाबेथ इसकी पहली विदेशी प्राप्तकर्ता थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने विनम्रता के साथ इस सम्मान को स्वीकार किया और इसे भारत के 140 करोड़ लोगों तथा भारत और नाइजीरिया के बीच मजबूत मित्रता को समर्पित किया।
- यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, जोकि उनके नेतृत्व के प्रति बढ़ती वैश्विक प्रशंसा को दर्शाता है।
- अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी को संघीय राजधानी क्षेत्र के मंत्री न्येसोम



एजेनवो वाइक द्वारा अबुजा की 'शहर की कुंजी' भी भेंट की गई।

- प्रधानमंत्री मोदी की नाइजीरिया यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नाइजीरिया यात्रा थी। नाइजीरिया की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद, वे जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील गए और फिर नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टीनूबू के निमंत्रण पर अपनी तीन देशों की यात्रा के तहत गुयाना गए।

मनोज बाजपेयी की 'द फ़ैबल' ने लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता

- ब्रिटेन में आयोजित 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एलआईएफएफ) में मनोज बाजपेयी की फिल्म 'द फ़ैबल' ने कांस्टेलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता।
- यह प्रतियोगिता वैश्विक स्तर पर अग्रणी सिनेमा का उत्सव मनाती है और 'द फ़ैबल' को इसकी रचनात्मक कहानी और सिनेमाई उत्कृष्टता के लिए मान्यता दी गई है।
- राम रेड्डी द्वारा निर्देशित 'द फ़ैबल' का विश्व प्रीमियर 2024 में बर्लिनले फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और इसे पहले ही व्यापक सराहना मिल चुकी है।
- एलआईएफएफ में सफलता के बाद फिल्म ने 2024 मामी मुंबई फिल्म महोत्सव में विशेष जूरी पुरस्कार भी जीता।

लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में:

- लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जोकि इंग्लैंड में सबसे बड़े फिल्म महोत्सवों में से एक है, फिल्म निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है और इसका उद्देश्य नई और नवाचारी फिल्मों को प्रदर्शित करना है। 'द फ़ैबल' फिल्म की इस महोत्सव में मान्यता भारतीय सिनेमा की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को दर्शाती है।

जौलजीबी मेला

- हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जौलजीबी मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया।
- धारचूला तहसील में गोरीगंगा और काली नदियों के संगम पर स्थित जौलजीबी, ऐतिहासिक रूप से पशु व्यापार मेलों के केंद्र के रूप में अपनी समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। वर्तमान में, यह भारत-नेपाल सीमा पर स्थित एक सीमावर्ती बाजार के रूप में कार्य करता है और व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रमुख स्थल बना हुआ है।
- इस मेले को राज्य की "अनमोल विरासत" के रूप में मनाया जाता है, जोकि भारत, तिब्बत, नेपाल और सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच आपसी सद्भाव को बढ़ावा देता है। यह मेला छोटे व्यापारियों, किसानों और कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने, स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने 64.47 करोड़ रुपये की 18 विकास योजनाओं की आधारशिला रखी , जिसका उद्देश्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को बढ़ाना है।
- इस दौरान मांडवा और झिंगूरा जैसी स्थानीय फसलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत पौराणिक मंदिरों के विकास पर भी जोर दिया , जिससे आगंतुकों को अधिक आकर्षित किया जा सकेगा और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।



तुलसी गैबार्ड की नियुक्ति

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने तुलसी गैबार्ड को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (डीएनआई) नियुक्त किया है।
- 43 वर्षीय तुलसी गैबार्ड अमेरिकी सेना की रिजर्विस्ट और पूर्व डेमोक्रेटिक कांग्रेसवुमन हैं। 2002 में, वह हवाई राज्य विधानमंडल के लिए चुनी जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनीं। 2012 में, उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी गई पहली हिंदू सदस्य के रूप में इतिहास रचा और 2013 से 2021 तक हवाई का प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस में उनका कार्यकाल विदेश नीति और राष्ट्रीय

सुरक्षा के मुद्दों पर केंद्रित रहा।

- यह नियुक्ति सीनेट की मंजूरी के अधीन है। यदि उनकी नियुक्ति की पुष्टि हो जाती है, तो गैर्बार्ड 70 बिलियन डॉलर के बजट की देखरेख करेंगी और 18 खुफिया एजेंसियों का प्रबंधन करेंगी, जिससे वह अमेरिकी खुफिया समुदाय में प्रमुख व्यक्तियों में से एक बन जाएंगी।
- डीएनआई के रूप में, गैर्बार्ड राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एजेंसियों में खुफिया प्रयासों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उनकी नियुक्ति सार्वजनिक सेवा और सैन्य नेतृत्व में उनके व्यापक अनुभव को उजागर करती है, जो अमेरिकी खुफिया अभियानों के भविष्य को आकार देने की उनकी क्षमता पर जोर देती है।



ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल

- हाल ही में असम के मोरीगांव जिले के मायोंग गाँव के ग्रामीणों ने ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल (*Anthracoceros Albirostris*) के संरक्षण के लिए सफल सामुदायिक प्रयास किया है। यह पक्षी भारतीय उपमहाद्वीप सहित उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है और यह बुसेरोटिडे परिवार का सदस्य है।
- भारत में हॉर्नबिल की नौ प्रजातियाँ मौजूद हैं, जिनमें से केवल ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) की अनुसूची II में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि अन्य को अनुसूची I में रखा गया है।
- ग्रेट हॉर्नबिल, जोकि अरुणाचल प्रदेश और केरल का राज्य पक्षी है, संकटग्रस्त प्रजाति है। हॉर्नबिल बीज फैलाने में मदद करते हैं और उन्हें स्थानीय संस्कृतियों में महत्व दिया जाता है, जैसे नागा समुदाय, जो इनकी श्रद्धा में हॉर्नबिल महोत्सव मनाते हैं।
- संरक्षण प्रयासों के माध्यम से पारिस्थितिकी पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है, जिससे पक्षी देखने वाले, शोधकर्ता और छात्र आकर्षित होते हैं। हालांकि, आवास का नुकसान, शिकार और पक्षी के अंगों का प्रयोग, हॉर्नबिल की आबादी के लिए महत्वपूर्ण खतरे बने हुए हैं।

भारत ने महिला हॉकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती

- हाल ही में भारत ने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर लगातार दूसरा खिताब हासिल किया।
- राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने चीन को 1-0 से हराया। दीपिका ने 31वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से विजयी गोल किया और 11 गोल के साथ टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर बनीं। उन्हें टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया।
- इस जीत के साथ भारत ने तीसरी बार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता और दक्षिण कोरिया के तीन जीत के रिकॉर्ड की बराबरी की। भारत ने इससे पहले 2016 और 2023 में खिताब जीता था। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में जापान ने मलेशिया को 4-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।

महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में:

- महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी एक द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है, जिसमें एशिया की शीर्ष छह महिला हॉकी टीमों में भाग लेती हैं। इस टूर्नामेंट में एशियाई हॉकी महासंघ के सदस्य संघों की टीमों शामिल हैं। दक्षिण कोरिया ने तीन बार इस प्रतियोगिता को जीतकर सबसे अधिक खिताब जीते हैं, जबकि जापान ने दो बार टूर्नामेंट जीता है। यह टूर्नामेंट एशियाई महिला हॉकी टीमों की प्रतिस्पर्धी भावना और कौशल को उजागर करता है।

तिल के पौधों को प्रभावित करने वाले नए सूक्ष्म जीव की पहचान

- पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में तिल की फसलों को प्रभावित करने वाली बीमारी को फैलाने सूक्ष्म जीव की पहचान की गई है। प्रोफेसर गौरव के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने बोस इंस्टीट्यूट के डॉ. गंगोपाध्याय के साथ मिलकर रोग के प्रेरक कारक के रूप में कैडिडेटस नामक जीवाणु (फाइटोप्लाज्मा, मॉलिक्यूलटस बैक्टीरिया का एक प्रकार) की पहचान की।
- यह जीवाणु पौधों के फ्लोएम में पनपता है और मुख्य रूप से फ्लोएम खाने वाले कीटों जैसे लीफहॉपर और प्लांट-हॉपर के माध्यम से फैलता है।



- इस बीमारी के कारण तिल के पौधे फूल और फल लगने के बाद वानस्पतिक अवस्था में लौट आते हैं। फूल, जोकि आमतौर पर गुलाबी रंग के होते हैं, वे हरे हो जाते हैं, जिससे फसल का सामान्य विकास चक्र बाधित होता है।
- तिल, जिसे 'तेल की रानी' के नाम से जाना जाता है, को इसके औषधीय गुणों के लिए महत्व दिया जाता है, जिसमें हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी एंटीऑक्सीडेंट शामिल हैं। हालाँकि, हाल ही में एक बीमारी ने इस क्षेत्र के तिल किसानों के लिए एक बड़ी चिंता पैदा कर दी है।
- प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिपोर्टर में प्रकाशित यह खोज तिल के पौधों के चयापचय मार्गों पर रोग के प्रभाव को उजागर करती है। इस सूक्ष्म जीव को समझने से तिल की फसलों के लिए बेहतर प्रबंधन रणनीतियाँ बनाई जा सकती हैं।

वेक्स: प्रसार भारती का नया ओटीटी प्लेटफॉर्म

20 नवंबर 2024 को प्रसार भारती ने गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में अपना नया ओटीटी प्लेटफॉर्म वेक्स लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है और परिवार के अनुकूल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध सामग्री पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- वेक्स प्लेटफॉर्म रामायण, महाभारत, शक्तिमान और हम लोग जैसे क्लासिक भारतीय टेलीविजन शो प्रस्तुत करता है, जोकि आधुनिक दर्शकों को आकर्षित करते हुए पुरानी पीढ़ियों की यादें ताजा करता है। इस मंच में समाचार, वृत्तचित्र और क्षेत्रीय सामग्री का मिश्रण शामिल है, जोकि समावेशिता का समर्थन करता है और भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है।
- वेक्स 12 से अधिक भाषाओं और 10 से अधिक शैलियों में सामग्री उपलब्ध कराता है, जोकि पूरे देश में व्यापक दर्शकों को सेवा प्रदान करता है।
- अयोध्या से भगवान श्री राम लला की आरती और प्रधानमंत्री के मन की बात जैसे लाइव प्रसारण होंगे। वेक्स पारंपरिक प्रसारण के सर्वोत्तम पहलुओं को आधुनिक डिजिटल रुझानों के साथ जोड़ता है, जिसका उद्देश्य दर्शकों को भारत की सांस्कृतिक और भावनात्मक विरासत से जोड़ना है।

अब्दुलाये मैगा को माली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया

माली की सत्तारूढ़ सेना ने अब्दुलाये मैगा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने चोगुएल मैगा का स्थान लिया है, जिन्हें प्रशासन की सार्वजनिक आलोचना के बाद बर्खास्त कर दिया गया। यह निर्णय माली के राजनीतिक परिदृश्य में बढ़ते तनाव और विभाजन को दर्शाता है।

माली के बारे में:

- माली पश्चिम अफ्रीका में एक भूमि से घिरा हुआ देश है, जोकि अपने विशाल रेगिस्तान और समृद्ध ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसकी सीमा उत्तर में अल्जीरिया, पूर्व में नाइजर, दक्षिण में बुर्किना फासो और आइवरी कोस्ट, दक्षिण-पश्चिम में गिनी और पश्चिम में सेनेगल और मॉरिटानिया से लगती है।
- देश के भूगोल में उत्तर में सहारा रेगिस्तान और देश के मध्य भाग में फैला अर्ध-शुष्क क्षेत्र सहेल का प्रभुत्व है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदियों में से एक नाइजर नदी देश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से से होकर बहती है, जोकि महत्वपूर्ण जल संसाधन प्रदान करती है।

दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया

- विदेश मंत्रालय ने 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है।
- वर्तमान में अर्जेंटीना में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत भाटिया अर्जेंटीना में अपने कार्यकाल के बाद अपनी नई भूमिका संभालेंगे, जहां उन्होंने 21 अगस्त, 2019 को पदभार ग्रहण किया था।
- भाटिया के राजनयिक कैरियर में टोरंटो में भारत के महावाणिज्यदूत और कोटे डी आइवर, गिनी और लाइबेरिया में राजदूत जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।
- उन्होंने मुंबई में परमाणु ऊर्जा विभाग में भी कार्य किया तथा भारत के पर्यटन मंत्री के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया।
- भाटिया ने 2023 में ब्लूमसबरी द्वारा प्रकाशित "देवी पुराण- ए रेंडिशन ऑफ श्रीमद् देवी भागवतम्" और 1994 में प्रकाशित "फिजिक्स फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स" लिखी है।

दुर्लभ इंपीरियल ईगल पुलुझी में देखा गया कोले वेटलैंड्स

- हाल ही में पुलुझी के कोले वेटलैंड्स में दुर्लभ शाही ईगल (Aquila heliaca) देखी गई है। ईबर्ड के आंकड़ों के अनुसार, कन्नूर में 2003 में इसकी आखिरी उपस्थिति के बाद से इस क्षेत्र में इस प्रजाति का यह पहला दृश्य है।
- इंपीरियल ईगल मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में प्रजनन करता है तथा सर्दियों के दौरान उत्तर-पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में प्रवास करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ने इस प्रजाति को विलुप्त होने के खतरे वाली सूची में रखा है, जिससे इसके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर बल मिलता है।
- त्रिशूर-पोन्नानी कोले बर्ड्स कलेक्टिव द्वारा संचालित एक प्रमुख पक्षी अवलोकन केंद्र, कोले फील्ड्स में इस मौसम में विलुप्तप्राय ईगल प्रजातियों के कई दृश्य दर्ज किए गए हैं, जिनमें ग्रेटर स्पॉटेड ईगल और इंडियन स्पॉटेड ईगल प्रमुख रूप से शामिल हैं।

सधाया विज्ञा उत्सव

- सधाया विज्ञा उत्सव, तमिल माह अप्पासी (मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर) के दौरान प्रतिवर्ष तमिलनाडु के तंजावुर में राजाराज चोल प्रथम की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है।
- यह उत्सव भगवान शिव को समर्पित चोल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति बृहदेश्वर मंदिर के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जहाँ राजाराज चोल की भक्ति का सम्मान किया जाता है। इस कार्यक्रम में पवित्र अभिषेक (पवित्र स्नान) और देवता की शोभायात्रा जैसे धार्मिक समारोह शामिल होते हैं। शास्त्रीय नृत्य और भजन गायन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्सव को और भी विशेष बनाते हैं।

राजाराज चोल प्रथम के बारे में:


- राजा चोल प्रथम, जिनका जन्म नाम अरुलमोझी वर्मन था (947 ई.), इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल (985-1014 ई.) में सैन्य विजय और सांस्कृतिक समृद्धि दोनों देखी गई।
- उन्होंने चोल साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक किया। कल्कि कृष्णमूर्ति के उपन्यास पोन्नियिन सेल्वन और उसके बाद के फिल्म रूपांतरण में उनके जीवन को अमर किया गया।
- बृहदेश्वर मंदिर में इसके निर्माण, अनुष्ठानों और राजा के व्यक्तिगत योगदान का विवरण देने वाले शिलालेख भी मौजूद हैं।

चक्रवात फेंगल

- चक्रवात फेंगल (चक्रवात दाना के बाद बंगाल की खाड़ी का दूसरा प्रमुख चक्रवात) जोकि भारतीय तट पर पहुंचा और इसके रास्ते में तमिलनाडु स्थित है। फेंगल नाम सरुदी अरब द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- यह गहरे अवदाब के रूप में उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है।
- बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से घिरा उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र अक्सर चक्रवातों से प्रभावित होता है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ते हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में:

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच बनने वाली तीव्र मौसम प्रणालियाँ हैं, जिनमें हवा की गति 34 नॉट (63 किमी/घंटा) से अधिक होती है।
- समुद्री ऊष्मा से संचालित ये चक्रवात पूर्वी व्यापारिक हवाओं, पश्चिमी हवाओं और ग्रहीय हवाओं द्वारा प्रभावित होते हैं और महासागर-वायुमंडलीय अंतःक्रियाओं के माध्यम से अपनी ऊर्जा बनाए रखते हैं।
- ये चक्रवात विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा, तेज हवाएं और तूफानी लहरें जैसी गंभीर घटनाएँ उत्पन्न कर सकते हैं।



सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन तकनीक

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन (एसएचकेटी) तकनीक को अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए एक अभिनव और लागत प्रभावी समाधान के रूप में मान्यता दी है।

सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन तकनीक के बारे में:

- सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन तकनीक बिना बांध या बैराज की आवश्यकता के बहते पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करती है जो 2-3 प्रति यूनिट की दर से बिजली प्रदान करती है।
- एसएचकेटी तकनीक सीमित ग्रिड पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है, जो बेस-लोड, चौबीसों घंटे अक्षय ऊर्जा प्रदान करती है।
- नहरों और हाइड्रोपावर टेलरेस चैनलों जैसे मौजूदा जल अवसंरचना के साथ एकीकृत करने की इसकी क्षमता इसे भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता को गीगावाट स्तर तक बढ़ाने के लिए एक स्केलेबल समाधान के रूप में स्थापित करती है।
- आर्थिक रूप से, एसएचकेटी कम स्थापना लागत प्रस्तुत करता है, जो इसे अक्षय ऊर्जा खरीदारों और जनरेटर के लिए आकर्षक बनाता है। पर्यावरण की दृष्टि से, यह बड़े पैमाने पर नागरिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को समाप्त करके पारिस्थितिक व्यवधान को कम करता है। यह पारंपरिक जलविद्युत का एक स्थायी विकल्प प्रदान करके शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है।

आईआईटी ने अनलक्ष्य मेटामटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम (MSCS) लॉन्च किया

- आईआईटी-कानपुर ने अनलक्ष्य मेटामटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम (MSCS) का अनावरण किया है, जो स्टील्थ तकनीक में एक महत्वपूर्ण सफलता है।
- आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित, यह अत्याधुनिक प्रणाली व्यापक स्पेक्ट्रम में लगभग पूर्ण तरंग अवशोषण प्रदान करती है, जो रडार अदृश्यता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है।
- यह तकनीक SAR इमेजिंग प्रतिरोध में सुधार करती है और रडार-निर्देशित मिसाइलों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती है।

अनलक्ष्य MSCS के बारे में:

- अनलक्ष्य MSCS एक कपड़ा-आधारित ब्रॉडबैंड मेटामटेरियल माइक्रोवेव अवशोषक है, जिसे स्टील्थ क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति बनाता है।
- रडार पहचान विधियों, विशेष रूप से सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर) का मुकाबला करके, यह सैन्य संपत्तियों की रडार अदृश्यता में पर्याप्त सुधार प्रदान करता है, जो रक्षा प्रौद्योगिकी में एक बड़ी छलांग है।

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 49वें स्थान पर पहुंचा

- भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) 2024 में 11 पायदान चढ़कर 49वां स्थान हासिल किया है, जो 2023 में 60वें स्थान पर था।
- नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) चार स्तंभों: प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव के आधार पर 133 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है। इसे वाशिंगटन डीसी स्थित एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया गया है।
- AI वैज्ञानिक प्रकाशनों, AI प्रतिभा संकेन्द्रण और ICT सेवाओं के निर्यात में भारत पहले स्थान पर है। यह FTTH/बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन और मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक में भी दूसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त, भारत घरेलू बाजार पैमाने में तीसरे और दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश में चौथे स्थान पर है।
- डिजिटल इंडिया पहल ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करने, टेली घनत्व को 75.2% से बढ़ाकर 84.69% करने और इंटरनेट ग्राहकों की संख्या को 25.1 करोड़ से बढ़ाकर 94.4 करोड़ करने में सहायक रही है।
- भारत ने 2022 में 5G सेवाएं शुरू करने के बाद अपनी वैश्विक मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग को 118वें स्थान से सुधार कर 15वें स्थान पर पहुंचा दिया है। भारत का भारत 6G विजन का लक्ष्य इसे भविष्य की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में अग्रणी बनाना है, जो भारत की चल रही डिजिटल प्रगति और नवाचार को दर्शाता है।

मासातो कांडा एडीबी के 11वें अध्यक्ष चुने गए

- एशियाई विकास बैंक (ADB) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मासातो कांडा को ADB का 11वां अध्यक्ष चुना है। कांडा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। कांडा, असाकावा का स्थान लेंगे और उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2026 तक चलेगा।
- 1966 में स्थापित ADB मनीला, फिलीपींस में स्थित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास

को बढ़ावा देना है। बैंक के दुनिया भर में 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

- एडीबी के वर्तमान में 68 सदस्य हैं, जिनमें एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के देश और गैर-क्षेत्रीय विकसित देश भी शामिल हैं।

K4 मिसाइल

- यह परीक्षण भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और सामरिक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जो उसे भूमि, वायु और समुद्र से परमाणु मिसाइलों को प्रक्षेपित करने में सक्षम चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर देता है।
- लगभग 3,500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 मिसाइल का परीक्षण विशाखापत्तनम के पास किया गया। यह एक ठोस ईंधन वाली मिसाइल है, जिसका पहले पनडुब्बी प्लेटफॉर्म से परीक्षण किया जा चुका है।
- इस परीक्षण ने मिसाइल की लगभग पूरी रेंज को प्रदर्शित किया, जिससे भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा डिजाइन की गई स्वदेशी प्रणालियों से सुसज्जित पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट के जलावतरण के साथ भारत के परमाणु प्रतिरोधक को मजबूत करने के लक्ष्य में योगदान मिला।
- यह मिसाइल परीक्षण भारत द्वारा लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण के तुरंत बाद किया गया है, जोकि मैक 5 (लगभग 1,220 किमी/घंटा) से अधिक गति से यात्रा कर सकती है।
- हाइपरसोनिक मिसाइलें बढ़ते क्षेत्रीय तनावों, विशेष रूप से चीन के साथ, के जवाब में भारत की सैन्य शक्ति का मुख्य केंद्र हैं।

Killer K-4

Strike range -
3,500 km

Length - **12 mtr**

Width - **1.3 mtr**

Weight - **17 ton**

Warhead - **2 ton**

Engine -
Solid-fueled

Difficult to be
tracked and
destroyed by any
anti-ballistic
weapon



भारत का पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च

- हाल ही में, भारत ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा बैंक लॉन्च किया है, जो नवाचार को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का अनावरण केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने ASSOCHAM AI लीडरशिप मीट 2024 के 7वें संस्करण के दौरान किया।
- AI डेटा बैंक शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को उच्च-गुणवत्ता वाले और विविध डेटासेट तक पहुंच प्रदान करेगा, जो स्केलेबल और समावेशी AI समाधानों को बनाने के लिए आवश्यक हैं।
- इस कार्यक्रम में 'भारत के लिए AI: भारत के AI विकास को आगे बढ़ाना-नवाचार, नैतिकता और शासन' थीम पर AI की परिवर्तनकारी क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए भारत की रणनीतिक योजना पर प्रकाश डाला गया।
- AI डेटा बैंक की एक प्रमुख विशेषता उपग्रह, ड्रोन और IoT डेटा के वास्तविक समय के विश्लेषण को सक्षम करना है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित होती है। यह पहल आपदा प्रबंधन में पूर्वानुमान विश्लेषण के लिए AI के उपयोग और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के भारत के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।

के. संजय मूर्ति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ ली

हाल ही में के संजय मूर्ति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रशासित पद की शपथ ली। वे गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे, जिन्होंने अगस्त 2020 से CAG के रूप में कार्य किया। इस भूमिका से पहले, संजय मूर्ति शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव थे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के बारे में:

- CAG का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया गया है। CAG भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का नेतृत्व करता है और केंद्र तथा राज्य दोनों



स्तरों पर उचित वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

- इसे सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में जाना जाता है और यह देश की वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुरूप हो।
- CAG भारत के लोकतंत्र में एक प्रमुख व्यक्ति है, जो वित्तीय मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। इससे शासन को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय संसाधनों के प्रबंधन में जनता का विश्वास बनाने में मदद मिलती है

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 104वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ अर्मेनिया

अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है, जिसने सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। अर्मेनियाई राजदूत वहगन अफयान और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के बीच औपचारिक प्रक्रियायें पूरी की गयी।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में:

- आईएसए, एक संधि-आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय भारत में है।
- इसका लक्ष्य सौर ऊर्जा की सुविधा के लिए 2030 तक 1,000 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निवेश जुटाना है।
- इसका मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग के विस्तार में प्रौद्योगिकी, वित्त और क्षमता से संबंधित वैश्विक बाधाओं को दूर करना है।



वाशिंगटन में पीएम मोदी को ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित

- हाल ही में भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यकों का संघ (AIAM), एक नवगठित गैर-सरकारी संगठन, का औपचारिक उद्घाटन 22 नवंबर, 2024 को मैरीलैंड के स्लिगो सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट चर्च में किया गया। AIAM का उद्देश्य भारतीय अमेरिकी प्रवासी समुदाय के अल्पसंख्यक वर्गों को एकजुट करना और उनके सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए प्रतिष्ठित डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और AIAM द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया, जिसमें समावेशी विकास और अल्पसंख्यक कल्याण को प्रोत्साहित करने में पीएम मोदी के प्रयासों को मान्यता दी गई।
- AIAM का उद्देश्य भारतीय अमेरिकियों के बीच एकता को मजबूत करना और संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुसांस्कृतिक परिदृश्य में उनके योगदान को बढ़ावा देना है। संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध सिख परोपकारी जसदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। उन्हें विविध अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्यीय निदेशक मंडल का समर्थन प्राप्त है।
- यह संगठन सद्भाव को प्रोत्साहित करने, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने और भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यकों को व्यापक अमेरिकी समाज में बेहतर प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। AIAM ने अपने प्रयासों से भारतीय प्रवासी समुदाय में नई ऊर्जा और एकता का संचार किया है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1.	अतानु दास ने स्विस् ओपन इनडोर तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता।
2.	महाराष्ट्र का भारत के जीडीपी में योगदान 15.2% से घटकर 13.3% हो गया है, जो देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव को दर्शाता है।
3.	भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 17 पदक जीते, जिसमें चार स्वर्ण भी शामिल थे।
4.	प्रवीणा राय ने एमसीएक्स (भारत के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज) के सीईओ और एमडी के रूप में कार्यभार संभाला।
5.	हिमाचल प्रदेश का बैकहांडी भारत का पहला जू बनने जा रहा है, जिसे भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) द्वारा स्थिरता प्रमाणपत्र मिलेगा।
6.	भारत और अमेरिका की विशेष बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'वज्र प्रहार' 2-22 नवम्बर तक इडाहो में हुआ, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करता है।
7.	ISA (अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन) की सातवीं असेंबली का उद्घाटन 4 नवम्बर को नई दिल्ली में हुआ, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
8.	भारतीय अर्थशास्त्री बिबेक देबरोय का 1 नवम्बर 2024 को निधन हो गया।
9.	सरकार 2025 में भारत की अगली जनगणना शुरू करने की योजना बना रही है, जो जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित करने का महत्वपूर्ण कदम है।
10.	भारत और इंडोनेशिया के बीच 'गरुड़ शक्ति 24' सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, जो दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा।
11.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने केवल आठ महीने में 3 करोड़ नए क्लाइंट खाते जोड़े, जिससे कुल खातों की संख्या 20 करोड़ तक पहुंच गई।
12.	केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण को सरल बनाएगा।
13.	मानसी अहलावत ने सीनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, जो भारत की कुश्ती में सफलता की परंपरा को आगे बढ़ाता है।
14.	उत्तर प्रदेश की अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (UPAAR) ने घोषणा की कि प्री-पेड वाउचर पर 18% टैक्स लगेगा, जो इन वस्तुओं पर कराधान को स्पष्ट करता है।
15.	भारत ने अपनी अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियाँ और कार्य योजना (NBSAP) का अनावरण किया।
16.	भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 'VINBAX 2024' अंबाला, हरियाणा में 4 नवम्बर को शुरू हुआ।
17.	भारत को 2026 तक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया।
18.	भारत ने ISRO द्वारा अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है, जो चंद्र मिशन के प्रयोगों की योजना तैयार करेगा।
19.	भारत और अल्जीरिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर 4 नवम्बर को एक MoU पर हस्ताक्षर किए गए।
20.	भारत फोर्ज ने भारतीय सेना के ATAGS हॉवित्जर के लिए प्रमुख अनुबंध जीता।
21.	मध्य प्रदेश सरकार ने वन्यजीव हमलों में मानव मृत्यु के लिए मुआवजा राशि को 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया।
22.	भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ब्रिस्बेन में भारतीय कांसुलेट का उद्घाटन किया।
23.	भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA), बेंगलुरु ने आदित्य-L1 मिशन से पहला महत्वपूर्ण परिणाम घोषित किया।
24.	कन्नड़ शॉर्ट फिल्म "Sunflowers Were the First Ones to Know" को ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया।
25.	जापान ने दुनिया के पहले लकड़ी से बने उपग्रह लिग्नोसैट का परीक्षण किया है।
26.	दिल्ली में 5-6 नवम्बर को पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
27.	अंतरराष्ट्रीय एलाइड हेल्थ कॉन्फ्रेंस (IAHC 2024) में ग्लोबल एलाइड हेल्थ नेटवर्क का उद्घाटन किया गया।
28.	प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर रोहित बल का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
29.	भारत का सेवाएं सूचकांक अक्टूबर में 58.5 तक पहुंच गया, जो देश के सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि और आशावाद को दर्शाता है।



30. एशियाई विकास बैंक (ADB) ने उत्तराखंड में जल आपूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाओं को सुधारने के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
31. डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के अमेरिकी चुनावों में जीत हासिल की, जो अमेरिका के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।
32. मंडीप जांगड़ा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन (WBF) वर्ल्ड टाइटल जीता, जो उनके बॉक्सिंग करियर की बड़ी उपलब्धि है।
33. मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक संयुक्त पैनल गठित किया गया है, ताकि चीता परियोजना को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।
34. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी, जो राज्य की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत करेगा।
35. सरकार ने PM-Vidyalaxmi योजना को मंजूरी दी, जो मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
36. खाद्य निगम (FCI) को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 10,700 करोड़ रुपये की भारी निवेश राशि को मंजूरी दी।
37. उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया।
38. सिंगापुर को हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है।
39. NTPC और ONGC ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए एक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया है।
40. भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए औपचारिक रूप से बोली लगाई है।
41. सुप्रीम कोर्ट ने लाइट मोटर वाहन (LMV) लाइसेंस धारकों को 7,500 किलोग्राम तक वजन वाले परिवहन वाहनों को चलाने की अनुमति दी।
42. भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा पर तीसरी महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
43. कनाडा सरकार ने तेज-ट्रेक अध्ययन वीजा कार्यक्रम को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को तेजी से वीजा स्वीकृति पाने में प्रभावित करेगा।
44. महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 बिहार के राजगीर में हुई।
45. प्रसिद्ध सरंगी वादक पंडित राम नारायण का 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ।
46. दुनिया की सबसे ऊँची एंड्र्यूरो माउंटन बाइकिंग रेस 'मोंडुरो 4.0' तवांग, अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई।
47. राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 11 नवम्बर को मनाया गया, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती और उनके शिक्षा प्रणाली में योगदान को समर्पित है।
48. हर्ष वर्धन अग्रवाल को भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ (FICCI) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
49. जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
50. अक्टूबर में भारत के स्टील निर्यात में दो अंकों की वृद्धि हुई, जो वैश्विक मांग में वृद्धि को दर्शाता है।
51. विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवम्बर को मनाया गया, जो वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और रोगों को रोकने में टीकाकरण के महत्व को रेखांकित करता है।
52. असम सरकार ने IIT गुवाहाटी के सहयोग से स्वास्थ्य देखभाल नवाचार के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
53. अफगानिस्तान के क्रिकेट दिग्गज मोहम्मद नबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की।
54. सरकार ने 'मेडिकल डिवाइस उद्योग को सशक्त बनाने की योजना' लॉन्च की, जिसका उद्देश्य मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में नवाचार, निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना है।
55. इजरायली शोधकर्ताओं ने एक अभिनव सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जो कंप्यूटरों को सीधे मेमोरी में डेटा प्रोसेस करने की अनुमति देता है, जो संगणनात्मक क्षमता और गति को बढ़ाने का वादा करता है।
56. पीवी सिंधु बैडमिंटन सेंटर की नींव विशाखापत्तनम में रखी गई, जो भारत में बैडमिंटन और खेल संरचना को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

57.	'ऑस्ट्रेलिया', भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, 8 नवंबर को पुणे में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना है।
58.	प्रतिष्ठित तीसरा रोहिणी न्यूर पुरस्कार ओडिशा के 28 वर्षीय इंजीनियर अनिल प्रधान को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया।
59.	NTPC ने अपने विंध्याचल संयंत्र में दुनिया का पहला CO ₂ से मेथनॉल में रूपांतरण संयंत्र शुरू किया, जो स्थिर ऊर्जा और कार्बन कम करने वाली प्रौद्योगिकियों में एक प्रमुख कदम है।
60.	भारतीय स्टेट बैंक ने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में एक नवाचार हब लॉन्च किया, जो वित्तीय प्रौद्योगिकी और नवाचार को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
61.	शिव नादर ने 2024 की हरन इंडिया फिलांथ्रॉपी लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जो उनकी निरंतर नेतृत्व क्षमता और चैरिटेबल कार्यों तथा सामाजिक कल्याण पहलों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है।
62.	बेंगलुरु में पहला डिजिटल जनसंख्या घड़ी लॉन्च किया गया, जो शहर की जनसंख्या गतिशीलता पर वास्तविक समय का डेटा प्रदान करती है।
63.	गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू की है, जिससे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
64.	9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया, जो समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए कानूनी सहायता और न्याय की महत्ता को उजागर करता है।
65.	भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सत्र रायपुर में शुरू हुआ, जो सड़क अवसंरचना, सुरक्षा और टिकाऊ परिवहन नीतियों में प्रगति पर ध्यान केंद्रित करेगा।
66.	वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) ने IFCI लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में राहुल भवे को नियुक्त करने की सिफारिश की है।
67.	जम्मू और कश्मीर में 14 नवंबर को दस दिवसीय वार्षिक झिरी मेला शुरू हुआ, जो एक सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार है, जो हजारों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है।
68.	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया, जो बोडोलैंड क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जश्न मनाने वाला था।
69.	भारत और रूस ने पनतसीर एयर डिफेंस सिस्टम पर सहयोग करने के लिए 4 नवंबर को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करता है।
70.	रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी मीडिया संपत्तियों का विलय वॉल्ट डिज्नी के भारत डिवीजन के साथ किया, जिससे भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया।
71.	गृह मंत्रालय ने मणिपुर में छह पुलिस स्टेशनों की क्षेत्राधिकार को 'उत्तेजित क्षेत्र' घोषित किया है, जो सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण किया गया है।
72.	भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) ने पर्यावरण के अनुकूल बायो-डेरिड फोम विकसित किया है, जो विभिन्न उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक फोम का एक स्थायी विकल्प प्रदान करता है।
73.	कजाखस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान ने ऊर्जा क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऊर्जा प्रणाली एकीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
74.	14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया, जो मधुमेह की रोकथाम, प्रबंधन और स्वस्थ जीवनशैली के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए था।
75.	डोमिनिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया।
76.	जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया, जो भारत भर में आदिवासी समुदायों की संस्कृति, योगदान और धरोहर का उत्सव था।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. C-295 के सन्दर्भ में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह कॉम्प्लेक्स गुजरात के वडोदरा में स्थित है।
2. यह भारतीय वायु सेना के लिए कुल 56 C-295 विमानों का निर्माण करेगा।
3. यह सुविधा पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

2. 17वें शहरी गतिशीलता भारत (UMI) सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भुवनेश्वर को 'सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर' के रूप में मान्यता दी गई।
2. सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था।
3. गुरुग्राम को 2025 में 18वें UMI सम्मेलन और प्रदर्शनी के आयोजन स्थल के रूप में घोषित किया गया है। उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं/हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

3. रायगढ़ किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रायगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन मराठा साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था।
2. किले को 1653 ई. में मुगलों से कब्जा कर लिया गया था।
3. रायगढ़ किले में राजसदर के रूप में जाना जाने वाला एक सार्वजनिक श्रोता हॉल है, जो अपने ध्वनिक डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो

- C. सभी तीन
D. कोई नहीं

4. 2024 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. चैंपियनशिप 28 से 31 अक्टूबर 2024 तक तिराना, अल्बानिया में आयोजित की गई थी।
2. 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई थी।
3. चिराग चक्कारा ने U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की 57 किलोग्राम प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

5. प्रकृति संरक्षण सूचकांक (NCI) में भारत की रैंकिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत 100 में से 45.5 स्कोर के साथ 180 देशों में से 176 वें स्थान पर है।
2. सूचकांक मूल्यांकन के तीन स्तंभों के आधार पर देशों का आकलन करता है।
3. भारत को समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में 100 में से 0 अंक प्राप्त हुए। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

6. डब्ल्यूएचओ की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में टीबी की घटनाओं में 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 मामलों से 2023 में 195 तक 17.7% की गिरावट दर्ज की गई है, जो 8.3% की वैश्विक गिरावट से दोगुनी से भी अधिक है।

2. भारत में टीबी के लिए उपचार कवरेज 2015 में 89% से घटकर 2023 में 72% हो गया है।

3. सरकार ने निक्षय पोषण योजना (एनपीवाई) के तहत बेहतर पोषण सहायता प्रदान करने के लिए टीबी रोगियों के लिए मासिक भत्ता 500 से बढ़ाकर 1,000 कर दिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई नहीं

7. अभ्यास गरुड़ शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अभ्यास गरुड़ शक्ति का नौवां संस्करण 1 से 12 नवंबर, 2024 तक इंडोनेशिया के जकार्ता के सिजेंटुंग में आयोजित किया जा रहा है।

2. इस अभ्यास में भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट और इंडोनेशियाई सेना के कोपासस दोनों के कर्मी शामिल हैं।

3. गरुड़ शक्ति अभ्यास 2010 से आयोजित किया जा रहा है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई नहीं

8. अभ्यास वज्र प्रहार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण नवंबर 2024 में अमेरिका के इडाहो में ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया जा रहा है।

2. अभ्यास वज्र प्रहार का पहला संस्करण 2008 में आयोजित किया गया था।

3. अभ्यास का 14वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई नहीं

9. कोलंबिया में COP 16 में अनावरण की गई भारत की

अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अद्यतन NBSAP का उद्देश्य 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकना और 2050 तक प्रकृति के साथ एक स्थायी संबंध को बढ़ावा देना है, जो कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा (KMGBF) के अनुरूप है।

2. भारत के NBSAP में केवल प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है और यह पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली या समुदाय-संचालित पहलों को प्राथमिकता नहीं देता है।

3. अद्यतन NBSAP को 23 केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य संगठनों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ विकसित किया गया था, जिसमें सहयोगी दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई नहीं

10. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है।

2. राजस्व विभाग के अधीन वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND), PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

11. वियतनाम-भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास, VINBAX 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. VINBAX 2024 4-23 नवंबर तक हरियाणा के अंबाला में आयोजित किया जा रहा है, और यह अभ्यास का पांचवां संस्करण है।

2. VINBAX 2024 में पहली बार भारतीय सेना और नौसेना दोनों के कार्मिक भाग ले रहे हैं।

3. यह अभ्यास 2016 में स्थापित वियतनाम के साथ अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के भारत के प्रयासों का

एक हिस्सा है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई नहीं

12. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- भारत को 2026 तक दो साल के कार्यकाल के लिए आईएसए का अध्यक्ष चुना गया है, जिसमें फ्रांस सह-अध्यक्ष है।
- आईएसए का मुख्यालय भारत के हरियाणा में स्थित है और इसकी स्थापना 2016 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने की थी।
- आशीष खन्ना 2025 में आईएसए के महानिदेशक के रूप में डॉ. अजय माथुर का स्थान लेंगे, जिससे संगठन का वैश्विक प्रभाव और मजबूत होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई नहीं

13. दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह, लिग्नोसैट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- सुमितोमो फॉरेस्ट्री के सहयोग से क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा विकसित लिग्नोसैट को स्पेसएक्स रॉकेट पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर लॉन्च किया गया।
- उपग्रह को जापानी होनोकी लकड़ी से बनाया गया है, जिसे मैग्नोलिया के पेड़ों से प्राप्त किया जाता है, ताकि अंतरिक्ष की चरम स्थितियों में इसकी स्थायित्व का परीक्षण किया जा सके।
- पारंपरिक उपग्रहों के विपरीत, लिग्नोसैट पुनः प्रवेश करने पर हानिकारक धातु के कण छोड़ेगा, जिससे यह पर्यावरण के लिए अधिक खतरनाक हो जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- उपरोक्त में से कोई नहीं

14. भारत के आदित्य-एल1 मिशन के बारे में निम्नलिखित

कथनों पर विचार करें:

- आदित्य-एल1 का प्राथमिक पेलोड, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (वीईएलसी), ने कोरोनाल मास इजेक्शन (सीएमई) के सटीक माप को सक्षम किया है।
- आदित्य-एल1 को सूर्य की कोरोनाल गतिशीलता और सौर वायु त्वरण का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी-चंद्रमा लैंग्रेंज बिंदु (एल1) पर तैनात किया गया है।
- आदित्य-एल1 का एक प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी के पावर ग्रिड और जीपीएस सिस्टम पर सौर फ्लेयर्स के प्रभाव की जांच करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई नहीं

15. 'चलो इंडिया अभियान' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 'चलो इंडिया अभियान' ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों को मुफ्त ई-वीजा के लिए अधिकतम पांच विदेशी नागरिकों को नामांकित करने की अनुमति देता है।
- अभियान विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम से आने वाले पर्यटन को बढ़ाने पर लक्षित है।
- OCI कार्डधारक एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 'चलो इंडिया अभियान' के लिए नामांकन दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई नहीं

16. पुलिस महानिदेशक (DGP), उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियम, 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- DGP के लिए चयन समिति की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे।
- नए नियमों के अनुसार DGP को नियुक्त होने के बाद न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करना होगा।
- DGP पद के लिए पात्रता मानदंड DGP रिक्ति की तिथि से सेवानिवृत्ति से पहले अधिकारियों के पास कम से कम छह महीने की सेवा शेष होनी चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

17. निजी संपत्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. निर्णय ने पुष्टि की कि राज्य 'प्रख्यात डोमेन' के सिद्धांत के तहत किसी भी उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है।
2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति के अधिकार एक कानूनी अधिकार हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

18. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसा अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसमें मदरसा बोर्ड को फाजिल और कामिल जैसी उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान करने की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल हैं।
2. न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मदरसे धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन राज्य को गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को विनियमित करने का अधिकार है।
3. न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मदरसा अधिनियम धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए निर्धारित मानकों का पालन न करके शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम का उल्लंघन करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

19. एडीबी और भारत के बीच हस्ताक्षरित 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ऋण समझौता उत्तराखंड जीवन-यापन सुधार परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य में शहरी सेवाओं को बढ़ाना है।
 2. परियोजना को यूरोपीय निवेश बैंक और राज्य सरकार द्वारा सह-वित्तपोषित किया गया है, जिससे कुल परियोजना लागत \$465.9 मिलियन डॉलर हो गई है।
 3. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

20. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सिंगापुर 195 देशों में वीजा-मुक्त पहुँच के साथ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है।
2. भारत 58 देशों में वीजा-मुक्त पहुँच के साथ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83वें स्थान पर है।
3. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में लॉन्च किया गया था और यह बिना वीजा के पहुँच सकने वाले देशों की संख्या के आधार पर पासपोर्ट की रैंकिंग पर केंद्रित है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

21. रोहिणी नैयर पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ओडिशा के 28 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान को ग्रामीण विकास में उनके योगदान के लिए तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला।
2. रोहिणी नैयर पुरस्कार में 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी शामिल है।
3. अनिल प्रधान को एशिया की पहली विश्वविद्यालय रॉकेट टीम, वीएसएलवी के मुख्य डिजाइनर के रूप में जाना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन

D. कोई नहीं

22. पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में भर्ती छात्रों को संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करती है।
2. इस योजना में 2024-2029 की अवधि के लिए 3,600 करोड़ का वित्तीय आवंटन शामिल है।
3. केंद्र सरकार इस योजना के तहत 7.5 लाख तक के शिक्षा ऋण के लिए 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई नहीं

23. 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प की जीत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. डोनाल्ड ट्रम्प ने 295 इलेक्टोरल वोट हासिल करके 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता।
2. कमला हैरिस को 2024 के चुनाव में 226 इलेक्टोरल वोट मिले।
3. ट्रम्प की जीत एक सदी से भी अधिक समय में उनका पहला अनियमित कार्यकाल है, जिससे वे संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए।
4. जेडी वेंस 20 जनवरी, 2025 को ट्रम्प के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी चार
- D. कोई नहीं

24. ईएसए के अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए रैपिड एपोफिस मिशन (RAMSES) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. RAMSES का उद्देश्य क्षुद्रग्रह एपोफिस का अध्ययन करना है, जिसके अप्रैल 2029 में पृथ्वी के 31,860 किलोमीटर के भीतर से गुजरने की उम्मीद है।
2. RAMSES एपोफिस की कक्षा, घूर्णन और आकार का अध्ययन करेगा, जबकि NASA का ओसिरिस-एपेक्स मिशन इसकी सतह

का विश्लेषण करेगा।

3. 340 मीटर की चौड़ाई वाले क्षुद्रग्रह एपोफिस की खोज 1994 में की गई थी और इसे संभावित खतरनाक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई नहीं

25. विश्व सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप में तनुश्री पांडे के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में आयोजित विश्व सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता।
2. फाइनल मैच में तनुश्री चीनी ताइपे की चियांग मिन यू से 3-4 के स्कोर से हार गईं।
3. सॉफ्ट टेनिस बड़े कोर्ट पर खेला जाता है और इसमें पारंपरिक टेनिस गेंदों का उपयोग किया जाता है, जो इसे नियमित टेनिस की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई नहीं

26. कॉमन कैट स्नेक (बोइगा ट्राइगोनाटा) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कॉमन कैट स्नेक को हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खोजा गया था।
2. यह सांप मुख्य रूप से दिनचर है और दिन में शिकार करता है, शिकार को देखने के लिए अपनी संकीर्ण आकार की पुतलियों का उपयोग करता है।
3. कॉमन कैट स्नेक का जहर इंसानों के लिए जानलेवा नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल अपने शिकार को वश में करने के लिए किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई नहीं

27. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1967 के फैसले को पलट दिया है और एएमयू को उसके ऐतिहासिक संदर्भ और स्थापना के उद्देश्य के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया है।
2. 1967 के फैसले ने एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार कर दिया थास
3. न्यायालय ने अल्पसंख्यक दर्जा निर्धारित करने के लिए एक नया परीक्षण स्थापित किया है जो केवल स्थापना के कानूनी तरीके पर ध्यान केंद्रित करता हैस

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई नहीं

28. UN-Habitat के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. UN-Habitat की स्थापना 1978 में मानव बस्तियों पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (Habitat I) के बाद की गई थी।
2. UN-Habitat का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
3. UN-Habitat सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के साथ काम करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई नहीं

29. यूएनईपी अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त अंतराल का अनुमान \$187-359 बिलियन प्रति वर्ष है, जिसमें 2030 तक \$387 बिलियन की वार्षिक आवश्यकता है।
2. ग्लासगो जलवायु संधि का लक्ष्य 2025 तक अनुकूलन वित्त को दोगुना करके \$38 बिलियन करना है।
3. रिपोर्ट में बताया गया है कि कृषि में सालाना \$16 बिलियन का निवेश करने से 78 मिलियन लोगों को जलवायु परिवर्तन के कारण भूख और भुखमरी का सामना करने से बचाया जा सकता

है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई नहीं

30. यूनेस्को वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में शिक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को अपनाने के बाद से, वैश्विक प्रगति के कारण 110 मिलियन अधिक बच्चों ने स्कूल में प्रवेश किया है और 40 मिलियन अधिक माध्यमिक शिक्षा पूरी की हैं।
2. दुनिया के आधे से अधिक स्कूल न जाने वाले बच्चे दक्षिण एशिया से हैं, जो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ शिक्षा में काफी असमानताएँ हैं।
3. 2022 में, कम आय वाले देशों ने शिक्षा पर प्रति शिक्षार्थी \$55 खर्च किए, जबकि उच्च आय वाले देशों ने प्रति शिक्षार्थी \$8,543 खर्च किए।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई नहीं

31. एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा उद्घाटन किए गए दुनिया के पहले CO₂-से-मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मध्य प्रदेश में एनटीपीसी के विंध्याचल विद्युत संयंत्र प्रतिदिन 20 टन CO₂ एकत्र करता है और प्रतिदिन 10 टन मेथनॉल का उत्पादन करता है।
2. संयंत्र द्वारा उत्पादित मेथनॉल का उपयोग मुख्य रूप से प्लास्टिक निर्माण के लिए फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है, जिसका परिवहन में कोई सीधा उपयोग नहीं होता है।
3. एनटीपीसी का CO₂-से-मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र पेरिस समझौते के तहत भारत के जलवायु लक्ष्यों में योगदान देता है और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन तक पहुँचने की देश की महत्वाकांक्षा का समर्थन करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो

- C. सभी तीन
D. कोई नहीं

32. बच्चों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने पर पहले वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नवंबर 2024 में बोगोटा, कोलंबिया में आयोजित सम्मेलन में बच्चों के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
2. इस कार्यक्रम की मेजबानी कोलंबिया और स्वीडन की सरकारों ने विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के समर्थन से की थी।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. कोई नहीं

33. आरएनए संपादन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आरएनए संपादन mRNA के एक्सॉन को संशोधित करता है, जिससे वैज्ञानिकों को अंतर्निहित आनुवंशिक कोड को बदले बिना प्रोटीन परिणामों को बदलने की अनुमति मिलती है।
2. आरएनए संपादन डीएनए संपादन की तुलना में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का एक उच्च जोखिम प्रदान करता है क्योंकि यह आरएनए अनुक्रम को बदलने के लिए CRISPR जैसे बैक्टीरिया-व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग करता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. कोई नहीं

34. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) 9 सितंबर, 2021 को शुरू किया गया था।
2. इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2030 तक टीबी को समाप्त करने के वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले, 2025 तक टीबी को खत्म करना है।
3. इसे पहली बार मार्च 2017 में दिल्ली एंड टीबी समिट में माननीय

प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किया गया था।

कितने कथन सही हैं?

- A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी कथन
D. कोई नहीं

35. भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत 1960 में अपनी स्वतंत्रता के बाद मालदीव को मान्यता देने वाला पहला देश था।
2. रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए 2016 में भारत और मालदीव के बीच एक व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे।
3. भारत 2022 में मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा और 2023 में सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था , 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. उपरोक्त सभी

36. जेल सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मॉडल जेल मैनुअल 2016 कैदियों के बीच व्यक्तिगत विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पुनर्वास, कौशल-निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता देता है।
2. मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 का उद्देश्य जेल सुधारों को संबोधित करना, समानता को बढ़ावा देना और जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करना है।
3. मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023, जेल सुधार और पुनर्वास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

कितने कथन सही हैं?

- A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी कथन
D. कोई नहीं

37. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- हाल ही में कैंसर पर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का अनुमान है कि पांच में से एक व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कैंसर होने का खतरा है।
- कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और शरीर के अन्य भागों में फैल जाती हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- दोनों
- उपरोक्त में से कोई नहीं

38. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) अपना पहला विदेशी कैम्पस कहाँ स्थापित करेगा?

- लंदन
- दुबई
- सिंगापुर
- न्यूयॉर्क

39. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- हाल ही में, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 22 अक्टूबर, 2024 को 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए।
- ओडिशा को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला।
- पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में दिया गया।

उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है/हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- उपरोक्त सभी

40. चक्रवात दाना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- चक्रवात का मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल राज्यों को हित किया।
- चक्रवात दाना का नाम कतर ने रखा था।
- चक्रवात एक बड़ा वायु द्रव्यमान है जो उच्च वायुमंडलीय दबाव के एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है/हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 2
- केवल 1 और 3

D. उपरोक्त सभी

41. INS सुवर्णा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- हाल ही में, INS सुवर्णा ने अक्टूबर 2024 में अपनी एंटी-पायरेसी तैनाती के दौरान दार एस सलाम में एक बंदरगाह ने कॉल किया।
- INS सुवर्णा (P52) एक सुकन्या श्रेणी का गश्ती पोत है जिसे 4 अप्रैल, 1991 को कमीशन किया गया था।
- हिंद महासागर के तट पर स्थित दार एस सलाम, तंजानिया का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक राजधानी है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है / हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- उपरोक्त सभी

42. पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था?

- 1954, वैकूवर, कनाडा
- 1930, हैमिल्टन, कनाडा
- 1978, एडमॉन्टन, कनाडा
- 2022, बर्मिंघम, इंग्लैंड

43. भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पर हाल के फैसले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अब नीलामी के बजाय प्रशासनिक रूप से आवंटित किया जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) वैश्विक स्तर पर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन का प्रबंधन करता है।
- दूरसंचार अधिनियम, 2023 अनिवार्य करता है कि सभी स्पेक्ट्रम नीलामी के माध्यम से आवंटित किए जाने चाहिए।

कितने कथन सही हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- तीनों
- कोई नहीं

44. झिरी मेला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- झिरी मेला एक लोकप्रिय मेला है जो हर साल जम्मू के झिरी गांव में आयोजित होता है, जो प्रसिद्ध किसान और लोक नायक बाबा जित्तो की याद में होता है।

2. बाबा जिन्तो, जो एक 16वीं शताब्दी के डोगरा किसान थे, 1552 ईस्वी में मुगल शासकों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपनी जान की बलि दी थी।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- दोनों
- कोई नहीं

45. ऑपरेशन ड्रोनागिरी और राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- ऑपरेशन ड्रोनागिरी 13 नवम्बर 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य कृषि, आजीविका और परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भू-स्थानिक तकनीकों का क्रांतिकारी उपयोग करना है।
- ऑपरेशन ड्रोनागिरी के पायलट चरण को पाँच राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा, जिन्हें समान भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर चुना गया है।
- राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 का उद्देश्य 2030 तक भारत को भू-स्थानिक तकनीकी के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है, इसके तहत 2025 तक उच्च-रिजॉल्यूशन सर्वेक्षण और 2035 तक शहरों का राष्ट्रीय डिजिटल ट्विन विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर निर्धारित किए गए हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई नहीं

46. ओडिशा में बाली यात्रा महोत्सव के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

- बाली यात्रा एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला है और यह ओडिशा की प्राचीन समुद्री व्यापार परंपरा, विशेष रूप से सधाबा नामक व्यापारियों के यात्रा को सम्मानित करता है।
- यह महोत्सव कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है और 22 नवंबर को समाप्त होता है।
- बाली यात्रा महोत्सव में केवल ओडिशा के ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन होता है, और अन्य राज्यों से कोई भागीदारी नहीं होती।
- बाली यात्रा व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक

मंच प्रदान करता है, ओडिशा के हस्तशिल्प, भोजन और समुद्री व्यापार से संबंधित ऐतिहासिक संबंधों को बढ़ावा देता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- केवल तीन
- सभी चार

47. प्रधानमंत्री मोदी की हालिया नाइजीरिया यात्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, 'ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर' (GCON) प्रदान किया गया।
 - महारानी एलिजाबेथ 1969 में ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर (GCON) प्राप्त करने वाली पहली विदेशी हस्ती थीं।
- ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है?

- केवल एक
- केवल दो
- दोनों
- कोई नहीं

48. मनोज बाजपेयी की फिल्म 'द फेबल' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 'द फेबल' को 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (LIFF) में कॉन्टेलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- 'द फेबल' का निर्देशन मनोज बाजपेयी ने किया है और यह अपनी कहानी और सिनेमाई उत्कृष्टता के लिए व्यापक रूप से पहचानी गई है।
- इस फिल्म का विश्व प्रीमियर 2024 के बर्लिनले फिल्म फेस्टिवल में हुआ।
- 'द फेबल' को 2024 के मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में विशेष ज्यूरी पुरस्कार प्राप्त हुआ।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- केवल तीन
- सभी चार

49. BSNL की डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. BSNL की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा भारत की पहली डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है, जो बिना पारंपरिक ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर के, दूरस्थ और उपेक्षित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करती है।
 2. यह सेवा लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट्स का उपयोग करती है और उपयोगकर्ताओं को अपने उपकरणों पर सैटेलाइट डिश या रिसेवर्स स्थापित करने की आवश्यकता होती है।
 3. BSNL की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा उपयोगकर्ताओं को आपातकालीन कॉल करने और SOS संदेश भेजने की सुविधा देती है, यहां तक कि जब सेलुलर या Wi-Fi नेटवर्क उपलब्ध नहीं होते हैं।
 4. BSNL की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का एक प्रमुख लाभ इसकी त्वरित तैनाती है, जो आपदा-प्रभावित क्षेत्रों और दूरस्थ क्षेत्रों में पारंपरिक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कठिन क्षेत्रों में आदर्श है।
- ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
- A. केवल एक
 - B. केवल दो
 - C. केवल तीन
 - D. सभी चार
50. प्रधानमंत्री मोदी की गयाना यात्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गयाना यात्रा 20 नवंबर 2024 को हुई, जिससे वह गयाना जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए, जो 56 वर्षों बाद हुआ।
 2. अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इफान अली के साथ दूसरे भारत-सीएरिकॉम सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की।
 3. भारत और गयाना के बीच एक लंबा साझेदारी है, जिसमें भारत ने गयाना को दो HAL 228 विमान, एक समुद्री नौका और 30,000 आदिवासी परिवारों के लिए सौर प्रकाश व्यवस्था प्रदान की।
 4. गयाना, जो माउंट रोरा और कार्टीर फॉल्स के लिए प्रसिद्ध है, वेनेजुएला, ब्राजील और सुरिनाम के साथ सीमा साझा करता है।
 उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
 - A. केवल एक
 - B. केवल दो
 - C. केवल तीन
 - D. सभी चार

उत्तर

1	B
2	A
3	A
4	A
5	A
6	B
7	B
8	A
9	B
10	A

11	B
12	C
13	B
14	B
15	C
16	B
17	B
18	A
19	C
20	B

21	B
22	B
23	C
24	B
25	B
26	B
27	A
28	B
29	C
30	B

31	B
32	A
33	A
34	A
35	C
36	C
37	C
38	B
39	C
40	C

41	D
42	B
43	C
44	C
45	B
46	C
47	B
48	C
49	C
50	C